लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

6th

LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र
Fifth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 17 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XVII, contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price Four Rupees

विषय-सूची/Contents

अंक 17, मंगलवार, 8 अगस्त, 1978/17 श्रावण, 1900 (शक)

No. 17, Tuesday, August 8, 1978/Sravana 17, 1900 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary reference	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1–15
तारांकित प्रश्न संख्या 325 से 327, 330 और 331	Starred Questions Nos. 325 to 327, 330 and 331	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	15–149
तारांकित प्रश्न संख्या 324, 328, 329 और 332 से 343	Starred Questions Nos. 324, 328, 329 and 332 to 343	15
अतारांकित प्रश्न संख्या 3139 से 3178, 3180 से 3208, 3210 से 3223, 3225 से 3319 और 3321 से 3338	Unstarred Questions Nos. 3139 to 3178, 3180 to 3208, 3210 to 3223, 3225 to 3319 and 3321 to 3338	26
सभा के कार्य के बारे में	Re-Business of the House	149–150
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	150–152
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	152
तट रक्षक विधेयक—	Coast Guard Bill—	152
राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में रखा गया	As passed by Rajya Sabha laid	152
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	152–155
दिल्ली के निकट कंझावला गांव में हरिजनों के जीवन और सम्पत्ति को खतरा	Threat to lives and properties of Harijans in Kanjhawala village, near Delhi	152
श्री वी० एम० सुधीरन	Shri V.M. Sudheeran . . .	152
श्री धनिक लाल मंडल	Shri Dhanik Lal Mandal. . .	152
प्रो० समर गुह	Prof. Samar Guha . . .	153
श्री पी० के० कोड़ियन	Shri P.K. Kodiyan . . .	154
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan . . .	155

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377 .	155–157
(1) शाहजहांपुर आयुद्ध कारखाने में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का समाचार	(i) Reported Irregularities at Shahjehanpur Ordnance Factory . .	155
श्री सुरेन्द्र विक्रम	Shri Surendra Bikram	155
(2) जमालपुर रेलवे वर्कशाप को आधुनिक बनाने की आवश्यकता	(ii) Need to modernise Jamalpur Railway workshop	156
श्री लखन लाल कपूर	Shri L.L. Kapoor . . .	156
(3) कलकत्ता हवाई अड्डे पर लगाये गये दो आधुनिकतम रेडारों के काम न करने का समाचार	(iii) Reported Non-functioning of Radars installed at Calcutta Airport .	156
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	156
(4) खरीद के मामले में सरकारी क्षेत्र को 10 प्रतिशत अधिक मूल्य देने के सरकार के निर्णय को समाप्त करने का समाचार	(iv) Reported Decision to do away with price preference to public sector in the matter of purchases .	156
श्री वेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua .	156
(5) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यकरण संबंधी समाचार	(v) Reported functioning of Textile Export Promotion Council— .	157
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . . .	157
संविधान (45 वां संशोधन) विधेयक, 1978 विचार किए जाने का प्रस्ताव	Constitution (Forty-fifth Amendment) Bill, 1978 Motion to consider .	157–174
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar .	157
श्री दिलीप चक्रवर्ती	Shri Dilip Chakravarty .	158
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M.N. Govindan Nair	159
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	160
श्री आर० वेंकटरामन	Shri R. Venkataraman .	161
श्री दाजीबा देसाई	Shri Dajiba Desai . .	162
श्री वाई० पी० शास्त्री	Shri Y. P. Shastri	162
श्री त्रिदिव चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri . .	163
श्री जगन्नाथ शर्मा	Shri Jagannath Sharma . . .	164
श्री हितेन्द्र देसाई	Shri Hitendra Desai . .	165
श्री आर० के० अमीन	Shri R.K. Amin	166
श्री अशोक कृष्ण दत्त	Shri Asoke Krishna Dutt . .	167
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G.M. Banatwalla . . .	169
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur . . .	170
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai . . .	171

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . .	171
श्री राज नारायण	Shri Raj Narain . . .	172
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	173
श्री यशवंत बोरोले	Shri Yashwant Borole . .	174
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath . .	174
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua . . .	174

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, अगस्त 8, 1978/ श्रावण 17, 1900 (शक)

Tuesday, August 8, 1978/*Sravana* 17, 1900 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय: मुझे श्री रामरतन गुप्ता के दुःखद निधन की सूचना सदन को देनी है जिनका 72 वर्ष की आयु में 3 अगस्त, को कानपुर में निधन हो गया।

श्री रामरतन वर्ष 1962—64 तथा 1966-67 के दौरान उत्तर प्रदेश के गोंडा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। इसके पूर्व 1943 में वे केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य थे।

प्रमुख व्यापारी और उद्योगपति के रूप में उन्होंने देश के औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। वे कानपुर की एक जानी पहचानी हस्ती थे और दो सत्रों में वहां के महापौर रहे। वे उत्तर प्रदेश की बहुत सी धर्मार्थ और शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने वाणिज्य, उद्योग, वित्त, बैंकिंग प्रतिरक्षा और रेलवे जैसे विविध विषयों में गहरी रुचि ली। वे "द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व का विश्व" और "निर्णय का समय" नामक दो पुस्तकों के रचयिता भी थे।

हम अपने मित्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सदन शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देगा।

अपना शोक व्यक्त करने के लिए सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षणों के लिये मौन खड़े रहे।

The members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी का जुलाई, 1978 में बन्द होना

*325. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी जुलाई, 1978 में थोड़े समय के लिए बन्द हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हो गई है; और

(ग) क्या मिट्टी का तेल और एच० एस० डी० आयात करने की कोई द्रुत योजना आरम्भ की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। इस शोधनशाला के क्रूड आसवन यूनिट में तेल के टपकने के कारण इसमें तत्काल मरम्मत करने हेतु इसे 8 जुलाई, 1978 से बंद कर दिया गया है तथा मध्य अगस्त, 1978 से इसके पुनः चालू हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग) मांग को पूर्ण रुपेण पूरा करने के लिए इन उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए तथा सप्लाई लाइन को बनाये रखने हेतु वैकल्पिक योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। तथापि खाना पकाने की गैस के संबंध में, बम्बई क्षेत्र के उन उपभोक्ताओं की जिन्हें इस मद की सप्लाई की जाती है, सामान्य सप्लाई में कुछ विलम्ब हुआ है।

मिट्टी के तेल तथा हाईस्पीड डीजल तेल की जो मात्रा पहले तय की गयी थी, उसके अलावा इन मदों की अतिरिक्त मात्रा आयात करने के लिए सरकार द्वारा प्रबंध कर लिये गये हैं।

श्री डी० डी० देसाई : इस शोधनशाला के बन्द होने से एच० एस० डी०, गैस और मिट्टी के तेल में भारी कमी हो गयी है। दूसरी ओर, बम्बई हाई की गैस जलाई जा रही और इस प्रकार नष्ट की जा रही है। क्या वे यह ब्यौरा देंगे कि बम्बई हाई की गैस और तेल को गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर ले जाने क्यों कठिनाई हुई क्योंकि यदि यह कदम उठाया गया होता तो इन वस्तुओं की कमी और इनका तत्काल आयात की समस्या समाप्त हो गयी होती।

हेमवती नन्दन बहुगुणा : देसाई जी ने इस प्रश्न में एक नया प्रश्न जोड़ने की कोशिश की है। जो भी हो, मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। बात यह है कि यदि सरकार इसे शीघ्रता से करना चाहे तो भी इसमें समय लगेगा। यह सरकार मार्च, 1977 के अन्त में सत्ता में आयी। देसाई जी, प्रख्यात व्यक्ति हैं और वे इस बात से सहमत होंगे कि गैस को तट पर लाने और फिर उसे एल० पी० जी० इत्यादि में परिवर्तित करने के लिए गैस प्रभाजक प्लांट लगाने में उसे 3½ वर्ष के बीच का समय लगेगा। उस गैस प्रभाजक प्लांट के विषय में अब सोचा जा रहा है और इंजीनियर्स इंडिया लि० से यह सब करने के लिए कहा गया है। जैसे ही उनकी सलाह प्राप्त होगी, वैसे ही हम उस दिशा में अग्रसर होंगे जिसमें वे चाहते हैं।

श्री डी० डी० देसाई : मेरी समस्या देश में इसकी कमी तक सीमित थी जो किसी शोधनशाला के बन्द होने से पैदा हो सकती है। इस मामले का वास्ता हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की शोधनशाला से है। मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया कि इसमें 3 से 5 वर्ष तक लग सकते हैं। मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि वे तथ्यों की जांच करें और अपनी संतुष्टि के लिए देखें—एक ओर 81 करोड़ रुपये या डयू तक 144 कि० मी० दूसरी ओर बम्बई के लिए 230 कि० मी० ट्राम्बे में अतिशय केन्द्रीकरण, एक ओर ग्रामों तथा उत्तरी भारत की मंडी में इन वस्तुओं का अभाव जिसके लिए मंत्री महोदय को केवल जनवरी में 3 लाख टन मिट्टी का तेल आयात करना है और दूसरी ओर बम्बई हाई से ट्राम्बे तक पाइप लाइन बिछाने के लिए जो बहुत कम समय इसने लिया है, और डयू तक का लगभग आधा फासला और...

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत से सुझाव दे रहे हैं। आप सवाल नहीं कर रहे हैं।

श्री डी० डी० देसाई : मुझे यह दिखाना है किस तारीख को वे यह काम आरम्भ कर सकते हैं और किस तारीख को वे पूरा कर सकते हैं। इन दोनों की जानकारी जनता को मिलनी चाहिए क्योंकि जनता गैस, मिट्टी के तेल और एच० एस० डी० की कमी में जूझ रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक इसका सम्बन्ध है, उनका समयबद्ध कार्यक्रम क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वास्तव में गुजरात के लिए पाइपलाइन का प्रश्न इस सवाल से उत्पन्न नहीं होता उस पर भी एक अलग सवाल है। मैं सदन को और सदन के माध्यम से गुजरात, उत्तरी भारत और समूचे भारत को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि गैस को समुद्र से समुद्र तट पर लाने और उनके उपयोग के लिए पाइपलाइन या किसी भी तीव्रतम सम्भव प्रणाली का उपयोग किया जायेगा। हमने समुद्र से गैस को लाने और गुजरात तथा महाराष्ट्र दोनों में इसका उपयोग करने का निर्णय कर लिया है। अतः गैस गुजरात को भी जायेगी।

श्री डी० डी० देसाई : आखिर उन्होंने ब्यौरा तैयार कर लिया है। वे उन्हें जन सामान्य के लिए नहीं दे रहे हैं। पहले से ही उनके पास पर्याप्त विवरण है।

अध्यक्ष महोदय : सम्भवतः महत्वपूर्ण कारणों वश वे उन्हें प्रकाशित नही कर रहे हैं।

Chaudhary Balbir Singh : I want to ask the Hon. Minister whether the leakage that occurred was due to the defect left at the time of its construction, or somebody has done some mischief now who is responsible for this leakage, will the minister tell something about it and take action after conducting the enquiry ?

Shri H. N. Bahuguna : Sir, we have asked the experts, Engineer's India Ltd. and the Metal corrosion department of Atomic Research who deal with it, about the leakage which has occurred. We have asked the knowledgeable persons about the corrosion or leakage. which occurs in the metal. The plate has been examined. Fortunately, the defect was deducted well in time. Had there been the delay of 4, 6 hours, it would have resulted in terrible losses. There is no lacuna on the part of manufacturer. It is all natural. All information collected so far is contained in that plate. However, when the entire information is available, the reasons for the leakage will be known.

Conversion of Samastipur-Darbhanga MG Line into BG

†*326. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have received memoranda from local organisations and railway users to convert Samastipur-Darbhanga metre gauge line into broad gauge line;

(b) whether a proposal in this regard was already approved and the former Railway Ministers had given assurances for immediate construction thereof;

(c) whether Government have completed survey work in this regard;

(d) whether it is a fact that a tokan provision used to be made in the budget for construction of Darbhanga-Samastipur line during the last five years;

(e) whether Government propose to make further arrangements to take up this work soon ; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Rilways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (f) A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) Yes, Sir.

(b) to (f) Gauge conversion of Samastipur-Darbhanga MG line was included in the budget for 1974-75 and is an approved work. The report of the final location engineering survey-*com*-traffic reappraisal for conversion of this MG line was received in October 1977. The project is estimated to cost Rs. 8.73 crores according to the reappraisal. Due to severe constraint of resources, only a token provision has been made for the work in the current

financial year. According to the present planning, it is proposed to concentrate on some of the 14 gauge conversion schemes which are in hand and to complete them full before taking up the work on schemes which are yet to be started. Under this policy it is proposed to take up the gauge conversion of Samastipur-Darbhanga MG line after the projects, which are in hand, are completed.

Shri Surendra Jha Suman : Sir, according to the statement of the Minister this is an approved work and from 1974-75 it has been included in the budget during the last 5 years. The survey work has also been completed 2 years back *i.e.* in 1977. Then, why it is not being given priority particularly when the cost has been continuously rising ? In 1974-75 the cost was estimated Rs. 5 crores; now it has been estimated Rs. 8 3/4 crores. So keeping in view the development of 11 economically backward districts of Bihar which include Darbhanga, Samastipur, Madhubani and Sitamari, will the Railway Minister give an assurance that the work of conversion of this line will be taken up ?

Prof. Madhu Dandavate : As I have already told the House, it is the general policy of the ministry that the projects which are in hand and the survey of which has been conducted should be given more attention and should be completed. Therefore, project of conversion of Barabanki-Samastipur line is being given priority. I feel after the completion of this work, these areas will be benefited.

The second problem is that due to floods the bridges will have to be built on a large scale on the lines referred to by the honourable member. Our policy is that we will concentrate on the projects which are in hand and are being implemented instead of incurring this expenditure. So, at the moment, I will not be in a position to give any assurance.

Shri Surendera Jha Suman : Which is more disirable to remove the hardships of the berieved or give benefits to those who are already happy ? When this area is backward and as the Minister has said it is the victim of floods and famines, it should be given greater attention. It has also got some historical importance. The railways have a history of 125 years and 103 years ago its name was B.N.W. Railway and was later changed to Oudh-Tirhut Railways. Since that time, it has been the most backward area and due to the inconvenience of transport, Dalsingh Sarai-Samastipur Darbhanga line was constructed. So by constructing this historical line you can complete a historical work and ensure the progress of the most backward area. It has been the requirement of ages and three former Railway Ministers including Shri Lalit Narayan Mishra, Shi Kamalapati Tripathi have agreed for it.

The Minister has also admitted. But the sanction remains on paper only and nothing is done. Therefore, I would exhort the Minister to announce, as soon as possible, the taking over of this work.

Prof. Madhu Dandavate : There is no question before the Ministry like making a division between the happy and the miserable. I have just now mentioned Barabanki-Samastipur Railway Line. I do not feel that the inhabitants of the area adjoining this line are less miserable. Several friends of mine have many a time pointed it out to me. The 14 projects which we have taken in hand spread upto a total distance of 3890 kilometres and a provision of Rs. 4,000 crores is needed for them but the sanction we have received for Rs. 27 crores only. Therefore, we have decided to concentrate on 6 of the 14 lines and we have made an increased allocation of Rs. 12.9 crores for Barabanki-Samastipur line. We hope to complete it within two years. Work on other lines will be undertaken after completing the work in hand.

Shri Ram Murti : Mr. Speaker. Sir, it is a question of policy. The entire area o Kerala adjoining the whole of north-India, Rajasthan, Gujarat and lower Madras is covered by narrow guage which provides means of livelihood to crores of people. I want to know why such a huge sum is being spent on replacing the narrow gauge by broad-gauge when we intend to spread new lines in the country. I would request the Minister to stop this policy and take up the work of spreading only those new Rly. Lines which are badly needed.

अध्यक्ष महोदय : श्री राममूर्ति, इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है।

Shri M. Ramgopal Reddy : I want the division this that misery should be shared by the Minister and the happiness by the people. What does the Minister think about it?

अध्यक्ष महोदय : इसका सवाल ही खड़ा नहीं होता।

Prof. Madhu Dandavate : I would be very happy to share sorrow: I accept this division.

Shri Ram Murti : Mr. Speaker, Sir, I have not been answered.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।

Shri Surendra Vikram : I agree with the Minister that railway lines should be introduced in backward areas. Our Shahjahanpur is a very backward area. Farrukhabad-Shahjahanpur lines has been surveyed Will the Minister take up that work ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न से इसका कोइ संबध नहीं है।

गुजरात में बम्बई हाई को गैस की उपलब्धता

*327. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बम्बई हाई क्षेत्र में अब नियमित रूप से गैस का उत्पादन होता है तथा पाइपलाइनों के द्वारा उसे देश में उपलब्ध कराया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त गैस का भाग गुजरात को कब उपलब्ध कराया जायेगा तथा किस प्रकार और कितनी मात्रा में ;

(घ) क्या सरकार को गुजरात सरकार की ओर से उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित मामले के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) बम्बई हाई से उरान तक तेल तथा गैस को ले जाने के लिए अन्तः सागरीय पाइपलाइन को तथा उरान से ट्राम्बे तक स्थानान्तरण पाइपलाइन को बिछाने का काम पूरा हो गया है। इस समय प्रतिदिन लगभग औसतन 0.8 मिलियन घन मीटर गैस उपलब्ध हो रही है। शुरू शुरू में टाटा बिजलीघर में प्रतिदिन लगभग 0 6 मिलियन घन मीटर गैस का प्रयोग किया जा रहा है। ट्राम्बे स्थित राष्ट्रीय रसायन तथा उर्वरक के उर्वरक संयंत्र के लिए अगस्त, 1978 से प्रतिदिन लगभग 0.2 मिलियन घन मीटर गैस मुहैया की जायेगी।

गुजरात के मुख्य मंत्री से समय-समय पर अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि सभी प्रबन्ध, अध्ययन और औपचारिकताएं समय पर पूरी कर ली जायें ताकि गुगरात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1979 के मध्य तक बम्बई अपतट से गैस की सप्लाई की जा सके।

गैस का आबंटन तकनीकी आर्थिक विचारधारा के आधार पर किया जायेगा—उसमें भी गैस को उर्वरक सम्भरण भंडार के रूप में प्रयोग करने को तरजीह दी जायेगी। गुजरात में गैस का अधिकतम प्रयोग करने के लिए गठित कार्यकारी दल ने इस बात का अनुमान लगाया है कि गुजरात में वर्ष 1985-86 तक लगभग 3.81 मिलियन घन मीटर अपतटीय गैस का आवश्यकता होगी।

यह निर्णय किया गया है कि दक्षिण बेसिन क्षेत्र से गुजरात तक एक और पाइप लाइन बिछायी जायेगी, जिसे मार्ग में बम्बई हाई से सम्बद्ध गैस पाइपलाइन के साथ आन्तरिक रूप से जोड़ा जायेगा ताकि आवश्यकतानुसार सम्बद्ध और असम्बद्ध दोनों प्रकार की गैसों के प्रवाह को इन दोनों दिशाओं में विनियमित किया जा सके।

गुजरात तक गैस पाइपलाइन के बिछाये जाने के संबंध में सम्भावी अध्ययन अभी पूरा हुआ है और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इसकी जांच को जा रही है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सिफारिशों सहित इस रिपोर्ट को तत्काल सरकार को प्रस्तुत किये जाने की आशा है। तत्पश्चात् सरकार द्वारा इस पाइप-लाइन की मितव्ययता, स्थान तथा समयानुसार इसे पूरा करने आदि से संबंधित दृष्टिकोण बनाया जायेगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देख कर खुशी है कि मेरे मित्र, पेट्रोलियम मंत्री श्री बहुगुणा सदन में मौजूद हैं। लेकिन, मुझे आपका संरक्षण तथा मार्ग निर्देशन चाहिए। इसी विषय पर मैंने मामला उठाया है लेकिन संसदीय अनुचित व्यवहार के बारे में मैंने जो बात उठाई है उसके संबंध में मंत्री महोदय ने सदन में कोई वक्तव्य नही दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कल पत्र भेजा था।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उन्होंने जो कुछ कहा है उससे मैं संतुष्ट हूं लेकिन सवाल करने से पहले यह बात मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कुछ संसदीय मामले उसमें शामिल हैं। जैसा कि आपको विदित है, मेरे प्रश्न का जबाव दिए जाने के बाद, इस तरह के समाचार बराबर आ रहे हैं कि उनके ही मंत्रालय के पदाधिकारी इन मामलों पर खुले आम वाद विवाद करते हैं जबकि यह सदन में ही होना चाहिए, इस के बाहर नहीं। उदाहरण के तौर पर, 3 अगस्त के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में एक लम्बी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि गुजरात के प्रति भेदभाव के आरोप निराधार हैं। कौन कहता है कि वे निराधार हैं? ये मंत्रालय के ही पदाधिकारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने सवाल पर आएं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जब हम संसद में, दिल्ली में बैठे हुए हैं, पदाधिकारी ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं कि "हमें खेद है" या "हमें इस बात का खेद नहीं है" यह जवाब देना तो मंत्री का काम है। पदाधिकारी ऐसा किस तरह कह सकता है। इधर तो मंत्री जी ने हमसे, गुजरात के संसद सदस्यों से मिलने की कृपा की और उधर, पदाधिकारियों ने प्रेस रिलीज़ में क्या कहा है। यह एक बहुत गंभीर मामला है, उन्होंने कहा :

"प्रत्यक्षतः, संसद सदस्य (अर्थात् गुजरात से आए संसद सदस्य) मंत्री के स्पष्टीकरण से संतुष्ट थे, लेकिन मुख्य मंत्री ने उन विषयों को एक बार फिर उठाया है।"

श्रीमान, इस बात पर हम चाहते है कि आप हमारा मार्गनिदेशन करें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मावलंकर, यह प्रश्न काल है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आप कृपया मंत्री जी को यह निर्देश दे कि वह पदाधिकारियों से कहें कि संसद के रहते हुए वे संसद सदस्यों के बारे में ऐसे वक्तव्य न दें। यह हमारा विशेषाधिकार है।

एक माननीय सदस्य : अन्यथा स्थिति में भी।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : जी हां, मुख्य मंत्री ने कहा, और मैं भी दुबारा कहना चाहता हूं कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने मेरे प्रिय मित्र को कोई उचित मार्गनिर्देशन नहीं किया हैं, सारे गुजरात में उपेक्षा की भावना महसूस की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो वक्तव्य दे रहे हैं जो संगत हो सकता है, लेकिन प्रश्न काल में नहीं। आपको अपने सवाल पर आ जाना चाहिए। आपका वक्तव्य दूसरे समय में संगत हो सकता है। आप मुझे नोटिस दे सकते हैं, मैं उसे देखूगां। लेकिन अभी तो हम प्रश्न सं० 327 पर चर्चा कर रहे हैं : कृपया प्रश्न सं० 327 पर आएं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैंने जो बात उठाई है वह और प्रश्न में उठाई बात, दोनों एक ही हैं। इसीलिए मैंने उसे उठाया। मैं आपके निर्णय का पालन करूंगा।

मेरा पहला प्रश्न यह है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गुजरात के अधिकांश लोगों की एक समस्या है, वह सही है या गलत तथ्यों के आधार पर इसे प्रमाणित करना मंत्री का काम है। मैं सोचता हूं कि सही योंकि सरकार, मंत्रालय तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सब एक होकर गुजरात की मांगों के प्रति उदासीन हैं और दूसरी ओर महाराष्ट्र की मांगों के प्रति जरूरत से ज्यादा उत्साहित हैं ...... (**व्यवधान**) मैं गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का समर्थन कर रहा हूं क्योंकि मेरा वास्ता सारे भारत से हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं महाराष्ट्र और गुजरात का पक्षपाती हूं। बात यह है कि मैं इंधन में दिलचस्पी ले रहा हूं। गुजरात के मुख्य मंत्री ने, जो अपनी ही पार्टी के हैं, वही बाते दुहराई है जो मैं अब कह रहा हूं। इसलिए, यह तथ्य है कि भारत सरकार ने संसद में तथा संसद के बाहर दिए अपने इन आश्वासनों को पूरा नहीं किया है कि गुजरात के लिए पाइपलाइन जल्दी ही दी जाएगी और कि बम्बई हाइ की गैस 1979 के मध्य तक गुजरात को दी जाएगी और यह कि उर्वरक तथा विद्युत् के लिए भी इसे उपलब्ध कराया जाएगा। अब महाराष्ट्र तो गैस का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक उत्पादन आदि के लिए, यहां तक कि हर प्रयोजन के लिए कर सकता है, लेकिन मंत्री जी का गुजरात से कहना है "आप नही कर सकते।" महाराष्ट्र में तो आप इन सब चीजों की अनुमति दे सकते हैं ....? (**व्यवधान**) इसका उत्तर कहां है? ....(**व्यवधान**)

श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे : श्रीमान, इस तरह से मंत्री महोदय पर क्षेत्रीय मांगों के लिए दबाव डाला जा रहा है। मंत्री जी को चाहिए कि वह इस तरह दबाव में आकर क्षेत्रीय मांगों के बारे में उत्तर न दें।.... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसे रिकार्ड न किया जाए ।

****(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री देसाई, यह प्रश्न-काल है। एक तो हमने भाषा मसले पर व्यर्थ कर दिया; एक दिन महाराष्ट्र और गुजरात पर। प्रत्येक कहता है "हम भारत के लिए हैं," लेकिन हम यही दलील सुन रहे हैं कि भारत गुजरात हैं या भारत महाराष्ट्र है।

****कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
Not recorded.**

एक माननीय सदस्य : दोनों के बीच असंतुलन है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यहां कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए ।

श्री सौगत राय : दो तरह के मानदण्ड हैं—एक महाराष्ट्र के लिए और एक गुजरात के लिए । केन्द्र में जनता सरकार है।

अध्यक्ष महोदय असंतुलन कहीं भी हो, लेकिन संसद में असंतुलन नहीं होना चाहिए। चलिए, आगे चलें। (**व्यवधान**)

श्री बसंत साठे श्री मावलंकर ने जिस तरह से शब्दों का विस्फोट किया है, उससे लगता है कि गुजरात में पर्याप्त गैस है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब आप यह सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी पर्याप्त गैस है। (**व्यवधान**)

श्री एच० एन० बहुगुणा प्रो० मावलंकर का मैं बहुत आदर करता हूं और मैं उन्हें तथा सदन को आश्वस्त करता हूं कि सामान्यतः 'बाम्बे हाइ' या 'नार्थ बेसिन' या ताप्ती क्षेत्र कहे जाने वाले अपतट से गैस को भारत लाए जाने के मसले निपटान में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और चूंकि हमारे लिए यह भाग्य की बात है कि गुजरात तथा महाराष्ट्र, दोनों ही गैस को उर्वरक में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, सरकार ने दोनों स्थानों पर एक ही जितने बड़े दो संयंत्र महाराष्ट्र तथा गुजरात में स्थापित करने का निर्णय किया है। इनमें से कोई भी 1982-83 से पहले स्थापित नहीं हो सकेगा। (**व्यवधान**)

Shri Mani Ram Bagri : The Refinary itself is at Mathura which is to face the entire loss.

श्री एच० एन० बहुगुणा : मथुरा काफी सुरक्षित है।

श्री डी० डी० देसाई : मथुरा यहां आ सकता है। लेकिन वह विषयांतर कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री एच० एन० बहुगुणा : मुझे आशा है कि माननीय श्री देसाई यह स्वीकार करेंगे कि मेरे जैसे विनम्र व्यक्ति को भी बोलने का अधिकार है। (**व्यवधान**) मैं केवल निवेदन कर रहा हूं। इसे नामंजूर करने का अधिकार सदन को है। लेकिन मुझे अनुरोध करने का अधिकार है।

जहां तक गैस के प्रश्न का संबंध है, यह कहना फिर गलत है कि महाराष्ट्र में हम संरचना के अनुकूल जो निर्माण करने जा रहे हैं, वैसा हम गुजरात में नहीं कर रहे हैं। यह सही नहीं है। कुल गैस जो तट पर लाई जा रही है, 0.8 लाख है। महाराष्ट्र को 0 8 लाख दी जा रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में सारे देश के लिए उर्वरक परिवर्तित किया जा रहा है जो भारत सरकार के ट्राम्बे फर्टिलाइजर प्लांट को जो भारत सरकार के स्वामित्व में है, गुजरात या महाराष्ट्र के नहीं, भरण-स्टाक (फीड स्टाक) में मिलता रहेगा। इसलिए, इसमें महाराष्ट्र की तरफदारी का कोई प्रश्न नहीं है। (**व्यवधान**)।

चौधरी बलबीर सिंह : लाभ पाने वाला महाराष्ट्र है।

श्री एच० एन० बहुगुणा : श्री चौधरी बलबीर सिंह को चारों ओर टाटा ही दिखाई देते हैं। लेकिन मैं उन्हें चारों ओर नहीं देख सकता। मैं उनसे केवल अनुरोध कर सकता हूं कि टाटा के साथ-साथ वह औचित्य भी देखें (**व्यवधान**) मैं इस कटाक्ष का खण्डन करता हूं। यह उचित नहीं है। हमने किसी का पक्ष नहीं किया है—क्योंकि वह गैस अपतट पर धधक रही थी—मैं इसे सदन के निर्णय पर छोडता हूं कि क्या हमें तेल निकालना चाहिए क्योंकि जब हम तेल लेते हैं तो गैस आ जाती है, या इसे तट पर लाएं और इसका कुछ प्रयोग करें या इसे धधकते रहने दें। जो गैस अब तट पर लाई गई है, वह बिना किसी नतीजे के जल रही थी। हम इसे तट पर

जाए हैं और जब तक कि हम उर्वरक की पूरी क्षमता का निर्माण करें। जब तक यहां दो संयंत्र नहीं लग जाते ट्राम्बे में इस्तेमाल के बाद जो बच रहता है वही हम टाटा को दे देते हैं ताकि उसका इस्तेमाल ताप में परिवर्तित करने और फिर ऊर्जा में बदलने के लिए किया जा सके। इस व्यवस्था को, जो अंतरिम व्यवस्था है संयंत्र के लगते ही रोक दिया जाएगा। यदि हम सारी गैस लाएं तो यही सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है जो 1982-83 तक चल सकती है। यदि हम बाम्बे-हाइ को न लें और सरकार यह निर्णय कर ले कि बाम्बे-हाइ क्षेत्र में इसके पूरा स्तर पर काम न हो और इसे वर्तमान स्तर पर ही समाप्त कर दिया जाए तब तो अपतट पर जो गैस आएगी उसे अभी भी रोका जा सकता है। टाटा इसे जनवरी, 1979 में या जून, 1979 में किसी भी दिन बंद कर सकते है जो ट्राम्बे में विकास की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है और हम सारी गैस का इस्तेमाल इसे उर्वरक में परिवर्तित करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए, टाटा तो पूरे इस्तेमाल, आंशिक इस्तेमाल तथा कोई भी इस्तेमाल न होने के बीच एक अंतरिम व्यवस्था है। हमने आंशिक इस्तेमाल को चुना है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जब हम गुजरात से कहें कि कृपया गैस मंजूर करें, तो हम चाहेंगे गैस को अच्छे से अच्छे उपयोग में लाया जाए। इसे यथा सभव सर्वाधिक आर्थिक मूल्य में बदला जाए। मैं नहीं समझता कि प्रो० मावलंकर, उस गैस का जो वास्तविक मूल्य हमें मिल सकता है उसके बदले 2 पैसे भी कम लेना चाहेंगे। अर्थविज्ञान की कसौटी पर इस मसले के बारे में मैं किसी से भी, संसद सदस्यों के साथ भी विचार और चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

स्पष्टीकरण हेतु मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस महान सदन का आदर, उच्चतम, सर्वोच्च और प्रभुसत्ता संपन्न निकाय के रूप में करता हूं जहां लोगों की इच्छा अभिव्यक्त होती है। सदन का निरादर या ऐसी कोई बात करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। पहली बात तो यह है कि मैं कोई नीति संबधी वक्तव्य ही नहीं दे रहा था। यह तो ब्यौरे देने का सवाल था। लेकिन वह भी इसलिए जरुरी हो गया क्योंकि श्री मनुभाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के संसद सदस्य गुजरात हाउस में मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। संसद का सत्र चल रहा था। संसद सदस्यों के अनुरोध पर उन्होंने संसद के सभी सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक मुलाकात की मांग की थी। मैं वहां गया। भाग्य से, प्रो० मावलंकर भी वहां मौजूद थे। मैंने अपना दृष्टिकोण सामने रखा। मुलाकात की समाप्ति पर, मैंने देखा कि प्रेस के दो व्यक्ति सारे समय वहां थे। किसी ने मेरा ध्यान उनकी मौजूदगी की ओर दिलाया। अतः मैंने उनसे कहा, "देखिए, यहां जो कुछ बातचीत हुई है, उसमें से कुछ भी आप प्रकाशित होने के लिए प्रेस में न दें। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि "गैस" का मसला गुजरात में एक बहुत ही विस्फोटक चर्चा का विषय बन गया है।

अतः, इस मामले में प्रो० मावलंकर की चिंता और उनकी पीडा का मैं हिस्सेदार हूं। मेरी मुश्किल यह थी कि यदि मैं स्वयं प्रेस के व्यक्तियों से न मिलता तो प्रेस ने हर तरह की बातें छाप दी होती और गुजरात के लोगों को स्थिति समझाना तथा तनाव कम करना बहुत कठिन हो जाता। मैंने बहुत ही नेक इरादे से वह किया। उसके अलावा और कोई इरादा नहीं था।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है, उसकी मैं पूरी तरह प्रशंसा करता हूं और मैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके लिए उनके प्रति आभारी हूं। मैं भी कहना चाहूंगा कि इस सारे मामले को मैं तकनीकी-आर्थिक तथा तथ्यात्मक आंकड़ों पर आधारित राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखता हूं, किसी क्षेत्रीय लिहाज से नहीं।

इस संबंध में, एक बात और जानना चाहूंगा। अपने वक्तव्य के अंतिम पैरा में उन्होंने ओ० एन० जी० सी० तथा अपने मंत्रालय की कुछ संभाव्यता अध्ययन रिपोर्टों का जिक्र किया है क्या मैं जान सकता हूं कि ये अध्ययन दल कब नियुक्त किए गए, उनके सदस्य कौन-कौन थे और उनको दिए गए विचारार्थ विषय क्या थे और जब कि उनकी रिपोर्टें अब तैयार हैं, तो सरकार कितनी जल्दी निर्णय करेगी ताकि गुजरात में

अपतट पाइंट पाइप पर पाइपलाइन का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र आरंभ हो, और यदि गुजरात को तकनीकी आर्थिक आधारों पर उद्योगों के लिए गैस की जरूरत हो तो गुजरात को गैस से वंचित नहीं किया जाएगा ताकि उद्योगों का उचित विकास हो सके ?

श्री एच० एन० बहुगुणा : मैं बिना हिचकिचाहट एक आश्वासन देना चाहता हूं कि गुजरात को 22 लाख क्यूबिक मीटर गैस की जो जरूरत है उसकी पूर्ति तब तक की जाती रहेगी जब तक कि उसके बदले में बम्बई की गैस उपलब्ध नहीं होती। खुशी की बात है कि ढुक्का तथा एक अन्य स्थान पर हमें तट पर (आन शोर) ही ज्यादा गैस मिल गई है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र उससे भी ज्यादा प्रचुर सिद्ध हुआ है जितना अनुमान पहले किया गया था। अब हमारे लिए यह कहना संभव हो गया है कि हम मौजूदा यूनिटों को तथा घरेलू उपयोग के लिए भी गैस सप्लाई करेंगे। जहां हम 20 लाख या 10 लाख क्यूबिक मीटर गैस टाटा को दे रहे हैं टरबाइनों, बाइलरों आदि में, वहीं हम गुजरात में घरेलू प्रयोजनों के लिए भी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि उसका सही इस्तेमाल यहीं है। इसलिए, 22 लाख क्यूबिक मीटर गैस की पूर्ति 1982-83 तक की जाती रहेगी। यदि इसके अलावा भी किसी इस्तेमाल के लिए जरूरत पड़ी तो हम अवश्य ही कुछ न कुछ उचित व्यवस्था करेंगे।

एक बात और कह देना चाहूंगा । कोई एक नई मांग है कि उर्वरक का फीड-स्टाक, जो इस समय एल० एस० एच० एस० है, गैस में परिवर्तित किया जाता है।

पहले लाइसेंस शुदा यूनिट एल० एच० एल० एस० का उत्पादन करने के लिए है तथा इसे फीड-स्टाक गैस में बदलने से समस्याएं उठ खड़ी होंगी। एल० एच० एल० एस० का उत्पादन गुजरात में कावली में होता है। इसका मैं क्या करूं? इसलिए वे इस विषय पर उचित दृष्टिकोण से विचार कर हमारी गलतियों को सुधारने में मदद करें।

अध्यक्ष महोदय : आपने अध्ययन दल के बारे में नहीं बताया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अध्ययन दल लगभग छः मास पहले वहां गया था। उसके सदस्य मेरे मंत्रालय, योजना आयोग और गुजरात सरकार के कुछ अधिकारी थे।

श्री पी० जी० मावलंकर : यदि यह जानकारी सभा पटल पर रख दी जाए तो मैं आभारी होऊंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं ऐसा करूंगा। परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

प्रो० आर० के० अमीन : आप बम्बई और गुजरात में भेद क्यों करते हैं? आपने बम्बई से उसकी आवश्यकता नहीं पूछी और साथ ही उसे स्विच ओवर सुविधा भी दे दी गई है। बम्बई वाले इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए भी कर सकते हैं। परन्तु यह सुविधा गुजरात को नहीं दी गई। फिर जब तक स्थान निश्चित नहीं करते तब तक जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है यह कैसे पूछ सकते हैं कि किसी काम के लिए कितनी गैस का उपयोग किया जाएगा? क्या गुजरात के साथ बम्बई के समान ही व्यवहार किया जाएगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं बता दूं कि मेरी बम्बई और गुजरात से कोई लड़ाई नहीं है। हम गुजरात में 22 लाख घन मीटर गैस का उपयोग गुजरात में कर रहे हैं। यदि स्विच ओवर सुविधा देना सम्भव हो सका तो वह वहां की आर्थिक व्यवहारिकता को देख कर किया जाएगा।

बम्बई और गुजरात अथवा महाराष्ट्र और गुजरात के साथ एक-सा ही व्यवहार किया जा रहा है।

श्री हितेन्द्र देसाई : गुजरात और महाराष्ट्र ही नहीं समूचा देश ही बम्बई हाई की उपलब्धि के सम्बन्ध में उत्सुक है। अतः क्या उच्च स्तर पर यह आश्वासन दिया गया था कि गुजरात में पाइप लाइन 1979 तक पूरी हो जाएगी और अब इसे सम्भव नहीं पाया गया है तथा अब सम्भाव्यता प्रतिवेदन मिल गया है और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यह जांच कर रहा है कि इसे जून, 1979 तक पूरा कर दिया जाए ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं यह मानता हूं कि आश्वासन दिया गया था परन्तु कतिपय कारणों से अब यह सम्भव नहीं है। यह बात मैंने संसद सदस्यों की बैठक में स्पष्ट कर दी थी, श्री देसाई भी भाग्य से वहां उपस्थित थे। इस समय इसका पूरा करना न तो आवश्यक है और न ही व्यवहार्य क्योंकि गैस के उपयोग का अभी विकास करना है, जो 1982-83 तक विकसित हो पाएगा। अतः उस पाइप लाइन पर जो 1982-83 तक बिना किसी उपयोग के पड़ी रहेगी 80 या 100 करोड़ रुपया खर्च करना औचित्यपूर्ण नहीं।

उच्चतम और निम्नतम रेल कर्मचारियों के वेतन में अन्तर

*330. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में निम्नतम श्रेणी के कर्मचारी (नैमित्तिक श्रमिक) और शीर्षस्थ अधिकारी (अध्यक्ष) के वेतनों में औसत अन्तर क्या है,

(ख) क्या यह अन्तर एक और दस के अनुपात से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रेलों पर नैमित्तिक श्रमिक दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किये जाते हैं। दैनिक मजदूरी की दरें स्थानीय सिविल प्राधिकारियों के परामर्श से नियत की जाती हैं। ये दरें 3.50 रु० और 10 रु० प्रतिदिन के बीच होती हैं। लेकिन, औसत दैनिक मजदूरी 5.50 रु० प्रति दिन के आसपास होती है। इस आधार पर, दैनिक दर पर नियुक्त एक नैमित्तिक श्रमिक की मासिक मजदूरी 165.00 रु० प्रति मास निकलती है।

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, जो रेलों पर शीर्षस्थ प्रशासक है, को 3,500 रु० (निश्चित) वेतन मिलता है। एक नैमित्तिक श्रमिक की औसत मासिक मजदूरी और अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के वेतन के बीच अन्तर 3335.00 रु० बैठता है।

(ख) दैनिक मजदूरी पर एक नैमित्तिक श्रमिक की औसत मजदूरी और शीर्षस्थ प्रशासक के बीच अनुपात मानक कटौतियों का हिसाब लगाने के बाद, टैक्स-पूर्व आधार पर 1 : 21.2 और टैक्स लगने के बाद केवल 1 : 16.5 निकलता है।

(ग) लेकिन, दैनिक मजदूरी पर नियुक्त नैमित्तिक श्रमिक नियमित रेल कर्मचारी नहीं हैं। चालू लाइन पर काम करने वाले एक नैमित्तिक श्रमिक को चार महीनों की लगातार सेवा पूरी कर लेन पर अस्थायी ओहदा दे दिया जाता है और उसे 196-232 रु० के संशोधित निम्नतम वेतनमान में नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसे नैमित्तिक श्रमिक द्वारा निम्नतम वेतनमान में महंगाई भत्ता सहित वेतनमान के माध्य पर लिया गया कुल वेतन 336 रु० प्रतिमास बैठता है। ऐसे एक नैमित्तिक श्रमिक के महंगाई भत्ता सहित वेतन और अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के वेतन के बीच अन्तर 3,164 रु० (3,500 रु०-336 रु०) बैठता है। इन दोनों कर्मचारियों के बीच अन्तर का अनुपात, मानक कटौतियों के बाद, केवल टैक्स-पूर्व आधार पर, 1 : 10.4 और टैक्स लगने के बाद 1 : 8 निकलता है।

Shri Hargovind Verma : What is the gap between the wages of daily wages workers and the pay of the Chairman of Railway Board ? According to the information given by the Minister this gap is 100 times. But if we add the T.A. & D.A. and other facilities available to chairman this difference comes to 3500 times. Whether the Minister will at least try to remove this big gap because our slogan has been of having pay not less than Rs. 100 and not more than Rs. 1000 ? Whether government will formulate a scheme to reduce this gap to 1: 10 ?

Prof. Madhu Dandavate : In the main reply I have stated that casual worker gets less pay. After four months he becomes [temporary worker]and if we take an]average of Rs. 5.50 the ratio comes to 1 : 8.

Regarding other facilities I can place a separate statement but it does not have any relation with the main question.

Shri Hargovind Verma: This information that the Casual worker gets Rs. 5.50 and the ratio is 1 : 8 is wrong. This ratio is no where in the country. It is absolutely wrong.

Prof. Madhu Dandavate : The Chairman, Railway Board does not get free accommodation. He has to pay for water and electricity. He gets the D.A & T.A. just as the other employees get. There is no question of giving wrong information.

श्री के० ए० राजन : रेलवे में दैनिक कर्मचारियों की मजदूरी नागरिक अधिकारियों द्वारा तय की जाती है यह एक अजीब तरीका रेलवे ने अपना रखा है। बहुत से उपक्रमों में प्रति दिन की मजदूरी मास भर के वेतन को 30 से भाग कर·······निश्चित किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : 25 से

श्री के० ए० राजन : क्या रोजाना की मजदूरी नियत करने के लिए नागरिक अधिकारियों पर निर्भर रहने के बजाय इसका निर्धारण अन्य उद्योगों के समान न्यूनतम मासिक वेतन के आधार पर करना अधिक उचित नहीं होगा ?

प्रो० मधु दंडवते : केन्द्रीय अधिनियम औसत न्यूनतम मजदूरी 3.50 रुपये नियत की गई है। सबसे निचले काम के लिए विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को 3.50 रु० और 10 रुपये के बीच रोजाना मजदूरी मिलती है। हमारा यह निरन्तर प्रयास रहा है कि देश की सामान्य आर्थिक दशा में सुधार किया जाए और कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरे, मैं केवल इस समय जो तथ्य हैं वह बता रहा हूं।

Shri Ram Avadhesh Singh : The reply of the Minister is very disappointing and he has tried to protect the bureaucrats. The difference between the wages of the employees of various categories in Railways has been deliberately concealed.

How much amount is spent daily on the Chairman of Railway Board ? A worker gets much lesser than the amount spent on him. What is the objection in accepting this ?

Prof. Madhu Dandavate : The question of wages is not only related to Railway workers on casual labourers but it is related to the question of the national income. That is why the cabinet wants to restructure the wage structure. I feel as much ashamed as the hon. member about the situations at present. I have put forward the picture of the counting as a whole. This ratio is excluding allowances etc.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विवरण के भाग (ग) में मंत्री महोदय ने बताया कि लाइनों पर काम करने वाले कर्मचारियों के चार महीने तक लगातार काम करने पर उन्हें अस्थायी नौकरी का स्तर दे दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय निश्चय के साथ कह सकते हैं कि उनका यह वक्तव्य सही है ? बल्कि क्यां यह सत्य नहीं हैं कि हर बार चार महीने बाद कर्मचारी का नाम बदल दिया जाता है और इस प्रकार वह वर्षों नैमित्तिक मजदूर बना रहता है। यदि यह सत्य नहीं है तो कृपया यह बताएं की गत एक वर्ष में कितने लोगों को अस्थायी स्तर प्रदान किया गया ?

प्रो० मधु दंडवते : इस सम्बन्ध में नियम बड़े स्पष्ट हैं कि जब कोई नैमित्तिक कर्मचारी चार मास लगातार काम कर लेता है तो उसे अस्थायी स्तर दिया जाना चाहिए। परन्तु जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे मामले हैं जहां अस्थायी स्तर नहीं दिया गया। यदि ऐसा है तो यह नियमों का उल्लंघन है और यदि ऐसा कोई मामला होगा तो मै इसे ठीक करने का प्रयत्न करूंगा।

Shri Ugra Sen : When the national wage average is Rs. 5.50 why railway is not paying that much amount to Casual labourers throughout India ?

Prof. Madhu Dandavate : I have not said that this is the national average. I have only said that at some places Rs. 3.50 is paid and at other places etc. Rs. 10/- and the averaged comes to Rs. 5.50 . Up to this time the wages are fixed in consultation with local civil authorities. Government is considering the whole question of wages and this policy will be changed in the light of that.

Shri Yuvraj : Even after completing four months of regular service the Casual labourers is given the same amount of Rs. 3.50 , which he was getting in the beginning. There is not a single casual labourer whose services are not terminated and who is not re-employed after two or three months. Usually a casual labourer remains on construction work on an average for 7-8 months. Why they are not given the minimum pay scale at the time of re-appointment ?

Prof. Madhu Dandavate : I have already answered this question.

रेल वैगनों की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए कार्यवाही

*331. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले जाने और उद्योग की बढ़ी हुई आवश्यकता के कारण देश में रेल वैगनों की मांग बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे मांग को कहां तक पूरा करने में समर्थ है ; और

(ग) रेल वैगनों की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) और (ग) मान्य आर्थिक सिद्धान्तों के अनुसार भारी पूंजीनिवेश अपेक्षित होने के कारण रेल परिवहन क्षमता पूरे वर्ष प्रस्तुत होने वाले प्रत्याशित औसत यातायात के आधार पर सृजित किया जाता है। कभी-कभी अवधियों की उच्चतम मांग इसलिए सर्वथा आधार नहीं बन सकती। अनुमति शुल्कमुत समय के

भीतर माल-डिब्बों का लदान और उतराई की चालू व्यवस्था, यातायात के आकार-प्रकार में अत्याधिक घटा-बढ़ी का अभाव, ब्लाक रेकों में संचलन (विशेषतया समग्र जिन्सों का समग्र उपभोक्ताओं के लिए संचलन) सरीखे परिचालन के अन्य मान्य सिद्धान्त भी आधार बन सकते हैं। इस सन्दर्भ में, उपलब्ध रेल परिवहन क्षमता, वर्तमान मांग की पूर्ति के लिए यथेष्ट समझी जाती है लेकिन, मांग और उपलब्ध क्षमता में भारी घटा-बढ़ी की कुछ अवधियों के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता और उन्हें ठीक-ठीक वास्तविक कमी के रूप में भी नहीं माना जा सकता क्योंकि तथ्य यह है कि भारी मात्रा में अपरियोजित और अयुक्तियुक्त संचलन, जो मौसमी यातायात की मांग में उछाल के कारण होते हैं, की व्यवस्था रेलों द्वारा अपेक्षित होती है।

रेल परिवहन क्षमता यातायात की मांगों से पिछड़ न जाये, इसे सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय बराबर किये जाते हैं:—

(1) सम्बद्ध मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से यातायात की प्रत्याशित मांग के अनुसार अतिरिक्त रेल परिवहन क्षमता में विकास के लिए अग्रिम परियोजन व्यवस्था।

(2) कार्य-निष्पादन और संचलन की गति बढ़ाने के लिए रेल-पथ का प्रगामी डीजलीकरण, विद्युतीकरण तथा आधुनिकीकरण और सिग्नल प्रणाली में सुधार।

(3) कार्यनिष्पादन की मात्रा बढ़ाने और आमान भिन्नता के स्थलों पर यानान्तरण के निरावरण के लिए, जहां भी व्यावहारिक हो, संशोधनों की उपलब्धता के आधार पर, मीटर लाइन खण्डों का बड़े आमान में प्रगामी परिवर्तन।

(4) अपेक्षित सीमा तक, अतिरिक्त लेखें में चल-स्टाक की व्यवस्था बशर्ते निधि सुलभ हो। चालू वर्ष में, रेलों ने 13,000 माल डिब्बों की खरीद का विशाल कार्यक्रम बनाया है।

(5) ब्लाक भार (डिब्बा संख्या) के संचालन में वृद्धि। यदि आवश्यकता हो तो बड़े उपयोगकर्ताओं के स्वयं निजी डम्प/स्टाक यार्डों/भण्डारणों की व्यवस्था करने के लिए और व्यापारियों को अपने मांगपत्र संयुक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि स्टेशन विशेष या दिशा विशेष के लिए रेकों के संघटन की सुविधा हो जाये और मध्यवर्ती यार्डों में माल के लदान/उतराई से सम्बन्धित परिवहन के विलम्बों का निराकरण किया जा सके।

(6) कम दूरियों के लिए अलाभप्रद रेल परिवहन के निराकरण के लिए, जहां व्यावहारिक हो, सड़क परिवहन से समन्वयन।

(7) यार्डों, यानान्तरण स्थलों में परिहार्य विलम्बों में कमी करके अधिकतम निष्पादन कार्य सुनिश्चित करने के लिए, पर्यवेक्षण व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त और परिचालन को सुप्रवाही बनाना।

(8) माल डिब्बों तथा अन्य चल-स्टाक की क्षतियों की घटनाओं को न्यूनतम करना तथा उनकी मरम्मत में तेजी लाना।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं जानना चाहता हूं कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए वगन निर्माण के लिए कितना धन दिया गया।

प्रो मधु दंडवते : 13000 वैगनो के कार्यक्रम के लिए आवश्यक धन का प्रबन्ध पहले ही किया जा चुका है। हमें उस लक्ष्य को पूरा करना है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : उद्योगों और सरकार दोनों को वैगनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा अनेक दुर्घटनाओं के कारण भी हो सकता है। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने वैगनों क्षतिग्रस्त हुए ? वैगनों की कमी और रेल यातायात में कमी के क्या कारण है ? रेल मंत्रालय इस कठिनाई के हल के लिए क्या कदम उठा रही है। ?

प्रो० मधु दंडवते : रेलवे के पास कुल 3,97,000 वैगन हैं, जिनमें से लगभग चार प्रतिशत वैगन खराब और क्षतिग्रस्त है, जो 16,000 बैठते हैं। इस प्रकार केवल 3,70,000 वैगन ही उपलब्ध हैं। वैगनों की हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता बड़ी लाइन पर 28,000 वैगन और छोटी लाइन पर 7,000 वैगनों की है। यदि एक वैगन के एक स्थान से अन्तिम छोर तक वापिस आने में 10 या 11 दिन लगते हैं तो इस प्रकार हमारी कुल आवश्यकता 3,50,00 वैगनों की है जबकि हमारे पास, 3,70,000 वैगन सही हालत में हैं। परन्तु यातायात के तरीके में परिवर्तन होने से वैगनों के जाने और वापिस आने के समय में वृद्धि हुई है। अतः आयात ढांचे में परिवर्तन करना होगा। इसके परिणाम स्वरूप हमें उर्वरक के लिए अधिक वैगन देने पड़े हैं। सिंगारेनी खानों में एक महीने की हड़ताल से हमें 7 लाख टन माल की ढुलाई की हानि हुई और हमें कोयला धुर दक्षिण तक पश्चिम बंगाल से ले जाना पड़ा और वैगनों के वापिस करने का समय बढ़ गया। इस कारण 3,70,000 वैगन होने पर भी हमने 13,000 और वैगनों के लिए क्रयादेश दिया है जिससे स्थिति से निपटा जा सके।

Shri Om Prakash Tyagi : Whether non-availability of wagons is to a great extent due to the traders who do not take the delivery of their goods and thus the wagons remain standing on the railway stations. So, whether any amendment of this nature is going to be made in the present Act so that the traders may not detain the wagons in this way ?

Prof. Madhu Dandavate : Hon. Members' information is correct. It has been seen that when traders fined that prices are going down they create artificial scarcity by not unloading the goods from the wagons. They unload them only when the prices increase. We have therefore, drawn up a new programme of auctioning the unloaded goods. We have started this practice.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इंजन खराब हो जाने के कारण मार्ग में रुकी गाड़ियां

*324. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजन खराब हो जाने के कारण गत छह महीनों के दौरान मार्ग में ही कितनी गाड़ियां रुक गई ;

(ख) क्या ऐसी खराबी डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में भी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है के भविष्य में ऐसी खराबी न हो ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जून, 1978 को समाप्त होने वाले गत 6 महीनों के दौरान रेल इंजनों में खराबी पैदा हो जाने के कारण रास्ते में रुकी सवारी गाड़ियों की संख्या 2332 है।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि रेलों के पास बड़ी संख्या में भाप, डीजल और बिजली रेल इंजन हैं, इसलिए इस प्रकार की खराबियों की संभावना से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। रेलों पर निवारणात्मक अनुरक्षण अनुसूची की एक प्रणाली प्रचलित है, जो अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, क्षेत्रीय रेलों तथा रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा रेल इंजन-खराबियों के आवधिक विश्लेषण पर आधारित है। रेल इंजन का संवर्ग तथा अनुरक्षण पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन के लिए अपेक्षित तकनीकी हिदायतें जारी करने के साथ-साथ कर्मचारियों की गलती से पैदा हुई खराबियों के बारे में कार्रवाई की जाती है। संबंधित कर्मचारियों के पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भी ये हिदायतें उपयुक्त रूप से शामिल कर ली गयी हैं। सामान की खराबियों की ठीक ढंग से जांच की जाती है और अभिकल्प आशोधनों से उन्हें समझा जाता है। इस संबंध में रेलों के निष्पादन को उच्चतम स्तर पर बहुत बारीकी से मानिटर किया जाता है।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में कुकिंग गैस कनेक्शन

*328. **श्री सरत कार** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कुकिंग गैस के कुछ नये कनेक्शन मंजूर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने भी इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) उड़ीसा में इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमि० और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि० (विशाख विपणन यूनिट, जिसे पहले कालटेक्स कहा जाता था) द्वारा तरल पेट्रोलियम गैस (कुकिंग गैस) का विपणन किया जा रहा है। इस समय इंडियन आयल कार्पोरेशन ने उड़ीसा में 1978–79 वर्ष के दौरान अपने भुवनेश्वर बरहमपुर, बालसोर, कटक, पुरी, रूरकेला और सम्बलपुर क्षेत्रों में स्थित वर्तमान वितरकों द्वारा लगभग 6,000 नये इण्डेन कनेक्शन देने की योजना बनायी है। कुकिंग गैस की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तेल कम्पनियों के लिए बड़े पैमाने पर नये कुकिंग गैस कनेक्शन देना अथवा नये क्षेत्रों में कुकिंग गैस का विपणन करना संभव नहीं है। तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) की उपलब्धता में वर्ष 1980 से आंशिक रूप से वृद्धि होने की आशा की जाती है जब तेल कम्पनियों के लिए निम्नलिखित आधार पर स्थिति की समीक्षा और छोटे शहरों और ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों को तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) का विपणन करना संभव होगा :

1. प्रत्याशित उपभोक्ता संख्या,

2. सप्लाई के स्रोत से बाजार की निकटता,

3. सुरक्षित/सुविधाजनक परिवहन की उपलब्धता,

4. वितरण उपस्करों का अधिकतर उपयोग, और

5. संचालन कार्यों की व्यवहार्यता ।

(ख) जी, नहीं ।

Amendment to Hindu Marriage Act to make Divorce Easy

†*329. **Shri T. S. Negi:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to amend the Hindu Marriage Act to make the process of divorce easy ;

(b) if so, the outlines of the proposed amendment; and

(c) when the amending Bill is likly to be brought forward in the Parliament ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a), (b) and (c) The Law Commission has in its Seventy-first Report recommended that irretrievable breakdown of marriage may be made a ground for dissolution under the Hindu Marriage Act, 1955, if the spouses have lived apart for a period of not less than three years, except in cases where the wife is able to show grave financial hardship or the existence of circumstances to establish that it will be wrong to dissolve the marriage. The recommendations are being examined and it will take some time before a decision can be taken.

Abolition of First Class in Certain Trains.

†*332 **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have abolished first class in some long distance trains;

(b) if so, the particulars of such trains; and

(c) the particulars of other trains in which first class is proposed to be abolished during the coming year ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) to (c) No, Sir. However, it is the policy of the Railways to provide only second class accommodation with better facilities like cushioned berths, lending library etc. on the new long distance trains.

Criteria adopted for Grant of Licences for Import of Crude Oil

*333. **Shri Bharat Singh Chowhan :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to import crude oil from abroad;

(b) if so, the quantum of crude oil to be imported this year;

(c) the criteria adopted for grant of licences for the import of crude oil; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Import of crude oil is necessary in order to meet the demand for petroleum products, after reckoning the availability of indigenous crude oil, country's refining capacity and the requirements for import of deficit petroleum products.

(b) A quantity of the order of 15 million tonnes of crude oil is expected to be imported during 1978-79.

(c) Under the Import Policy for 1978-79, crude oil can be imported only by the Indian Oil Corporation under an Open General Licence, the basis of foreign exchange released by Government in its favour. In addition, three other public sector undertakings viz. M/s Hindustan Petroleum Corporation Ltd., Madras Refineries Ltd., and Cochin Refineries Ltd., have been permitted direct import of crude oil under separate import licences issued in their favour.

(d) Does not arise.

भारत-यूरोप रेल सम्पर्क

*334. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूरोप के बीच रेल सम्पर्क स्थापित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) इस समय भारतीय रेलें पाकिस्तान नेशनल रेलवेज के साथ जुड़ी हुई हैं और पाकिस्तान नेशनल रेलवेज मीरजावेह के रास्ते जाहिदान स्टेशन तक जाती है, जो ईरानियन स्टेट रेलवेज पर स्थित है। इस प्रकार वर्तमान रेल प्रणाली भारत से ईरान के जाहिदान स्टेशन तक एक सीधे अन्तर्राष्ट्रीय रेल परिवहन की व्यवस्था कर देती है।

ईरान में जाहिदान से करमान तक लगभग 550 किलोमीटर की लम्बाई में रेल सम्पर्क नहीं है। इसके निर्माण पर ईरान सरकार को बहुत अधिक पूंजी लगानी पड़ेगी। इस सम्पर्क के केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण ही किये गये हैं लेकिन इसका निर्माण शुरू करने के बारे में ईरान सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया।

एक बार यदि जाहिदान को रेल द्वारा करमान के साथ जोड़ दिया जाता है तो भारतीय रेलें मध्य-पूर्व और पश्चिम एशिया के द्वारा यूरोप की रेलों के साथ जुड़ जायेंगी।

Licences and Contracts given to Private Sector by Ministry

*335. **Shri Subhash Ahuja:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of licences and contracts given last year to private sector by his Ministry, its attached offices and the concerned Government undertakings;

(b) whether in giving such contracts and licences Government will give preference to the persons affected by the emergency ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) to (c) No industrial licences are granted by the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers. The Ministry only makes appropriate recommendations to the Ministry of Industry.

The Undertakings under its control, in the normal course of business, enter into a very large number of transactions which would be covered by the term 'Contract'. Collection of this information will be quite laborious and time consuming which will in Government's view, not be commensurate with the results achieved.

There is no proposal for giving preference to persons affected by the emergency in the matter of grant of licences and contracts.

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स फार्माकिन, इटली के साथ समझौता

*336. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों में मैसर्स फार्माफिन, इटली के साथ किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है; राष्ट्रपति ने किस तारीख को उसके लिये सहमति दी थी और किन तारीखों को धनराशि का प्रत्यावर्तन किया गया;

(ख) गत एक वर्ष में मैसर्स फार्माफिन इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को क्या प्रौद्योगिकी उपलब्ध की और ब'ल्क' औषधियों का उत्पादन बढ़ाने में इससे कितनी सहायता मिली है; और

(ग) इस करार के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाई की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आई डी पी एल द्वारा इटली के मैसर्स फार्मा फिन के साथ किये गये करारों के ब्यौरे, स्वीकृति की तारीख और बाहर भेजी गई राशि तथा भेजने की तारीख तादि को अनुबन्ध में दर्शाया गया है।

(ख) कच्चे माल के नमूने, उनका प्रयोग, उत्पादन आदि सहित स्ट्रेन, मूल ब्यौरे और अन्य प्रलेख प्राप्त हुए थे और जैसा कि करार में व्यवस्था की गई है, उनका कार्यान्वियन किया जा रहा है।

(ग) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० का जापान के टोपो जोजो के साथ स्ट्रैनों के लिये हुए करार के सन्दर्भ में पेंनिसिलिन के लिये मुख्य रूप से जानकारी और स्ट्रैनों की आवश्यकता के बारे में दो संसद सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए थे। हाल ही में एक अन्य संसद सदस्य ने भी भारत में एक विदेशी औषध कम्पनी द्वारा प्रौद्योगिकी के लिये भेजे गये प्रस्ताव के संदर्भ में डौक्सीसाइक्लीन के लिये आई० डी० पी० एल० के सहयोग करार के बारे में लिखा है। इनकी जांच की गई है और सरकार इस बात से संतुष्ट है कि फार्माफिन का करार उपयुक्त है तथापि प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा उच्चतम स्तर पर निरन्तर की जा रही है।

विवरण

क्रम सं०	करार के ब्यौरे	सहयोग करारों पर सरकार द्वारा दी गई मंजूरी की तारीख	बाहर भेजी गई राशि और भेजने की तारीख (अमेरिकी डालर)	
1.	डोक्सी साइक्लीन हाईक्लेट के निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी, तकनीकी प्रलेखन और तकनीकी सहायता की सप्लाई .	28-2-76	24,000	8-7-77
2.	निम्नलिखित उत्पादों के निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी, तकनीकी प्रलेखन और तकनीकी सहायता की सप्लाई			
	(क) पैंसिलिन जी पोटाशियम लवण	3-2-77	60,000	5-3-77
			120,000	8-7-77
			140,000	3-8-77
	(ख) टैट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड	3-2-77	60,000	5-3-77
			90,000	8-7-77
			83,448	10-8-77
	(ग) एरिथ्रोमाइसीन एस्टोरेट	3-2-77	60,000	5-3-77
			90,000	8-7-77
			10,800	24-3-78
			90,000	10-8-77
	(घ) अर्ध संश्लिष्ट पैंसिलिन के निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी, तकनीकी प्रलेखन और तकनीकी सहायता की सप्लाई . .	3-2-77	1000,000	5-3-77
			150,000	8-7-77
			100,000	8-7-77

Catering Contract at Railway Station

*337. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the rules followed at the time of awarding catering contract at Indore Railway Station;

(b) whether the present contractor is covered by these rules and for how many years he has been getting the contract;

(c) whether the appeal of the contractor has ever been rejected by the Board; and

(d) the amount of the arrears to be realised by the railways from the present contractors ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) There are seven catering/vending contractors at Indore Railway Station. The contracts were allotted to these contractors after following the normal procedure of inviting applications through press notifications and displaying notices at various stations which are screened by a Screening Committee of officers. The oldest contractor is functioning at this station from 1925 and the latest since 1966.

(c) Yes, Sir. The representation of Shri Gopaldas K. Gurnani, Contractor, Non-vegetarian Refreshment Room, Indore, against termination of his contract was rejected by the Railway Board.

(d) A total of Rs. 67,972 is due towards arrears of licence fee from three catering contractors at Indore station. The breakdown of these arrears is as under: —

(i) Shri G. K. Gurnani .	Rs. 38,981
(ii) M/s. Lajjaram & Sons .	Rs. 22,025
(iii) M/s. Chowradia & Co. .	Rs. 6,966
	Rs. 67,972

Import of Crude Oil

***338. Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether in view of the shortage of crude oil in the country Government have decided to import it from foreign countries; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b) Import of crude oil is necessary in order to meet the demand for petroleum products after reckoning the availability of indigenous crude oil, country's refining capacity and the requirements for import of deficit petroleum products.

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात की गई बल्क औषधियों के वितरण के बारे में नीति

*339. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात की गई बल्क औषधियों के वितरण के बारे गत तीन वर्षों में (वर्षवार) नीति क्या थी ;

(ख) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय गत तीन वर्षों के दौरान कच्ची सामग्री देने की सिफारिश के पत्र जारी करता रहा है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जारी किये गये ऐसे पत्रों का, जिनमें वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड को प्रेडनीसोलोन के लिये जारी किये गये पत्र भी शामिल है, ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड को प्रेडनीसीलोन का 1978–79 का कोटा 1977–78 में अग्रिम रूप से दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी सिफारिश किस पत्र के अनुसार की गई और आई० टी० सी० की नीति के किन उपबन्धों के अनुसार इसकी सिफारिश की गई थी और अन्य फर्मों के पक्ष में ऐसी कितनी सिफारिशें की गई थीं ?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1 अप्रैल, 1975 से 31-12-1977 तक की अवधि के दौरान कैनेलाइज्ड बल्क औषधों के वितरण के बारे में प्रचलित नीति को नीचे दर्शाया गया है :—

डी जी डी डी एकक :

ऐसे एककों को उनके पिछले दो वर्षों की अधिकतम खपत अथवा राज्य औषध नियंत्रक द्वारा मंजूर की गई मात्रा, जो भी कम हो, के बराबर कैनेलाइज्ड कच्चे माल की सप्लाई की अनुमति दी गई थी।

लघु उद्योग एकक :

(i) लघु पैमाने की एककें जिनका कुल विक्रय प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपयों से कम है:— गत 2 वर्षों में उनकी अधिकतम खपत जमा उत्पादन का 30 प्रतिशत तक ।

(ii) लघु पैमाने की एककें जिनका कुल विक्रय एक करोड़ रुपये तथा अधिक है :— गत दो वर्षों की अधिकतम खपत जमा उत्पादन का 15 प्रतिशत तक।

(iii) पश्चिमी बंगाल में सभी लघु पैमाने की एककें :—गत दो वर्षों की अधिकतम खपत का 50 प्रतिशत और अधिक ।

(iv) सभी नई एककें अर्थात् जिनके द्वारा पहले सम्बद्ध कच्चे माल का उपभोग नहीं किया गया है :—पश्चिम बंगाल में एककों के लिये 150 किलोग्राम तथा 200 किलोग्राम की सीमा तक । तथापि कई केनालाइज्ड मदों के संबंध में जहां आवश्यकता थोड़ी मात्रा में है, प्रारम्भ में कुछ न्यूनतम मात्राएं रिलीज़ की गई थी। राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने पर कि उन्होंने आबंटित मात्राओं की खपत की है, एककों को आगे और उतनी मात्रा का पात्र बनाया जाता था।

कैनेलाइज्ड बल्क औषधों की सप्लाई के लिये अक्तूबर, 1977 में एक उदार नीति की घोषणा की गई थी और उसे 1-1-78 से लागू कर दिया गया है । नई नीति की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दर्शायी गई हैं :—

डी जी टी डी एकक :

वर्ष 1977–78 के दौरान इन एककों को 1976–77 की सप्लाई के बराबर अथवा फार्मूलेशनों के लिये उनकी लाइसेंस शुदा क्षमता पर आधारित मात्रा के बराबर, जो भी अधिक हो, कैनेलाइज्ड कच्चे माल की सप्लाई की जायेगी।

लघु उद्योग एकक :

(क) 1977-78 और 1978-79 में से किसी वर्ष की अतिरिक्त आवश्यकता 1976-77 में कैनेलाइज्ड बल्क औषधों के लिये किये गये आवंटन के 100% से अधिक नहीं होगी ।

(ख) सप्लाई माह-वार अथवा त्रैमासिक आधार पर की जायेगी।

(ग) लघु पैमाने के क्षेत्र में कई नई एककों को सम्बन्धित राज्य औषध नियंत्रक द्वारा जारी किये गये औषध निर्माण लाइसेंस की फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत करने तथा उन्हें वित्तीय सहायता देने वाली राज्य या केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकृत किया जायेगा कि उनकी उत्पादन परियोजना उनसे अपेक्षित माल की मात्रा के आधार पर ही है।

(घ) कच्चे माल की सप्लाई की मांग करने वाले एककों को कैनेलाइजिंग एजेंसी को इस आशय का एक प्रमाण पत्र देना होगा कि उक्त कच्चा माल उनके अपने उत्पादन में कैप्टिव खपत के लिये अपेक्षित है।

(ङ) वर्ष के अन्त में एकक किसी सनदी लेखापाल से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उक्त कच्चे माल को उनके अपने एककों में फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिए वास्तविक रूप से खपत में लाया गया है।

(ख) और (ग) पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) ने कैनेलाइज्ड बल्क औषधों के वितरण के लिये लघु उद्योग और डी जी टी डी एककों पर लागू आयात व्यापार नियंत्रण नीति की सीमा के अन्तर्गत पैरामीटर निर्धारित किये हैं। वितरण नीति को लागू करने के बारे में जब कभी कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है तो वही बताया गया है। वर्ष 1975–76 और 1976–77 के दौरान मेथाइल डोपा की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिये मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित स्थिति को 20-12-77 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 502 के भाग (ख) के उत्तर में पहले ही बता दिया गया है। 1977–78 के दौरान इस विभाग ने वाणिज्य मंत्रालय की 2-7-77 की अधिसूचना संख्या 42-आई टी सी (पी० एन०)/77 के अनुसार प्रत्येक एकक को केवल एल-वेस के लिये आवंटन आदेश जारी किये थे।

जहां तक उन परिस्थितियों का संबंध है जिनके अन्तर्गत सी पी सी से कहा गया था कि वे वर्ष 1977–78 के दौरान मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लि० को 1.5 किलोग्राम प्रेडनीसोलोन की सप्लाई कर दें, इससे संबंधित ब्यौरे 2-5-78 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 8802 के उत्तर में पहले ही दिये गये हैं।

1977-78 में क्राइसेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फोलिक एसिड, आयोडाइन, वेटापिकोलाइन, बिटामिन बी-2 (रिवोफ्लेविन–5 फास्फेट सोडियम सहित) बिटामिन बी-1 और टारटरिक एसिड जैसे मदों की सप्लाई को सीधे आवंटन पद्धति के अन्तर्गत रखा गया था और कैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा औषध एककों को इन मदों की सप्लाई आयात व्यापार नियंत्रण नीति 1977–78 (खण्ड–1) के पैराग्राफ 90 से 96 में निहित प्रावधानों के अनुसार सप्लाई आदेशों के बिना की गई थी।

(घ) जी हां।

(ङ) 1978–79 के दौरान मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लि० को प्रेडनीसोलोन की अग्रिम सप्लाई के लिये रसायन और उर्वरक विभाग द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई थी। इसी प्रकार 1978–79 के दौरान पृथक-पृथक एककों को अग्रिम सप्लाई के लिये भी रसायन और उर्वरक विभाग द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

आसाम को अशोधित तेल के लिये रायल्टी का भुगतान

*340. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार को देश के तेल शोधक कारखाने द्वारा खरीदे गये अशोधित तेल पर केवल 42 रुपये प्रति बैरल रायल्टी दी जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार अन्य देशों से खरीदे गये इसी प्रकार के अशोधित तेल पर 116 रुपये प्रति बैरल का भुगतान करती हैं ;

(ग) मध्य पूर्व के देशों से खरीदे गये अशोधित तेल के मूल्य और आसाम को दी जाने वाली रायल्टी के बीच भारी अन्तर को ध्यान में रखकर क्या सरकार आसाम की खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आसाम को देय रायल्टी की राशि बढ़ाकर कम से कम 75 रुपये प्रति बैरल कर देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) असम राज्य में उत्पादित कच्चे तेल और केसिंग हैड कण्डेंसेंट पर 42 रुपये प्रति मी० टन (बैरल नहीं) पर की रायल्टी असम सरकार को देय है।

(ख) आयातित कच्चे तेल का औसतन ए० ओ० बी० मूल्य लगभग 777 रुपये प्रति मी० टन (लगभग 105 रु० प्रति बैरल) है।

(ग) और (घ) रायल्टी की दर तेल के बिक्री मूल्य पर आधारित है जो तटीय तेल क्षेत्रों से उत्पादित देशीय कच्चे तेल के लिए लगभग 300 रुपये प्रति मी० टन निश्चित की गई है। पूर्वी क्षेत्र में कच्चे तेल का मूल्य भारत में रायल्टी की दर को निर्धारित करने के लिए उचित नहीं है। रायल्टी की वर्तमान दर वर्ष 1980 में इसकी पुनरीक्षा किये जाने तक बनी रहेगी।

गैर-औषध एककों को सारणीकृत बल्क औषधियां दिया जाना

*341. **श्री उग्रसेन**: क्या **पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैर औषध फर्मों को दी गई सरणीकृत बल्क औषधियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे उत्पादों के लिये संबंद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों के नाम क्या हैं और क्या की गई कार्यवाही ऐसे प्रशासनिक मंत्रालयों की सिफारिश पर आधारित थी अथवा केवल रसायन और उर्वरक मंत्रालय की सिफारिश पर की गई थी, फर्मों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें जारी की गई मात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नीति के किन उपबन्धों के अधीन यह किया गया था जब कि रसायन मंत्रालय का प्रशासनिक दायित्व केवल औषधि निर्माता एककों के लिये ही है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कैनेलाइज्ड औषध मदों का वितरण राज्य कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया (सीपी सी) और इंडियन ड्राग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि० (आई डी पी एल) के माध्यम से किया जाता है। जहां तक आई डी पी एल का संबंध है, गैर–औषध एककों ने तैयार माल की पुष्टीकरण हेतु अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये गत तीन वर्षों के दौरान विटामिन बी–1 बिटामिन बी–2 और फोलिक एसिड की सप्लाई प्राप्त की थी, जिनके ब्यौरे सलंग्न अनुबंध में दिये गये हैं।

जहां तक सी पी सी द्वारा गैर औषध एककों को कैनेलाइज्ड मदों की सप्लाई का संबंध है सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) और (ग) : 1975–76 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति की धारा III में यह व्यवस्था की गई थी कि तैयार माल के निर्माण में लगे हुए वास्तविक उपभोक्ताओं के मामलों में लाइसेंसिग प्राधिकारियों द्वारा संबंधित एजेंसी को उपरोक्त मदों के सप्लाई आर्डर दिये जायेंगे। 1976–77 की धारा III (ग्रुप बी) में शामिल किया गया था, जिसमें वे मदें शामिल हैं, जिनकी सप्लाई कैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा लाइसेंसिग प्राधिकारियों के सप्लाई आडर के आधार पर की जायेंगी। अतः इन दो वर्षों के दौरान सी सी आई एण्ड ई द्वारा जारी किये गये सप्लाई आडरों के आधार पर आई डी पी एल द्वारा उक्त मदों की सप्लाई की गई थी।

वष 1977–78 के दौरान आई टी सी नीति (धारा–III ग्रुप (क) के अनुसार) में यह व्यवस्था की गई थी कि सीधी आबंटन नीति के अन्तर्गत कैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा बिटामिन बी-1, बी–2 और फोलिक एसिड की सप्लाई बिना सप्लाई-आर्डर के की जायेगी।

इन मदों के दुरपयोग को रोकने के लिये एक अतिरिक्त उपाय के रूप में यह निर्णय किया गया था कि कैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा गैर-औषध एककों को सप्लाई करते हुए रसायन और उर्वक विभाग को सूचित किया जाना चाहिये और यह सप्लाई संबंधित एकक की पिछली खपत के आधार पर की जानी चाहिये और उसे एक सनदी लेखा पाल द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये।

विवरण

(मात्रा किलोग्राम में)

पार्टी का नाम	मद	1975–76	1976–77	1977–78
भारतीय खाद्य निगम	बिटामिन बी 1, एच सी एल	105	150	100
	बिटामिन बी 2	131	208	140
	फोलिक एसिड	11.4	18.4	13.0
कस्तूरी बेयर एण्ड फूड	बिटामिन बी 1 एच सी एल		31	––
कैमिकल्स	बिटामिन बी 2		36	––
भण्डारी क्रोसफील्ड	बिटामिन 2			58
इन्दौर	बिटामिन बी 1 पेय ग्रेड			22
मैसूर स्नैक फूड लि० बंगलौर	बिटामिन बी 2			4

निगमित क्षेत्र में प्रबन्धकों के लिये तीन टायर वाली पारिश्रमिक व्यवस्था शुरु करने का प्रस्ताव

*342. **श्री के० ए० राजन :**
श्री पी० के० कोडियन :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगमित क्षेत्र में शीर्षस्थम अधिकारियों के लिये तीन टायर वाली पारिश्रमिक व्यवस्था शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कायवाही की गयी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा उन प्राइवेट लि० कम्पनियों जो पब्लिक लि० कम्पनियों की सहायक हों के प्रबंध निदेशकों/पूर्ण-कालिक निदेशकों/प्रबंधकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक से संबंधित वर्तमान मार्ग दर्शक नियमों के पुनरीक्षण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे में कम्प्यूटरों की सहायता

*343. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के कार्यकरण तथा प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटरों की सहायता मिल जाने से यातायात तथा वेतन संबंधी हिसाब किताब रखने में पहले लगने वाले समय में काफी कमी हो गई है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे में आधुनिकीकरण के कारण अनेक कर्मचारियों की छंटनी हो गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जीं हां।

(ख) स्टेशनों पर होने वाले सभी संव्यवहारों जिन्हें उस महीने के लेखे में शामिल किया जाना होता है के लेखाकलन को पूरा करने के अलावा अब महीना समाप्त होने के 20 दिन के भीतर ही यातायात के संबंध में विभिन्न सांख्यिकीय संकलनों का सुलभ होना संभव हो गया है। इसपर पहले लगने वाले समय की तुलना में आधे से कम समय लगता है। संगणकीकरण ने सांख्यिकीयों की परिसीमा को भी बहुत अधिक व्यापक बना दिया है। वेतन बिलों के संकलन का काम अब हाथ से काम शुरू करने की पहले की प्रणाली से लगभग एक सप्ताह देर से शुरू किया जाता है।

(ग) किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गयी है।

Meeting of Station Consultative Committee in Rajkot

3139. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a meeting of the Station Consultative Committee was held in April or May, 1978 in Rajkot in connection with Rajkot Station in Gujarat;

(b) the nature of demands made in the meeting and the demand out of them accepted and when accepted;

(c) the demands rejected with reasons therefor; and

(d) the demands pending undecided at present with reasons therefor and the nature of these demands as well as what and when action is proposed to be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) A meeting of the Station Consultative Committee, Rajkot, was held at Rajkot on 29-4-1978.

(b) to (d) A statement is attached.

Placed in Library. See No. L.T. 2605/78].

इलाहाहबाद में पार्सलों को उठाने-धरने का ठेका देने के लिये निविदाओं का रद्द किया जाना

3140. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा किये गये और अखिल भारतीय रेलवे के महाप्रबंधकों को पत्र संख्या 78/ई (को-अप)/14/2 दिनांक 3-6-1978 के अंतर्गत भेजे गये नवीनतन नीति निर्णय के अनुसार वस्तुओं तथा पार्सलों आदि के उठाने-धरने का ठेका देने के लिये स्टेशन विशेष पर कार्य कर रही सहकारी समितियों से सीमित निविदायें आमंत्रित करना रेलवे का दायित्व है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के प्रशासन ने नीति को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद में पार्सलों का उठाने-धरने का ठेका देने के लिये सहकारी समितियों से सीमित निबिदायें आमंत्रित की थीं,

(ग) यदि हां तो किसके आदेशों के अंतर्गत डिवीजिनल सुपरिनटेन्डैन्ट इलाहाबाद से इन निविदाओं को रद्द करने के लिये कहा गया, और

(घ) क्या इलाहाबाद में पार्सल उठाने-धरने का ठेका देने के लिये निदेशक (वाणिज्यिक) श्री जगदीश लाल अन्तिम अधिकारी हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेल मंत्रालय की नीति रेलों पर कोआपरेटिव लेबर कंट्रेक्ट सोसाइटियां बनाने को प्रोत्साहन देने तथा उनको आपसी बाचचीत के द्वारा तय करके माल, पार्सल आदि की सप्लाई के ठेके देने की है। जहां-कहीं किसी विशेष क्षेत्र में वास्तविक कामगरों की एक से अधिक प्रामाणिक कोआपरेटिव सोसाइटी चल रही हो वहां, यदि ठेका देना, हो तो, इन लेबर कोआपरेटिव सोसाइटियों से सीमित टेंडर मांगे जा सकते हैं और उनमें से किसी एक को सभी संबंद्ध बातों को ध्यान में रखकर गुणावगुण के आधार पर ठेका दिया जा सकता है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। जहां केवल एक ही प्रामाणक लेबर कोआपरेटिव सोसाइटी चल रही हो, वहां बातचीत के द्वारा तय करके ठेका देने के वर्तमान अनुदेश लागू होंगे।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि इस नीति पर और आगे विचार किया जा रहा है, अतः टेंडर आमंत्रित करना रेल मंत्रालय के अनुदेशों के अंतर्गत आस्थगित रखा गया है।

(घ) जी नहीं। रेल मंत्रालय केवल नीति निर्देश जारी करता है। ऐसे ठेकों के मामलों में क्षेत्रीय रेलें सक्षम प्राधिकारी हैं।

समाचारपत्रों में टेंडर अधिसूचना का प्रकाशित न होना

3141. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुख्यालय कार्यालय द्वारा प्रभागीय अधीक्षक, इलाहाबाद को इस आशय के विशिष्ट निर्देश जारी किये गये थे कि इलाहाबाद में पार्सल चढ़ाने-उतारने के ठेक के आबंटन के लिए सहकारी समितियों से सीमित टेण्डर आमन्त्रित करें ;

(ख) क्या उन आदेशों के अनुरूप सं० सी० इम्प:/कान्ट्रक्ट/ए० एल० डी०/72-73/पार्ट-1, दिनांक 29-6-78 के अधीन स्थानीय और अन्य महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी, नई दिल्ली को टेण्डर अधिसूचना भेजी गई थी;

(ग) यदि हां, तो टेण्डर अधिसूचना समाचारपत्रों में प्रकाशित क्यों नहीं हुई;

(घ) क्या रेलवे स्टेशन पोर्टर्स को-आपरेटिव लेबर कान्ट्रक्ट सोसायटी लि० के पत्र में, जिसे अन्य अनियमितताओं के अलावा अपने श्रमिकों को 1,23,585/-रु० की मात्रा में कम भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, वर्तमान ठेके को 31 जुलाई, 1978 से आगे बढ़ाने के लिए निदेशक (वाणिज्यिक-) रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रभागीय अधीक्षक, इलाहाबाद पर दबाव डाला जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) चूंकि समिति निविदाएं आमन्त्रित करके सहकारी श्रम ठेका सोसायटियों को माल/पार्सलों की सम्हलाई के ठेकों के आबंटन से संबंधित नीति की और आगे जांच-पड़ताल की जा रही है, इसलिए इलाहाबाद में पार्सलों की सम्हलाई के ठेके आबंटित करने के लिए सीमित निविदाएं आमन्त्रित करने के लिए जारी की जाने वाली प्रस्तावित अधिसूचना को अस्थगित कर दिया गया है। संबंधित रेलवे को परामर्श दिया गया है कि यदि आवश्यक हो तो परस्पर सहमति द्वारा, इस सोसायटी के ठेके में अल्प अवधि के लिए वृद्धि करके यथा स्थित बनाये रखें।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका की फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी का सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में सहयोग

3142. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमि० के प्रबंध में फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी एक्रन, ओहियो, यू० एस० ए० का सहयोगकर्त्ता के रूप में क्या योगदान है, अथवा इस में कम्पनी के संबंध में उसका कार्यक्षेत्र क्या है ;

(ख) सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के सहयोगकर्त्ता के रूप में फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी, एक्रन, ओहियो, यू० एस० ए० के कम्पनी के अब क्या हित हैं; और

(घ) सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड ने गत सात वर्षों में समय-समय पर फायरस्टोन टायर एण्ड रबड कम्पनी, एक्रन ओहियो, यू० एस० ए० को और सिन्थेटिक्स एण्ड केमिल्स बोर्ड में फायरस्टोन के दो निदेशकों को कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बोर्ड आफ सिन्थेटिक एण्ड कैमिकल्स लिमि० में फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी एक्रौन ओहियो, यूएसए, के दो निदेशक प्रतिनिधि स्वरूप हैं।

(ख) सिन्थेटिक एण्ड कैमिकल्स लिमि० को साम्य शेयर पूंजी में 24.99 प्रतिशत शेयर फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी, ओहियो यू० एस० ए० के हैं।

(ग) गत 17 वर्ष के दौरान सिन्थैटिक एण्ड कैमिकल्स लिमि० ने फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी एक्रौन ओहियो, यू० एस० ए० को निम्नलिखित धनराशि की अदायगी की है।

1. सहयोग करार की शर्तों के अन्तर्गत किये गये भुगतान :	
इन्जीनियरिंग शुल्क	$1,000.00
2. डिस्क्लोजर शुल्क	$300,000
3. संयंत्र में उत्पादन होने के बाद दस बर्षों के लिए (1964 से 1975 तक) $285,000 दर पर जानकारी और तकनीकी सेवा शुल्क	2,850,000
2. ऋण पर ब्याज	$2,365,957.35
3. 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976 और 1977 वर्षों के लिए, भुगतान किये गये लाभांश	रु० 1,33,61.700 (कार्यालय में आय कर की कटौती की शर्तों पर)

इसके अतिरिक्त बोर्ड आफ सिन्थैटिक एण्ड कैमिकल्स लिमि० में फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी यू० एस० ए० का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को बोर्ड की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने पर 250 रु० दिये जाते हैं।

प्रयुक्त रेल टिकटों की बिक्री करने वाले गिरोह का पता लगाना

3143. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आगरा और दिल्ली के बीच यात्रा के लिये प्रयुक्त रेल टिकटों की बिक्री करने वाले गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे को हुई वित्तीय हानि का कितना अनुमान लगाया गया है; और

(घ) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) दिल्ली रेलवे पुलिस द्वारा पकड़े गये एक षड़यंत्र का विस्तृत ब्यौरा 1-8-1978 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2234 के उत्तर में पहले ही दिया जा चुका है ।

(ग) केवल दिल्ली रेलवे पुलिस द्वारा इस मामले की जांच-पड़ताल को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही इस षड़यंत्र की कार्रवाइयों के कारण रेलवे को हुई हानि के बारे में पता चल पायेगा ।

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

3144. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उपलक्ष्य से देश में आगामी पांच वर्षों में और अधिक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी, हां । पश्चिमी क्षेत्र में चार खाद कारखाने लगाने का प्रस्ताव है जिनमें से एक-एक कारखाना महाराष्ट्र और गुजरात में लगाया जायेगा जो बम्बई हाई/बसीन संरचना से प्राप्त गैस पर आधारित होंगे और एक कारखाना नामरुप असम में लगाया जायेगा जो ओ एन जी सी तथा आयल इंडिया लि० के तेल क्षेत्रों से प्राप्त गैस पर आधरित होगा । मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव लि० को कानपुर में अपनी वर्तमान क्षमता का विस्तार करने के लिए एक आशय पत्र भी जारी किया गया है ।

गोवा में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के बारे में ज्ञापन

3145. **श्री वसंत साठे** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ज्ञापन मिला है जिसमें गोवा में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए ज्ञापन का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में सरकार कब तक अंतिम निर्णय कर लेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) और (ग) गोवा, दमण और दीव एडवोकेट्स एसोसिएशन और दक्षिण गोवा, मारगाव के एडवोकेट्स एसोसिएशन से क्रमशः तारीख 15-2-1977 और 30-6-1977 के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जिनमें पणजी में पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया गया है । यह भी अनुरोध किया गया है कि जब तक पृथक उच्च न्यायालय स्थापित नहीं किया जाता है तब तक पणजी में किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित की जाए । गोवा, दमण और दीव के मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया है कि गोवा में किसी पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित की जाए । इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

डोम्बीवाली पैसेंजर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन

3146. **श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को डोम्बीवाली पैसेंजर्स एसोसिएशन (जिला थाना, महाराष्ट्र) से एक खाका सहित 12 अप्रैल, 1978 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि एक डोम्बीवाली लोकल गाड़ी चलाई जाए और बम्बई-पूना, बम्बई-भुसावल को आने-जाने वाली गाड़ियां डोम्बीवाली में रुकें,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा निकट भविष्य में करने का विचार है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) डोम्बीबली में टर्मिनल सुविधाओं का अभाव होने के कारण वहां से/तक उप-नगरीय स्थानीय गाड़ियां चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है । बम्बई–पूणे और बम्बई–भुसावल सवारी गाड़ियों के उपनगरीय स्टेशनों जैसे डोम्बीबली पर ठहराने की व्यवस्था करना भी संभव नहीं है क्योंकि ऐसा करने से उपनगरीय गाडियों और माल गाड़ियों के संचलन पर कुप्रभाव पड़ेगा ।

ग्रीव्ज काटन की पूंजी

3147. **श्री वयालार रवि : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रीव्ज काटन की कुल पूंजी कितनी है और कितने व्यक्तियों के पास इसके पांच प्रतिशत से अधिक शेयर हैं ;

(ख) इसके निदेशक-बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक के पास कितने शेयर हैं ; और

(ग) उन्हें कितना पारिश्रमिक दिया जाता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) 6-12-1977 तक बनाई गई वार्षिक विवरणी के अनुसार, ग्रीव्ज काटन एण्ड कम्पनी लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी 4,75.25 लाख रु० थी, जिसमें 4,25,250 साम्य शेयर और पूर्ण प्रदत्त 100 रु० प्रत्येक के 50,000 संचित अधिमान शेयर थे ।

6-12-1977 तक 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वालों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

साम्य प्रदत्त पुंजी का 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वालों के नाम	संचित अधिमान प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वालों के नाम
1. करमचन्द थापर एण्ड ब्रादर्स लि०	1. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया (निज़ाम के न्यास का लेखा)
2. बलारपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	2. नवाब काज़िम नवाब जंगबहादुर
3. यूनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड	3. सर सइदुल मुल्क बहादुर
4. न्यू इण्डिया एसोरेंस कम्पनी लिमिटेड	
5. करमचन्द थापर एण्ड ब्रादर्स (कोल बिक्री) लिमिटेड	
6. लाइफ इंशोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया।	

(ख) कम्पनी के निदेशकों और उनके द्वारा एकाकी या संयुक्त रूप से अन्यों के साथ धारित शेयरों के विषय में सूचना नीचे दी जाती है :—

विवरण

कम्पनी के निदेशकों के नाम	धारित शेयरों की संख्या
1. श्री ललित मोहन थापर	179
2. श्री नित्यानन्द मंगेश बागले	32
3. श्री हरीदत्त वर्मा	39
4. श्री सुरेन्द्र लाल	32
5. श्री इन्दर मोहन थापर	32
6. श्री मधुकर बलवन्त भास्कर	94
7. श्री रामचन्द्र दत्तात्रेय पुसालकर	22
8. श्री गोबिन्द मथरानी	70
9. श्री विश्वनाथन वैंकटारमण	23
10. श्री हरचरण दास	15

निदेशकों द्वारा संयुक्त रूप से अन्यों के साथ धारित शेयर

नाम	धारित शेयरों की संख्या
1. श्री मधुकर बलवन्त भास्करे और श्रीमती रीता एम० भास्करे	76
2. श्रीमती प्रीमीला एम० बागले और श्री नित्यानन्द एम० बागले	63
3. श्रीमती धनवन्ती राम राय और श्री नित्यानन्द मंगेश बागले और श्रीमती प्रेमिला नित्यानन्द बागले	765
4. श्रीमती रीता मधुकर भास्करे और श्री मधुकर बलवन्त भास्करे	67
5. श्रीमती बारकरे एल० मथरानी और श्री गोबिन्द मथरानी	12
6. श्री सुनील डब्ल्यू० मथरानी और श्री गोबिन्द मथरानी	1
7. श्रीमती लक्ष्मी वैन्कटारमण और श्री विश्वनाथन वैंकटारमण	45

(ग) कम्पनी (कर्मचारी विवरण) नियम 1975 के साथ पठित धारा 217 (2क) (ख) (ii) के अनुसरण में, कम्पनी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, 30-6-1977 को समाप्त हुए वर्ष की अवधि में निदेशकों को दिये गये आयकर की अदायगी से पूर्व कुल पारिश्रमिक निम्न प्रकार था :—

निदेशक का नाम	आयकर की अदायगी से पूर्व कुल पारिश्रमिक (रु०)
1. श्री एम० बी० भास्करे, प्रबंध निदेशक,	1,88,465
2. श्री जी० मथरानी, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक	2,02,100
3. श्री आर० डी० पुसालकर, कार्यकारी निदेशक	1,24,068
4. श्री वी० वेंकटारमण, विपणन निदेशक,	1,18,451

शेष गैर-कार्यकारी निदेशकों को 30-6-1977 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 349 की शर्तों के अनुसार कुल लाभों का 1 प्रतिशत कमीशन के रूप में 3,25,830 रु० की कुल राशि दी गई थी ।

पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइन

3148. **श्री अनन्त दवे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे लाइन बनाने का सरकार का निर्णय क्रियान्वित किया जा रहा है जहां 10 प्रतिशत तक आय होने की संभावना है ;

(ख) क्या कुछ रीजन के पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति जिनकी 10 प्रतिशत आय की क्षमता है, जो सरकार द्वारा अधिकतम सीमा के रूप में निर्धारित की गई है, गांधीधाम से लखपत बरास्ता मांडवी के लिये नई रेल लाइन बनाने के बारे में रेल अधिकारियों को अभ्यावेदन देते रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार इस नई रेलवे लाइन के बनाये जाने के बारे में इस पिछड़े क्षेत्र के व्यक्तियों की न्याय संगत मांग को अब तक ठुकराती रही है; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस लाइन के बारे में सरकार का भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा इस परियोजना को आरम्भ करने में सरकार और कितना समय लेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) मांडवा होकर गांधीधाम—लखपत लाइन के निर्माण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । 1971—72 में एक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था और यातायात की बहुत ही सीमित संभावनाओं के कारण इस परियोजना को व्यवहार्य नहीं पाया गया। अतः अभी लाइन का निर्माण शुरू किया जाना संभव नहीं है । योजना आयोग द्वारा देश की समस्त परिवहन नीति को प्रतिपादित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त की गयी है । समिति देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों के निर्माण के लिए एक नीति तैयार करेगी । गांधीधाम से लखपत तक की प्रस्तावित लाइन के लिए नयी नीति के अन्तर्गत उचित ध्यान दिया जायेगा ।

मैसर्स फाईजर तथा ग्लैक्सो लैब्स द्वारा ग्राक्सीटेट्रासावलीलन के फार्मूलेशनों का उत्पादन

3149. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फाईजर तथा ग्लैक्सों लैब्स द्वारा बनायी गयी औषधियों उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता और ग्राक्सीटेट्रासाईक्लीन तथा वीटामेथासोन फार्मूलेशनों की बनावट से संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन दोनों कम्पनियों ने औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत वैध अनुमति के बिना अनेक उत्पाद बाजार में बेचे हैं और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ; और

(ग) ग्लैक्सों के कितने अनुमति पत्र सी ओ बी लाइसेंसों में बदले गये, अनुमति पत्र-वार, उत्पादन कर, तिथि वार ब्यौरा क्या है और औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के किन उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसा किया गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) मैसर्स फाइजर लि० और मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज को प्रतिवर्ष क्रमशः 9 टन ओक्सीटैट्रासाइक्लीन और 300 किलो ग्राम कोर्टाकोस्टेरियड्स (वेबमिथासोन सहित) का निर्माण करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं। इन बल्क औषधों के आधार पर 1977 के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित फार्मूलेशनों का निर्माण किया गया है :—

मैसर्स फाइजर (ग्रोक्सी टैट्रासाइक्लीन के आधार पर)	मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (वेटामिथासोन के आधार पर)
1. एम्बिमोटिक कैप्सूल	1. बेनिग्लेन गोलियां
2. टेराकोट्रियल आंख/कान की मरहम	2. वेटनेसोल इन्जैक्शन
3. टेरोकोट्रियल टोरक्त मरहम	3. ,, गोलियां
4. टैरापाइसीन डेप्टल पेस्ट	4. बेटनसोल आंख की मरहम
5. टैरामाइसीन आंख/कान का सस्पेंशन	5. वेटनसोल आंख/कान की दवाई
6. टैरामाइसीन आई एम सोल्यूशन	6. वेटनेसोल एन-आंख की मरहम
7. टैरामाइसीन इन्द्राबेनस इंजैक्शन	7. ,, एन-आंख-कान की दवाई
8. टैरामाइसीन ओपथाल्मिक मरहम	8. बेटनेसोल एन नाक की दवाई
9. टैरामाइसीन आटिक सोल्यूशन	9. बेटनेसोल पेय दवाई
10. ,, प्रिविथ पेडियाट्रिक ड्रैस्ट	10. ,, गोलियां
11. ,, एस एफ कैप्सूल	11. बेटनेसोल (क्रीम अथवा ग्रीस युक्त) चर्म मरहम
12. ,, कैप्सूल	12. बेटनोवेट–सी (क्रीम अथवा ग्रीसयुक्त) चर्म मरहम
13. ,, स्लीन मरहम	13. बेटनोवेट–एन–(क्रीम अथवा ग्रीस युक्त) चर्म मरहम
14. ,, सोल्यूबल गोलियां	14. ओटिना ड्रोप्स
15. ,, सिरप	15. नोवेट मरहम
16. ,, वेजिनल गोलियां	
17. यूरोविमेटिक कैप्सूल	

औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये किसी वैध अधिकार के बिना इन कम्पनियों द्वारा उपरोक्त फर्मूलशनों का अनियमित उत्पादन किये जाने की कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि इसकी जांच लाइसेंसों को समेकित करते समय की जायेगी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर पस्तुत की जायेगी।

वाल्टेयर में डीजल लोको शेड

3150. **श्री सुधीर घोषाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में वाल्टेयर और बोंडामुंडा में डीजल लोको शेड में सवारी और माल सेवाओं दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बहुत बड़ी संख्या में डीजल लोको इंजन हैं,

(ख) क्या इन डीजल लोको इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिये पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त हैं,

(ग) क्या टाटा और भिलाई में इलेक्ट्रीकल लोको शेड में सवारी और माल सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इन शेडों में बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रीकल लोको इंजन हैं, और

(घ) क्या इन इलेक्ट्रीकल लोको इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिये पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारयण) : (क) वाल्टेयर के डीजल लोको शेड में 143 रेल इंजन और बोंडामुण्डा में 77 हैं जो कोचिंग और माल दोनों तरह की गाड़ियों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

(ख) जी हां। विभिन्न कोटियों में पर्याप्त पद मौजूद हैं और समय-समय पर आवश्यकतानुसार कर्मचारियों से संबंधित जरूरतों की समीक्षा की जाती है।

(ग) टाटा के बिजली लोको शेड में 121 बिजली रेल इंजन हैं जो माल गाड़ियों के लिए हैं। भिलाई के बिजली लोको शेड में 133 बिजली रेल इंजन हैं जो कोचिंग और दोनों तरह की गाड़ियों की जरूरतें पूरी करते हैं।

(घ) जी हां। विभिन्न कोटियों में पर्याप्त पद मौजूद हैं और समय-समय पर आवश्यकतानुसार कर्मचारियों से संबंधित जरूरतों की समीक्षा की जाती है।

भावनगर-तारापुर रेल लाइन

3151. **श्री एफ० पी० गायकवाड :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय में पिछडे क्षेत्र भाल के तेजी से विकास करने और सौराष्ट्र क्षेत्र में अविद्यमान तटीय सम्पर्क प्रदान करने के लिए भावनगर-तारापुर रेल लाइन के निर्माण को स्वीकृति दे दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को योजना आयोग ने भी स्वीकृति दे दी है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) संसाधनों की अत्यधिक कमी के कारण, भावनगर-तारापुर रेल लाइन के निर्माण के काम को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गयी है।

Trains for passengers coming to Delhi from nearby towns

*3152 **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that large number of persons come to Delhi from nearby towns of Uttar Pradesh and Haryana daily to attend their work in offices, factories and other establishments in Delhi;

(b) whether number of shuttle trains for carrying these persons is quite inadequate thereby causing serious difficulties to them and that they cannot reach their destination in time;

(c) whether Government propose to improve Railway service; and

(d) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b), (c) and (d) Existing services are catering to the present needs of commuters travelling to Delhi from nearby towns of Uttar Pradesh and Haryana. Introduction of additional trains are operationally not feasible at present for want of spare line capacity enroute and due to inadequate terminal facilities at Delhi/New Delhi. However, these demands for additional services will be reviewed from time to time having regard to the facilities available at that time.

भुवनेश्वर से दिल्ली तक रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

3153. **श्री पद्मचरण सामन्तसिंह हेरा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि अन्य राज्यों की राजधानियों के लिये व्यवस्था है सरकार भुबनेश्वर और दिल्ली के बीच कोई तेज रफ्तार वाली गाड़ी चलाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह गाड़ी कब तक आरम्भ की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) आसनसोल के रास्ते 143/144 कलिंग एक्सप्रेस का मार्ग-परिवर्तन करने और 161/162 टाटानगर—अमृतसर एक्सप्रेस का चालन-क्षेत्र पुरी तक बढ़ाये जाने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी लेकिन मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की कमी के कारण फिलहाल इन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया।

जोधपुर से अजमेर रेलगाड़ी द्वारा लिया जाने वाला समय

3154. **श्री आर० डी० गट्टानी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जोधपुर से अजमेर पहुंचने में जिसके बीच की दूरी 244 कि० मीटर है रेलगाड़ी को 10-1/2 घण्टे का समय लगता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय को कम से कम करने के लिये कोई प्रयास किये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : इस समय अजमेर और जोधपुर के बीच कोई सीधी गाड़ी नहीं है। लेकिन, इन स्टेशनों के बीच 209 अप/4 डाउन/3 अप/210 डाउन गाड़ियों में दो थ्रू सवारी डिब्बे चल रहे हैं, जो इस दूरी को पूरा करने में लगभग 10 घंटे लेते हैं। इन सवारी डिब्बों के यात्रा समय में कमी करना, उनका इन गाड़ियों से मेल लेने और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए, परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

अखिल भारत स्टेशन मास्टर संगठन से ज्ञापन

3155. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको अखिल भारत स्टेशन मास्टर संगठन की 23, 24 और 25 जून, 1978 को उदयपुर में रजत जयंती के अवसर पर हुई आम वार्षिक बैठक में पारित संकल्पों के बारे में ज्ञापन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रत्येक मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी नीति के अनुसार, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर उचित रूप से विचार किया जाता है और यथा-अपेक्षित कार्रवाई की जाती है। स्टेशन मास्टरों सहित सभी कोटियों की मांगों पर सामूहिक वार्ता-तंत्र स्थाई वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श-तंत्र के विभिन्न स्तरों के माध्यम से विचार किया जाता है और उन्हें हल किया जाता है।

इस ज्ञापन में उल्लिखित बहुत-सी मांगों पर पहले से ही विचार किया जा चुका है और ऊपर बतायी गयी सरकारी नीति के अनुपालन में उनपर पुनर्विचार किया जायेगा।

बम्बई हाई में तेल के उत्पादन में प्रगति

3156. **श्री राजेश्वर सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई में तेल के उत्पादन में अद्यतन क्या प्रगति हुई है ;

(ख) वर्ष 1978-79 (आज तक) के लिए क्या लक्ष्य रखे गये थे और वे किस हद तक प्राप्त किये गये हैं ; और

(ग) अगले वर्ष के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बम्बई हाई से इस समय प्रतिदिन लगभग 80,000 बैरल तेल (अर्थात प्रति वर्ष लगभग 4 मि० मी० टन की दर से) का उत्पादन हो रहा है।

(ख) बम्बई हाई से वर्ष 1978-79 तक 3.85 मि०मी० टन अशोधित तेल के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज तक की स्थिति के अनुसार वर्ष 1978-79 में इस उत्पाद के कुल उत्पादन से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) अगले वर्ष में बम्बई हाई के चरण 111-ख विकास का कार्य निष्पादन जारी रहेगा जिसमें अतिरिक्त कुआं प्लेटफार्म, एक प्रक्रम प्लेटफार्म, अशोधित तेल के स्थिरीकरण के लिए टैंक, गैस विखण्डन संयंत्र आदि शामिल हैं।

दक्षिणी राज्यों के लिये कोयले, सीमेंट की ढुलाई

3157. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि दक्षिणी राज्यों के लिये कोयले, सीमेंट की ढुलाई के लिये माल-डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां; तो इस आकस्मिक कमी के क्या कारण हैं और स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कोयले की अपर्याप्त प्राप्ति के बारे में दक्षिण के कुछ कोयला उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई थी। दक्षिण की ओर सीमेंट के संचलन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अप्रैल-मई 1978 में सिंगरेनी कोयला खानों में हुई एक महीना लम्बी हड़ताल मुख्यतः दक्षिण राज्यों में कोयले की इस कमी के लिए जिम्मेदार थी। दक्षिण में कोयले की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के समन्वय से रेल मंत्रालय ने पहले से ही विभिन्न उपाय शुरू किये हैं जिनमें अतिरिक्त माल-डिब्बों और रेल-डिब्बों का लगाया जाना भी शामिल है।

आसनसोल में चोरी और माल:-डिब्बे तोड़ने के मामलों में वृद्धि

3158. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि आसनसोल और ओंडल यार्ड में तथा कजोरा उखरा, बरबनी, सीतारामपुर और बड़ाचक स्टेशनों पर चोरी और माल डिब्बों को तोड़ने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त यार्डों और स्टेशनों से मालडिब्बे तोड़कर उठाईगीरि करके प्रतिदिन लाखों रुपयों के मूल्य का कोयला तथा अन्य माल चोरी किया जाता है;

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा बल की माल डिब्बे तोड़ने में माल डिब्बों को तोड़ने वालों के साथ सांठ-गांठ है तथा कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि विशेषकर ओंडल में, रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र कर्मचारी चुराये गये माल के साथ जाने वाले इन अपराधियों की सुरक्षा करते हैं तथा सशस्त्र रेलबे सुरक्षा बल कर्मचारी ग्रामवासियों को चेतावनी देते हैं कि वे चुराई सम्पत्ति को लेकर भागने वाले व्यक्तियों को पकड़ने की चेष्टा न करें;

(घ) क्या ओंडल तथा निकटवर्ती ग्रामवासियों ने उस संबंध में स्थानीय रेल कर्मचारियों को कई शिकायतें की है किन्तु उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ; और

(ङ) क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उन यार्डों और स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल की ड्यूटी समाप्त की जाये तथा उस कार्य के लिये राज्य सरकार के सहयोग और परामर्श से कोई अन्य ऐजेंसी की व्यवस्था की जाये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) जी नहीं।

गैस के वितरण के लिये बम्बई के व्यक्तियों को जारी किये गये लाइसेंस

3159. श्री **बापू साहिब परूलेकर** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई शहर में कुकिंग के लिये बम्बई हाई से उपलब्ध गैस के वितरण के लिये कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं और किन किन तारीखों को ये लाइसेंस अथवा एजेंसियां दी गई हैं ; और

(ग) ऐसे लाइसेंसों अथवा एजेंसियों को देने के लिए मान दण्ड क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस समय बम्बई हाई से कोई तरल पेट्रोलियम गैस उपलब्ध नहीं है । परन्तु बम्बई हाई कच्चे तेल के शोधन-शालाओं में परिशोधन करने पर तरल पेट्रोलियम गैस का उत्पादन होता है जो कि एल० पी०जी० के वर्तमान वितरकों द्वारा वितरित की जाती है।

हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि सम्बद्ध तथा असम्बद्ध गैस के 50 : 50 मिश्रण के विभाजन के लिये क्रिओजेनिक प्रक्रिया पर आधारित 4 मिलियन घन मीटर प्रति दिन की क्षमता वाला एक गैस फ्रेक्शन प्लांट की उरान में स्थापना की जाये ।

(ग) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तेल कम्पनियों को बताये गये मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुसार, बम्बई हाई/दक्षिण बेसिन क्षेत्र से मिलने वाली सम्बद्ध प्राकृतिक गैस से प्राप्त तरल पेट्रोलियम गैस सहित, एल० पी० जी० का वितरण निम्न आधार पर किया जाता है :

(i) 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिय;

(ii) 2 प्रतिशत अपंग व्यक्तियों के लिये ; और

(iii) शेष व्यापारिक आधार पर और इसमें वास्तविक सहकारी समितियों तथा कृषि उद्योग निगमों को प्राथमिकता दी जाती है।

ए० आई० आर० ई० सी० द्वारा नियमानुसार काम करने का आन्दोलन

3160. **श्री किशोर लाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन० सी० सी० आर० एस० द्वारा तैयार किये गये 6 सूत्री मांगपत्र में कौन-कौन सी मांगें हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ए० आई० आर० ई० सी० ने इन मांगों के बारे में बातचीत के माध्यम से कोई फैसला न होने पर नवम्बर, 1978 से नियमानुसार काम करने का आंदोलन करने का निर्णय किया है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ग) मांगों और उनके संबंध में स्थिति अनुबन्ध में दी गयी है।

(ख) जी हां।

विवरण

मांग	संबंधित स्थिति
1. (i) सभी रेल कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक मांना जाये तथा और उन्हें वार्ता के अधिकार सहित मजदूर यूनियनों के सभी अधिकार दिये जायें	1. (i) रेल कर्मचारी पहले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के उवन्धों के अन्तर्गत आते हैं। यद्यपि सेवा की शर्तों के अनुसार पारम्परिक रूप से उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाता है। क्योंकि मूल रूप से रेलों की प्रकृति जनता की सेवा है तथा वे अपने सामाजिक एवं सामरिक महत्व के कारण सरकार द्वारा सीधे चलायी जाती हैं।
1(ii) रेल कर्मचारियों के कार्य घंटे घटा कर 8 घंटे प्रतिदिन कर दिये जायें।	1(ii) विभिन्न स्थितियों में काम करने वाले रेल कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए उनके कार्य भार पर विचार किये बिना, प्रतिदिन 8 घंटे की एक समान कार्य घंटों की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। किन्तु रेल कर्मचारियों के कार्य घंटों के संबंध में मियाभाय अधिकरण के निर्णय को 1-8-74 से स्वीकार कर लिया गया है।
1 (iii) वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सभी रेल कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करके न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की जरूरतों पर आधारित न्यूनतम वेतन के अनुसार उनका पुनः वर्गीकरण तथा रिग्रेडेशन। 2. कार्य मूल्यांकन तथा पुनर्वर्गीकरण पूरा होने तक ऐसे कर्मचारियों के वेतन को तत्काल केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के बराबर बनाना। जैसे एच एम टी, बी एच ई एल, एच एस एल, एन ए एल इत्यादि	1(iii) और (2)——मई, 1974 की हड़ताल से पूर्व श्रमिकों के साथ हुई बातचीत जिसमें यह सहमति हुई थी कि कार्य-मूल्यांकन तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ही किया जायेगा, के फलस्वरुप सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—— (क) कारखाना कर्मचारियों के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक अधिकरण बनाया गया है जिसमें मान्यता प्राप्त दो फैडरेशनों द्वारा मनोनीत श्रमिकों के दो प्रतिनिधि तथा दो सरकारी सदस्यों सहित एक निष्पक्ष अध्यक्ष है। (ख) जहां तक चालू लाइन कर्मचारियों का संबंध है, एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, सिकन्दराबाद में प्रशिक्षण शुरू करने वाला है, ताकि विस्तृत कार्य-मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व एक मार्गदर्शी अध्ययन किया जा सके।

मांग	संबंधित स्थिति
	जहां तक वेतन में समानता लाने का प्रश्न है, तीसरे वेतन आयोग का यह मत था कि प्राइवेट या सार्वजनिक क्षेत्र के साथ वेतन की उचित समानता को रेल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन स्तर को निर्धारित करने के लिए ठोस आधार के रूप में नहीं माना जा सकता । जो भी हो, यह एक ऐसा मामला है जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी सम्पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं तथा जहां तक रेल कर्मचारियों का सम्बंध है, रेल मंत्रालय द्वारा कोई भी एकतरफा कार्रवाई नहीं की जा सकती । यह वेतन, आय तथा मूल्य नीति से भी जुड़ा हुआ है और इस पर सरकार द्वारा नियुक्त भूतलिंगम अध्ययन दल द्वारा उक्त मुद्दों पर गहराई से अध्ययन कर लिये जाने के बाद ही विचार किया जायेगा ।
3. वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिये एक मास के वेतन की दर से के बराबर बोनस।	3. यह वेतन, आय और कीमतों की नीति के प्रश्न के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है और सरकार द्वारा नियुक्त भूतलिंगम अध्ययन दल द्वारा इन प्रश्नों का गहराई से अध्ययन हो जाने के बाद इस बारे में विचार किया जायेगा।
4. सभी नैमित्तिक रेल कर्मचारियों को नियमित करना तथा पूर्व व्याप्ति से सभी लाभों सहित उनका सेवा में स्थायीकरण।	4. यद्यपि पूर्णरूप से नियमित करने की आदर्श स्थिति को प्राप्त करना तत्काल सम्भव नहीं है, किन्तु नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित रूप से नियुक्त करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है। नियमित रिक्तियों आदि की कमी होने के कारण जिन व्यक्तियों को नैमित्तिक श्रमिक के रूप में जारी रखना पड़ा है, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं।

5. विभागीय रूप से चलायी जा रही दुकानों के माध्यम से पर्याप्त तथा सहायत प्राप्त खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था।

5. सदस्य महोदय द्वारा उठाये गये मुद्दे पर अकेले रेल मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस बारे में सरकार को सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्णय करना होगा।

6. उत्पीड़न के सभी मामले वापस के लिये जायें।

6. निकट अतीत में कथित उत्पीड़न के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाये गये थे। उन पर विचार किया गया और प्रत्येक मामले के गुण-दोष के अनुसार ऐसी कार्रवाई की गयी जो अपेक्षित और व्यवहार्य थी।

साहिबाबाद स्टेशन पर प्लेटफार्म

3161. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश --दिल्ली सीमा पर स्थित एक औद्योगिक कस्बे साहिबाबाद स्टेशन पर रेलवे प्लेटफार्म रेल की पटरी के बराबर ऊंचे हैं और वहां सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त कोई साइकिल और स्कुटर स्टैंड नहीं है और वहां जी०टी० रोड की ओर से रेलवे लाइन पार करने के लिये कोई ऊपरीपुल नहीं है और इसके परिणामस्वरूप हजारों कारखाना कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों को ऊंचा करने और ऊपरि पुल की व्यवस्था करने के लिये शैंड़ों को बढ़ाने और एक अधिकृत रेलवे साइकिल और स्कूटर स्टैंड की यथाशीघ्र व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : साहिबाबाद स्टेशन पर दोनों प्लेटफार्म पटरी की सतह के प्लेटफार्म हैं। स्टेशन पर साइकिल और स्कूटर स्टैंड नहीं है। जी०टी० रोड की ओर से रेलवे लाइनों को पर करने के लिए वहां कोई ऊपरी पैदल पुल भी नहीं है।

फिलहाल, इन प्लेटफार्मों की सतह को ऊंचा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जी०टी० रोड की ओर से एक उपयुक्त पहूंच -मार्ग द्वारा स्टेशन पर पहंचा जाता है और पटरी को पार करने के लिए एक समपार की व्यवस्था है। यात्री-यातायात के वर्तमान स्तर की जरूरतों की पूरा करने के लिए स्टेशन पर बनी प्लेटफार्म की छत पर्याप्त है। इस स्टेशन पर एक प्राधिकृत रेलवे साइकिल स्कूटर स्टैंड की व्यवस्था करने के बारे में शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जा रही है।

दीघा में गंगा पर रेलवे पुल

3162. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सदाघाट आश्रम के समीप दीघा (पटना, बिहार) में गंगा नदी पर रेल पुल बनाने का प्रस्ताव गत कई वर्षों से सरकार के पास अनिर्णीत पड़ा है,

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) पुल की योजना पर अंतिम निर्णय करने में सरकार और कितना समय लगायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन, खड़कवासला, द्वारा इस योजना के तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) इस योजना के संबंध में अंतिम निर्णय कर पाना केवल तभी संभव होगा जब अध्ययन को अंतिम रुप दे दिया जायेगा, बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हुआ।

प्लेटफार्मों की संख्या में वृद्धि

3163. **श्री अहमद हुसैन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और पुर्वोत्तर क्षेत्र क अन्य भागों के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में निकट भविष्य में प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाने का सरकार का प्रस्ताव है और इसके लिये धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर उपयुक्त धरातल वाले प्लेटफार्मों की व्यवस्था की गयी है। रेल प्रशासन द्वारा प्लेटफार्मों की लम्बाई बढ़ाने, उनका स्तर ऊंचा उठाने और उन पर फर्श बिछाने जैसे कार्य क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति की जिसमें जन-गत भी सम्मिलित रहता है, सिफारिशों पर किये जाते हैं।

यात्री सुविधा-कार्यों के लिये धन का आवंटन रेलवे-वार किया जाता है, क्षेत्रवार नहीं। अतएव राज्यवार/क्षेत्रवार सूचना अलग-अलग उपलब्ध नहीं है।

त्रिपुरा में तेल की ढुलाई के लिये सोवियत रूस के विशेषज्ञों द्वारा सहायता

3164. **श्री सचिन्द्रालाल सिंघा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में एक कुंए की खुदाई के लिए सोवियत रूस के विशेषज्ञों की कोई सहायता मांगी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लिये गये करार और सोवियत रूस की ओर से आश्वासनों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि आश्वासन अभी पूरा किया जाना है ;

(घ) यदि हां, तो विस्तार से इसके कारण क्या हैं ; और

(ङ) निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के लिये आज तक क्या कार्यवाही की गई है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ओ० एन० जी० सी० सोवियत प्राधिकारियों के साथ त्रिपुरा में गजालिया संरचना में 4500 मीटर तक कुए की खुदाई करने के ठेके को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में बातचीत कर रहा है। यह एक व्यापार सम्बन्धी बात-चीत है।

(ख) और (ग) ठेके को अभी अन्तिम रूप देना बाकी है और ओ० एन० जी० सी० और सोवियत प्राधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) गजालिया में सिविल निर्माण कार्य पूरा हो गया है । इस स्थान की खुदाई करने के लिए रिग (एरमेको 1320 यू० ई०) लगा दी गई है । रिग स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है । खुदाई शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगी ।

पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों को कुकिंग गैस को सप्लाई

3165. **डा० विजय मंडल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों, नगरों को घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई करने के लिये कार्यवाही करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में अद्यतन क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) का पहले से ही पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित शहरों में विपणन किया जा रहा है :

कलकत्ता, बजबज, बलधारिया, हुगली, चन्दरनगर/चिंसुरा, भद्रेश्वर, हावड़ा बाली कृष्णानगर, बर्दवान, दुर्गापुर, आसनसोल, खड़गपुर, हल्दिया, दार्जीलिंग सिलीगुरी, जलपायगुरी, रायगंज, बेलूरघाट माल्दा, कूचबिहार, पानागढ़ बोलपुर, रानीगंज, राजबंध, चित्तरंजन और बारावकर पश्चिम बंगाल में नये स्थानों पर तरल पेट्रोलियम गैस के विपणन का विस्तार तरल पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता निम्नलिखित बातों के आधार पर ही संभव होगी और

1. पूर्वानुमानित उपभोक्ताओं की संख्या;
2. सप्लाई स्त्रोत से बाजार की दूरी; ;
3. सुरक्षित सुलभ रूप से परिवहन के साधन की उपलब्धता;
4. संवितरण उपकरणों का अधिकतम उपयोग ; और
5. कार्य संचालनों में व्यवहार्यता ।

उर्वरक एककों की मंजूरी

3166. **श्री एम० ए० हनान अलहान :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन उर्वरक एककों की तिथिवार, मंजूरी दी जा चुकी है ;

(ख) इस समय प्रत्येक एकक की स्थिति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक एकक अभी चालू किये जाने हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके एककवार कारणों का ब्यौरा क्या है और उसको शीघ्र चालू करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) अद्यतन स्वीकृत प्रचलित मुल्य उर्वरक एककें जोकि उत्पादन कर रही हैं अथवा नहीं, से सम्बन्धित ब्यौरों से संलग्न परिशिष्ट 1 में दिये गये हैं। इन परियोजनाओं की स्वीकृति तिथियों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी। इसके अतिरिक्त 29 सिंगल सुपर फास्फेट एककों में से 3 एककें उत्पादन नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। कार्यान्वियनाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे सम्बन्धी विवरणपत्र परिशिष्ट 2 पर हैं।

दो परियोजनाओं के कार्यान्वियन सम्बन्धी प्रगति की देखरेख मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है और विलम्ब को कम करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं। कुछ कार्यान्वियनाधीन परियोजनाओं के चालू होने में विलम्ब के कारण भी परिशिष्ट 2 पर दिये गये विवरण पत्र में दिखाये गये हैं।

विवरण

परिशिष्ट—I

31 जुलाई, 1978 तक स्वीकृत प्रचलित नाइट्रोजनयुक्त तथा काम्पलेक्स उर्वरक एककें

क्रम संख्या	कम्पनी	यूनिट सं०	उत्पादन कर रहा है/उत्पादन नहीं कर रही
सरकारी क्षेत्र			
1.	एफ० सी० आई० . . .	गोरखपुर	उत्पादन कर रही है
2.	के० एफ० सी० आई० . .	सिन्धरी	,,
3.	एच० एफ० सी० . . .	नामरूप	,,
4.	,,	नामरूप विस्तार	,,
5.	,,	दुर्गापुर	,,
6.	,,	बरौनी	,,
7.	आर० सी० एफ०	ट्राम्बे I	,,
8.	,,	ट्राम्बे II	,,
9.	एन० एफ० एल०	नंगल	,,
10.	,,	नंगल विस्तार	,,
11.	एफ० ए० सी० टी०	उद्योग मण्डल	,,
12.	,,	कोचीन-I	,,
13.	,,	कोचीन-II	,,
14.	एच० एस० एल०	राउरकेला	,,
15.	एन० एल० सी०	नेयवेली	,,
16.	एम० एफ० एल०	मद्रास	,,
17.	एच० एस० एल० (उप उत्पाद)		,,
18.	एच० एस० एल० (उप उत्पाद)	राउरकेला (उप-उत्पाद)	,,
19.	एच० एस० एल० ,,	दुर्गापुर ,,	,,
20.	बुकारो स्टील लि० ,,	,,	,,

1	2	3	4
21.	इंडियन आयरन ऐंड स्टील (उप उत्पाद)		उत्पादन कर रही है।
	निजी क्षेत्र		
22.	एम० सी० जे० एम०	वाराणासी	,,
23.	ई० आई० डी०	इनौर	,,
24.	जी० एस० एफ० सी०	बडोदा	,,
25.	सी० एफ० एल०	विजाग	,,
26.	एस० सी० आई०	कोटा	,,
27.	आई० ई० एल०	कानपुर	,,
28.	जैंड० एसी०	गोआ	,,
29.	एस० पी० आई० सी०	टुटीकोरिन	,,
30.	एम० सी० एफ०	मंगलौर	,,
31.	टी० आई० एस० सी० ओ०	उप उत्पाद	,,
32.	आर० के० एफ० एस० सी० ओ०	कंडला	,,

विवरण

परिशिष्ट—II

परियोजना	अनु-मोदन का वर्ष	स्थिति	चालू होने में विलम्ब के कारण यदि कोई हों
1	2	3	4
1. हल्दिया .	1971	यांत्रिक तौर पर पूरा 1979 तक सम्भावित	विलम्ब मुख्य रूप से स्थल पर पाइलिंग कार्य में अधिक समय लगने, श्रम समस्या व स्वदेशी उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब के कारण था।
2. रामागुण्डम .	1971	परीक्षण उत्पादन 1979 के आम्रभ में होने की सम्भावना	कोयले पर आधारित भारत में यह पहले दो प्लांट हैं। इनके चालू होने से विलम्ब मुख्य रूप से नई तकनीकी और उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब के कारण था।
3. तलचर	1971	,,	,,
4. सिन्द्री आधुनीकरण .	1967	जनवरी, 1979 तक सामान्य उत्पादन होने की संभावना	मै० वी० एच० एल०, द्वारा कुआलर प्लांट और कम्प्रेसर की सप्लाई और स्थापना के कारण विलम्ब हुआ।
5. सिन्द्री सुव्यवस्थितीकरण	1967	1979 के अन्तिम भाग में सामान्य उत्पादन	विभिन्न निर्माताओं और कास्ट आयरन और पाइप आदि की सप्लाई कर्ता

1	2	3	4
		होने की सम्भावना	द्वारा उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब हुआ था। सीमेंट की सीमित उपलब्धता व श्रमिक अशांति के कारण सिविल कार्यों के पूरा होने में विलम्ब हुआ। सलफ्यूरिक व फास्फेटिक ऐसिड प्लांट जो कि मध्यवर्ती उत्पाद अर्थात् ट्रिपल सुपर-फास्फेट सप्लाई करेंगे, में कठिनाइयों के कारण इस परियोजना के चालू होने में देरी हुई है। अतः यह प्रस्ताव है कि कुछ परिवर्तन करके सल्फयूरिक एसिड के एक स्ट्रीम में एलीमेंटिल सल्फर का प्रयोग किया जाये और दूसरे स्ट्रीम को विकसित पाइराइट पर चालू रखने के लिये प्रयत्न किये जा रहे है। फास्फोटिक एसिड प्लांट में काफी समय तक चलने वाली मरम्मत तथा प्रतिस्थापना करने के लिये विदेशी जानकारी का उपयोग करने का निर्णय किया गया है ताकि परिक्रिया विश्वसनीय रूप से चलाई जा सके। आशा की जाती है कि 1979 के अन्तिम भाग में सामान्य उत्पादन शुरू किया जा सकेगा।
6. ट्राम्बे-I	1974	1980 में उत्पादन की संभावना	स्वदेशी उपकरण के सप्लाई कर्ताओं द्वारा उपकरणों की डिलिवरी तथा चालू करने में देरी। एयर सैपेरेशन प्लांट में एक दुर्घटना के कारण भी इनके चालू होने में छः मास की देरी हुई है।
7. भटिण्डा	1974	1979 के आरम्भ में उत्पादन होने की सम्भावना	
8. पानीपत . .	1975	1979 के शुरू में उत्पाद होने की सम्भावना	कुछ स्वदेशी उपकरणों के चालू होने तथा डिलिवरी देने में देरी।
9. ट्राम्बे-II . .	1972	उत्पादन जारी है।	
10. नंगल विस्तार .	1972		
11. एच० सी० एल० खेतरी			

1	2	3	4
		सहकारी/निजी क्षेत्र	
12	फूलपुर (आई० एफ० एफ० सी० ओ०) .	औद्योगिक लाइसेंस 1976 में जारी किया गया	1979 से उत्पादन शुरू होने की सम्भावना ।
13.	बरूच जिला गुजरात (मै० गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर क० लि०) . .	औद्योगिक लाइसेंस 1977 जारी किया गया	1980 तक पूरा होने की आशा।
14.	काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश) (मै० नागर्जुन फर्टिलाइजर एण्ड कैमीकल्स लि०) .	औद्योगिक लाइसेंस 1978 में जारी किया गया ।	1981 तक पूरा होने की आशा ।

Chain Pulling Cases

*3167 **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of chain pulling cases during the last four months, month-wise and the number of cases, out of them, in which chain pullers have been presented; and

(b) the arrangements being made to check such cases ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a)

Month	No. of alarm chain pulling incidents in running trains	No. of persons apprehended
March, 1978	11806	48
April, 1978	12610	37
May, 1978	15609	10
June, 1978	14240	65

(b) The following steps have been taken by the Railway Administration to curb this evil :—

(1) Posting of plain clothed TTEs and Railway Protection Force/Government Railway Police Personnel in trains;

(2) Conducting surprise checks by anti-alarm chain pulling squads, consisting of TTEs and Railway Protection Force Personnel;

(3) Surprise ambush checks at places noted for unauthorised chain pulling;

(4) Educative campaign in press, through posters, cinema slides etc. and by announcements on the Public Address System at important stations;

(5) Offering of rewards to those apprehending alarm chain pullers;

(6) Blanking off of alarm chain apparatus on selected trains in vulnerable areas.

The drives to combat the menace of unauthorised pulling of Alarm Chain by anti-social elements have been intensified with the cooperation of local civil and police authorities. Close liaison is being maintained with State Governments to curb the activities of these anti-social elements.

गुजरात में अमोनिया संयंत्र की स्थापना

3168. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में एक नया अमोनिया संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसमें उत्पादन कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(घ) क्या यह पूर्णतया भारतीय होगा अथवा इसके लिये विदेशी सहयोग प्राप्त किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) जी, हां। बम्बई हाई तथा स्ट्रक्चर्स वेसिन से प्राप्त गैस पर आधारित गुजरात राज्य में ग्राम स्थल पर दो बड़े आकार के उर्वरक प्लांटों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। सरकार ने एन० सी० ई० पी० सी० से कहा है कि वे पांच सम्भव स्थलों पर उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने से वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करे। एन० सी० ई० पी० सी० की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार दो प्लांटों के स्थल के सम्बन्ध में निर्णय करेगी। प्रत्येक प्लांट की 1350 मी० टन अमोनिया की दैनिक क्षमता और साथ ही यूरिया उत्पादन की उपयुक्त क्षमता होगी। इन दो परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 525 करोड़ रुपये होगी। आशा है कि ये प्लांट आवश्यक अनुमोदनों के दिये जाने के बाद 39 महीने की अवधि में परीक्षण उत्पादन आरम्भ करेंगे। इस परियोजना के कार्यान्वयन में विदेशों से तकनीकी और उपकरणों का आयात केवल वहीं तक किया जायेगा जहां तक ये देश में उपलब्ध नहीं हैं।

रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

3169. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री रेल मंत्रालय के आदेश के बारे में 21 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3800 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में पदावनति को रोकने के बारे में 14 दिसम्बर, 1977 को एम० एस० आर० द्वारा दिये गये आदेशों का पालन किया गया था ;

(ख) वर्ष 1975 और 1976 में ए० ई० एन० द्वितीय श्रेणी के चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त स्थानों को आगे न ले जाने और आरक्षण समाप्त करने के बारे में रेल मंत्रालय के आदेशों तथा सिबबंदी (एस्टेबलिशमेंट) नियम पुस्तिका के पैराग्राफ 203, 206 में निर्धारित नियमों का पालन न करने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है कि इस चयन में 19 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे और उनमें से केवल 16 उम्मीदवारों को स्थायी आधार पर पदोन्नत किया गया था और बाकी के दो व्यक्ति तदर्थ आधार पर पदोन्नत किये गये थे जबकि 26 व्यक्ति काफी अर्से से स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे; और

(घ) मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन करने और उत्पीड़ित कर्मचारियों को परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय उस निर्माण निरीक्षक की पदावनति से है जो पूर्वोत्तर रेलवे पर सहायक इंजीनियर (श्रेणी 2) के पद पर बिल्कुल तदर्थ आधार पर स्थानापन्न के रूप में कार्य कर रहा था और जो 5-7-77 से पदावनत कर दिया गया था। अतः रेल राज्य मंत्री के 14-12-1977 के आदेशों के अनुसार उसकी पदावनति को रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) 1975-76 के वर्षों के दौरान सहायक इंजीनियर (श्रेणी 2) के चयन के लिए पूर्वोत्तर रेल प्रशासन ने वर्तमान नियमों और आदेशों के अनुसार 28 रिक्तियों का हिसाब लगाया था चयन 21 रिक्तियों के लिए किया गया था। शेष 7 रिक्तियां तत्कालीन भर्ती नियमों के अनुसार सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरने के लिए छोड़ दी गयी थी।

21 रिक्तियों में से 3 रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए और 2 रिक्तियां अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित थीं। चयन के परिणामों के आधार पर सामान्य कोटि के 19 व्यक्तियों ने अर्हता प्राप्त की थी परन्तु 16 अनारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए केवल 16 व्यक्तियों के नाम ही सूची में रखे गये थे। शेष 5 आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति ने अर्हता प्राप्त नहीं की थी। सूची के 16 कर्मचारियों को नियमित तौर पर तथा शेष 3 को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था।

कार्मिक विभाग तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त को 5 आरक्षित रिक्तियों में से 3 रिक्तियों को आरक्षण से मुक्त करने के लिए लिखा गया है।

1975-76 के दौरान चयन के समय श्रेणी 3 के केवल 20 कर्मचारी श्रेणी 2 में सहायक इंजीनियर के पदों पर तदर्थ रूप में स्थानापन्न तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 1976 में अन्य कोई चयन नहीं किया गया था।

मजदूर संघों के कुछ नेताओं को दंड के रूप में स्थानान्तरण आदेश दिया जाना

3170. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के मजदूर संघों के कुछ नेताओं, जिन्हें आपात स्थिति के दौरान डी० एण्ड ए० नियमों के नियम 14 (दो) के अन्तर्गत हटाया गया था और जिनके आदेशों को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था, को दण्ड के रूप में पुनः स्थानान्तरण आदेश दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) दण्ड स्वरूप ऐसे स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ तथा पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के किसी भी मान्यताप्राप्त पदाधिकारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। लेकिन गोरखपुर शैड के सर्वश्री राम शर्मा, बायलर--मेकर मिस्त्री, चन्द्रिका प्रसाद, बायलर-मेकर

खलासी और हाफिजुल्लाह, पिटर खलासी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर क्रमश: गोंडा, चारबाग और गोंडा शैड को किया गया था । श्री हाफिजुल्लाह ने गोंडा में अपना कार्य-भार सम्हाल लिया है परन्तु अन्य दो ने अभी कार्य-भार नहीं सम्हाला है । श्री सिबते हसन, बायलर-मेकर खलासी, वाराणसी को वाराणसी में ही ड्यूटी की अनुमति दी गयी थी और कुछ समय बाद प्रशासनिक आधार पर उन्हें इज्जतनगर मंडल को स्थानान्तरित किया गया था ।

सिंगर मशीन कम्पनी में लगाई गई पूंजी

3171. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगर मशीन कम्पनी कब स्थापित की गई थी और इसमें कितना पूंजी निवेश किया है तथा इस कम्पनी में भागीदारों, शेयरधारियों तथा निदेशकों की संख्या कितनी है और उनमें प्रत्येक द्वारा कितनी राशि का पूंजी निवेश किया गया है ; और

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित व्यक्ति किन्हीं अन्य कम्पनियों अथवा कारोबार में भी भागीदार हैं और यदि हां, तो अन्य कम्पनियों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये गये पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सिंगर मशीन कम्पनी के नाम से कोई कम्पनी पंजीकृत नहीं है । तथापि, एक कम्पनी, अर्थात् यू० एस० ए० में विनिगमित सिंगर सीविंग मशीन कम्पनी है, जो भारत में वर्ष 1914 में स्थापित शाखा के माध्यम से कार्य कर रही है । 31-12-1976 तक के नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्र में दी गई सूचना के अनुसार भारत में उनकी परिसम्पत्तियों द्वारा दिखाई गई भारतीय शाखा की कुल निवेशित पूंजी 6.94 करोड़ रु० थी । 20-7-1977 तक पैतृक कम्पनी के निदेशकों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. श्री एडविंग जान ग्राफ
2. श्री चेस्टर ए० विलियम्स जूनियर
3. श्री पैट्रिसियो एच० एन्ड्राडे मैरिन
4. श्री जोसफ कोलिन्स
5. श्री वी० पाल टिपेट जूनियर

ये व्यक्ति इस देश में किसी अन्य कम्पनी में निदेशक का पद धारण नहीं कर रहे हैं ।

चूंकि भारतीय शाखा ने अभी तक अपनी पैतृक कम्पनी की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की है इसलिए उसके शेयर धारियों और उसके निदेशकों द्वारा अन्य कम्पनियों में लगाई गई पूंजी का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

नेशनल रेयन कारपोरेशन का वित्तीय ढांचा

3172. **डॉ० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुधीर कपाड़िया के परिवार से संबंधित नेशनल रेयन कारपोरेशन के वित्तीय ढांचे का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया और कुछ सरकारी निगम नेशनल रेयन कारपोरेशन के अधिकांश शेयरों के मालिक हैं; यदि हां, तो नेशनल रेयन कारपोरेशन के यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम जैसे अन्य निगमों, गैर-सरकारी पार्टियों अथवा अधिकांश मात्रा में शेयर रखने वाले बिरला बंधुओं, मोदी बंधुओं आदि के पास कितने-कितने शेयर हैं ? और

(ग) कुछ व्यक्तियों को धनराशियों और शेयरहोल्डिंग के अन्तरण अथवा आम शेयरधारियों और श्रमिकों के हित में नेशनल रेयन कारपोरेशन को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) नहीं, श्रीमान जी । तथापि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 187-घ और 247 के अन्तर्गत जांच के आदेश कम्पनी के 1,75,000 शेयरों के वास्तविक स्वामित्व के विषय में दिये गए हैं जिनके श्री सुधीर कपाड़िया द्वारा मोदी समूह की कम्पनियों को हस्तांतरण किये जाने के प्रस्ताव किये गये थे ।

(ख) नहीं, श्रीमान जी, एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ग) शेयरों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सरकार ने निश्चित किया है कि कम्पनी का प्रबन्ध लोकहित में शेयरों के विशेष हस्तांतरण की अनुमति द्वारा हानिकारी प्रभाव नहीं डालता है । कम्पनी के कार्य को जो या तो उस व्यवहार में किया जा रहा है जो कम्पनी के किन्हीं सदस्यों के ऊपर दमनात्मक पूर्ण हो या कम्पनी के हित के प्रति या लोकहित में हानिकारक हों, के निवारण की दशा में सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत 11-7-1977 में तीन वर्षों को अवधि के लिये कम्पनी के निदेशक मण्डल में 8 निदेशक पहले ही नियुक्त किये हैं ।

विवरण

26 जुलाई, 1978 को वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और बीमा कम्पनियों के शेयरधारण

जारी शेयर—4,99,914, साधारण शेयर और 1,74,246 अधिमान शेयर

	शेयरों की संख्या	
	साधारण	अधिमान
1	2	3
वित्तीय संस्थान/सरकारी		
यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया . .	54,754	13,019
अलीगढ़ इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०	15	..
उत्तर प्रदेश सरकार		1,500
राष्ट्रीयकृत बैंक		
बैंक आफ बड़ौदा .	1,140	2,016
बैंक आफ इंडिया . .	9,983	5,689
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया .	2,553	625
यूनियन बैंक आफ इंडिया .	56	5,080
स्टेट बैंक आफ इंडिया	111	10

1	2	3
देना बैंक	445	100
यूनाइटेड कार्माशियल बैंक	203	165
कनारा बैंक	64	..
बैंक ग्राफ महाराष्ट्रा	1	..
पंजाब नेशनल बैंक	364	..
इण्डियन ओवरसीज बैंक	25	..
यूनाइटेड बैंक ग्राफ इंडिया	113	..
	15,058	13,685
इन्शोरेंन्स कम्पनियां		
ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड . . .	1,890	4,140
यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड	18,175	..
जनरल इन्शोरेंस कारपोरेशन ग्राफ इंडिया . . .	14,430	3,744
नेशनल इन्शोरेन्स कम्पनी	9,260	..
न्यू इंडिया इन्शोरेन्स कम्पनी	..	9,100
	43,755	16,984
सरकारी वित्तीय संस्थान/सरकार द्वारा कुछ शेयर . . .	1,13,572	45,188
प्रतिशत	22.85%	25.95%

अर्थात बलिया समूह* की कुल इक्विटी और अधिमान पूंजी (26-7-78 को) बलिया समूह* के शेयरधारण (26-7-78 तक)

आज की तारीख को बलिया द्वारा धारित	68,853	..
निरस्त शेयर—(विषय बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष है) . .	16,424	20,350
बलिया समूह के संबंध में अन्य निरस्तीकरण	33,202	40
गलिया समूह के अन्य (शेयरधारण) किन्तु जिनके बाद के हस्तांतरण निरस्त कर दिये गए हैं	7,707	140
योग .	1,26,186	20,530
प्रतिशत	25.24%	17.78%
(कुल साम्य और अधिमान पूंजी का 21.76%)		
कपाड़िया समूह के शेयर धारण . . .	3,684 (0.74%)	32,657 (18.74%

आशय से बलियाओं के शेयरधारण प्रगट होना प्रगट होता है ना कि विरलाओं का

टिप्पणी—मोदी और अन्य भारी शेयर धारण नहीं करते हैं ।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लि० द्वारा लिये गये गैर-सरकारी आवास का किराया लिया जाना

3173. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** राजधानी में "इंडियन ड्रग्स" एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा राजधानी में आवास किराये पर लिये जाने के बारे में 15 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा ईस्ट आफ कैलाश कम्यूनिटी सेन्टर में गैर-सरकारी इमारत को किराये पर लेने के लिये किराये 80,000 रुपये की अग्रिम राशि देने का क्या औचित्य है जबकि 30 करोड़ रुपये से अधिक घाटे में जा रही है ;

(ख) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० ने वाणिज्यिक उद्योग समूह में दिल्ली विकास प्राधिकरण की इमारत को प्राथमिकता न देकर इस इमारत का चयन किस प्रकार किया ।

(ग) क्या यह भी सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स इन इमारतों को किराये पर देने के मामलों में मकान मालिकों से सांठ-गांठ कर रही है और यदि हां, तो क्या वह इन सब मामलों की जांच करवायेंगे, और

(घ) क्या वह इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अब बनने वाले उद्योग समूह में इमारत लेने अथवा अपने कार्यालय राजधानी से बाहर स्थानान्तरित कर खर्च में कमी करने और अपने घाटे को कम करने के बारे में निदेश देंगे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) रीजनल विक्रय कार्यालय के दिल्ली में स्टाफ और स्टोर के लिये आई डी पी एल ने फरवरी, 1976 में 5480 वर्गफुट जगह किराये पर ली थी । छः महीने का अग्रिम किराया 88,776 रुपये जगह के मालिक को इस शर्त पर दिये थे कि मालिक किराये का 50% इस अग्रिम राशि में समयोजित किया जायेगा । दी गई अग्रिम राशि का फरवरी, 1977 तक पूर्ण समायोजन किया जा चुका था ।

दिल्ली डिपो का विक्रय 1974-75 में 125.85 लाख रुपये बढ़कर 1977-78 में 293.90 लाख हो गया था जिस कारण अधिक जगह की आवश्यकता थी । अतः यह जगह किराये पर लेना अनिवार्य हो गया था । दिल्ली में निर्माण लागत बहुत अधिक होने के कारण भारी अग्रिम राशि की मांग से बचना कठिन हो गया है । अतः कार्यालय के लिये उचित जगह उचित दर पर लेने के लिए अग्रिम राशि का देना आवश्यक हो जाता है जैसा कि इस मामले में हुआ, नहीं तो कम्पनी को अधिक किराया देना पड़ता है जो कि आवर्ती व्यय है ।

1974-75 से लेकर आई डी पी एल मुनाफा कमा रहा है और 1975-76 तथा 1976-77 में मूल्यह्रास और ब्याज के पश्चात् उसका शुद्ध लाभ क्रमशः 3.55 करोड़ रुपये और 4.11 करोड़ रुपये था ।

(ख) सम्बन्धित बिल्डिंग का चयन उचित किराये पर अधिकतम उचित समझा गया था । इसका किराया प्रतिफुट 2.55 रुपये बैठता है और इस पर प्रतिफुट 15 पैसे लिफ्ट, चौकीदार, टैलीफोन की तारों आदि जैसी आम सेवाओं के लिए है । इसके विपरीत डी डी ए के भवनों का किराया प्रतिफुट 4 रुपये से 5 रुपये के बीच है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) आई डी पी एल अपना केन्द्रीय कार्यालय तथा मार्केटिंग प्रभाग शीघ्र ही अपने गुड़गांव स्थल पर ले जायेंगे जहां नये भवनों का निर्माण किया जा रहा है, और उन्हें डी डी ए के व्यापारिक कम्पलक्स में या दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर जगह लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

पेट्रोल पंपों में ग्राहकों के लिये सेवायें

3174. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी निःशुल्क सेवायें कौन-कौन सी हैं जिन्हें ग्राहक पेट्रोल पंपों से पाने के हकदार हैं ;

(ख) क्या ये सेवायें सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ये सेवायें अच्छे स्तर की हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तेल कम्पनियों और डीलरों के बीच किए गए करारों से पानी, हवा, टायलेट और प्राथमिक चिकित्सा के किटों की व्यवस्था जरूरी नहीं हो जाती। फिर भी, इंडियन आयल कार्पोरेशन के सम्बन्ध में करार में अनुबंध है कि पेट्रोल पम्पों पर डीलरों को हवा की सुविधाएं देनी होंगी। परम्परागत रूप से ये सुविधाएं जहां उपलब्ध हैं वहां डीलरों द्वारा ये सेवाएं मुफ्त दी जाती हैं।

(ख) पानी और हवा की सुविधाएं अधिकतर पेट्रोल पम्पों पर प्रदान की जाती हैं। कुल मिलाकर टायलेट और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित प्रमुख पेट्रोल पम्पों पर और उन स्टेशनों पर प्रदान की जाती हैं जहां ये सेवा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) पेट्रोल पम्पों पर दी जाने वाली सुविधाएं आम तौर पर संतोषजनक हैं।

Insecticides Factory, Niwari, M.P.

3175 **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister **of Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a factory was set up by the Eastern Mineral near Niwari Station in Tikamgarh district in Madhya Pradesh for the manufacture of insecticices about two years ago; and

(b) if so, the reasons why licence for the manufacture of insecticides has not been granted so far and when the licence will soon be granted with a view to provide employment to unemployed workers ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) and (b) Government of India are not aware of the setting up of an insecticide plant by Eastern Mineral near Niwari in Tikamgarh District of Madhya Pradesh in the organised sector, nor has any application been received from this party for the grant of an industrial licence for the manufacture of insecticides so far.

Licensing in respect of units in the small scale sector is done by the State Governments.

"न्यू लाइसेंसज—बिरलाज टाप लिस्ट" शीर्षक समाचार

3176. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 अप्रैल, 1978 के 'इकोनोमिक टाइम्स' नई दिल्ली में "न्यू लाइसेंसज–बिरलाज टाप लिस्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां तो जुलाई से दिसम्बर 1977 की अवधि के दौरान प्रत्येक व्यापार गृह को दिये गये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण)

(क) हां श्री मान जी ।

(ख) **लाइसेंस उद्योग (विकास एवं विनियम)** अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्रेषित किये जाते हैं, जिसका प्रशासन औद्योगिक विकास विभाग द्वारा किया जाता है । संभवतः माननीय सदस्य द्वारा वांछित सूचना एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुमोदनों के बारे में है । जुलाई 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के मध्य कथित अधिनियम की धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत सारवान विस्तार तथा नवीन उपक्रमों की स्थापनार्थ 29 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये थे । इन 29 प्रस्तावों के ब्यौरे उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 1978 को लोक सभा में उत्तर में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 560 के उत्तर में पहले ही भेजे जा चुके हैं ।

चीफ क्लर्कों के रूप में पदोन्नति

3177. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य जातियों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिन्हें दक्षिण रेलवे के सिगनल तथा टेलीकम्यूनिकेशन विभाग में 1971 से तीन वर्षों में तदर्थ पदोन्नतियां दी गईं तथा उस कार्यालय आदेश का क्रमांक और तिथि क्या है जिसमें तदर्थ पदोन्नतियां के आदेश दिये गये ;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कौन-कौन कर्मचारी किस तिथि से सिगनल तथा टेलीकम्यूनिकेशन विभाग में पिछले तीन वर्ष से हैड क्लर्क के रूप में कार्य कर रहे हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिन्हें बोर्ड के पत्न सं० ई (एस सी टी) 68 सी एम 15/12 दिनांक 11-11-68 के अनुसार सिगनल तथा टेलीकम्यूनिकेशन विभाग में तदर्थ पदोन्नति का प्रस्ताव किया गया तथा वह कार्यालय आदेश कौन सा है जिसमें पिछले तीन वर्षों में तदर्थ पदोन्नतियों के आदेश दिये गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

विवरण

भाग क

कर्मचारी का नाम	क्या अ० जा०/अ० ज० जा० अथवा सामान्य जातियों का है ?	कार्यालय आदेश संख्या
1	2	3
श्री जे० ए० जार्ज . .	सामान्य	का० आ० सं० 3/75 (सिगनल्स) दिनांक 9-1-75 और 59/75 (सिगनल्स) दि० 16-4-75

1	2	3
श्री एम० कृष्णास्वामी . .	सामान्य	का० आ० सं० 155/76 (सिगनल्स) दिनांक 25-8-76
श्री एन० एस० अरुणाचलम	अनु० जाति	का० आ० सं० 197/76 (सिगनल्स) दिनांक 9-11-76
श्री एम० कृष्णास्वामी .	सामान्य	का० आ० सं० 17/77 (सिगनल्स) दिनांक 28-1-77
श्री एम० कृष्णास्वामी . .	सामान्य	का० आ० सं० 71/77 (सिगनल्स) दिनांक 13-5-77
श्री टी० वाई० नारायण . .	अनु० जनजाति	का० आ० सं० 118/77 (सिगनल्स) दिनांक 18-8-77
श्री एम० कृष्णास्वामी .	सामान्य	का० आ० सं० 57/78 (सिगनल्स) दिनांक 22-4-78

भाग–ख

नाम	क्या अ० जाति या अनु० जनजाति का है	किस तारीख से मुख्य लिपिक के रूप में काम कर रहा है
श्री एम० कुप्पु स्वामी	अनु० जाति	26-3-71
श्री सी० पुनैय्या .	,,	31-3-74
श्री एन० एस० अरुणाचलम	,,	18-9-74
श्री वी० एम० कृष्णन्	,,	24-1-77
श्री के० भास्करन	,,	31-1-77

भाग–ग

नाम	क्या अनु० जाति या अनु० जनजाति का है	कार्यालय आदेश संख्या और तारीख
1	2	3
श्री एन० एस० अरुणाचलम	अनु० जाति	का० आ० सं० 197/76 (सिगनल्स) दिनांक 9-11-76: 5-10-76 से 15-12-76 तक बीमारी की छुट्टी पर गये कार्यालय अधीक्षक के स्थान पर।

1	2	3
श्री टी० वाई० नारायण	अनु० जनजाति	का० आ० सं० 118/77 (सिगनल्स) दिनांक 18-8-77 प्रवरण होने तक एक वर्तमान नियमित रिक्त स्थान में 18-8-77 से 19-12-77 तक तदर्थ रूप में पदोन्नत। तत्पश्चात् वह एक नये सृजित पद पर मं० सि० दू० सं० ई० (निर्माण)/गुन्त-कल्ल में पदासीन कर दिया गया और यह नियुक्ति 20-12-77 से का० आ० सं० 32/76 (सिगनल्स) दि० 7-3-78 द्वारा विनियमित कर दी गयी।

इन्सुलीन (जीवन रक्षक औषधि) की कमी

3178. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में इंसुलीन जो एक जीवन रक्षक औषधि है की कुछ किस्मों की अत्यधिक कमी है जिससे मधुमेह के रोगियों को भारी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार स्थिति को सुधारने के लिये शीघ्र कार्यवाही कर रही हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल के औषध नियंत्रण प्रशासन की निदेशक द्वारा अप्रैल से जून 1978 को भेजी गई रिपोर्टों में इन्सयूनीन की कोई कमी नहीं दिखाई गई थी तथापि हाल ही में रसायन और उर्वरक विभाग द्वारा विशेष रूप से पूछताछ करने के उत्तर में पश्चिम बंगाल के औषध नियंत्रण प्रशासन के निदेशक ने इन्सयूलीन लेन्टे की मारजिनल कमी की रिपोर्ट की है।

इस मामला के सरकार के ध्यान में आने के पश्चात् इसे शीघ्र ही मैसर्स बूट्स कम्पनी (आई) लि० के साथ उठाया गया था कम्पनी द्वारा रिपोर्ट की गई है कि जनवरी से जून 1978 के बीच वर्ष 1977 में उसी अवधि के दौरान उन्होंने इन्सयूलीन की 54.475 शीशियों की तुलना में 69,334 शीशियां सप्लाई की थीं। इन सप्लाई में 1977 में उसी अवधि के दौरान 12.528 शीशियों की सप्लाई की तुलना में जनवरी से जून 1978 के दौरान की गई इन्सूलीन लेन्टे 40 × 10 मिलीलिटर की 11,915 शीशियों की सप्लाई शामिल है। कम्पनी ने यह भी रिपोर्ट की है कि बताई गई कमियों को ध्यान में रखते हुए वे पश्चिम बंगाल में आगे और सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। इन्सूलीन लेन्टे की सप्लाई की कमी को ध्यान में रखते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल में इन्सयूलीन लेन्टे की सप्लाई को बढ़ाने के लिए कहा गया है।

तालचर और पारादीप में उर्वरक कारखाना

3180. **श्री गणनाथ प्रधान :**

श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचर उड़ीसा में उर्वरक कारखाने में उत्पादन कब से आरम्भ हो जाएगा ;

(ख) उस कारखाने में उर्वरक का प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में उत्पादन होगा ;

(ग) इसका मूल अनुमान तथा अब तक का पुनरीक्षित अनुमान क्या है ;

(घ) क्या पारादीप उड़ीसा में उर्वरक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव हैं ; और

(ङ) यदि हां तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) तलचर उर्वरक प्लांट से प्रति वर्ष 4,95,000 मी० टन यूरिया उत्पादन करने का डिजाइन बनाया गया था और इससे 1979 के शुरू में परीक्षण उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है। शुरू-शुरू में प्रायोजना की अनुमानित लागत 70.49 करोड़ रुपये थी । और पुनरीक्षित अनुमानित लागत 184.76 करोड़ रुपये है ।

(घ) और (ङ) पारादीप में एक फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है । इस प्लांट के लिये एक प्रारम्भिक सम्भावी रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें कम्पलैक्स फर्टिलाईजर्स के रूप में 3 लाख मीटरिक टन पी$_2$ ओ$_5$ का निर्माण शामिल है ।

अनाज कोयले आदि के लाने ले जाने के लिए रेल माल-डिब्बों की मांगें

3181. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री एस० आर० दामाणी :

श्री गंगा भक्त सिंह :

श्री राम सेवक हजारी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनाजों के उर्वरकों और कोयले आदि की ढुलाई के लिए रेल के माल डिब्बों की बहुत अधिक मांग है ;

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने में सरकार समर्थ क्यों नहीं है ;

(ग) भारत में माल डिब्बों की कुल कितनी कमी है; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारारण) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) कुल मिलाकर, रेलें अनिवार्य यातायात की मांग को पूरा करने में समर्थ रही हैं । माल-डिब्बों की सप्लाई में होने वाली कमी के मामलों को तुरन्त निपटाया जाता है और सभी संभव उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं । लदान में वृद्धि करने के लिए माल-डिब्बों की उपलब्धता में सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें अतिरिक्त माल-डिब्बों की खरीद, नये रेल इंजनों का उत्पादन तथा थोक उपभोक्ताओं के लिए बन्द सर्किट के संचालन की व्यवस्था करना शामिल हैं ।

एल०पी०जी० की कमी और उसका वितरण

3182. **श्री एस० आर० दामाणी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुत से कस्बों में एल० पी० जी० कुकिंग गैस की वर्तमान कमी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि ग्राहकों को गैस लेने के लिए कई सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और नये कनेक्शन के लिये प्रीमियम वसूल किया जाता है; और

(ग) एल० पी० जी० का उत्पादन बढ़ाने और समूचे देश में उसके समान वितरण तथा वितरकों द्वारा किये जाने वाले कदाचारों की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग)

जबकि तरल पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने वाली गैस) की उपलब्धता वर्तमान ग्राहकों की भरे हुए सिलेन्डरों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है परन्तु तेल कम्पनियों के विक्रेताओं के पास बड़ी प्रतीक्षा सूचियों को विचार में रखते हुए इसकी (गैस की) काफी मांग की अभी पूर्ति की जानी है।

किसी-किसी समय शोधनशालाओं में उत्पादन कम होने तथा अन्य आकस्मिक कारणों से तरल पेट्रोलियम गैस की अस्थायी कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए वैकल्पिक साधनों से गैस भेजी जाती है।

इस संबंध में पहले से ही यह आदेश दिये गये हैं कि तेल कम्पनियों को बुकिंग के 24 घंटों के अन्दर गैस के भरे हुए सिलेन्डरों की सप्लाई करनी चाहिये। उपलब्धता की अस्थायी समस्याओं को छोड़कर सामान्यतः इस समय क्रम का पालन किया जाता है।

प्रतीक्षा सूची पर रखे गये व्यक्तियों को तेल कम्पनियों द्वारा गैस के नयें कनेक्शन 'पहले आओ पहले ले जाओ' के आधार पर दिये जाते हैं। नये गैस कनेक्शन के लिए प्रीमियम लिये जाने का विशिष्ट मामला मंत्रालय के शिकायत सैल के नोटिस में आया है।

1980 तक खाना पकाने वाली गैस की उपलब्धता में सुधार होने की आशा है जब निम्न सुविधाएं चालू हो जाएंगी।

(i) बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से खाना पकाने वाली गैस अलग करने की सुविधाएं;
(ii) मथुरा शोधनशाला;
(iii) बोंगाईगाव शोधनशाला का कोकर यूनिट ; तथा
(iv) कोयाली शोधनशाला में शोधन की अनुपूरक सुविधाएं।

एल० पी० जी० की बड़ी मात्रा उपरोक्त प्रकार से उपलब्ध होने पर यह संभव होगा कि 1980 से काफी संख्या में गैस के नये कनेक्शन दिये जा सकेंगे।

कुकिंग गैस एजेंसियों के कार्य पर नियमित रूप से अचानक छापे मार कर समय-समय पर तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त गैस वितरकों के खिलाफ कदाचार की शिकायतों की जांच की जाती है और औपचारिक कार्यवाही की जाती है।

अशतोधित तेल की मौके पर खरीद के लिये टेंडर

3183. **पंडित द्वारिका नाथ तिवारी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोधित तेल के उत्पादक देशों से ठेके के आधार पर अशोधित तेल की सप्लाई के अतिरिक्त इसकी मौके पर खरीद के लिये टेंडर मंगाये जाते हैं;

(ख) क्या मौके पर खरीद के लिये टेंडरों का विश्लेषण करने संबंधी कोई समिति है अथवा ऐसी खरीद भारतीय तेल निगम के चेयरमैन द्वारा ही की जाती है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम के चेयरमैन को इस प्रयोजनार्थ वर्ष में कई बार विदेशों का दौरा करना पड़ा था;

(घ) यदि हां, तो इन दौरों पर कितनी राशि खर्च हुई है और अशोधित तेल के मौके पर की गई खरीद की मात्रा क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के चेयरमैन को किसी एक अथवा अन्य कारण से काफी समय के लिये देश से बाहर रहना पड़ता है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, हां । तेल उत्पादक देशों से अशोधित तेल की सप्लाई के अलावा इंडियन आयल कार्पोरेशन ने अशोधित तेल की प्रत्यक्ष खरीद के लिए टेण्डर आमंत्रित किया । उल्लेखनीय है कि वर्ष 1978-79 में कुल 15 मि०मी० टन अशोधित तेल के आयात का अनुमान है जब कि अप्रैल-जुलाई के बीच की अवधि में अशोधित तेल की कुल प्रत्यक्ष खरीद 0.55 मि० मी० टन हुई ।

(ख) टेण्डर के प्रत्युत्तर में आये पत्रों पर इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा खरीद की आम पद्धति के अनुसार सारिणीबद्ध और मूल्यांकन किया गया जिसमें अनुमोदन से पहले वित्त प्रभाग की सहमति आवश्यक है । इन टेण्डरों का विश्लेषण करने के लिए कोई अलग समिति नहीं है । तत्पश्चात मामले को सरकार की सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया ।

(ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन के अध्यक्ष ने अशोधित तेल की प्रत्यक्ष खरीद का अंतिम निर्णय करने के लिए किसी दूसरे देश का दौरा नहीं किया है ।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं, इंडियन आयल कार्पोरेशन के अध्यक्ष ने अशोधित तेल के आयात और पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में आवश्यक परामर्श करने के लिए, सरकार के अनुमोदन से वर्ष 1977-78 के दौरान 6 बार विदेशों का दौरा किया ।

ए० पी० एक्सप्रेस में आग लगने की घटना

3184. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई 1978 में ए० पी० एक्सप्रेस में दिन में चलते समय आग लगने की बहुत बड़ी घटना होने के क्या कारण हैं जिसमें दो डिब्बे पूरी तरह से जल गये और वातानुकूलित डिब्बे को बहुत अधिक क्षति पहुंची; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दुर्घटना के कारणों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं की रोक-थाम के लिए रेलें निम्नलिखित उपाय कर रही हैं :--

(1) डिब्बों में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाये जाएं इस संबंध में यात्रियों को चेतावनी देने के लिए यात्री डिब्बों में नोटिस लगाये जाते हैं ।

(2) भाप रेल इंजनों में चिनगारी-अवरोधकों की व्यवस्था की जाती है ।

(3) जिन स्टेशनों पर लाउड स्पीकरों की सुविधा सुलभ है वहां उनके माध्यम से यात्री डिब्बों में पटाखे, आतिशबाजी और अन्य खतरनाक सामग्री न ले जायी जाए इस बारे में यात्रियों को चेतावनी के देने के लिए घोषणाएं भी की जाती हैं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की तटदूर खोज के लिए हेलीकोप्टर का उपयोग किया जाना

3185. **श्री के० रामर्मूति :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तेल की तट दूर खोज के लिये वायु सेना के सहयोग से हेलिकॉप्टर का उपयोग कर रहा है;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वायु सेना के सहयोग के अतिरिक्त कुछ विदेशी कम्पनियों के हेलीकॉप्टर भी किराये पर लिये हैं;

(ग) यदि हां, तो विदेशी कम्पनियों का नाम और ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि हां, तो किराये पर लिये गये हेलीकाप्टरों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) क्या सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारी धनराशि का भुगतान करने के बजाय अपने हेलीकाप्टर खरीदेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ) भारतीय नौ सेना और भारतीय वायु सेना के अतिरिक्त ओ० एन० जी० सी० ने निम्नलिखित विदेशी एजेन्सियों को इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाया है ।

(1) मैंसर्स ओकानागान हैलिकाप्टर लिमि०, कनाडा, 1976-77 से मई 1978 तक ।

(2) मैंसर्स सी० डी० इन्टरनैशनल लिमि०, सिंगापुर 1977-78 से आज तक ओ० एन० जी० सी० ने भारतीय पार्टियों को लगभग 4.15 करोड़ रुपये और विदेशी पार्टियों को 31-3-1978 तक 21.95 लाख रुपये का भुगतान किया है ।

(ङ) ओ० एन० जी० सी० के अपतटीय प्रचालन के लिए हैलीकाप्टर को खरीदने की बात पर विचार किया जा रहा है।

बम्बई हाई के तेल का जमा किया जाना

3186. **श्रीमती मृणाल गोरे :**
डा० बापू कालदाते :

क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में तेल का उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) वहां से कितना तेल आता है;

(ग) क्या बम्बई हाई के तेल को जमा करने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो बम्बई हाई से निकलने वाला तेल किन माध्यमों से जमा किया जाता है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) बम्बई हाई से तेल का वाणिज्यिक उत्पादन मई, 1976 से आरम्भ हो गया है। बम्बई हाई से अशोधित तेल का वर्तमान उत्पादन लगभग 80,000 बैरल प्रति दिन अर्थात् 5 मि० मि० टन प्रति वर्ष होती है।

(ग), (घ) और (ङ) अभी हाल ही में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अशोधित तेल की सप्लाई करने के लिए टैंकर शिप द्वारा भण्डारण टैंकर के साथ सिंगल बुवाय मूरिंग पद्धति का प्रयोग करना था। इस समय उत्पादित तेल, पाईपलाइन के द्वारा ट्राम्बे स्थित भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० की शोधनशाला को सीधे भेजा जा रहा है।

बम्बई हाई से एसोसिएटिड गैस का दैनिक उत्पादन

3187. **श्री हितेन्द्र देसाई :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बम्बई हाई से एसोसिएटिड गैस का प्रति दिन कितना उत्पादन होता है;

(ख) गुजरात की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसमें से कितनी गैस उपलब्ध होगी; और

(ग) बम्बई हाई से गुजरात तक पाइपलाइन कब तक बिछा दी जायेगी?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा), : (क) (ख) और (ग) इस समय बम्बई हाई से लगभग 0.8 मिलियन घन मी० प्रतिदिन गैस की औसतन मात्रा उपलब्ध है। इसमें से 0.6 मि० घन मी० प्रतिदिन गैस की सप्लाई महाराष्ट्र में टाटा पावर स्टेशन को दी जा रही है। महाराष्ट्र ट्राम्बे में राष्ट्रीय कैमिकल्ज एण्ड फर्टीलाइजर के उर्वरक संयंत्र को शीघ्र सप्लाई आरम्भ करने की आशा है।

गुजरात से बसीन तक पाईपलाइन मार्ग के लिए सम्भाव्य अध्ययन अभी हाल ही में पूरा किया गया है और ओ० एन० जी० सी० द्वारा जांच की जा रही है। ओ० एन० सी० सी० के विचारों के साथ रिपोर्ट को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने की शीघ्र आशा की जाती है। इसके पश्चात् पाईपलाईन की आर्थिकता, स्थान, पूरा होने की निर्धारित अवधि पर सरकार द्वारा समीक्षा की जायेगी।

Companies whose Managing Directors are getting more than three thousand rupees

3188. **Shri S. S. Somani :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of such Government and Private Limited Companies whose Managing Directors receive salaries more than three thousand rupees per month, besides perquisites;

(b) whether some proposal to fix maximum salary for the Managing Directors of such companies is under Government's consideration; and

(c) if so, the details thereof ?

Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) There are over 700 Government Companies and more than 38,000 private limited companies. As the number of companies involved is very large, it is not possibl eto compile and furnish this information.

(b) and (c) The revision of remuneration payable to Managing Directors of Public Limited Companies are private limited companies which are subsidiaries of public limited companies is under the consideration of Government It is not possible to give further details.

कम्पनियों के विरुद्ध परिसमापन कार्यवाही

3189. **श्री के० मालन्ना :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने कर्मा कृपा करेंगे कि:

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके बारे में वर्ष 1976 के दौरान विभाग द्वारा परिसमापन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी;

(ख) उपर्युक्त कम्पनियों में से उन कम्पनियों के नाम क्या है, जिनके बारे में उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने से परिसमापन कार्यवाही समाप्त कर दी गई है; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिनके परिसमापन मामले इस समय बम्बई अथवा राजस्थान के उच्च न्यायालयों में विचाराधीन हैं और ये मामले उक्त न्यायालयों में कब से विचाराधीन हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) कम्पनियों के परिसमापन के लिये आदेश उन उच्च-न्यायालयों द्वारा दिये जाते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में संबंधित कम्पनियों के पंजीकृत कार्यालय स्थित होते हैं, एवं परिसमापन कार्यवाहियां, शासकीय समापक द्वारा कम्पनी जज के निर्देशनों के अन्तर्गत संव्यवहारित होती है। कंपनियों के ऐच्छिक परिसमापन, संबंधित ऐच्छिक परिसमापकों द्वारा संव्यवहारित होते हैं। इस प्रकार, कम्पनी कार्य विभाग किसी परिसमापन कार्यवाही का विधायन नहीं करता।

(ख) उपरोक्त (क) की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता।

(ग) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Proposal to start a Direct Train from Rajgir to Calcutta and Delhi

†3190 **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether keeping in view the historical importance of Nalanda and Rajgir in Bihar and flow of tourist traffic to Nalanda and Rajgir from foreign countries as well as from all parts of India, the Government propose to start a direct train service Rajgir to Calcutta and Rajgir to Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : There is no proposal to run any direct train between Rajgir and Delhi and between Rajgir and Calcutta due to inadequate terminal facilities at Rajgir and strained capacity on sections enroute. However, convenient connections have been maintained at Bakhtiarpur with branch line services from Rajgir.

घरेलू गैस सिलेंडरों के नए कनेक्शन

3191. **श्री बाला सहिब विखे पाटिल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए कनेक्शन लेने के लिए ग्राहकों को वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) वर्ष 1976 की तुलना में वर्ष 1977 के अन्त तक, राज्यवार, प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ; और

(ग) क्या देश में इस गैस की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार का कोई कार्यक्रम/परियोजना है और यदि हां, तो इसको कब पूरा किया जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) देश में इस समय तरल पेट्रोलियम (खाना पकने की) गेस की वर्तमान मांग शोधनशालाओं में इस उत्पाद के वर्तमान उत्पादन पर आधारित इसकी उपलब्धता से कहीं अधिक है । अतः इसकी मांग किये जाने पर यथाशीघ्र गैस कनेक्शन प्रदान करना संभव नहीं है और तेल कम्पनियों के विक्रेताओं के पास पंजीकृत बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति गैस कनेक्शन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं । आमतौर पर वर्तमान उपभोक्ताओं को सिलेण्डर में गैस पुनः भरने से संबंधित आवश्यकताओं को पूर्णरूपेण पूरा किया जा रहा है ।

(ख) इस समय लगभग 10.5 लाख व्यक्ति पंजीकृत हैं और देश में विभिन्न तरल पेट्रोलियम (खाना पकाने की) गैस वितरकों की प्रतीक्षा सूची में गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इस समय वर्ष 1976-1977 के अन्त तक राज्यवार निलंबित आवेदन पत्रों की संख्या बता पाना संभव नहीं है ?

(ग) बम्बई हाई गैस में से खाना पकाने की गैस का उत्पादन करने के लिए विखनन यूनिट के कार्य संचालन करने, मथुरा शोधनशाला के चालू होने, बोंगाईगांव शोधनशाला के कोकर यूनिट और कोयाली शोधमशाला स्थित तेल साफ करने वाले गौण एककों के कार्य आरम्भ करने के परिणामस्वरूप जब यह उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लग जायेगा तक वर्ष 1980 से खाना पकाने की गैस की संबंधित मांग को संतोषजनक रूप से पूरा करना संभव हो जायेगा ।

बल्क औषधियों और फार्म्यूलेशनों का आयात

3192. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बल्क औषधियों एवं फार्म्यूलेशनों की वर्तमान कमी को दूर करने के लिए इनका आयात करने का विचार कर रही हैं : और

(ख) यदि हां, तो किन-किन कम्पनियों तथा देशों से तथा किन शर्तों और कीमत पर ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) 1978-79 की आयात नीति के परिशिष्ट 9 में दी गई बल्क औषधोंय का अयात केवल स्टैट केमीकल्स और फार्मस्यूटिकल्स लि० द्वारा ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता है । सम्बद्ध औषधों का वास्तविक आयात सी पी सी द्वारा चरणबद्ध तरीके से पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा सम्भव मांग तथा एक विशिष्ट वर्ष में प्रत्येक बल्क औषध के अनुमानित स्वदेशी उत्पादन को विचार में रखते हुए तैयार की गई वार्षिक आयात योजना के अनुसार किया जाता है ।

उपरोक्त आधार पर वर्ष 1978-79 के लिए औषध सी पी सी विभिन्न औषधों के आयात के लिए प्रबन्ध कर रहा है। फर्मों, देशों प्रत्येक औषध के आयात मूल्यों और शर्तों के सम्बन्ध में जानकारी देना तथा आयात योजना का विवरण देना जन हित में नहीं होगा।

केव्लाइजड बल्क औषधों में से गत कुछ महीनों में स्ट्रेपटोमाइसीन सल्फेट की कमी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसका मुख्य कारण यह था विश्व बाजार में बल्क सट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण आयातित माल के पहुंचने में विलम्ब हुआ था। सी पी सी ने बल्क स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट की काफी मात्रा विभिन्न बायलर्स को रीलीज की है जो इस औषध को उठा रहे है।

जहां तक फार्मूलेशन्स का सम्बन्ध है देश के विभिन्न भागों से समय-समय पर विशिष्ट ब्रांड के आवश्यक औषधों की कमी की रिपोर्ट मिलती रहती है। सम्बद्ध निर्माताओं से प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी औषधें तुरन्त पहुंचाने के लिए कहा जाता है।

कमी को पूरा करने के लिए औषध फार्मूलेशन्स का सरकारी खाते पर आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु 1978-79 की आयात नीति के परिशिष्ट 10 की सूची 2 में दी गई कुछ औषधें जीवन रक्षात्मक तथा केन्सर रोधी औषधों के लिए ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत स्वीकृति दी जाती है।

Reducing Voting age from 21 to 18 years

*3193. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government had committed in the election manifesto that minimum age for voting right would be reduced from 21 years to 18 years;

(b) if so, the reasons for so much delay in fulfilling that commitment, and whether the Government have changed their mind or whether there is difference of opinion in this regard;

(c) whether the leaders of opposition have been cuonsulted in this regard, if so, the names of the opposition parties which have supported it and which have opposed it; and

(d) steps proposed to be taken by Government on the suggestions made by serveral committees including Tarkunde Committee regarding election system ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) One of the points mentioned in the political charter of the Election Manifesto, 1977, of the Janata Party is that the party will introduce electoral reforms after a careful consideration of the suggestions made by various Committees including the Tarkunde Committee and, in particular, consider proposals for recall of errant legislators and for reducing election costs, as well as for reducing voting age from 21 to 18 .

(b) The question of reducing the minimum age of voting in respect of elections to the House of the People and the Legislative Assemblies of States from 21 years to 18 years is under consideration along with other proposals for electoral reforms. As the matter requires careful examination, it will take some time before a decision is reached in the matter.

(c) No, Sir.

(d) The recommendations of the various Committees, including the Tarkunde Committee, for electoral reforms are under consideration.

महत्वपूर्ण नगरों में इंडियन आयल की एजेंसियां खोलने का प्रस्ताव

3194. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**

श्री अहमद एम० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता को और अधिक गैस के कनेक्शन देने के लिए देश के महत्वपूर्ण नगरों में इंडियन आयल की एजेंसियां खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे नगरों के नाम क्या हैं तथा गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कुल कितने व्यक्तियों के नाम हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : लोक सभा में दिनांक 15-5-1978 को दिये गये वक्तव्य में जैसा कि इस बात का उल्लेख किया गया था, निर्धारित सीमा के आधार पर वर्तमान वितरण एजेंसियों का पुनर्गठन करने और देश के विभिन्न भागों में नये तीन लाख ग्राहकों को पंजीकृत करने के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त खाना पकाने की गैस का विपणन करने के लिए तेल कम्पनियां 87 नयी गैस एजेंसियां खोलेंगी । इन 87 एजेंसियों में से उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन मेरठ, आगरा, देहरादून, लखनऊ, कानपुर, रानीखेत, पौडी गढ़वाल, मुरादाबाद, जयपुर, दिल्ली, चण्डीगढ़, गोहाटी, पटना, कलकत्ता, सूरत, मद्रास, धर्मशाला और, छतरपुर में तीस नयी गैस एजेंसियां खोलेगा । देश में इण्डियन आयल कार्पोरेशन सहित तेल एजेंसियों के खाना पकाने वाली गैस के वितरकों के पास प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या लगभग 10.5 लाख होने का अनुमान है ।

उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए मानदंड और हिमाचल प्रदेश में उर्वरक संयंत्र का स्थापित किया जाना

3195. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के मानदंड क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में किन-किन स्थानों पर उर्वरक कारखाने लगाये गये हैं और प्रत्येक कारखाने की क्षमता क्या है ;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) उर्वरक परियोजना के स्थल का निर्धारण तकनीकी आर्थिक विचार के आधार पर किया जाता है, जिसमें अन्य विचारों के साथ-साथ फीड स्टाक की उपलब्धता इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की उपलब्धता मार्किट का समीप होना तथा परियोजना के आर्थिक मार्केटिंग क्षेत्र में उर्वरकों की मांग शामिल है ।

(ख) अनुबन्ध I और II पर विवरण पत्र सलंग्न है ।

(ग) (घ) और (ङ) :—इस समय हिमाचल प्रदेश में बड़े आकार का उर्वरक प्लांट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है हिमाचल प्रदेश में प्लांट की स्थापना करने का प्रश्न केवल तभी उत्पन्न होगा जब स्थल निर्धारण सम्बन्धी उपरोक्त (क) में बताये गये मानदण्ड पूरे होंगें।

विवरण — I

1975-76 से 1977-78 के दौरान चालू मुख्य उर्वरक प्लांटों की क्षमता, स्थल एवं नाम।

क्षमता 000 मी० टनों में

क्रमसं०	प्लांट का नाम	स्थल	क्षमता नाइट्रोजन	क्षमता फास्फेट
वर्ष 1975-76				
1.	आई एफ सी ओ	कौड़ला (गजरात)	215.00	127.00
2.	जौरी ऐग्रो कैमीकल्ज एण्ड फर्टि०	गोआ	—	142.00
3.	एफ ए सी टी (ऐक्सपैन्शन) उद्योग मण्डल	एल्बेई (करेला)	—	10.00
4.	एस० पी० आई सी०	टूटीकोर्न (तामिल नाडु)	258.00	—
5.	गोरखपुर (ऐक्सपैन्सन)	गोरखपुर (यू० पी०)	51.00	—
वर्ष 1976-77				
1.	नंगल	नंगल (पंजाब)	160.00	—
2.	नामरूप एक्सपैन्शन	नामरूप (आसाम)	152.00	—
3.	बारौनी	बारौनी (बिहार)	152.00	—
4.	एस० पी० आई० सी० (फास्फेटिक एसिड)	टूटीकोरिन (तमिलनाडु)	—	51.00
5.	मद्रास ऐक्सपैन्शन	मद्रास (तामिल नाडु)	12.00	31.00
6.	सी० एफ० एल० एक्सपैन्शन	विजाग (आंध्र प्रदेश)	3.00	27.00
वर्ष 1977-78				
	कौचीन फेज -II	कोचीन (केरल)	40.00	114.00

विवरण—II

परिशिष्ट—II

8-8-1978 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 3195 के उत्तर से सम्बन्धित विवरण-पत्र॥

गत तीन वर्ष के दौरान कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के विवरण

परियोजना का नाम	अनुमोदन की तिथि	स्थिति
1	2	3
1. हल्दिया	1971	यांत्रिक तौर पर जून, 1979 तक पूरा होने की सम्भावना है।

1	2	3
2. रामागुण्डम	1971	परीक्षण उत्पादन 1979 की आरम्भ होने की आशा है।
3. तलचर	1971	
4. सिन्द्री आधुनिकीकरण	1973	नियमित रूप से उत्पादन जनवरी 1979 तक आरम्भ होने की आशा है।
5. सिन्द्री सुव्यवस्थिकरण	1967	नियमित रूप से उत्पादन 1979 के अन्त तक शुरू होने की आशा है।
6. ट्राम्बे IV	1972	उत्पादन हो रहा है।
7. ट्राम्बे V	1974	1980 तक उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है।
8. भाटिण्डा	1974	1979 के आरम्भ में उत्पादन शुरू होने की आशा है।
9. पानीपत	1975	--वही--
10. नगल विस्तार	1972	उत्पादन हो रहा है।
11. एच० सी० एल० के खतरी सहकारी प्राइवेट सैक्टर—		
12. फूलपुर (आई० एफ० एफ० सी० ओ०)	औद्योगिक उत्पादन लाइसेंस 1976 में जारी किया गया	1979 से शुरू होने की आशा है।
13. बारुच जिला गुजरात में गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कं० लि०)	औद्योगिक लाइसेंस 1977 में जारी किया गया।	1980 तक पूरा होने की संभावना है।
14. काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) (नागर्जुन फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स लि०)	औद्योगिक लाइसेंस 1978 में जारी किया गया।	1981 तक पूरा होने की संभावना है।

"कलकत्ता इज फ्लोटिंग ओवर आयल"

3196. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जुलाई, 1978 के दूसरे सप्ताह के अन्त में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले "स्टेटसमैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें जानकारी दी गई है कि "कलकत्ता इज फ्लोटिंग ओवर आयल" (कलकत्ता के नीचे भारी मात्रा में तेल हैं) ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और ऐसे आशावादी समाचार के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार कलकत्ता क्षेत्र में तेल की खोज आरम्भ करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां । स्टेटसमैन कलकत्ता में 14 जलाई 1978 को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या कलकत्ता तेल पर तैर रहा है और यह कहा गया था कि ओ० एन० जी० सी० के इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का साहस किया है कि क्या कलकत्ता और उसके साथ के औद्योगिक क्षेत्र में भूमि के नीचे हाईड्रोकार्बन भंडार है ।

(ख) 1954-57 के दौरान इन्डो स्टेनवैंक पेट्रोलियम प्रायोजना द्वारा किये गये गुरुत्व सर्वेक्षण से यह देखा गया था कि कलकत्ता नगर तथा इसके आसपास क्षेत्र एक प्रमुख "ग्रेविटी हाई" पर स्थित है । ऐसे "ग्रेविटी हाई" कई बार भूमि के अन्दर संरचनाओं से संबंधित होते हैं जो कि हाईड्रोकार्बन युक्त हो सकते हैं।

(ग) और (घ) कलकत्ता नगर तथा उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्र से सुस्पष्ट गुरुत्व सर्वेक्षण 1978-79 के फिल्ड अवधि में आरम्भ करने की योजना है। यदि आवश्यक हुआ तो इस क्षेत्र में बाद में भूकम्पीय सर्वेक्षण करने का भी प्रस्ताव है ।

पंजाब मेल में बारात का लूटा जाना

3197. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 मई 1978 को दिल्ली के एक श्री खील राम कुशवाहा अपने पुत्र की बारात पंजाब मेल से ग्वालियर लेकर जा रहे थे और उसके लिये उसने गाड़ी में 40 स्थान आरक्षित कराए थे;

(ख) क्या पंजाब मेल के द्वारा प्रतिदिन शाहदरा से तुगलकाबाद लोको शेड जाने में 1500 रेल कर्मचारियों द्वारा गाड़ी में जबरदस्ती घुस जाने, यात्रियों को लूटने तथा महिलाओं को तंग करने की अनेक घटनाओं की शिकायत की गई हैं ;

(ग) क्या 4 मई 1978 को उपरोक्त कर्मचारियों ने उक्त बारात के लोगों से लगभग 50,000/- रुपये के मूल्य के आभूषण आदि, लूट लिये और 17 व्यक्तियों को जख्मी किया तथा श्री अरुण कुमार एवं नरेश कुमार नामक दो कर्मचारी भी जख्मी हुए थे और सेन्ट्रल अस्पताल के वार्ड नं० 7 में भर्ती किये गये थे: और

(घ) यदि उपरोक्त घटना घटित हुई थी तो उपरोक्त दो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और क्या इन 1500 कर्मचारियों की यात्रा के लिए एक शटल गाड़ी चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं।

(ग) बारात के लोगों के जेवरात के लूटे जाने की किसी बारदात की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । 2 रेल कर्मचारियों सहित केवल 13 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट मिली है । दोनों घायल रेल कर्मचारी केन्द्रीय रेलवे अस्पताल, दिल्ली में दाखिल किये गये थे।

(घ) नई दिल्ली रेलवे पुलिस ने बारात के एक सदस्य की शिकायत पर भा० द० सं० की धारा 147/148/308 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 109/120/126(क)/127 और 128 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है और रेल कर्मचारियों में से एक जो उसी डिब्बे में यात्रा कर रहा था द्वारा लिखायी गयी शिकायत पर भा० द० सं० की धारा 325/34 के अधीन एक जवाबी मामला भी दर्ज किया है । पुलिस की जांच-पड़ताल के निष्कर्षों की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है । इस वारदात के बारे में अधीक्षक, दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली, उपमुख्य सुरक्षा अधिकारी, नयी दिल्ली और वरिष्ठ मंडल यांत्रिक

इंजीनियर (डीजल), तुगलकाबाद द्वारा की गयी संयुक्त जांच में कुछ विकल्पों की सिफारिश की है जिससे कामगार तथा तुगलकाबाद में और उसके आस-पास काम करने वाले रेल कर्मचारियों सहित अन्य कर्मचारी अपने-अपने कार्य-स्थलों पर 8.30 बजे या पहले पहुंच सकें। इन सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

मंगलौर रेलवे स्टेशन

3198. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मंगलौर रेलवे स्टेशन के सुधार के बारे में क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) स्थान की वर्तमान कमी को देखते हुए क्या नई इमारत का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या इस बारे में कोई अनुमान तैयार किया गया है और कार्य कब तक प्रारंभ होगा और यदि उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मंगलूर रेलवे स्टेशन पर दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालयों, ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षा कक्षों, परिचालन क्षेत्र और बुकिंग संबंधी सुविधायें आदि में सुधार करने तथा, स्टेशन की इमारत में सामान्य सुधार करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) स्टेशन की नयी इमारत बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) चूंकि इस स्टेशन पर ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताये गये सुधार पर्याप्त समझे जाते हैं, अतः स्टेशन की नयी इमारत बनाना फिलहाल आवश्यक नहीं है ।

मैसर्स सैंडोज (इंडिया) द्वारा शांतिविनो का निर्माण

3199. **श्री रामदेव सिंह:** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांतिविनी का निर्माण करने के लिए मैसर्स सैण्डोज (इंडिया) लि० को कुल कितने उत्पादन की अनुमति दी गई;

(ख) सैण्डोज ने शांतिविनी का निर्माण करने के लिए कैसे आवेदन पत्र दिया और इस कंपनी को सी ओ बी लाइसेंस देने से पूर्व इसके उत्पादन का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, शांतिविनी के उत्पादन का ब्योरा क्या है और इस उत्पाद का निर्माण करने के लिए इस कम्पनी को सरकारी एजेंसी से आयातित की जाने वाली बल्क औषधियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स सेण्डोज (आई) लि० बम्बई को जुलाई 1970 की संशोधित औद्योगिक नीति के अनुसार निम्नलिखित मदों के निर्माण के लिए सी ओ बी लाइसेंस नं० एल 22/416/71-केमी० 111 दिनांक 16-7-71 दिया गया था।

1. इनटेस्टोपेन बेजिनल टेबलेट्स
2. ,, ,, सस्पेंशन

3. इनटेस्टोपेन बेजिनल कोर्ट केप्सूल्स
4. हेमेट्रीन लिक्विड
5. इनटेस्टोपेन क्यू केप्सूल्स
6. सेण्डोसाइंक्लिन केप्सूल्स
7. ऐनिपन सेण्डोज (ड्राई सीरप)
8. कोलेस्टिन टेबलेट्स केप्सूल्स
9. टोस्किन एम्पाउनस
10. टोसिकैन टेबलेट्स
11. सेनटिविनी

उपरोक्त मदों की अतिरिक्त दाक्षता को पूरा करने के लिए फार्मूलेशनों के बारे में उनको पहले ही अनुमोदित की गई सम्पूर्ण क्षमताओं से 25 प्रतिशत अधिक की सीमा के अन्दर इन मदों के निर्माण किये जाने के सिवाय, इसके अन्तर्गत आने वाली मदों के बारे में कोई क्षमता विनिर्दिष्ट नहीं की गई थी।

(ख) यद्यपि मैसर्स सेण्डोज द्वारा लिये गये प्रभावी कदमों के आधार पर उनके द्वारा सी ओ बी लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र देते समय सेंटीविनी का उत्पादन नहीं किया जा रहा था उन्होंने उसी के लिए 1970 में सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किये जाने के लिए एक आवेदन पत्र दिया।

(ग) उपलब्ध सूचना के आधार पर सेंटीविनी सिरप का उत्पादन, 1975, 1976 और 1977 के दौरान क्रमशः 630334, 581405 तथा 578767 लिटर था। डी जी टी डी यूनिटों को अलग अलग औषध फार्मूलेशनों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार केन्लाइजड बल्क औषधें रीलीज नहीं की गई हैं, अतः इस कंपनी के गत तीन वर्षों के लिए मदों, विशेषकर सेंटिविनी के निर्माण के लिए केन्लाइज बल्क औषधों के रीलीज के संबंध में कोई आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Bridge over Meerut-Baghpat Railway Crossing

†3200. **Shri Kailash Prakash:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the progress made so far in regard to the scheme for construction of a bridge over the railway crossing on the Meerut-Baghpat Road near Meerut city Station;

(b) whether Government are aware that two main lines and a connecting line for the siding are located on the said crossing, due to which the gates of that crossing often remain closed and, therefore, the vehicles have to wait for hours together there; and

(c) if there is no scheme for the construction of the said bridge as yet, the time by which such a scheme will be drawn up and work thereon taken in hand?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) The scheme of construction of a road over-bridge in replacement of the railway crossing on Meeruit city-Baghpat Road near Meerut city Railway Station is at present in preliminary stage of planning.

(b) The level crossing is situated across two main lines and a siding track. Certain amount of detention to road traffic at the level crossing is unavoidable during train movement.

(c) As the proposal is still in a preliminary stage and is dependent on the acquisition of land for the approaches by the State Govt. from the Defence Department, it is not possible to say at the present when the scheme will be finalised and the work thereon taken in hand.

Production of Fertilizers

3201. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers be pleased to state :

(a) the year-wise production of fertilizers during the last three years;

(b) the steps taken by Government to encourage production of fertilizers every year keeping in view the demand in the country;

(c) if so, whether fertilizers were imported keeping in view the demand; and

(d) if so, the quantity of imports year-wise ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The year-wise production of fertilizers in terms of nutrients during the last three years was as under :

(In lakh tonnes)

	1975-76	1976-77	1977-78
N . .	15.35	19.00	20.00
P . .	3.20	4.80	6.70

There is no indigenous production of Potash.

(b) A number of modification programmes like debottlenecking, renovation, renewals, replacements, etc. are being carried out in the operating units with a view to optimising their production efficiency. In addition, 13 large sized fertilizer projects are presently under implementation and it is proposed to take up additional projects during the Sixth Plan period in order to augment fertilizer production capacity and move towards self-sufficiency.

(c) and (d) : A statement giving details of imports of fertilizers, product-wise during the last three years is attached at Annexure-I.

Statement

Statement showing Quantities of Fertilizers imported during 1975-76 to 1977-78

(in lakh tonnes)

Commodity	1975-76	1976-77	1977-78
Urea	14.59	15.96	15.01
Ammonium Sulphate	0.93	—	0.04
Calcium Ammonium Nitrate . . .	1.95	0.05	0.14
Ammonium Sulphate Nitrate	0.10	—	—
Muriate of Potash	3.63	4.51	9.86
Sulphate of Potash	—	0.11	0.15
Di-Ammonium Phosphate	4.62	0.30	3.28
Nitro-Phosphate 20–20–0	2.44	0.35	—
Nitro-Phosphate 24–24–0	0.98	—	—
NPK 15–15–15 Complex fertilizers . . .	2.19	0.13	—
NPK 14–14–14 Complex fertilizers . . .	0.10	—	—
Nitro Phosphate 23–23–0	0.08	—	—
NPK 17–17–17 Complex fertilizers . . .	0.75	—	—
NPK 17–17–16 Complex Fertlizers . . .	0.10	—	—
NPK 13–13–20 Complex fertilizers . . .	0.02	—	—
Ammonium Phosphate 19–20–0 . . .	0.08	—	—

मिराज -हुबली मीटर लाइन को बदलना

3202. **श्री दाजीवा देसाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मिराज-हुबली मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की परियोजना विचाराधीन है: और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे रेलवे की छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) (ख) मिराज-हुबली लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है । चूंकि इस लाइन पर यातायात की आवश्यकताओं के लिए वर्तमान क्षमता पर्याप्त है और बड़ी संख्या में आमान-परिवर्तन परियोजनाओं के लिए पहले ही भारी वचनबद्धता की जा चुकी है, इसलिए इस परियोजना को छठी योजना में शामिल करना संभव नहीं होगा ।

जयपुर उद्योग लिमिटेड द्वारा भारत ओवरसीज का अधिग्रहण

3203. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर उद्योग लिमिटेड ने भारत ओवरसीज (पी०) लिमिटेड को भारी देयताओं को अपने ऊपर ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या राय है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) और (ग) स्थिति को सुनिश्चित किया जा रहा है ।

गुजरात को रेलवे सुरक्षा निधि से आबंटित राशि

3204. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल सुरक्षा निधि को प्रारंभ किये जाने से लेकर अब तक गुजरात को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ; और

(ख) उक्त विधि में से आबंटित धनराशि में से ईस राज्य में क्या सुरक्षा कार्य प्रारंभ किये गये हैं और उन कार्यों की अब तक क्या प्रगति है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 31-3-78 तक 1.54 करोड़ रुपये (लगभग) ।

(ख) वर्तमान व्यक्त समपारों के बदले ऊपरि/निचले सड़क पुलों के 9 निर्माण कार्यों और समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था/उनका दर्जा बढ़ाने के 34 मामलों के संबंध में इस निधि के उपयोग का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है । एक सूची संलग्न है जिसमें इन निर्माण-कार्यों की वर्तमान प्रगति दिखाई गई है ।

विवरण

निर्माण कार्य का नाम	वर्तमान वास्तविक प्रगति
(1) कैरा-मेहमदाबाद राज्य मार्ग पर ऊपरि सड़क पुल	कार्य पूरा हो चुका है और पुल को यातायात के लिए खोल दिया गया है।
(2) वसड-नोरसड़ धर्मज तारापुर राज्यमार्ग पर ऊपरि-सड़क पुल	,, ,,
(3) पालनपुर-डीमा सड़क पर ऊपरि सड़क पुल	,, ,,
(4) बरोड-पाद्रा-जम्बूसर रोड पर ऊपरि सड़क पुल	,, ,,
(5) राजकोट-भावनगर राज्यमार्ग परढासा में किलोमीटर नं० 104/2.4 पर ऊपरि सड़क पुल	,, ,,
(6) बलसाड़-समपार सं० 98 के बदले ऊपरि सड़क पुल की व्यवस्था	राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क के दिक परिवर्तन का काम किया जा रहा है। ऊपरि-पुल की पाइल नीच के लिए ठेका दे दिया गया है। जैसे ही राज्य सरकार द्वारा समपार का स्थान परिवर्तन कर दिया जायेगा और डाइवर्शन पर आना-जाना शुरू हो जायेगा, इस निर्माण कार्य को आरंभ कर दिया जायेगा।
(7) अंकेलश्वर-समपार सं० 172 के बदले ऊपरि सड़क पुल की व्यवस्था	मुख्य पुल की उप-संरचना और नीव का डिजाइन और नक्शों को अंतिम रूप दे दिया गया है। और उनके टेंडरों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। वर्तमान समपार से होकर जाती हुई सड़क का राज्य सरकार द्वारा दिक परिवर्तन कर दिये जाने के बाद, इस ऊपरि पुल का काम शुरू कर दिया जायेगा।
(8) आनंद-समपार सं० 260 के बदले एक ऊपरि सड़क पुल की व्यवस्था	नक्शों और अनुमानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
(9) राजकोट-राजकोट भक्तिनगर के बीच समपार सं० 3 के बदले एक ऊपरि सड़क पुल की व्यवस्था	ऊपरि पुल के लिए टेंडरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सड़क का दिक परिवर्तन पूरा कर लिये जाने के बाद इस काम को शुरू किया जायेगा।

2. 10 समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था और 5 समपारों का दर्जा बढ़ाने का काम पूरा कर दिया गया है। 19 समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था की जा रही है और आशा है कि यह काम जल्दी ही पूरा हो जायेगा।

29 LSS/78—6

Per Day drilling of Oil in Barrels in Bombay High

3205. **Shri Y. P. Shastri** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that per day drilling of oil in barrels in the Bombay High in April, May and June, 1978 is less as compared to the per day drilling of oil in 1977 and if so, the per day quantity of oil in barrels drilled in April, May and June, 1977 and also in the corresponding months in 1978 and the reasons for this short-fall and whether any inquiry has been conducted into this matter; and

(b) whether work of drilling oil wells in the Bay of Bengal is also likely to be taken up during the current year ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The average daily production of crude oil from Bombay High during the months of April, May and June for the years 1977 and 1978 is as under :

	Quantity in barrels Months		
Year	April	May	June
1977 .	18327	29646	12279
1978	3952	26976	37596

During the period 4th April to 19th May 1978 production was stopped for making connection to Platform 'F' and testing of the trunk pipelines. Further, before commissioning the trunk pipelines, due to rough weather, the tanker could not be moored to the Single Buoy Mooring for 13 days during the period 19th May to 30th June and there was no production during these days.

However, total production during April to June 1978 was 2.08 million barrels as agains 1.84 million barrels during the corresponding period in 1977.

(b) The offshore seismic data relating to Mahanadi basin is being processed at present and depending on its evaluation, exploratory drilling in this area may be taken up early next year.

हुबली में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के बारे में कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव

3206. **श्री राजशेखर कोलूर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के बारे में कर्नाटक सरकार तथा कर्नाटक के विधि निकायों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायपीठ हुबली में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ धारवाड़ में स्थापित करने के लिए फरवरी, 1976 में धारवाड़ के बार एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) भारत सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

फाजिल्का से दिल्ली मेल गाड़ी में डिब्बा जोड़ने के बारे में ज्ञापन

3207. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फाजिल्का (पंजाब) के एक प्रतिनिध मंडल ने इस वर्ष बजट सत्र के दौरान उनसे भेंट की थी और फाजिल्का से दिल्ली मेल गाड़ी में पुनः डिब्बा जोड़ने के बारे में जो कुछ समय पूर्व लगाया जाना बन्द कर दिया गया था और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) फिरोजपुर में 37 अप/1 एफ एफ और 8 एफ एफ /38 डाउन गाड़ियों में समय का अन्तर पर्याप्त न होने के कारण बम्बई वी० टी० फाजिल्का यात्री डिब्बे को फिर से चलाना व्यावहारिक नहीं है।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औषध एककों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना

3208. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत औषध उत्पादन एककों को दिये गये पंजीकरण प्रमाणपत्रों का व्योरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों में पंजीकरण प्रमाण पत्रों के अन्तर्गत इन कम्पनियों द्वारा किये गये उत्पादन के आधार क्या हैं तथा नाम पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये जाने के समय मूल्य सूची में दिये गये मूल्यों तथा आज के मूल्यों के बारे में पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1972 की नीति के अन्तर्गत उत्पादन-वार और कम्पनी-वार, विभिन्न कम्पनियों के लिये मंजूर की गई क्षमताओं के अधिकाधिक उपयोग के बारे में ब्यौया क्या है तथा उन आवेदकों और प्रत्येक कम्पनी के उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिनके अधिकाधिक उपयोग के बारे में दिये गये आवेदन-पत्र नामंजूर कर दिये गये तथा उन्हें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के किन उपबन्धों के अधिन नामंजूर किया गया ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 जो कि 8 मई 1952 से लागू हुआ था की धारा 10 के अनुसार प्रत्येक मौजूदा उपक्रम को निर्धारित अवधि के अन्दर अपने को रजिस्टर (पंजीकृत) कराना होगा।

जैसा कि नियम के अन्तर्गत निर्धारित है, एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी औषध निर्माण फर्मों को औषध एवं फार्मेस्यूटिकल्स के निर्माण के लिए जारी किया गया था। पंजीकरण प्रमाण पत्र में किसी मद का व्यक्तिगत रूप से नाम विनिर्दिष्ट नहीं था। चूंकि पंजीकरण प्रमाण-पत्र 1950 से 1959 के बीच जारी किये गये थे, मांगे गये अन्य ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

तथापि, नई औषध नीति के अनुसार औषध निर्माण करने वाली यूनिटों को समेकित औद्योगिक लाइसेंस देने से पूर्व सभी सम्बन्धी ब्यौरे प्राप्त करने होंगे तथा सभी कार्यकलापों की संवीक्षा करनी होगी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

Arrangement to Clean Coaches of Trains

3210. **Shri Ganga Bhakt Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that due to the negligence of Class IV employees of the Railways, the coaches of several trains are not cleaned and it leads to breeding of mosquitos and bed-bugs in the compartments which causes inconvenience to the passengers; and

(b) whether some steps have been taken to improve situation ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) All Primary and Secondary Maintenance Stations have adequate servicing staff for the proper maintenance of based rakes. The compartments and lavatories of all carriages, including second class, of Mail, Express and Passenger trains are thoroughly washed, cleaned and disinsected by insecticides, to avoid breeding of mosquitoes and bed-bugs in the Washing and Maintenance Lines before being brought on to the Platforms. The compartments and lavatories are also cleaned and disinfected at stations en-route. In addition to this, trvelling Safaiwalas have also been provided on certain long-distance trains to attend to the compartments and lavatories during the run. There may be some cases of delinquency on the part of staff. All such cases are suitably dealt with on merits.

(b) Suitable steps, wherever found necessary, are taken to further improve the maintenance/cleanliness of coaches. If any public complaint is received on these aspects, suitable disciplinary action is taken against the staff concerned. Difficulties arise due to overcrowding at times.

नार्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन से प्राप्त पत्र

3211. **श्री शरद यादव** : क्या रेल मंत्री नार्दर्न रेलवेमैन्स यूनियन से प्राप्त पत्र के बारे में 28 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 4546 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) यह मामला अभी विचाराधीन है ।

लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान आयु का घटाया जाना

3212. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचनों के लिए मतदाता की आयु 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) इस विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निर्वाचन संबंधी सुधारों के लिए अन्य प्रस्तावों के साथ ही इस प्रस्ताव पर भी अभी विचार किया जा रहा है। इस विषय पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है, अतः इस विषय में कोई निर्णय लेने में अभी कुछ और समय लगेगा।

बल्क औषधियों तथा फार्मूलेशन की कमी

3213. **श्री जी० वाई कृष्णन**: क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह कहा है कि वल्क औषधियों तथा फार्मुलेशनों की कमी की उसको सूचना दी जाये जिससे केन्द्र सरकार शीघ्र एवं प्रभावी उपचारी कार्रवाई कर सके; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, हां। पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा संघ शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को 27 जून, 1978 को एक पत्र भेजा है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि बल्क औषधों तथा फार्मुलेशनों की कमी शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार को सूचित करें ताकि समय पर आवश्यक औपचारिक कार्रवाई की जाये।

(ख) जबकि कुछ राज्य सरकारों ने अपने उत्तर में यह कहा है कि राज्य सरकार के सम्बद्ध संगठन औषध उपलब्धता मोनीटर करेंगे और यदि कोई कमी हुई तो केन्द्रीय सरकार को सूचित करेंगे, परन्तु अन्य राज्य सरकारों का उत्तर अभी प्राप्त होना है।

दैनिक यात्री संघ से छत्तीसगढ़ एसक्सप्रैस को रोकने के बारे में अभ्यावेदन

3214. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दैनिक यात्री संघ, मथुरा तथा आगरा से बार-बार इस बारे में अभ्यावेदन मिले हैं कि न्यायालय तथा कार्यालयों को जाने वाली जनता की सुविधा के लिये 138 अप छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस को राजा की मंडी पर रोकने तथा 17डाउन जनता एक्सप्रैस और इस गाड़ी के टाईम में थोड़ी सी रद्दो बदल करने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मांग को पूरा करने के लिये उन पर कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार किसी अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक दृष्टि से इस सुझाव को व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(ग) जी नहीं।

कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेल की सम्भावना

3215. **श्री चित बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पूर्वो क्षेत्रीय कार्यालय हाल ही में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कलकत्ता और उनके आसपास के क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण बिन्दु (ग्रविटी हाई) पर स्थित है;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में तेल की क्या सम्भावनायें हैं;

(ग) क्या तेल की खोज के लिये इस बीच कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। इन्डो-स्टेनवाक पैट्रोलियम प्रोजेक्ट द्वारा पश्चिम बंगाल बेसिन में वर्ष 1954--57 की अवधि में किये गये घनत्व सर्वेक्षणों में इस बात का संकेत मिला था कि कलकत्ता तथा उसके आसपास के क्षेत्र प्रख्यात गुरुत्व ऊंचाई पर स्थित है।

(ख) भूमि की सतह के अन्दर की संरचनाओं से सम्बद्ध कभी-कभी गुरुत्व उंचाइयों से वहां की हाईड्रोकार्बन के मिलने की संभावना हो सकती है, परन्तु कुछ मामलों में इस प्रकार की गुरुत्व ऊंचाइयों को किसी प्रकार की संरचनाओं के साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। अतः गुरुत्व ऊंचाइयों वाले क्षेत्र में भूमि-सतह की अन्दरूनी संरचनाओं के होने की बात की पुष्टि करने के लिये अन्य भू-भौतिकीय सर्वेक्षण विशेषकर भू-कम्पीय सर्वेक्षण करना एक औपचारिक अन्वेषणी प्रथा है। अतः कलकत्ता तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में तेल संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिये अधिक भू-भौतिकीय सर्वेक्षण करने जरूरी होंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) कलकत्ता नगर तथा आस-पास के औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 1978-79 के फील्ड कार्य करने वाले मौसम में सूक्ष्म गुरुत्व सर्वेक्षण आरम्भ हो जायेंगे। बाद में इस क्षेत्र में, यदि जरूरी हुआ तो, भू-कम्पीय सर्वेक्षण आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

भारतीय तेल निगम के रिफाइनरी डिविजन के दिल्ली कार्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पद

3216. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के रिफाइनरी डिवीजन के दिल्ली कार्यालय में जून, 1977 से मार्च, 1978 तक की अवधि में भर्ती तथा विभागीय पदोन्नतियों के मामलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये अराक्षित पदों में आरक्षण समाप्त किये गये पदों की संख्या कितनी है;

(ख) पदों का आरक्षण समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम के चेयरमैन को संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिसमें पदों का आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया गया था; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाई की गई है ?

पेट्रोलियम रसायन, और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) भर्ती के लिये जून, 1977 से मार्च, 1978 की अवधि के बीच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये सुरक्षित पदों में से कोई भी पद असुरक्षित नहीं किया गया था। फिर भी, विभागीय पदोन्नति के लिये सुरक्षित सम्प्रदायों के विभागीय उम्मीदवारों के न मिलने/अपात्र होने से 14 पद असुरक्षित रखे गये। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति द्वारा जारी सैद्धांतिक निर्देशों में निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुरूप सुरक्षित पदों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

(ग) जी हां। इस विषय में माननीय सदस्य श्री आर० एल० कुरील से दिनांक 19 मई, 1978 को इंडियन आयल कार्पोरेशन के अध्यक्ष को एक पत्र प्राप्त हुआ है।

(घ) इस समय यह इंडियन आयल कार्पोरेशन के विचाराधीन है।

त्रिवेन्द्रम रेलवे डिवीजन

3217. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में त्रिवेंद्रम रेलवे डिवीजन बनाने में, जिसके लिये मंत्री महोदय सहमत हो चुके हैं, असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) नया डिवीजन कब तक खोले जाने की आशा की जा सकती है;

(ग) क्या इस नए डिवीजन को खोलने लिये रेल मंत्रालय ने जो शर्तें रखी थीं राज्य सरकार ने उन्हें पूरा नहीं किया है;

(घ) क्या मंत्री महोदय ने केरल के मुख्य मंत्री से त्रिवेंद्रम डिवीजन बनने के पश्चात् ओलावाकोड डिवीजन के क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों को तय करने के लिये सभी सम्बन्धित लोगों का सम्मेलन बुलाने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सुझाव के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) दक्षिण रेलवे में एक नया मंडल कार्यालय जिसका मुख्यालय तिरूवनन्तपुरम में हो, बनाने के निर्णय की घोषणा कर देने के बाद नार्थ मालाबार, कोचीन और ओलवक्कोड क्षेत्रों के विभिन्न हितों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें वर्तमान ओलवक्कोड मंडल के मंगलूर एर्नाकुलम खंड को नये प्रस्तावित मंडल में मिलाने का जोरदार विरोध किया गया था। प्रस्तावित मंडल को तिरुवनन्तपुरम से केवल शोराणूर तक ही सीमित रखकर इन महत्वपूर्ण भावनाओं का आदर किया गया था। लेकिन चूंकि इन विकल्प से मार्ग किलोमीटर में काफी कमी हो गयी और प्रस्तावित नया मंडल अर्थक्षम न रहा इसलिए प्रथम कदम के रूप में यह फैसला किया गया कि तिरुवनन्तपुरम में परिवहन मंडल का ही गठन किया जाये और बाद में यथा समय इसे पूर्ण रुपेण मंडल के रूप में विकसित किया जाये।

दुर्भाग्यवश उपर्युक्त योजना भी लोकप्रिय न हुई। राज्य सरकार ने भी घोषणा कर की यदि तिरुवनन्तपुरम में एक पूर्णरुपेण मंडल नहीं बनाया जाता तो वह निःशुल्क भूमि न दे पायेगी जैसा कि पहले वचन दिया गया था।

परिवर्तित परिस्थितियों में केरल के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया गया है कि सम्बन्धित क्षेत्र की सभी पार्टियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाये और कोई मान्य हल ढूंढा जाये ताकि मामले में आगे कार्रवाई की जा सके। ऐसा विचार-विमर्श हो जाने में अभी तक कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ है।

तिरूचेन्दूर के विशाल रेतीले क्षेत्रों में लौह आयरन आक्साइड

3218. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले के तिरुचेन्दूर तालुक के विशाल रेतीले क्षेत्रों की भूमि में लोह आयरन आक्साइड है जिसका उपयोग रंग उद्योग में किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी छानबीन करेगी और उपलब्ध सामग्री के स्तर में सुधार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी जिससे स्थानीय उद्यमकर्ताओं को रंग उद्योग के लिये एकक स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Replacement of Coaches of Chhattisgarh Express

†3219. **Shri Kacharulal Hemraj Jain :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the date on which the Chhattisgarh Express, the only train comming fom Madhya Pradesh to Delhi, was started and the year-wise details of income accrued therefrom;

(b) whether keeping in view of the importance of this train income accrued therefrom the Ministry are considering to replace the coaches of this train by super train coaches; and

(c) if so, the time by which it will be done and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Chhatisgarh Express was introduced on 1-11-75 between Raipur and Bhopal. This train was extended to Bilaspur from 26-1-76 and to Nizamuddin from 16-2-1977. No separte data of income/expenditure individual train-wise is maintained.

(b) and (c) The coaches provided on these trains are similar to those provided on other Mail/Express trains.

Rail Tonnage Required for Conversion of Muzaffarpur-Barabanki MG into BG

3220. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Railways** pleased to state :

(a) the quantity of rails in tonnes which would be required for converting Muzaffarpur–Barabanki metre gauge line into broad gauge;

(b) the quantity for which order has been placed;

(c) the number of wooden sleepers required and the arrangement made for the supply of the same;

(d) whether the said railway line would be ready by January, 1980 in case of the said material not being supplied as per schedule; and

(e) if not, the arrangement Government will make for the completion of the above line within the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) The position regarding the supply of rails and wooden sleepers for Barabanki—Samastipur gauge conversion project is as under :

	Rails (Tonnes)	Wooden sleepers (nos.)
1. Total requirement	66,825	773,000
2. Received upto 31st March 1978 . .	18,615	340,000
3. Allotment made during 1978-79 . . .	28,100	200,000
4. Balance quantity to be arranged . .	20,110	233,000

(d) and (e) Every effort is being made to supply all the track materials required for completing the gauge conversion work by 1980.

Proposal to run Bi-weekly Jayanti Janata Express from Muzaffarpur to Delhi

†3221. **Shri Ram Sewak Hazari :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the proposal for running daily the Bi-weekly Jayanti Janata Express from Muzaffarpur to Delhi in view of the difficulties of the passengers;

(b) if so, the decision taken by Government in the matter;

(c) if not, the action proposed to be taken by Government in this regard; and

(d) whether Government propose to introduce some other train on this section ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) Increase in the frequency of 153/154 Muzaffarpur-Delhi bi-weekly Jayanti Janata Express or introduction of an additional Express train on this route is at present operationally not feasible for want of line capacity on sections enroute and of terminal facilities in Delhi area.

सरकारी कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गये विज्ञापनों के लिये किये गये भुगतान

3222. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 101 सरकारी कम्पनियों की सूची क्या है जिन्होंने 1 जनवरी, 1974 और 31 मार्च, 1977 के बीच राजनीतिक दलों द्वारा निकाली गयी स्मारिकाओं में विज्ञापनों के लिये धनराशि दी थी ; और

(ख) इन सरकारी उपक्रमों ने उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्षवार, प्रत्येक राजनीतिक दल को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) (क) और (ख) : उन 101 सरकारी कम्पनियों की सूची, जिन्होंने 1-1-1974 और 31-3-1977 के मध्य जिन राजनीतिक दलों द्वारा प्रकाशित स्मारिकाओं में विज्ञापनों की अदायगियां की थीं, अन्य बातों के साथ-साथ, अदा की राशि और वह दल, जिसको इस प्रकार की अदायगियां की गयी थीं, का उल्लेख करते हुए 1-8-1978 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न सं० 2169 के भाग (ख) के उत्तर में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गयी थी।

Registration of New Companies

3223. Shri Hukmdeo Narain Yadav : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of new companies registered after assumption of power by the Janata Government and the number among them of those belonging to monopoly houses; and

(b) the name of the company among the above companies, the share holders of which have been convicted for violation of Companies Laws ?

Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) During the period 1st April, 1977 to 30th June, 1978, 3528 new companies were registered under the Companies Act, 1956. None of these 3528 newely registered companies belongs to the monopoly houses.

(b) Shareholders in their capacity as such are not convicted for violation of the Companies Act.

निर्धनों को कानूनी सहायता विषयक भगवती समिति की सिफारिशें

3225. **श्री डी० अमात :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री अमर सिंह वी० राठवा :
श्री अहमद एम० पटेल :
श्री के लकप्पा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धनों को कानूनी सहायता विषयक भगवती समिति की सिफारिशों की गम्भीरता से जांच करने के लिए एक समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं और इसकी रिपोर्ट कब तक उपलब्ध होगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : जी हां। समिति की सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार करने और स्कीम के वित्तीय पहलू को ध्यान में रखते हुए, कानूनी सहायता के लिए कोई व्यवस्था तैयार करने के उद्देश्य से विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा एक अन्तर्विभागीय समिति गठित की गई है जिसमें वित्त, गृह, श्रम मंत्रालयों और समाज कल्याण, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभागों के प्रतिनिधि हैं। समिति एक नीति पत्र तैयार करेगी जिसके आधार पर सरकार द्वारा विनिश्चय किए जाएंगे। समिति की कुछ बैठकें हो चुकी हैं और यह आशा की जाती है कि समिति द्वारा यथाशीघ्र विचार पूरा कर लिया जाएगा और नीति पत्र तैयार कर लिया जाएगा।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा त्रिपुरा में तेल निकालने का कार्य

3226. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा त्रिपुरा में तेल निकालने के लिये **छिद्रण कार्य** हेतु सात स्थानों का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों का ब्यौरा क्या है ; **और**

(ग) प्रत्येक स्थान पर छिद्रण कार्य के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) तेल सम्बन्धी खुदाई कार्य करने के लिए त्रिपुरा में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अब तक 23 स्थानों का पता लगा है

(ख) 6 विभिन्न संरचनाओं पर स्थलों पर काम करने की अनुमति दे दी गयी है। विवरण निम्नलिखित है :—

1. बरौनी में	17
2. रुखिया में	2
3. तिचना में	1
4. मजालिया में	1
5. बचिया में	1 और
6. तुलामुरा में	1
	23

(ग) बारामुरा संरचना पर तीन स्थलों के खुदाई का कार्य पूर्ण हो गया है जहां परीक्षण अभी हाल ही में हुआ है। इस संरचना पर लगे 3 रिगों को दूसरे स्थानों पर लेजाया जायेगा। गजालिया और रुखिया नामक दो दूसरे संरचनाओं के दो स्थानों पर खुदाई के लिये आयोग ने तैयारी आरम्भ कर दी है। इन संरचनाओं की खुदाई का कार्य जल्दी ही प्रारम्भ हो जायेगा।

त्रिपुरा में तेल अन्वेषण संबंधी कार्यकलाप में तेजी लाने में आयोग की ओर से किसी प्रकार की ढील नहीं की गई है। इस क्षेत्र में व्यधन कार्य के लिए इस समय 5 ड्रिलिंग रिग निर्धारित किए गये हैं। फिर भी इनमें कुछ कानूनी सीमाएं तथा नीचे की ओर को सुराखों वाली कठिनाइयां हैं।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त करना

3227. **श्री अर्जुन सिंह भादौरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिये देश के सभी रेलवे फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त करने संबंधी निर्णय लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इन अनुदेशों के बावजूद हाल ही में बरेली के निकट बस के साथ हुई गम्भीर दुर्घटना के कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी नहीं।

(ख) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, उत्तर सर्किल, लखनऊ, द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गयी है। उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार, यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई। इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि समपार की जाने वाली सड़क पर आवश्यक सावधानी संकेतों की व्यवस्था करने में सड़क प्राधिकारियों की असफलता और ऐसी परिस्थितियों में कोई समझदार व्यक्ति जितनी सावधानी बर्तता है, उतनी सावधानी बर्तने में सड़क वाहन चालक की असफलता भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है।

उत्तर रेलवे, शकूर बस्ती के मुद्रण प्रेस में नियुक्तियां

3228. **श्री भगतराम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 तथा 1976 के दौरान नियमित चयन अथवा साक्षात्कार की सामान्य प्रक्रिया को अपनाये बिना उत्तर रेलवे, शकूर बस्ती के मुद्रण प्रेस में कितनी नियुक्तियां की गयीं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) भरती की सामान्य प्रक्रिया के बिना नियमित आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी है। 77 व्यक्ति एवज़ी के रूप में नियुक्त किये गये थे, जिनमें से 57 अधिसूचना के वाद प्रवरण द्वारा नियुक्त किये गये थे। 9 कनिष्ठ मशीनमैन (अर्द्ध कुशल) और 11 खालासी उपयुक्तता की जांच करने के बाद स्थानीय रूप में नियुक्त किये गये थे, जिनमें से एक शरीरिक रूप से अपंग और दो निष्ठावान कोटा के थे।

निगमित क्षेत्र में प्रबन्धकों के पारिश्रमिक में प्रस्तावित परिवर्तन

3229. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित क्षेत्र में प्रबन्धकों के पारिश्रमिक में क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में कम्पनियों में प्रबन्धक पदों के पारिश्रमिक की सीमा में कमी करने का विरोध किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की बाबत विद्यमान मार्ग-दर्शक नियमों के पुनरीक्षण का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है। अतः पुनः ब्यौरे देना संभव नहीं हैं ।

(ख) एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इंडिया से दिनांक 2 मई, 1977 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि प्रबन्धकीय पारिश्रमिक की अधिकतम सीमायें निश्चित नहीं की जानी चाहियें ।

उरान और परवेल के बीच यात्री गाड़ियां चलया जाना

3230. **श्री डी० बी० पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि करंजा में नवल आरमामेंट डिपो तथा उरान के [आस-पास औद्योगिकरण के कारण उरान और परवेल के बीच यात्री यातायात इतना बढ़ गया है कि राज्य परिवहन निगम यातायात की आवश्यकता कुशलतापूर्वक पूरी करने में असमर्थ है और इससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है।

(ख) क्या सामान्य रूप से जनता तथा विशेषरूप से परवेल आर्ट, साईस एण्ड कामर्स कालेज और आई० टी० आई० के छात्रों की काफी समय से मांग है कि उरान परवेल के बीच यात्री गाड़ी चलाई जानी चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो उरान परवेल के बीज ऐसी यात्री गाड़ी कब तक चलाई जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) से (ग) परवेल और उरेन के बीच यात्री गाड़ियां चलाने की मांगें प्राप्त हुई हैं। फिलहाल यह खंड केवल माल यातायात के लिए खोला गया है।

परखेल-उरेन खंड पर सम्भावित यातायात के नमूने की जांच से पता चला है कि इस खंड पर यात्री गाड़ियां चलाना फिलहाल, आर्थिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है । इसके अलावा, फिलहाल रेल-पथ को पैसेंजर गाड़ियां चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

चौकीदार-रहित रेल फाटक

3231. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारती रेलवे में वाहन सम्बन्धी यातायात के लिये इस समय कुल कितने रेल फाटक हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने फाटकों पर चौकीदार हैं और कितने चौकीदार रहित हैं ;

(ग) कितने फाटकों का दर्जा बढ़ाया जायेगा ताकि उन पर चौकीदार लगाये जा सकें ; और

(घ) अब तक इतनी बड़ी संख्या में फाटक चौकीदार रहित रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 36,360 समपार

(ख) चौकीदार वाले समपार-14,000
बिना चौकीदार वाले समपार-22,300

(ग) आशा है 1978-79 में बिना चौकीदार वाले लगभग 70 समपारों को चौकीदार वाले समपार बनाने के लिए काम शुरू किया जायेगा।

(घ) बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को चौकीदार वाले समपार बनाना न तो आवश्यक है और न ही वित्तीय दृष्टि से व्यवहारिक ही है ; न ही चौकीदार वाले समपार बना देने से दुर्घटनाएं रोकने की शत-प्रतिशत गारंटी ही मिल सकती है। जिन समपारों पर दुर्घटनाओं का काफी खतरा रहता है केवल उन्हीं को, राज्य सरकारों की सलाह से, एक कार्यक्रम के आधार पर चौकीदार वाला समपार बनाया जाता है।

कर्मचारियों की शिकायतें

3232. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में रेल कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध जान-बूझकर परेशान करने, देय राशियों की गैर-अदायगी तथा पद के दुरुपयोग आदि के बारे में की गई शिकायतों की जांच के लिए कोई प्रक्रिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एक दशक में दिल्ली डिवीजन के कर्मचारियों से अधिकारियों के विरूद्ध कभी शिकायतें प्राप्त हुई थीं और शिकायत करने वालों को संतुष्टि के लिए कार्यवाही की गई थी ;

(ग) ऐसी कितनी शिकायतें पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं तथा उनके निपटाये न जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या वेतनों की अदायगी के बारे में पांच वर्ष से अधिक पुरानी कोई शिकायतें हैं ; **और यदि** हां, तो इतने अधिक समय तक देय राशि को अदायगी न करने के क्या कारण हैं और क्या रेल प्रशासन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। सभी शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है और कर्मचारियों को उनकी शिकायतों के निपटारे की सूचना दी जाती है।

(ग) वर्ष 1965 से सम्बन्धित केवल एक शिकायत का अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया जा सका क्योंकि काल-वाधित हो जाने के कारण रिकार्ड नष्ट कर दिया गया था।

(घ) और (ङ) 6 जुलाई, से 13 अगस्त, 1965 तक और 13 सितम्बर से 8 अक्तूबर, 1965 तक की अवधि के वेतन का भुगतान न किये जाने से सम्बन्धित केवल एक दावे का अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया जा सका क्योंकि रिकार्ड उपलब्ध नहीं था जो कि काल-वाधित हो जाने पर नष्ट कर दिया गया था। अतः कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई हाई में एसोसिएटिड और प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए गुजरात को दिया गया आश्वासन

3233. **श्री विनोदभाई बी० शेठ** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई हाई से एसोसिएटिड और प्राकृतिक गैस की सप्लाई महाराष्ट्र को सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार शुरु की गई है और कार्य को शुरु करने संबंधी गुजरात का दिया गया आश्वासन निर्धारित समय-सूची के अनुसार पूरा नहीं किया गया है ;

(ख) क्या वह इस सदन को आश्वासन देंगे कि गुजरात को सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन का कायान्वयन शीघ्र किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब शुरु किया जायेगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) बम्बई हाई से उरान तक अन्तः सागरीय पाइपलाइन बिछाने का काम और उरान से ट्राम्बे तक स्थानान्तरण पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है। इन पाइपलाइनों से तेल और गैस का बहाव प्रारम्भ हो गया है। यह निश्चय किया है कि दक्षिणी बसीन क्षेत्र से गुजरात तक एक दूसरी पाईपलाईन होगी जो कि रास्ते में बम्बई हाई से सम्बद्ध गैस के साथ जोड़ दी जायेगी जिससे सम्बद्ध तथा असम्बद्ध दोनों गैस का प्रवाह दो दिशाओं में आवश्यकता के अनुरूप हो सके।

गुजरात तक के गैस पाइपलाइन पर एक संभावित अध्ययन पूरा हो गया है और उसकी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जांच की जा रही है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सिफारिशों के साथ रिपोर्ट जल्दी ही सरकार को प्रस्तुत की जायेगी। तत्पश्चात् पाइपलाईन के वित्तीय पहलू, स्थान काम करने की निर्धारित अवधि आदि के बारे में सरकार द्वारा दृष्टिकोण बनाया जाएगा।

कपड़ा मिलो को कोयले की सप्लाई

3234. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ कपड़ा मिलों की सप्लाई किये जा रहे प्रति मास वैगन भार कोयले की सप्लाई में कटौती कर दी गई है ;

(ख) क्या कुछ अन्य कपड़ा मिलों को प्रति मास सप्लाई किये जा रहे वैगन-भार कोयले की सप्लाई बढ़ा दी गई है; और

(ग) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सेक्रेटरी इंडियन काटन मिल्स फेडेरेशन जो सूती कपड़ा मिलों के लिए कोयले के संचालन के लिए प्रायोजन प्राधिकारी है ने 43 इकाइयों (मिलों) के लिए कोयला-माल डिब्बों के नियतन में कमी करने की सिफारिश की है और 30 इकाइयों के लिए नियतन में वृद्धि करने को कहा है। इन सिफारिशों को अगस्त 1978 से कार्यान्वित करने के लिए मंजूर कर लिया गया है।

खेती के लिए खाद बीज, आदि के मूल्यो को फिर से निर्धारित करना

3235. **श्री टी० ए० पई : क्या पैट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पैट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा दिए गए उस कथित वक्तव्य की ओर गया है कि खेती के लिए खाद बीज आदि के मूल्यों का किसानों के हित में पुनःनिर्धारण करने की आवश्यकता है ; और

(ख) इस मामले में निकट भविष्य में सरकार का क्या तत्काल कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सरकार का यह निरन्तर प्रयत्न रहता है कि किसानों को कृषि सामग्री उचित मूल्यों पर उपलब्ध की जाए। 12-10-77 से प्रमुख नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक यूरिया के मूल्यों में 100 रुपये प्रति टन की कटौती की गई थी। औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यौरों की रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया था कि कीटनाशी औषधियों के मूल्यों में कमी करने की कुछ गुंजाइश हैं के आधार पर कीटानाशी औषधों के निर्माताओं से विचार-विर्मश किया गया था और उन्होंने कई कीट नाशी औषधीयों के मूल्यों 12 प्रतिशत तक कम किये हैं। सरकार ने हाल ही में कीटानाशी औषधों पर उत्पादन शुल्क समाप्त किया है। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्रियों से यह अनुरोध किया गया है कि उर्वरकों और कीटनाशी औषधों तथा उनके उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे माल की बिक्री कर और चूंगी आदि से छूट दें।

मथुरा तेल शोधक कारखाने के निर्माण के लिए ठेका

3336. **श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधक कारखाने के निर्माण के लिए विदेशी और भारतीय कम्पनियों को कितने ठेके दिये गये हैं ;

(ख) क्या भारत इतने बड़े तेल शोधक कारखाने के समूचे निर्माण कार्य और संयंत्र-स्थापना को पूरा करने में अभी सक्षम नहीं है ; और

(ग) विभिन्न ठेकेदारों को कितने धनराशि के ठेके दिये ज चुके हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ग) लगभग 83 करोड़ रुपये के 78 बड़े ठेकों में से लगभग 22 करोड़ रुपये के 11 ठेके विदेशी कम्पनियों को और बाकी 67 ठेके भारतीय कम्पनियों को दिये गये।

(ख) यद्यपि शोधन प्रक्रिया इंजीनियरिंग और उपस्करों तथा मशीनरी स्थापित करने के क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी जानकारी भारत में उपलब्ध है फिर भी मथुरा जैसी शौधन शाला के लिए जिसमें प्रति वर्ष 6/7 मि० मी० टन का एकल पर्यावरण कालम है ; के लिए विदेशी सहायता की जरूरत होगी। इसी प्रकार से आयातित उपकरणों और मशीनरी के निर्माण के लिए कार्य निष्पादन के गारन्टी को सुनिश्चित करने के लिए मोटे तौर पर कुछ विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है।

टेलीफोन के तारों की चोरी और गाड़ियों में जंजीर खींचे जाने का रेलवे में समय की पाबन्दी पर प्रभाव

3237. **श्री माधव राव सिंधिया : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन के तारों की बड़े पैमाने पर हो रही चोरी और गाड़ियों में चेतावनी की जंजीर के अंधाधुंध खींचे जाने का समूचे देश में विशेषकर पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन में रेलवे में समय की पाबन्दी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां तो गत एक वर्ष के दौरान हुई ऐसी चोरियों और जंजीर खींचने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चोरों और जंजीर खींचने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रेलों पर जिनमें पूर्व रेलवे का दानापुर मंडल भी शामिल है टेलीफोन के केबुलों की चोरी तथा अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं से गाड़ियों के समय-पालन पर दुष्प्रभाव पड़ा है।

(ख) 1977-78 के दौरान रेलों पर केबुलों की चोरी के 988 मामले और अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने की 98, 499 घटनाएं हुई थीं।

(ग) असामाजिक तत्वों द्वारा केबुलों की चोरी करने तथा अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने के संकट का मुकाबला करने के लिए स्थानीय सिविल और पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अभियान तेज कर दिये गये हैं। इन समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों की रोक थाम करने के लिए राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क रखा जा रहा है ।

हिल स्टेशन टिकटों की बिक्री से रेलवे को आय

3238. **श्री माधवराव सिंधिया : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू ग्रीष्म ऋतु के दौरान गत ग्रीष्म की तुलना में हिल स्टेशन टिकटों की बिक्री से रेलवे को कम आय हुई ;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में जून 1978 तक कुल कितनी कितनी आय हुई ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि कुछ हिल स्टेशनों में मद्य निषेध लागू करने के कारण यात्रियों के आगमन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना क्षेत्रीय रेल प्रशासनों से इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र के मरबद तालुक में रेल लाईन

3239. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरबद के ताल्लुक में (जिला थाना महाराष्ट्र) रेलवे लाईन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां तो कब और उसका क्या परिणाम निकला है ;

(ग) क्या रेल मंत्रालय ने उपरोक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया है यदि हां तो कब और उसका क्या परिणाम निकला है ;

(घ) क्या यह सच है कि मरबद ताल्लुक थाना जिले के पिछड़े हुये क्षेत्रों में से एक है और क्या मध्य रेलवे में कल्याण जंकशन से मरबद जो एक ताल्लुक है—लगभग 20 मील है ; और

(ङ) यदि हां तो रेल लाईन बिछाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) जी हां बम्बई से लेकर घाटों के पार तक अतिरिक्त लाइन क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से कल्याण से अहमदनगर तक एक नयी रेल लाइन के लिए इंजीनियरी व यातायात सर्वेक्षण 1969-70 में किया गया था। मुरबद इस लाइन पर कल्याण से 31.4 कि० मी० की दूरी पर स्थित है। सर्वेक्षण से पता चला था कि कल्याण और अहमदनगर के बीच एक नयी लाइन बनाने की अपेक्षा वर्तमान पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व धाट लाइनों पर क्षमता का विकास करना अधिक सस्ता तथा परिचालनिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होगा।

पूर्वोत्तर घाटों पर कसारा और इगतपुरी तथा दक्षिण पूर्वी घाटों पर करजत और लोनावाला के बीच तीसरी लाइनों और यातायात सुविधा के अन्य समनुरूपी कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है।

कल्याण पावर हाउस के कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन

3240. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कल्याण पावर हाउस, ठाकुबली (जिला थाना-महाराष्ट्र) के 83 संचालन कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित उनकी विभिन्न मांगों के बारे में दिनांक 22 अप्रैल 1978 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं और कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

29 LSS/78—7

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, 6-5-1978 को मध्य रेलवे प्रशासन को एक तिथि रहित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) उक्त अभ्यावेदन में उलिलिखत शिकायतों की जांच की जा रही है।

रेलवे लेखा विभाग के ग्रेड 1 के क्लर्कों को अग्रिम वेतनवृद्धियां

3241. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को रेलवे लेखा विभाग के ग्रेड 1 के क्लार्कों को चार अग्रिम वेतनवृद्धियां देने के बारे में दिनांक 2 मार्च 1978 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) रेलों पर एपेन्डिक्स 2 में अर्हता-प्राप्त कर्मचारियों को संशोधन वेतन ढांचे में प्रोत्साहन देने से सम्बिन्धत मामला सरकार के विचारधीन है।

महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में रेल लाइन

3232. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में 26 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे उक्त क्षेत्र में सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिए अत्यन्त आवश्यक माना जाता है; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां महाराष्ट्र में मानिकगढ़ से चन्दूर तक इस क्षेत्र में प्रस्तावित सीमेंट फैक्टरियों के लिए परिवहन सुविधा सुलभ करने के उद्देश्य से एक रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। फैक्टरियों की स्थापना के सम्बन्ध में पक्का निर्णय हो जाने के बाद ही इस पर विचार करना संभव हो सकेगा।

एक मात्र विक्रय एजेंसी प्रणाली क बार में नीति

*3243. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने एक मात्र विक्रय एजेन्सी प्रणाली और उपभोक्ताओं के हितों के बारे में कोई नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसको किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार एकमात्र विक्रय एजेन्टों के कदाचारों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इस सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 294कक की उपधारा (1) के अंतर्गत कम्पनी विधि बोर्ड माल की किसी किस्म की उत्पादनकर्ता अथवा पूर्तिकर्ता ऐसी कम्पनियों को एक मात्र विक्रेता अधिकर्त्ताओं को नियुक्त र करने की घोषणा कर सकता है, जिनकी उसकी राय में मांग, उत्पादन अथवा इस प्रकार के माल की पूर्ति से तत्वतः अधिक हो तथा इस प्रकार के माल का बाजार तैयार करने के लिए, एक मात्र विक्रेता अधिकर्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। इन शक्तियों के अनुसरण में, कम्पनी विधि बोर्ड ने अन्य मंत्रालयों से परामर्श करके, निम्नांकित वर्गों के मालों की बाबत उनमें से प्रत्येक के आगे वर्णित तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, एक मात्र विक्रेता अधिकर्ताओं की नियुक्ति का निषेध करते हुए अधिसूचनाएं प्रेषित की हैं :—

(क) कागज	18-9-1975
(ख) सीमेंन्ट	18-9-1975
(ग) चीनी	5-9-1975
(घ) वनस्पति	5-9-1975

2. धारा 294 कक की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कोई एकाकी फर्म अथवा निकाय निगम जिसके एक कम्पनी में सारवान हित (जिसके अर्थ हैं, उसके स्वयं के नाम में, साझेदारों या उसके संबधितों के नाम में, अथवा उसके निदेशकों या उसके संबन्धियों के नाम में 5 लाख रुपये या कुल के पांच प्रतिशत जो भी कम हों का अंकित अर्हता की धाराएं) हों, केन्द्रीय सरकार के बिना पूर्व अनुमोदित के उक्त कम्पनी का क मात्र विक्रेता अधिकर्ता नियुक्त नहीं किया जाएगा: धारा 294 कक की उप-धारा (3) के अंतर्गत 50 लाख रुपये या इससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली कम्पनी द्वारा एक मात्र विक्रेता अधिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए एक विशेष संकल्प द्वारा हिस्सेदारियों का तथा केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 294 कक की उपधारा (2) तथा (3) के अंतर्गत एक मात्र विक्रेता अधिकर्ता की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र पर कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा गुणावगुण के आधार पर तथा निम्नांकित संबन्धित कारणों को दृष्टि में रखकर विचार किया जाता है :—

(1) कम्पनी द्वारा निर्मित उत्पादन की प्रकृित व इसकी बाजार मांग तथा उक्त उत्पादन में प्रतियोगिता की सीमा ;

(2) एक मात्र विक्रेता अधिकर्ता द्वारा पालन की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति तथा सीमा, तथा साथ ही विपणन सेवायें करने के लिए उसकी संगठनात्मक व्यवस्था ;

(3) कम्पनी के उत्पादनों के विपणन के लिए एक मात्र विक्रेता अधिकर्ता द्वारा कमाया गया कमीशन किया गया व्यय तथा प्रतिभूत लाभ ;

(4) मुख्य कम्पनी में एक मात्र विक्रेता अधिकर्ता के हित ;

(5) एक मात्र विक्रेता में कम्पनी के निदेशकों के हित;

में बन्धन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तथा कदाचार को रोकने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लि० को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस

3244. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को कितने औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय-पत्र गत तीन वर्षों में जारी किए गये हैं, कितने लाइसेंस ऐसे है जिनकी अवधि समाप्त हो गई है और जो आई० डी० पी० एल० द्वारा क्षमता के दावे के लिए अभी तक वैध दिखाए जा रहे हैं ; और

(ख) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० ने ऐसी मदों के लिए भी स्वीकृति मांगी है जिनका वास्तव में उत्पादन नहीं किया जाता है और यदि हां तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान औषध एवं भेषजों के उत्पादन के लिए मैसर्स आई० डी० पी० एल० को 17 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे ।

आई० डी० पी० एल० को कुछ बल्क औषधों के उत्पादन के लिए किये गये लाइसेंसों/आशय पत्रों की तीन वर्षों की वैध अवधि अब समाप्त हो चुकी है। परन्तु आई० डी० पी० एल० ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि इन की अविध बढाई जाए और यह सरकार के विचाराधीन है।

(ख) औषध उद्योग के संगठित क्षेत्र में सभी औद्योगिक उद्यमों के लिए औषध एवं भेषज की नई मदें बनाने के लिए आई० डी० आर० अधिनियम के अन्तर्गत सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

औषधों के उत्पादन के लिए आई० डी० पी० एल० को दिये गये जो अनुमोदन कार्यान्वियन नहीं हुए है उनके सम्बन्ध में विवरण एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रखे जायेंगे।

सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात की जाने वाली औषधियों का उतारा और चढ़ाया जाना

3245. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अयात की जाने वाली बल्क औषधियों के उतारे और जाने चढ़ाए का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकारी ऐजेसियों के माध्यम से आयात की जाने वाली औषधियों को उतारे/चढ़ाये जाने के कारण, जो प्रत्येक वर्ष के अन्त में फालतू मात्रा में प्राप्त थी उनका सी० पी० सी० और आई० डी० पी० एल० द्वारा वितरण किये जाने का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकारी ऐजेंसियों के माध्यम से बेचो जाने वाली बल्क औषधियों के मूल्य निश्चित करते हुए फालतू औषधियों का समायोजन किस प्रकार किया गया और उनके कितने भाग का उपयोग करों के भुगतान करने के लिए उपयोग किया गया और क्या चढ़ाने/उतारने के कारण उपभोक्ताओं के लिए मूल्यों में वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

आई० डी० पी० एल० और सी०पी०सी० द्वारा आयातित बल्क औषधियों में व्यापार द्वारा फालतू प्राप्त औषधियां

3246. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) गत तीन सर्षों में सी० पी०सी० और आई०डी पी०एल० द्वारा आयातित बल्क औषधियों में व्यापार द्वारा कितनी फालतू औषधियां प्राप्त हुई थीं, और उनका उपयोग किस प्रकार किया गया था ;

(ख) इस धनराशि पर दिये गये आयकर अथवा विभिन्न समायोजनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपभोक्ता उत्पादों पर उनके लदान का क्या प्रभाव पड़ा और यदि वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा बल्क औषधियों के आयात किए जाने की अनुमति दी गाती तो उसका विहित प्रभाव, प्रतिशतता-वार क्या पड़ता; और

(घ) क्या यह सच है कि एथमबुटोल और फार्मुलेशन्स के मूल्य जो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात नहीं किये गये, कम हो गया है और यदि हां, तो सरकार सभी औषधियों का सरकारी माध्यम से आयात बन्द क्यों नहीं कर देती?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

औषधियों की लागत से कम मल्य पर उपलब्धता के लिए प्रबन्ध किया जाना

3247. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक दवाओं और औषधियों को जनता को लागत मल्य से कम मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने समुचित, प्रबन्ध किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कार्य निष्पादन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 की धाराओं के अन्तर्गत औषधों के मूल्य नियमित किये जाते हैं। उपरोक्त आदेश के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य फुटकर बिक्री के अधिकतम मूल्य होते हैं और निर्माता सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्यों से कम मूल्यों पर औषधियां बेचने के लिये स्वतन्त्र होते हैं। लागत मूल्यों से कम मूल्यों पर जनसाधारण को औषधियां उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है । परन्तु सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनसाधारण को औषधी मुफ्त दी जाती है ।

नई औषध मूल्य निर्धारण नीति के अन्तर्गत ग्रेडिड मार्क अप की व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार श्रेणी I और II के फार्मूलेशनों पर मार्क अप तुलनात्मक रूप से कम होगा । उद्देश्य यह है कि अधिक उपयोग की जाने वाली औषधें जनसाधारण को कम मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाएं ।

Representation from Chamber of Commerce, Gondal

3248. **Shri Dharamasinhbhai Patel** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chamber of Commerce Gondal, Saurashtra, Gujarat sent a representation in June, 1978 regarding many questions on the Railways;

(b) if so, the nature of demands made in the representation;

(c) the action taken by the Government in respect of each demand; the demand which have been met, the demand still pending and when the pending demands will be met; and

(d) the reasons for not accepting some of the demands and when the remaining demands will be met ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes. A representation dated 30-6-1978 was made by Chamber of Commerce, Gondal which contained only one demand.

(b) The demand was for re-introduction of 339/340 trains between Junagarh and Rajkot which were cancelled from 4-12-73 due to poor occupation.

(c) & (d) Restoration of this train is not justified because of poor occupation. At present there are 4 pairs of through trains between Junagarh and Rajkot and 4 pairs of sectional trains running in this section.

Works Programme for 1979-80

3249. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) details regarding the station-wise names of works included or proposed to be included in the works programme for 1979-80 in respect of Porbander, Jungarh, Upleta, Vansjalia, Lushala, Bhanvad, Jetpur, Gop, Bhanduri, Aditpara etc. stations in Bhavnagar Division, Western Railway ;

(b) whether Bhavnagar Division Railway users Consultative Committee have made any recommendations in this regard: if so. when and the nature thereof;

(c) the amount of expenditre to be incurred on the works (work-wise), to be carried out in 1979-80 at the stations mentioned in part (a) of the question; and

(d) the time by which various works at the railway stations mentined in part (a) above are likely to be started and the time by which the same will be completed ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a), (b), (c) & (d) : Particulars of Works included in the Railway Works programme for 1979-80 can only be made available after the same is finalised along with the Railway Budget. Divisional Railway Users Consultative Committee, Bhavnagar had met on 18-5-78 and recommended certain passenger Amenity Works which will be considered along with other works, included in the Works programme. Information regarding the time by which these Works will be started and/completed will be available after the Works programme is finalised.

Starting a Super Fast Train between Porbander and Viramgam

†32501 **Shri Dharmasinbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) by what time a Janta Super fast Up and Down Train between Porbander and Viramgam via Ranavav, Jam Jodhpur, Mayavayar, Upleta, Dhoraji, Jetalsar, Gondal, Rajkot, Vankaner, Surendra Nagar, Viramgam and Viramgam to Bombay would be introduced for which there has been a long outstanding demand from 60 lakh people of Saurashtra region of Gujarat;

(b) the reasons for delay in introducing this Janta Super Fast Train

(c) whether a programme has been chalked out or not to introduce a Janta Super Fast Train between Porbander to Viramgam and Viramgam to Bombay; if so, the details thereof if not, reasons therefor; and

(d) the time by which this demand of public of Saurashtra for introducing Janta Super Fast Train would be met ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) There is no proposal to introduce Janata trains between Porbandar and Viramgam and Viramgam and Bombay Central. However, a pair of classless trains named 45/46 Gandhigram Express is

being introduced between Porbandar/Bhavnagar and Ahmedabad on 9-8-1978 via Dholka and Botad. This train will provide connection with 15/16 Saurashtra Express and 12 Gujarat Express for their ownward journey for and from Bombay.

Supply of Wagons at Junagarh Railway Station

†3251. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Ashoka Oilcake Industries, Junagarh had requested Railway Ministry and Railway authorities at Bombay and Bhavnagar on 15th May, 1978 to make available empty wagons at Junagarh Railway Station;

(b) if so, the number of wagons demanded and the names of items for which the wagons were demanded;

(c) the number of wagons supplied against this demand; and

(d) the number of wagons for which demand of M/s. Ashoka Oilcake Industries, Junagarh is still pending; when and how this pending demand is proposed to be met ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (d) : The Western Railway Administration received a representation from M/s. Ashoka Oilcake Industries, Junagarh requesting for clearance of imported oil from Junagarh station, without indicating any specific requirement of wagons. During April to July, 1978, 84 wagons were loaded from Junagarh and the number of pending indents on account of M/s. Ashoka Oilcake Industries stood at 30 wagons at the end of the period. The movement is mostly for destinations on N.F. Railway which is subject to quota limitations and clearance of traffic is regulated in accordance with seniority and priority of the indents within the quotas in force. It is, however, observed that the indents are not always genuine and the trade sometimes resort to large-scale cancellation of indents whenever wagons are supplied. In July, 1978, when one rake was allotted to Jaipur Division for loading oil for destinations on N.F. Railway, 1287 indents were withdrawn/cancelled, indicating inflated demands.

Merger of Accounts Clerk Grades I and II

†3252. **Shri K.A. Rajan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5426 on 4th April, 1978 regarding merger of accounts clerk grades I and II and state :

(a) 25 per cent of the posts for promotions are reserved on the basis of seniority;

(b) a proposal to provide monetary benefit to such employees who have reached the maximum in their scales was under consideration of the Government; and

(c) if so, will the Minister state the facilities Government have provided to Grade I and Grade II clerks of Eastern Railway and division-wise details in regard thereto ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) 25 per cent vacancies in Clerk Grade I are required to be filled on Seniority-cum-suitability basis.

(b) The issue of providing relief to those stagnating at the maximum of their scales of pay has been raised by the Staff side in the National Council and is still under discussion.

(c) Does not arise as the matter is still under discussion.

श्रेणी 2 के स्थानापन्न सहायक इंजीनियर

3253. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री 28 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1095 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 और 1976 में हुए चयन के पूर्व प्रत्येक वर्ष किन-किन तारीखों को कितने व्यक्ति श्रेणी दो के स्थानापन्न सहायक इंजीनियरों के रूप में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे थे; प्रत्येक वर्ष भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान को नियम पुस्तिका के लिये 203 के अनुसार पैनल के आकार के लिये कितने पद निर्धारित किये गये; बी-एक्स फार्मूला के अनुसार चयन के लिये उपस्थित होने हेतु कितने व्यक्तियों को बुलाया गया; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये कितने पद आरक्षित किये गये; पैनल में रखने के लिये कुल कितने व्यक्ति सफल हुए; प्रत्येक वर्ष वास्तव में कितने व्यक्तियों को पैनल में रखा गया तथा इसके क्या कारण थे ;

(ख) वर्ष 1976 में कर्मचारियों की चयन सम्बन्धी शिकायतों की जांच करने वाले उप-मुख्य सतर्कता अधिकारी की रिपोर्ट और निष्कर्ष क्या है ; दोनों रेलवे के मुख्य इंजीनियरों द्वारा पुनः जांच की गई उत्तर पुस्तिकाओं के परिणाम क्या हैं और असफल हुए कितने को पैनल में रखा गया और सफल उम्मीदवारों को असफल दिखाया गया ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिये अनियमितताओं की जांच करने और 1976 के चयन के लिये नये सिरे से चयन करने, वर्ष 1975 में शेष उम्मीदवारों को पैनल में लेने और 1973 के चयन में अतिरिक्त नाम रद्द किये जाने का आदेश दिये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है, यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) एक विवरण संलग्न है

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2606/78]

(ख) और (ग) : 1975-76 में हुए चयन के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और रेलवे की सतर्कता शाखा के कहने पर पूर्वोत्तर रेलवे ने उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से अन्य दो रेलों के मुख्य इंजीनियरों से कराया था। पुनमूल्यांकन से पता चला कि पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य इंजीनियर द्वारा किया गया मूल्यांकन सही था। तदनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके इस मामले को बन्द कर दिया गया था और इसमें आगे कोई जांच आवश्यक नहीं समझी गयी थी।

छोटी लाइन की रेल बस का निर्माण

3254. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने अगस्त, 1961 में छोटी लाईन की रेल बस के डिजाइन तैयार करने और उसके निर्माण की मंजूरी दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य इस बीच पूरा कर लिया गया है और रेल बस का क्या उपयोग किया गया है ;

(ग) रेल बस पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है;

(घ) क्या यह सच है कि रेल बस के बारे में अध्ययन एवं विकास के लिये प्रशिक्षण हेतु जिस अधिकारी को विदेश भेजा गया था वह "पावर पैक" का विकास करने में पूर्णतया असफल रहा है; और

(ङ) इतने अधिक गैर उत्पादक व्यय का प्रस्ताव करने एवं उसकी मंजूरी देने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां । रेलवे बोर्ड ने 24-5-1962 को छोटी लाइन की रेल बस के निर्माण के लिए एक विकासात्मक क्रयादेश दिया था ।

(ख) रेल बस के निर्माण का काम पूरा हो चुका है और वह उत्तर रेलवे के कालका-शिमला खंड पर उपयोग के लिये उपलब्ध है ।

(ग) इस पर कुल 2, 61, 617.27 रुपये व्यय किये गये जिसमें से 132 पौंड 10 शिलिंग की विदेशी मुद्रा लगी है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का चयन

3255. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **रेल** मंत्री श्रेणी-3 तथा श्रेणी-2 के कर्मचारियों के पदों के लिये चयन के बारे में 25 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8033 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियमों का पालन करने के बारे में बार-बार आश्वासन देने जबकि भारतीय रेल प्रतिष्ठान पुस्तिक के पैरा 203, 206 में उनमें से कोई भी नियम नहीं है; आरक्षण परिपत्र, को समाप्त करने, चयन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद आगे न ले जाने के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1975 और 1976 के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये उसी वर्ष आरक्षण समाप्त करने और इस प्रकार 19 सफल सामान्य उम्मीदवारों को परेशान करने और उन्हें वित्तीय हानि पहुंचाने के क्या कारण हैं और वर्ष 1975 और 1976 में भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान पुस्तिका के पैरा 203 के अनुसार रिक्त पदों के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या था;

(ग) सब 19 सफल सामान्य उम्मीदवारों को पैनल में न लेने के क्या कारण है जबकि 26 व्यक्ति 4-11-74 से पूर्व से लगभग 1-1/2 वर्ष से 2 वर्ष से स्थानापन रूप में कार्य कर रहे थे और 19 और व्यक्तियों को जुलाई, 1976 तक पदोन्नत किया गया था, पूर्व पदोन्नत किये गये व्यक्तियों और 16 व्यक्तियों को खपा लिये जाने के बाद तदर्थ आधार पर पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की सूची क्या है तथा उनकी पदोन्नति किन-किन तारीखों को हुई ; और

(घ) छोटा पैनल बनाने के क्या कारण हैं, और बाद में चयन के बारे में भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान पुस्तिका (आ.ई० आर० ई० एम०) के पैरा 206 का उल्लघन किस के अधिकार से किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) चूंकि नियमों के उल्लवंन के विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता।

(ख) यह समझा जाता है कि यह प्रश्न, पूर्वोत्तर रेलवे के सिविल इंजीनियरी विभाग में और वर्ष 1975-76 में, श्रेणी-II में प्रवरण के सन्दर्भ में है। प्रवर्तमान नियमों और

(ग) आदेशों के अनुसार, सहायक इंजीरियरों की 21 रिक्तियां भरने के लिये एक प्रवरण के आयोजन का विनिश्चय किया गया था। इन 21 रिक्तियों में से, जिनके लिए प्रवरण आयोजित किया गया था, 3 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 2 स्थान अनूसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित थे। सामान्य उम्मीदवारों में से केवल 19 व्यक्तियों ने अर्हता प्राप्त की और उनमें से 16 को अनारक्षित रिक्तियों पर पैनल में रख लिया गया और नियमित रूप से तदर्थ आधार पर, पदोन्नत भी कर दिया गया। तदनन्तर, जब 1977 में सिविल इंजीनियरी विभाग के लिए श्रेणी-II का अगला पैनल बनाया गया, तो तदर्थ पदोन्नत व्यक्तियों को श्रेणी-III में परिवर्तित कर दिया गया।

कार्मिक विभाग और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त से, 1975-76 में आयोजित प्रवरण से सम्बन्धित आ० जा० और अ० ज० जा० को 5 आरक्षित रिक्तियों में से 3 को आरक्षण मुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया। उन तीन व्यक्तियों में से, जिन्होंने अर्हता तो प्राप्त कर ली थी परन्तु पैनल में स्थान नही पा सके थे, दो उम्मीदवार 1977 में आयोजित अगले प्रवरण में प्रस्तुत हुए जबकि तीसरे ने प्रस्तुत होने से इन्कार कर दिया। प्रस्तुत हुए दो उम्मीदवारों में से एक को चुन लिया गया और उसे नियमित रूप से अधिकारी (श्रेणी-II) के रूप में नियुक्त कर दिया गया। दूसरा उम्मीदवार इस चुनाव में सफल न हो सका। जो उम्मीदवार असफल हो गया था और जिसने 1977 के प्रवरण में प्रस्तुत होने से इंकार कर दिया था उन दोनों को श्रेणी-II के पद पर यदि नियमित पैनल समाप्त हो गया हो तो तदर्थ आधार पर पदोन्नत करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं।

इस प्रवरण के अलावा सहायक इंजीनियरों के लिए श्रेणी-II का कोई प्रवरण वर्ष 1977 में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा आयोजित नहीं किया गया था।

(ग) 1975-76 में जब प्रवरण हुआ था तो श्रेणी-II के पदों पर श्रेणी-II के 20 कर्मचारी तदर्थ आधार पर स्थानापन्न थे। इन अधिकारियों का विवरण और उनकी स्थापन्न अविधि के सम्बन्ध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

प्रवरण का वर्ष	अधिकारी का नाम	तारीख जिससे श्रेणी-II (तदर्थ) में स्थानापन्न है।
1	2	3
1975-76	1. श्री लाल जी सिंह . .	8-6-1972
	2. श्री पी० एस० राजपूत .	14-12-1972
	3. श्री जे० पी० सक्सेना . .	22-11-1972
	4. श्री शरदा प्रसाद	12-11-1972

1	2	3
	5. श्री गुरबख्श सिंह . . .	29-11-1972
	6. श्री कंवर नौनिहाल सिंह . .	29-12-1972
	7. श्री जी० के० सूद . . .	5-8-1973
	8. श्री एम० एस० मुखर्जी .	1-11-1973
	9. श्री आर० के० राय .	30-11-1973
	10. श्री एच० एन० तिवारी .	28-12-1973
	11. श्री एस० के० ओझा	19-11-1973
	12. श्री एस० के० मिश्र	15-1-1974
	13. श्री पी० एन० दत्त	8-2-1974
	14. श्री बी० बी० सिंह	2-12-1974
	15. श्री के० सी० चवन .	1-1-1974
	16. श्री ओ० डी० रस्तोगी	22-1-1974
	17. श्री एस० एन० भारतीय	25-2-1974
	18. श्री एन० एन० सिंह	18-2-1974
	19. श्री के० एन० सक्सेना	6-12-1973
	20. श्री काशीनाथ .	14-10-1974
1977	1. श्री एम० एम० मुखर्जी	1-11-1973
	2. श्री एच० एन० तिवारी	28-12-1973
	3. श्री एन० एन० सिंह	10-2-1974
	4. श्री काशी नाथ .	14-10-1974
	5. श्री एम० एम० पी० राव .	16-1-1976
	6. श्री आर० के० श्रीवास्तव	16-2-1976
	7. श्री जे० आर० अरोड़ा	11-2-1976

Changes in policy in awarding Catering Contracts

3256. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the departmental policy in regard to awarding contracts of catering at railway stations and whether any change has been effected recently in that policy ?

The Minister of State in the Minitstry of Railways (Shri Sheo Narain) : For the award of catering/vending contracts at Railway stations, applications are invited through press notifications and/or notices displayed at conspicuous places at railway stations. The applications are then scrutinised by a Screening Committee consisting of a minimum of 3 officers in senior scale and above. Taking into consideration the suitability, financial standing, eligibility, experience etc. of the candidates, the Screening Committee recommends suitable candidates to the competent authority, who after taking into consideration the recommendations of the Screening Committee, awards the contract to the most eligible candidate. Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Cooperative Societies, Mahila Samities, Freedom Fighters etc. are given preference in the award of catering/vending contracts. Small contracts upto ½ a unit will now be allotted to Scheduled Caste/Tribe candidates only. One contractor can now be allotted catering/vending contracts upto a maximum of 4 units only.

Certain changes were made recently in the policy regarding catering/vending contracts at Railway Stations which are indicated above.

औषध नीति में संशोधन

3257. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री लखन लाल कपूर :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध निर्माताओं के हित में औषध नीति में संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधन किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या किसी केन्द्रीय मंत्री औषध नीति में संशोधन के बारे में औषध निर्माताओं को सार्वजनिक रूप से कोई आश्वासन दिया है।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 9 जुलाई, 1978 को रक्षा मंत्री ने बम्बई में फार्मास्यूटिकल एंड एलाईस मैनूफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्रस एसोशियेशन लि० की 38वीं वार्षिक आम सभा को सम्बोधित किया था, जिसकी रिपोर्ट देश के प्रमुख समाचार पत्रों में छप गई है। "टाइम्स आफ इंडिया" के 10 जुलाई, 1978 के अंक में सम्बन्धी रिपोर्ट का जो समाचार छापा गया है उसे नीचे दिया जा रहा है :—

"रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम के आज यहां यह घोषणा की कि यदि नई औषध नीति ने वांच्छित उद्दश्यों को पूरा नहीं किया तो केन्द्रीय सरकार उसमें परिवर्तित करने में नहीं हिचकेगी। उन्होंने कहा कि नई नोति बनाते समय व्यवहारिक मार्ग अपनाया गया है।

फार्मास्यूटिकल एंड एलाइड मैनूफेक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोशियेशन लि० के मख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि नई नीति, जिसको उद्योग की सहायता करने के लिये बनाया गया है यदि उससे अनेक एककों को कठिनाई हुई तो सरकार इस नीति का पुनरीक्षण करने के लिए तैयार है।

बड़ोदरा स्टेशन पर सुविधाएं

3258. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम रेलवे के बड़ोदरा स्टेशन पर इस समय उपलब्ध सुविधाएं भविष्य में बढ़ने वाले अनुमानित यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त है तथा इस समय बड़ोदरा स्टेशन के लिये 'मास्टर प्लान' बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि दो रेल मंत्रियों ने अपने 14 दिसंम्बर, 1976, 8 जुलाई, 1977 और 25 नवम्बर, 1977 के पत्रों में उपरोक्त तर्क की पुष्टि की है ;

(ग) उपरोतक भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए क्या उपरोक्त निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए कोई नये तथ्य सामने आए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) निकट भविष्य में बड़ोदरा स्टेशन पर यातायात की प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने के लिए वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं। इसलिए, बड़ोदरा स्टेशन के लिए एक मास्टर प्लान बनाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी नहीं।

Neemuch as Guaranteed Supply Station

†3259. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the traders of Neemuch, Madhya Pradesh have requested that Neemuch should be declared a guaranteed supply Station;

(b) whether it is also a fact that this demand is being made for a long time;

(c) whether Neemuch is a big commercial mandi and it is essential to provide this facility there; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

Minister of State in the Minitstry of Railways (Shri Sheo Narain) ; (a) & (b) Yes.

(c) & (d) The essentiality for providing guaranteed supply depends on the proportion of high profit yielding commodites offering at a station. Neemuch does not qualify for being opened for guaranteed supply of wagons.

Introduction of a Local Train in Ambajhari

†3260. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the reasons for delay in introducing local train in Ambajhari and when this train will be introduced ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): Introduction of a train to/from Ambazari siding has been found neither financially justified nor operationally feasible.

सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा स्टाइरीन की बिक्री

3261. **श्री श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस में यह अनुमति भी दी गई थी कि वह स्टाइरीन का कृत्रिम रबड़, बनाने में उपयोग करने के अलावा उसे अन्य पार्टी को बेच भी सकती है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कम्पनी स्टाइरीन की बिक्री अन्य पार्टियों को कैसे कर रही थी और इस कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों के अनुसार स्टिरीम मोनोमर को बाहर की पार्टियों को बेचने के लिए कोई मनाही नहीं है।

समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन

3262. **श्री पी० बेंकटासुबयैया :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्वाचन आयोग ने समस्तीपुर संसदीय स्थान के लिए जो बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा खाली किया गया है, निर्वाचन कराने का प्रस्ताव दो-तीन बार किया है, किन्तु राज्य सरकार ने उसे स्थगित करा दिया है ; और

(ख) इस निर्वाचन को स्थगित कराने के लिए राज्य सरकार ने क्या कारण दिये थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) आरम्भ में निर्वाचन आयोग ने यह उपनर्विाचन 7 मई, 1978 को कराने का विनिश्चय किया था। किन्तु यह उपनिर्वाचन स्थगित कर दिया गया था क्योंकि आयोग को राज्य सरकार से यह सूचना मिली थी कि विधि और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति के कारण जिसमें जातिगत भावनाएं प्रबल थीं, उस समय उपनिर्वाचन कराने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं था। इस बीच, राज्य सरकार ग्राम पंचायत निर्वाचनों में व्यस्त थी जो सम्पूर्ण राज्य में 24 मई से 14 जून, 1978 के बीच हुए थे। आयोग इस उपनिर्वाचन को वर्षा ऋतु के बाद कराने की आशा करता है।

मुअत्तिल रेल कर्मचारी

3263. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर आफ स्टोर्स, पूर्वी रेलवे जमालपुर के अधीन एक रेल कर्मचारी 1966 के बाद 12 वर्षों से मुअत्तिल है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है जबकि वह कर्मचारी 1 अगस्त, 1978 को सेवा-निवृत्त होने वाला है ; और

(ग) उक्त मामले का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या अंतिम कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां। श्री ए० के० गुप्त, सहायक स्टोर-कीपर, 1966 से निलम्बित हैं।

(ख) कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है ।

(ग) जमालपुर में, 1965 में 50 नकारा रेल इंजनों को इस शर्त पर नीलामी द्वारा बेचा गया था कि खरीद-दार इंजन का केवल लौह भाग ही काटेंगे और उसे अपने लिए लेंगे तथा तमाम अलौह भाग अभ्यर्पित कर देंगे। लौह भाग को काटने और उपयुक्त सामान के लदान का पर्यवेक्षण करने के लिए अन्य कर्मचारियों के साथ श्री गुप्त को भी तैनात किया गया था । यह पता लगाया गया कि लौह, भाग, जो खरीद-दारों का था, के साथ कुछ अलौह भाग का लदान भी कर दिया गया। इसलिए, रेल सम्पत्ति के दुरुपयोग के लिए उनके विरुद्ध न्यायायलय में मुकदमा चलाया गया। मुंगेर के सत्र न्यायालय में मामला अभी चल रहा है और रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के अंतर्गत उनके विरुद्ध अनुशासन की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। न्यायालय द्वारा फैसला सुना देने के बाद ही इस मामले में अन्तिम कार्रवाई की जा सकती है।

नकली और कम गैस भरे सिलिण्डरों के बारे में शिकायतें

3264. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम को उत्तरी भारत में कुकिंग गैस के नकली सिलिण्डरों की बढ़ती हुई संख्या के बारे में चिंता है ;

(ख) क्या सिलिण्डरों में बड़े पैमाने पर कम गैस भरे जाने की शिकायतें भी उनके ध्यान में आई हैं ; और

(ग) उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिये क्या प्रभावी उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने अभी तक अपने बाटलिंग संयंत्रों में कुल 643 नकली गैस के सिलिन्डरों का पता लगाया है। इनमें से इस प्रकार के 321 गैस सिलेन्डरों का इंडियन आयल कार्पोरेशन के शकुर बस्ती (दिल्ली) 87 हलिदया शोधन शाला तथा 235 गोहाटी शोधनशाला के बाटलिंग संयंत्रों से पता चला है।

दिनांक 1.1.1978 से 31.7.1978 तक की अवधि में इस मंत्रालय के शिकायत कक्ष में 18 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें इस आशय की शिकायत की गयी है। गैस की थोड़ी मात्रा में भरे सिलेन्डर सप्लाई किये जा रहे हैं। मंत्रालय के शिकायत कक्ष में प्राप्त इस प्रकार की सभी शिकायतों की पूरी पूरी जांच की जाती है। 5 शिकायत सही पायी गयी और तेल कम्पनियों ने उपभोक्ताओं को इसके लिए मुआवजा दिया ; 4 शिकायतें सही नहीं पायी गयी थीं ; 7 शिकायतें सामान्य रूप की थे जिनमें इस आशय के किसी विशेष उदाहरण का कोई उललेख नहीं किया गया था कि विक्रेता ने कम मात्रा भरे गैस सिलेन्डर सप्लाई किये थे। बाकी दो शिकायतों की जांच की जा रही है।

सिविल सप्लाई तथा सहकारी मंत्रालय के भार-तोलन तथा मापन 'निदेशालय को पिछले 6 माह में सिलेन्डरों में गैस को कम भरे जाने के बारे में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इंडियन आयल कार्पोरेशन अभी तक उपरोक्त नकली गैस के सिलेन्डरों को सप्लाई करने वाले साधन का पता नहीं लगा सका है। अतः उन कम्पनियों/व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, जो इस प्रकार के नकली गैस सिलेन्डरों की सप्लाई के लिए उत्तरदायी हैं। बाटलिंग संयंत्रों में जैसे ही सिलेन्डर प्राप्त होते हैं तो उनको गैस भरने से पूर्व उनकी बारीकी से जांच की जाती है। किसी भी ऐसे सिलेन्डर को, जिसे संदेहास्पद स्थिति में पाया जाता है, एक तरफ रख दिया जाता है और उनकी और जांच तथा परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार के सिलेन्डरों को अलग कर दिया जाता है और इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा, कभी कभी यदि इस प्रकार के नकली सिलेन्डरों का प्रारम्भिक वास्तविक जांच के दौरान किसी कारणवश पता नहीं चल पाता तो इन्हें गैस भरे जाते समय उनका पता चल जाता है, क्योंकि आन्तरिक दबाव के कारण इस प्रकार के सिलेन्डरों से गैस टपकने लग जाती है और उन्हें अलग नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार रद्द किये गये सिलेन्डरों में गैस को भरकर इनकी सप्लाई न की जाये इस प्रवृत्ति से बचने के लिए इस प्रकार के सभी सिलेन्डरों को दाब कर सपाट बना दिया जाता है अथवा इन्हें रद्दी करार देने से पूर्व इन्हें कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। मुख्य विस्फोटक पदार्थ निरीक्षक द्वारा सिलेन्डर निर्माणकर्ताओं को इस आशय की हिदायतें जारी की गयी है कि इस प्रकार के सिलेन्डरों, जिन्हें निरीक्षण के दौरान अधूरी प्रक्रिया से तैयार किया पाया गया हो अथवा जिन्हें रद्द कर दिया गया

हो उन्हें समुचित रूप से विकृत कर दिया जाये ताकि इस प्रकार के कटे-फटे टुकड़ों का किसी सिलेन्डर के लिये प्रयोग न किया जा सके। इन गैस सिलेन्डरों को बाटलिंग संयंत्रों में श्रमिकों द्वारा स्वचालित मशीनों और गैर स्वचालित मशीनों से भरा जाता है। ट्रक चालकों को सप्लाई करने से पूर्व इन सिलेन्डरों की आकस्मिक जांच पड़ताल की जाती है। कम गैस से भरे सिलेन्डरों को अलग कर दिया जाता है और बाटलिंग संयंत्रों से ट्रक चालकों को केवल वहीं सिलेन्डर दिये जाते हैं जिनमें गैस सही वजन में भरी गयी होती है। तेल कम्पनियों को इस आशय की स्थायी हिदायतें हैं कि उपभोक्ताओं को सिलेन्डरों की सप्लाई करने से पूर्व इन सभी सिलन्डरों का दोनों स्थानों पर अर्थात् बाटलिंग संयंत्र और वितरकों के गोदाम से वजन किया जाना चाहिये। दिल्ली में प्रयोगात्मक आधार पर समुचित चोरी रोधक टिनमुहार लगानी आरम्भ की जा चुकी है।

वीरमगाम-ओखा लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3265. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम रेलवे की वीरमगाम-राजकोट पोरबन्दर-ओखा लाइन मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के पहले से चल रहे कार्य को प्राथमिकता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिये चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त निधि की व्यवस्था करने का है ; और यदि हां, तो कब और कितनी ; और

(ग) यदि नहीं, क्यों नहीं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) वीरमगाम-ओखा/पोरबन्दर आमान-परिवर्तन परियोजना को पहले ही उच्च प्राथमिकता दी गयी है और इसके लिए 1977-78 में आबंटित 5.50 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वर्ष में 7.93 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

मध्य रेलवे में स्थानीय गाड़ियों को रद्द किए जाने के विरुद्ध दैनिक यात्रियों द्वारा प्रदर्शन

3266. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे को उपनगरीय गाड़ियों के दैनिक यात्रियों ने बी० टी० और अन्य स्टेशनों पर हाल ही में स्थानीय गाड़ियों के देर से चलने और उन्हें रद्द किये जाने के विरोध में हिंसापूर्ण प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें जलाई गई/नष्ट की गई/क्षतिग्रस्त हुई रेलवे की सम्पत्ति सहित तत्सम्बन्धी तथ्यों का पूर्ण ब्यौरा क्या है और उसमें कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) क्या स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने प्रभावपूर्ण एवं उपचारात्मक कार्यवाही तत्काल की है और यदि हां, तो किस प्रकार की ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 1 उपनगरीय स्थानीय गाड़ियों के प्लाटफार्म में परिवर्तन करने के कारण 26-5-78 को बम्बई वी० टी० में दैनिक यात्रियों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। आने वाली 3 बिजली गाड़ियों के रेकों को एक-एक करके काम में न आने योग्य घोषित कर दिया गया। कुछ दैनिक यात्री हिंसा पर उतारू हो गये और उन्होंने बिजली गाड़ियों के बहुत से रेकों, स्टेशन प्लेटफार्म के शीशों गाड़ी सूचकों और बहुत से स्वचालित सिगनल लैंसों को काफी क्षति पहुंचायी। पहले दर्जे के एक सवारी डिब्बे को आग लगा दी गयी। यह सवारी डिब्बा तो जल कर राख हो गया लेकिन अग्नि-शमन दस्ते द्वारा अन्य सवारी डिब्बों को आग लगने से बचा लिया गया। दो मोटरमैन,

एक सहायक स्टेशन मास्टर और कुछ अन्य रेल कर्मचारी भी घायल हुए। कुछ मोटरमैनों और दैनिक यात्रियों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके फलस्वरूप मोटरमैनों ने काम बन्द कर दिया और उपनगरीय गाड़ियां चलाने से इंकार कर दिया। परिणामस्वरूप उपनगरीय गाड़ी सेवाएं 26-5-78 को 20.00 बजे से निलम्बित हो गयी और 27-5-78 को 00.15 बजे फिर शुरू हुयीं। जो दैनिक यात्री बम्बई वी० टी० से भायखला की ओर रेलपथ के साथ-साथ पैदल जा रहे थ, उन्होंने खड़े हुए रेकों पर, जिन्हें वी० टी० में झगड़े के फलस्वरूप उस खंड में रोक दिया गया था पथराव किया।

2. 30-5-78 को बांद्रा की ओर जाने वाले दैनिक यात्री हार्बर ब्रांच के वडाला रोड स्टेशन पर आधे घंटे तक रेलपथ पर बैठे रहे और यह मांग करते रहे कि मानखुर्द की ओर जाने वाली गाड़ी को बांद्रा ले जाया जाये।

3. मानखुर्द की ओर जाने वाली गाड़ियों को कुर्ला में समाप्त कर देने के सिलसिले में 31.5.78 को कुर्ला में और 1-6-78 को चेम्बूर में जनता में आक्रोश पैदा हो गया।

4. लगभग 19.00 बजे बिजली गिरने के कारण दीवा और कल्याण के बीच बिजली की सप्लाई में बाधा पड़ जाने के फलस्वरूप स्थानीय गाड़ी के देर से चलने के कारण 12-6-78 को डोम्बीवली में दैनिक यात्रियों में आक्रोश फैल गया। दैनिक यात्रियों ने एन-9 डाऊन बम्बई-कसारा स्थानीय गाड़ी पर, जो कि 22.30 बजे गेट सिगनल पर लाल बत्ती होने के कारण रुकी हुई थी, पथराव किया। पथराव के फलस्वरूप मोटरमेन घायल हो गया। लेकिन वह गाड़ी को डोम्बवली प्लेटफार्म तक ले गया। जब मोटरमैन की सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा की जा रही थी तब भीड़ में से कुछ लोगों ने डोम्बीवली स्टेशन पर पथराव किया। पथराव के फलस्वरूप एन-9 डाऊन और दो अन्य गाड़ियों के रेक तथा सूचक बोर्ड, स्टेशन घड़ी, चाय का स्टाल आदि क्षतिग्रस्त हो गये। इस घटना के फलस्वरूप अप और डाऊन दोनो लाइनों पर गाड़ी सेवाएं टप हो गयीं और 13-6-78 को प्रातः 1.15 बजे पुनः आरम्भ हुयीं।

5. 1,32,600 रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है।

(ग) मध्य रेलवे उपनगरीय गाड़ियों के चालन के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय अध्ययन दल ने जांच की है और कुछ उपाय सुझाए हैं। इन उपायों पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

बालक विवाह 'शारदा' अधिनियम का अतिक्रमण

3267. **प्रो० पी० जी० मावलंकर**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विभिन्न भागों में हजारों विवाह बालक विवाह "शारदा" अधिनियम का अतिक्रमण करके अभी भी हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अवैध विवाहों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या लड़कों और लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 और 16 वर्ष से बढ़ाकर क्रमशः 21 और 18 वर्ष करने के लिए उक्त अधिनियम में जो संशोधन संसद् के दोनों सदनों ने हाल ही में पारित किया था उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है और यदि हां, तो यह कब से लागू होगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) सरकार को पता है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 बालकों के विवाह को समाप्त करने के लिए पूर्णरूप से प्रभावी साबित नहीं हुआ है फिर भी सरकार को ऐसी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करने के कितने बाल विवाह हो रहे हैं ।

(ग) बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1977 का आशय लड़कियों के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष के और लड़कों के लिए 18 वर्ष से 21 वर्ष करने का है। उक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 13 मार्च, 1978को प्राप्त हो गई है और सरकार इसे शीघ्र लागू करने का इरादा रखती है।

अहमदाबाद और जोधपुर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने सबंधी प्रस्ताव

3268. **प्रो० पी० जी० मावलंकर :**
श्री आर० डी० गट्टानी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों को अधिक संख्या को देखते हुए पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद और जोधपुर (राजस्थान) के बीच कोई नई दैनिक तीव्र अथवा एक्सप्रैस रेलगाड़ी शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) अहमदाबाद में टर्मिनल सुविधाओं की कमी होने तथा मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की स्थिति खराब होने के कारण अहमदाबाद और जोधपुर के बीच कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाना पारिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

Representation received from Employees of Family Welfare Department of Railways

†3269. **Shri Hargovind Verma;** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of representations received from the employees of the Family Welfare Department of the Indian Railways during the past one year;

(b) whether any action has, so far, been taken thereon by the Government: and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ?

Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) The Railway Ministry have received 26 such representations through various agencies during the period from April, 1977 to July, 1978.

(b) & (d) The matter is undei consideration in consultation with the Ministry of Health.

Incidents of theft of Railway Property

†3270. **Shri Hargovind Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the incidents of thefts of railway property have been increasing duiing the past two months;

(b) if so, the value of property stolen during this period; and

(c) the number of theft cases solved ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain):(a) During the last 2 months there has been increase in the thefts of railway properties in Central, Northern, South Central and Western Railways only.

(b) Rs. 38,11,870 (Rupees thirty eight lakhs, eleven thousand eight-hundred and seventy only).

(c) 1038 cases were solved during the last 2 months and nearly 6 lakhs of rupees of property recovered.

राज्य व्यापार निगम द्वारा औषधधियों पर मुनाफा कम किए जाने का प्रस्ताव

3271. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार कुछ आयातित औषधियों पर अपने मुनाफे में कमी करने का है ;

(ख) क्या इस कमी का खुदरा मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) स्टैट कैमिकल्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी० पी० सी०) द्वारा आयातित बल्क औषधों के मूल्य, सी० सी० आई० ई० फार्मूला के अनुसार सरकार निम्न प्रकार से निर्धारित करती है ।

1. भारित औसनत सी० आई० एफ० मूल्य वास्तविक;
2. सीमा शुल्क यथा मूल्य शुल्क सहित, अगर कोई हो,
3. स्वीकृत, प्रभार चार्जिस सी० आई० एफ० लागत का 2 प्रतिशत
4. उतारने की लागत उपरोक्त (1) से (3) का जोड़
5. एल० सी० औपनिंग प्रभार तथा यात्रा ब्याज ।
   सी० आई० एफ० लागत का 2 प्रतिशत ;
6. विवरण प्रभार उतारने की लागत का 5 प्रतिशत;
7. सी० पी० सी० मार्जिन सी० आई० एफ० लागत का 3 प्रतिशत ;
8. विक्रय मूल्य उपरोक्त (4) से (7) का जोड़ ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की उप-समिति (श्री के० एस० चवाड़ा, संसद् सदस्य की अध्यक्षता में) ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी इस फार्मुले का पुनरीक्षण किया जाए 2 केन्लाजिंग/डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर ऐसे लागतों को कम करने तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभ की उपभोक्ता को देने के विचार से, सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तथा इसके कार्यन्वयन के लिए कारंवाई आरम्भ की गई है।

रेल और डाक तार कर्मचारियों के लिए बोनस के बारे में गोष्ठी

3272. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल और डाक-तार कर्मचारियों के लिए बोनस के बारे में हाल ही में नई दिल्ली में में एक तीन दिवसीय गोष्ठी का आयोजन भारतीय प्रशासनिक कालेज द्वारा किया गया था

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में इस बारे में क्या सिफारिशें की गईं और ;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वेतन, आमदनी और मूल्य नीति पर बहस करने लिए 3 से 5 जुलाई, 1978 तक नयी दिल्ली में एक गोष्ठी आयोजित की गयी थी। बहस के मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ बोनस का भुगतान भी शामिल था।

(ख) अभी तक सरकार द्वारा कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Production of Fertilizers and setting up of Fertilizer Plants in Madhya Pradesh

3273. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilijers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at present the demand for fertilizers in the country is constantly increasing and production is not increasing in the same proportion;

(b) whether it is also a fact that there is a possibility of setting up fertilizers factories based on the gas available from Bombay High;

(c) whether it is also a fact that Mandsaur and Ratlam districts in Madhya Pradesh are suitable therefor as these are densely populated agricultural areas and are centrally situated in the country and there is industrial peace there and adequate facilities of land etc. are available there and Madhya Pradesh Government is ready to extend its full cooperation;

(d) whether it is also a fact that as in the case of Mathura refinery, gas can be brought here (Mandsaur-Ratlam) from Bombay High through pipelines; and

(e) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Production of fertilizers has been steadily increasing over the years and the proportionate growth rate of production has been higher as against that of consumption, as will be borne out from the details of production and consumption as at the end of Fourth and Fifth Five Year Plans given below :—

(Quantity in lakh tonnes)

	(End of Fourth Plan) (1973-74)		(End of Fifth Plan) (1977-78)		Growth rate%	
	N	P_2O_5	N	P_2O_5	N	P_2O_5
Consumption . .	18.29	6.50	28.88	8.27	57.8%	27.2%
Production . .	10.60	3.23	20.00	6.70	88.7%	107.4%

However, as production presently falls short of the demand, concerted efforts are being made to augment fertilizer capacity and to move towards the goal of self-sufficiency. Thirteen large sized fertilizer projects are presently under various stages of implementation, and it is also proposed to take up for implementation some new projects in the Sixth Plan.

(b) Yes, Sir.

(c), (d) and (e) The location of a fertilizer project is based on techno-economic considerations which inter-alia include factors such as availability of feedstock, availability of infrastructure faeilities, proximity to the market and demand of fertilizers in the economic marketing zone of the project, etc. A study made in regard to the optimum utilisation of the gas available from Bombay High/Bassein structure has brought out that it is cheaper to produce fertilizers near the source of supply of the gas rather than transport the gas for production of fertilizers at a distant place.

Progress made in connection with Fertilizer Plant at Korba

3274. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Kachrulal Hemraj Jain:
Shri Chhabiram Argal :

Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the detailsaof the progress achieved in 1977-78 regarding the fertilizer factory under construction at Korba ;

(b) the expenditure incurred thereon in 1977-78; and

(c) the reasons for delay in the construction of the factory keeping in view the great demand for chemical fertilizers ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) (a) to (c) Upto 31-3-1978 an expenditure of Rs. 20.46 crores has been incurred on the project. Due to resources constraint the implementation of the project was slowed down from the middle of 1974. It has been decided to take up its further implementation only after experience is available of the operation of the first twocoal based fertilizer plants in the country that are already under implementation at Talcher and Ramangundam and which are expected to go into trial production in early 1979.

Electric Grade Poly-propylene Film Unit

†3275. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the electric grade Pole-propylene film unit was registered for Madhya Pradesh on 9th December, 1977 under No. 938 (77) dated 9-12-77;

(b) whether this film is imported at present ;

(c) whether a letter No. 4869, dated the 10th May, 1978 on the subject has been received from Madhya Pradesh Government; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) An application submitted by the Madhya Pradesh State Industries Corporation Limited for the issuance of a letter of intent for the manufacture of electrical grade biaxially oriented Poly-propylene film was received and registered under number 938(77)/IL dated 9-12-77.

(b) Electrical grade biaxially oriented film is not in the banned list of items under the existing Import Policy.

(c) and (d) No, Sir. However, the Chief Minister of Madhya Pradesh had sent a letter of the Madhya Pradesh State Industries Corporation Limited bearing No. MPSCI/P-Gen/152/4869-71 dated 15-5-78 for reconsideration of its application for the issuance of an industrial licence. The case was reconsidered but it was not found possible to issue a letter of intent to the Corporation because sufficient capacity of the item had already been released.

Rise in Prices of Essential Drugs

3276. **Shri Bharat Singh Chowhan** : Will the Minister of **Petroleum, Chemicals & Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether prices of some essential drugs have gone up recently ; and

(b) if so, the names of such drugs and the reasons for allowing the companies to rais the prices?

The Minister of Petroleum, Chemicals & Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Increase in Prices of Medicines by Foreign Drug Firms

3277. **Shri Bharat Singh Chowhan :**
Shri Yagya Datt Sharma:

Will the Minister of **Petroleum, Chemicals & Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some foreign companies have also increased prices of their medicines during the last six months ;

(b) if so, the names of those companies and the names of medicines whose prices have been increased and the extent to which prices there of have been increased; and

(c) the reasons for which Government have allowed those companies to increase the prices thereof ?

The Minister of Petroleum, Chemicals & Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) No, Sir. The prices of drugs are regulated under the provisions of drugs (Price Control) Order, 1970 under which prior approval of the Government is necessary to any increase in prices.

(b) & (c) Does not arise.

Production of Fertilizers

3278. **Shri Bharat Singh Chowhan :**
Shri Subhash Ahuja:

Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the production of fertilizers in the country for the past three years, year-wise;

(b) whether it meets the present demand of the Country; and

(c) if not, what effective measures are proposed to be taken to augment the production ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Production of fertilizers during the last three years was as follows :—

Year	Production (In lakh tonnes) Nitrogen	Phosphate
1975-76	15.35	3.20
1976-77	19.00	4.80
1977-78	20.00	6.70

There is no indigenous production of potash.

(b) No, Sir.

(c) Modification programmes like debottlenecking, renovations, replacements, renewals, etc. are being carried out in the operating units with a view to optimising their production. In addition, a large scale programme comprising of thirteen large sized projects is under implementation so as to augment the production capacity for fertilizers. As the prodution from the units in operation and the projects under implementation would still fall short of the estimated requirements of the fertilizers by the end of the Sixth plan, it is proposed to set up four large sized fertilizer plants based on the gas available from Bombay High/Bassein structure, two each in Maharashtra and Gujarat, and one plant at Namrup in Assam based on the gas available from the oil fields of ONGC and Oil India Limited. A letter of intent has also been issued to M/s. Indian Explosives Limited for expansion of the capacity of their existing plant at Kanpur.

Issue of Licences for Opening of Petrol Pumps, Fertilizers Factories Etc.

3279. **Shri Bharat Singh Chowhan:**
Shri Chaturbhuj:

Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that new licences have been granted for the opening of patrol pumps, setting up of fertilizer factories and for manufacturing drugs in various parts of the country ;

(b) if so, the names of the persons who have been given these licences and the names of places in this regard ;

(c) whether any criteria were adopted for grant of these licences ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) & (b) The requisite information for the year 1978 in regard to the setting up of Fertilizers and Drug Plants in the country is indicated in the Annexure.

As for petrol pumps, collection of details asked for will be quite laborious and time consuming which will not be commensurate with the results likely to be achieved.

(c) & (d) Commercial considerations like availability of raw materials, likely demand for the product, benefits accruing to the society from the manufacture of a particular product and the financial viability of the project are *inter-alia* usually taken into account in granting licences.

STATEMENT

Name of the Party	Location of the Unit
FERTILIZERS :	
1. M/s. M.P. Agro Morarji Fertilizer Limited	Meghanagar, Jhabua Distt., M.P. State.
2. M/s. Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Limited	Kakinada, Andhra Pradesh.
3. M/s. Deepak Nitrite Limited.	Taloja, Maharashtra.
DRUGS :	
1. Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited	Dehradun (U.P.)
2. M/s. Unichem Laboratories Limited .	Roha, Distt. Kolaba, Maharashtra.
3. M/s. Alembic Chemicals Works Limited	Baroda, (Gujarat).
4. M/s. B.E.C. Chemicals Privated Limited .	Roha, Distt. Kolaba (Maharashtra).
5. M/s. MaoLaboratories	Vidyavihar (Maharashtra).
6. M/s. New Drugs (India) Limited . .	Medak (Andhra Pradesh)
7. M/s. Ranbaxy Laboratories . .	Kharar (Punjab)
8. M/s. Standard Pharmaceuticals Limited	Seramput, Distt. Hooghly, (West Bengal).
9. M/s. Amrutanjan Limited . . .	Mylapora (Madras).
10. M/s. Orient Pharmaceuticals Limited .	Distt. Chinglaput (Tamil Nadu).
11. M/s. Sarabhai M. Chemical . .	Baroda (Gujarat)
12. M/s. Hindustan Antibiotic Limited .	Pimpri, Distt. Poona.
13. M/s. Duphar Interfran Limited . .	Thana (Maharashtra).

इंटरचेंज पाइन्ट को गुडुर से बदल कर तिरुवोतियुर करने के बारे में अभ्यावेदन

3280. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्टरचेंज पाइण्ट को गुडुर से बदल कर तिरुवोतियुर करने के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया गया है;

(ख) क्या इस बारे में विजयवाड़ा और अन्य क्षेत्रों के रेलवे कर्मचारियों ने कोई आन्दोलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अदला-बदली स्थल में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Preference to Harijans and Backward Classes for Importing Crude Oil

3281. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is necessary to import crude oil ;

(b) if so, the quantity imported by Government as well as private sector during last three years ; and

(c) whether Harijans and the people belonging to backward classes are being given preference in import of crude in private sector ?

The Minister for Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) Import of crude oil is necessary in order to meet the demand for petrolleum products, after reckoning the availability of indigenous crude oil, country's refining capacity and the requirements for import of deficit petroleum products.

(b) The information is as under :—

(Qty. Million Tonnes)

Year	Crude Improts		
	Private Sector	Public Sector	Total
1975-76	0.8	13.1	13.9
1976-77		14.1	14.1
1977-78	..	14.4	14.4

(c) Import of crude oil is permitted only through the public sector oil companies. The question of according preference to Harijans and the people belonging the backward classes in import of crude oil in private sector, therefore, does not arise.

औषध फर्मों को अग्रिम रूप से कच्चे माल का आवंटन

3282. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध फर्मों को अग्रिम रूप में कच्चा माल का आबंटन करने और सामान्य आबंटन को रोकने के बारे में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ; गत तीन वर्षों में कितनी बार अग्रिम रूप से आबंटन किये गये, औषधियों का ब्यौरा क्या है, फर्मों के नाम क्या है आदि और अग्रिम रूप से आबंटन करने के क्या कारण हैं, आई० टी० सी० नीति के उपबन्ध क्या हैं और ऐसा किस प्राधिकार के अन्तर्गत किया जाता है; और

(ख) उन सरणीवद्ध मदों के लिये जिनका देश में उत्पादन नहीं होता और जिनके बारे में सी० पी० सी० कम मूल्यों पर खरीद के बारे में पूर्ण आश्वस्त है उनके आयात की अनुमति 'रिप्लेनिशमेंट और वास्तविक उपभोक्ता'' लाइसेंसों के अन्तर्गत क्यों नहीं दी जाती, जबकि ऐसे एकक उनका आयात सी० पी० सी० मूल्यों से बहुत कम मूल्यों पर करने को तत्पर है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सी० पी० सी० तथा आई० डी० पी० एल० द्वारा केनालाइज्ड कच्चे माल के अग्रिम विनियोजन के लिये अपनाई जाने वाली कार्यविधि तथा कारणों की स्थिति लोक सभा में 18-7-78 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 306 के भाग (ग) के उत्तर में बतायी गई थी। आयात नीति या रसायन एवं उर्वरक विभाग द्वारा निर्धारित किये गये मार्ग दर्शक सिद्धांतों में केनालाईजड कच्चे माल के अग्रिम विनियोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु सी० पी० सी० और आई० डी० पी० एल० अपने व्यापारिक अभिमत के अनुसार अपना विक्रय बढ़ाने तथा स्टाक को कम करने के लिये उद्योग की आवश्यकतायें पूरी करने के पश्चात् अग्रिम विनियोजन करते हैं।

सी० पी० सी० तथा आई० पी० एल० द्वारा गत तीन वर्षों में केनलाइजड कच्चे माल के अग्रम विनियोजन के विवरण एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रखे जायेंगे।

(ख) केनालाइजड बल्क औषधों का वास्तविक उपभोक्ता या आर० ई० पी० आयात लाइसेंस के आधारपर स्वतंत्र आयात के लिये स्वीकृति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह उद्देश्य विफल हो जायेंगे जिन के लिये केनलाईजेशन किया गया है। यह उद्देश्य है :—

(1) सभी निर्मता यूनिटों को एकत्र किया जाय जिस में एक पर्याप्त मांग बनती हो जिसके आधार पर विश्व बाजार में लाभदायक मूल्य प्राप्त करने तथा बेहतर शर्तों के लिये मोल भाव किया जा सके।

(2) न्यूनतर उच्च कोटि का देश में आयात/आरम्भ इस तरह नियमित किया जाय जिससे उसी प्रकार के चिकत्सीय मूल्य की स्वदेशी औषधों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(3) स्वदेशी उत्पादन का संरक्षण विशेषत: जब स्वदेशी उत्पादन देश की आवश्यकता पूरा करने के लिये अपर्याप्त है।

(4) कच्चे माल के एक समान मूल्य पर बराबर सप्लाई को सुनिश्चित करना बिचौलियों के मुनाफे को दूर करना ताकि ऐसे कच्चे माल पर आधारित फार्मूलेशन का मूल्य एक विशिष्ट तथा एक जैसे स्तर पर रखी जा सके।

(5) उद्योग के छोटे पैमाने के क्षेत्र जिनकी आवश्यकताऐं थोड़ी सी होती है, को सहायता देना जिससे अलग-अलग फर्म द्वारा आयात को अनर्थिक तथा अव्यवहारिक बनाया जाय।

परन्तु 1978-79 की आयात-निति के अनुबन्ध 17 में बतायी गई विधि के अनुसार कुछ केनलाइजड औषधों का आर० ई० पी० लाइसेंस के आधार पर आयात करने लिए स्वीकृत दी जाती है।

Withdrawal of Trains Running Between Kota and Ratlam

†3283. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether 129 Down and 130 Up parcel trains running between Kota and Ratlam have been withdrawn;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the reasons for reducing the sanctioned number of coaches in most of the passenger trains ; and

(d) whether the number of second class compartments is proposed to be increased in the Kota-Ratlam, Kota-Bina, Kota-Mathura and Dehra Dun Express to accommodate marriage parties and during fair and rainy seasons; if so, by what time ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shro Sheo Narain) : (a) & (b). 129/130 Kota-Vadodara Parcel Passenger was cancelled only for 3 days during 6-5-78 to 8-5-78 due to limited availability of Steam Coal.

(c) The full complement of coaches on certain trains could not be maintained on occasions due to difficult position of coaching stock.

(d) During marriage seasons, fairs, festivals etc. arrangements are made to clear the extra rush of traffic by attaching additional begies and/or by running special trains. Durnig

summer months 59 special trains were run between Bombay Central and Nizamuddin/Jammu Tawi. One pair of extra shuttles daily were run on Guna-Bina sections during 9-4-78 to 20-4-78 and 17-7-78 to 25-7-78.

60 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्ति रेल अधिकारी

3284. **श्री के० लकप्पा** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे :—

(क) उन सेवा निवृत्त रेल अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो चुके हैं तथा जिन्हें आर० आई० टी० ई० एस० नई दिल्ली द्वारा नियुक्त किया गया है ।

(ख) ये अधिकारी रेलवे में किन-किन पदों पर थे तथा आर० आई० टी० ई० एस० में वे किन-किन पदों पर हैं और उनका कार्यकाल, वेतन भत्ते, और इन पदों के लिए उनकी तकनीकी अर्हतायें क्या हैं; और

(ग) क्या अन्य सेवारत उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हो सके थे, यदि हां, तो क्या यह सच है कि आर० आई० टी० ई० एस० में पुनः नियुक्त कुछ अधिकारी नई दिल्ली में स्टेशन सुपरिन्टेंडेन्ट के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने कदाचार से धन कमाया था और अब उनके पास उनकी आय के विज्ञ-स्त्रोतों की तुलना में कहीं अधिक आस्तियां हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : रेल इंडिया टेक्नीकल एण्य इकानामकि सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स), जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, तीन परिवहन, अध्ययन एक साथ कर रहा है, जो कम अवधि के हैं और एक निश्चित समय में पूरे किये जाने हैं। ऐसे कम अवधि के कार्यों के लिए सामान्य प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर सेवारत रेल कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करना सदैव संभव नहीं होता । यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसे कार्य अनुबंधित कार्यक्रम के अनुसार हों, कम्पनी द्वारा दैनिक नैमित्तिक दर के आधार पर कुछ अनुभवी कर्मचारी रख लिये जाते हैं। लेकिन, ये कर्मचारी किसी निश्चित कार्या-काल या अवधि के लिए नियमित तौर पर नहीं रखे जाते । उनकी सेवाओं का उपयोग यदा-कदा केवल कम अवधियों के लिये और विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है।

उत्तर रेलवे के सेवा-निवृत्त स्टेशन अधीक्षक, श्री जी० सी० बन्ना ही केवल ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और वे कम्पनी में उपर्युक्त विधि के अनुसार नियोजित हैं । उनका चयन यात्री तथा अन्य यातयात के परिवहन के संबंध में उनके व्यापक अनुभव के आधार पर किया गया था । उनकी नियुक्ति पूर्णतया दैनिक नैमित्तिक दर के आधार पर की गयी है और अब उपर्युक्त चालू अध्ययन पूरे हो जायेंगे, उनको कम्पनी में नहीं रखा जायेगा।

जब श्री बन्ना उत्तर रेलवे पर स्टेशन अधक्षीक थे, तब उनके खिलाफ तीन मामलों में सर्तकता विभाग द्वारा जांच की गयी थी। इन मामलों की जांच-पड़ताल समक्ष प्राधिकारी द्वारा की गयी थी और अन्ततः केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इन मामलों को बंद कर दिया गया था। लेकिन, कोई भी मामला इस आरोप से संबंधित नहीं था कि उक्त कर्मचारी के पास उसकी आमदनी के प्रथम प्रत्यक्ष साधनों की तुलना में अधिक परिसम्पत्ति है।

कम्पनी की नियमित सेवा में 60 वर्ष से अधिक की आयु के कोई कर्मचारी नहीं है।

पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में व्यवधान के कारण तेल उद्योग में संकट

3285. **श्री के० ए० राजन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1978 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में गम्भीर व्यवधान के कारण तेल उद्योग में संकट है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गयें हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) अगस्त, 1978 के दौरान लगभग तीन सप्ताह के लिए बम्बई में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की शोधनशाला के क्रूड डिस्टीलेशन यूनिट की मरम्मत करने के लिए बन्द करने की योजना थी। परन्तु शोधनशाला की आकस्मिक मरम्मत करने के लिए इसे पहले ही 8 जुलाई 1978 को बन्द करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त लगातार श्रमिक समस्या के कारण इंडियन आयल कार्पोरेशन की बरौनी शोधनशाला में क्रूड थ्रूपुट में कटौती कर दी गई। बरौनी शोधनशाला में कच्चे तेल की कमी हो जाने के कारण तथा बम्बई शोधनशाला को बन्द करने के बावजूद तेल उद्योग में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। बाकी सभी शोधनशालाओं में कच्चे तेल के उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बनाये रखा गया। उत्पादों को और अधिक आयात करके पेट्रोलियम उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए कदम उठा लिये गये हैं।

Railway Accidents

†3286. **Shri Sukhdendra Singh :** Will the Ministe. of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there have been more railway accidents during 1977-78 as compared to those occurred during previous years ;

(b) the total number of railway accidents occurred in 1975-76, 1976-77 and 1977-78 and the number of persons killed and of those injured therein ;

(c) the total amount of money paid to the families of those killed or injured; and the details thereof, year-wise; and

(d) the effective measures taken by Government to check such accidents ?

Minister of State in the Ministrer of Railway (Shri Sheo Narain) : (a) No.

(b) The number of train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains which occurred on the Indian Government Railways during 1975-76, 1976-77 and 1977-78, and the casualties involved therein are given below:—

Year	No. of accidents	Casualties	
		Killed	Injured
1975-76	964	213	846
1976-77	780	167	664
1977-78	866	300	744

(c) During 1975-76, 1976-77 and 1977-78, Rs. 17.08 lakhs, Rs. 30.04 lakhs and Rs. 27.66 lakhs respectively were paid to victims/dependants involved in these train accidents under the indian Railways Act, 1890.

Information relating to the payment of compensation to railway employees concerned who were involved in these train accidents while on duty is being collected and will be laid on the Table of lhe House.

(d) Since human failure is the largest single factor responsible for accidents, S afety Organisations on the Railways have been engaged in a relentless campaign to create greater safety consciouness amongst the staff connected with the running of trains and to ensure that staff do not violate rules or indulge in short-cut methods that may lead to accidents. Examination of trains and spot checks in carriage and wagon depots have been intensified and greater attention is being paid to the proper maintenance of track. In order to reduce dependence on the human element, various sophisticated aids like ultrasonic flaw detectors for wheels, axles and rails, track circuiting, axle counters, automatic warning system etc. are being introduced progressively.

बहुराष्ट्रीय औषध निगमों का राष्ट्रीयकरण

3287. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

पंडित द्वारिका नाथ तिवारी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औषध तथा फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में **नौ** बहुराष्ट्रीय निगमों का रा ष्ट्रीकरण करने का प्रस्ताव था ;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह प्रस्ताव त्याग दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

माल डिब्बों के आने जाने में रुकावटें दूर करने के लिए संगणकों का प्रयोग

3288. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माल डिब्बों के आने जाने में रुकावटें दूर करने के लिए रेलवे में संगणक व्यवस्था का उपयोग करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :

(क) और (ख) रेलों पर संगणकों द्वारा माल डिब्बा नियंत्रण प्रणाली लागू करने की व्यावहारिकता की जांच की जा रही है।

सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स द्वारा दिए गए विज्ञापन की रसीदों की लेखा-परीक्षा

3289. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा फरवरी/मार्च 1977 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिये गये 4,40,000 रु० और 35,000 रुपए के दो विज्ञापनों के स्मारक ग्रन्थों, रसीदें तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरे की लेखा परीक्षा कर ली है;

(ख) यदि उक्त कम्पनी के लिए तैनात किये गये केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निरीक्षक को जांच हेतु सभी ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराये गये हैं तो इस अनियमितता के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या ये राशियां नकदी के रूप में दी गई थीं अथवा चैक के द्वारा?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) :

(क), (ख) और (ग): मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को चैक द्वारा 4,75,000 रु० की राशि अदा की थी। कुल 4.40 लाख रु० की राशि के विज्ञापन 48 स्मारिकाओं में प्रकाशित हुए थे जो कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई 35,000रु० की शेष राशि के सम्बन्ध में स्मारिकाएं कम्पनी को प्राप्त नहीं हुई थीं और कम्पनी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को इस विषय पर पत्राचार कर रही है। कम्पनी द्वारा की गई उपरोक्त अदायगी के सम्बन्ध में दस्तावेज तथा ऊपर संदर्भित 48 स्मारिकाएं सी० बी० आई० के जांच अधिकारी के समय रखी गई थी तथा द्वारा उनकी परीक्षा की गई थी। इस सम्बन्ध में नकद अदा की गई राशि की सूचना नहीं मिली है।

अक्तूबर, 1978 से छोटे तथा लम्बे मार्गों पर चलाई जाने वाली नई गाड़ियां

3290. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे विभाग द्वारा 1 अक्तूबर 1978 से किन-किन विभिन्न छोटे तथा लम्बे मार्गों पर नई गाड़ियां चलाई जायेंगी, और

(ख) इनमें से कितनी वातानुकूलित गाडियां होंगी और कितनी गाडियों में केवल मात्र दूसरे दर्जे के रेल डिब्बे होंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस गाडियों की दो जोडियां एक दुर्ग और वाराणसी के बीच और दूसरी हवडा और जम्मू तवी के बीच अक्टूबर 1978 की समय सारणी से चलायी जायेंगी। पहली गाड़ी में पहले और दूसरे-दर्जे के स्थान होंगे जबकि दूसरी गाड़ी श्रेणीहीन होगी, उसमें केवल दूसरा दर्जा होगा 1 अक्टूबर 1978 की समय सारणी में शुरु होने वाली अन्य गाडियों का विवरण तैयार किया जा रहा है।

विश्व बैंक ऋण के अधीन कार्यक्रम

3291. **श्री एस० आर० दामाणी : श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे को 19 करोड़ डालर के हाल ही के विश्व बैंक ऋण की मंजूरी के समय हाल में लिए गये कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है,

(ख) इस ऋण की शर्तें क्या हैं.

(ग) इन कार्यों को पूरा करने की समय सारणी क्या है, और

(घ) इस विश्व बैंक ऋण के अलावा और कितनी अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है और यह राशि किन स्रोतो से प्राप्त करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) प्रस्तावित ऋण में शामिल मदों का ब्योरा और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा उनके लिए सहमत सहायता की राशि नीचे बतायी गयी है :–

मद	डालर (दस लाख में)
(i) कारखाना आधुनिकीकरण परियोजना	125
(ii) पहिया एवं धुरा संयंत्र	38
(iii) पहियों टायरो और धुरों का आयात	15
(iv) विकास सहायता	12
जोड़	190

(ख) पहले दस वर्षों के लिए ऋण की अदायगी से छुट सहित ऋण की अदायगी पचास वर्षों में की जानी है। इस ऋण पर कोई ब्याज देय नहीं है और लिये गये मूलधन पर 3/4% वार्षिक दर से केवल सर्विस प्रभार देय है।

(ग) परियोजना को पूरा करने की अनुमानित तारीख 31 मार्च, 1984 निश्चित की गयी है।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता के अतिरिक्त उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए अनुमानतः 230 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। परम्परानुसार अन्तर्राष्ट्रीय विकास-एजेंसी सहायता की रुपयों में समतुल्य राशि सहित निधियों की समग्र आवश्यकताओं की व्यवस्था रेलों के वार्षिक बजटों के माध्यम से की जायेगी।

विदेशों में रेल निर्माण परियोजानाएं

3292. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल निर्माण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो भारतीय रेलवे द्वारा विदेशों में पूर्ण कर ली गई हैं या जो निर्माणाधीन हैं, और

(ख) क्या कुछ नये करार हुये हैं जिनका क्रियान्वयन अभी आरम्भ होना है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) भारतीय रेलों ने रेलवे के क्षेत्र में अन्य उन विकासशील देशों की तकनीकी जानकारी देने की पेशकश की है जो अपनी-अपनी रेल प्रणाली का विकास करना चाहते हैं। रेल मंत्रालय के अधीन रेल इंडिया टैक्निकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज लि० (राइट्स) और इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि० (इराकन) नामक दो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों

का गठन किया गया है। पहला उद्यम रेल प्रौद्योगिकी और प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा और दूसरा विदेशों में मुख्य रेल परियोजनाओं के निर्माण का काम अपने हाथ में लेगा। सीरिया, ईरान, घाना, होंगकांग, मलेशिया, जैरे, फिलीपीनस, नाईजीरिया, श्रीलंका आदि कुछ विकासशील देशों ने इन सेवाओं का लाभ उठाया है और कुछ अन्य देशों को दिये गये प्रस्तावों पर उनकी सरकारें विचार कर रही हैं।

विदेशों में नयी रेल लाइनें बिछाने के लिये अभी तक कोई ठेका प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्लैक्सो लैबोरेटरीज के कर्मचारियों की कथित बर्खास्तगी

3293. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि ब्रिटेन की एक बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनी ग्लैक्सो लैबोरेटरीज के प्रबन्धकों ने अनेक सक्रिय श्रमिकों और फेडरेशन आफ मैडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन आफ इण्डिया ग्लैक्सो लैबोरेटरीज यूनिट के नेताओं को बर्खास्त कर दिया है;

(ख) यदि हां तो किस आधार पर तथा इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कम्पनी से प्राप्त की गई रिपोर्ट के सन्दर्भ में इन आरोपों की जांच की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 'प्रभावित मैडीकल्स रिप्रेजेंटेटिवस जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत वर्कमैन नहीं हैं की सेवाएं कम्पनी द्वारा उनकी सेवा शर्तों के अनुसार और निर्धारित कार्यविधि के बाद समाप्त की गई थी। बताया गया है कि जिन मैडिकल्स रिप्रिजेन्टैटिव को नौकरी से निकाला गया था वे कम्पनी के उत्पादों का प्रचार करने और उनका विक्रय बढ़ाने के बजाय ऐसी रिपोर्ट भेजते रहे कि विशिष्ट तिथियों पर वे डाक्टरों/विक्रेताओं/ग्राहकों को मिलते रहे हैं जबकी वास्तव में वे इन डाक्टरों/विक्रेताओं/ग्राहकों को नहीं मिले थे। कम्पनी ने बताया है कि गई जांच के फलस्वरूप कम्पनी का इनकी व्यक्तियों की इमानदारी में कोई विश्वास नहीं रहा है। कम्पनी के अनुसार इन की सेवाएं सेवा की शर्तों के अनुसार वैध रूप से समाप्त की गई हैं। यदि किसी कानून या सेवा शर्तों का उल्लघंन किया गया है तो अपकृत (अगरिवड) कर्मचारी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में कीटाणुनाशक औषध निर्माता औद्योगिक एकक

3294. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में तथा विशेष कर पश्चिमी बंगाल में कीटाणुनाशक औषध निर्माता औद्योगिक एककों की संख्या क्या है ;

(ख) उन एककों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ग) पूर्वी क्षेत्र में इसकी कुल कितनी मांग है तथा उसके अपने एककों से कीटाणुनाशक औषधियों की कितनी सप्लाई उपलब्ध है ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि सरकारी क्षेत्र के एकक इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लिमिटेड अथवा हिन्दुस्तान आरगेनिक कैमिकल्स पश्चिमी बंगाल में कीटाणु-नाशक औषधि का निर्माण करने वाली एकक की स्थापना करें; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

(क) पूर्वी क्षेत्र में पेस्टिसाइड्स/पेस्टिसाइड्स फार्मूलेशनों का निर्माण करने वाली 40 एककें हैं, जिसमें से 16 पश्चिम बंगाल में हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

(ग) फरवरी, 1978 को हुई प्लांट प्रोटेक्शन कान्फ्रेस में पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दिखाये गये 1978-79 के लिए तकनीकी ग्रेड पेस्टीसाइड्स की कुल मांग 8,858 मी० टन थी क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में मूल पेस्टीसाइड्स का वर्तमान उत्पादन कम है इसलिए अन्य राज्यों/आयत की यूनिटों से अधिकतर मांग पूरी की जा रही है।

(घ) पश्चिम बंगाल की सरकार ने हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि० जोकि एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है को राज्य पेस्टिसाइड्स प्लांट की स्थापना करने का सुझाव दिया है।

(ङ) सभी अन्य सम्बद्ध तथ्यों तथा स्कीम की सम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए यथा समय निर्णय लिया जायेगा।

हावड़ा-मद्रास मुख्य रेलवे लाइन से काकीनाडा का जुड़ा न होना

3295. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काकीनाड़ा, जो घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इसकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से ग्रामीण है; को हावड़ा-मद्रास की महत्वपूर्ण मुख्य रेलवे लाइन के साथ अब तक सीधे न जोड़ने के क्या कारण है;

(ख) क्या काकीनाडा को मुख्य रेलवे लाइन से सीधे जोड़ने की आवशयकता को महसूस किया गया हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सीधे रेलवे सम्पर्क की स्थापना हेतु इस बारे में अब तक कोई ठोस प्रस्ताव आरम्भ किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : जी हां। काकीनाडा को मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए किये गये सर्वेक्षण से यह प्रकट हुआ है कि यह लाइन अर्थ-क्षम नहीं होगी। संसाधनों की कठिन स्थिति को देखते हुए, इस समय इस काम को शुरू करना संभव नहीं है।

तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल जाने वाली गाड़ियों के साथ हैदराबाद का सम्पर्क स्थापित करने का प्रस्ताव

3296. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल जाने वाली सभी गाडियों के साथ 'गेट आफ साउथ' अर्थात हैदराबाद का सम्पर्क स्थापित करने के राष्ट्रीय महत्व को सरकार समझती है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय समहत्व के इस मामले पर अभी तक कौन से व्यवहार्य प्रस्ताव बनाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :

(क) और (ख) हैदराबाद से तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की ओर जाने वाले यात्रियों को जरुरतें निम्नलिखित गाड़ियों से पर्याप्त रूप से पूरी हो रही हैं :

तमिलनाडु की ओर से

1. 53/54 मद्रास हैदराबाद एक्सप्रेस।

2. 51 /22 और 21 /52 एक्सप्रेस गाड़ियों से हैदराबाद और मद्रास के बीच प्रतिदिन चलने वाले तीन थ्रू सवारी डिब्बे (एक प्रथम एवं दिवतीय श्रेणी की, एक द्वितीय श्रेणी की तथा एक द्वितीय श्रेणी सामान एवं ब्रेक यान)।

कर्नाटक की ओर से

1. 97/98 (99 /100 लिंक एक्सप्रेस) तिरुपति ईस्ट/बेंगलूरू-सिकन्दराबाद वेंकटाद्रि एक्सप्रेस।

2. 85/86 सिकन्दराबाद-बेंगलूरु सिटी एक्सप्रेस।

केरल की ओर

53/54 मद्रास-हैदराबाद एक्सप्रेस तथा सम्बद्ध गाड़ियों से कोच्चिन और हैदराबाद के बीच प्रतिदिन चलने वाला एक दि्वतीय श्रेणी का 3 टियर आंशिक शयनयान।

सरकारी एकक द्वारा उत्पादित तारपीन के तेल (टरपेंटाइन) के बिक्री मूल्य में वृद्धि

3297. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या तारपीन का तेल बनाने वाले सरकारी एकक ने इसका बिक्री मूल्य लगभग 70 प्रतिशत बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) उतर प्रदेश राज्य सरकार की एक उपक्रम मैसर्स इंडियन टरपेनटाईन एंड रोजिन कम्पनी, बरेली जो कि डी जी टी डी को सूची पर है, ने रिपोर्ट की है कि टरपेनटाइन के प्रचालित मूल्य 1.6.77 को प्रति लिटर 1.90 रुपये तथा 1.6.78 को 2.55 रुपये प्रति लिटर थे, जो 34 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हैं। जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों की यूनिटों द्वारा भी मूल्यों में वृद्धि की रिपोर्ट की गई है।

(ख) मूल्यों के अधिक हो जाने के मूख्य कारण कच्चे माल की अनुउपलब्धता तथा लागत में वृद्धि वेतन और मजदूरी, उत्पादन में कमी आदि जैसे अन्य निर्माण सम्बन्धी लागतें बताई जाती हैं।

आर्थिक कारणों से गाड़ियों का चलाया जाना बन्द किया जाना

3298. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक कारणों से कितनी गाड़ियों का चलाया जाना बन्द किया गया था और क्या तनजौर-मन्नारगुड़ी की मीटर गेज लाइन सेक्शन उनमें से एक है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से दक्षिण रेलवे में तनजौर-मन्नारगुड़ी मीटर गेज लाईन पर गाड़ियों को पुनः चालू करने का है, और यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आर्थिक कारणों के आधार पर 12 खण्डों की यात्री यातायात के लिये बन्द कर दिया गया है जिनमें नीड़ामंगलम–मन्नारगुड़ी खण्ड भी शामिल है न कि तंजाउर-मन्नारगुड़ी खण्ड ।

(ख) जी नहीं ।

रेलवे फाटकों पर दुर्घटनायें

3299. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल फाटकों पर रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, यदि हां, तो वर्ष 1976, 1977 तथा 1978 (जून तक) के दौरान ऐसी घटनाओं के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार देश में (एक) स्वचालित रेल सड़क फाटक, (दो) कर्मचारियों द्वारा खोले तथा बन्द किए जाने वाले रेल फाटक, तथा (तीन) जहां कोई कर्मचारी नहीं रहता ऐसे फाटकों की संख्या बतायेगी; और

(ग) ऐसे फाटकों की स्थिति में सुधार करने तथा इनका आधुनिकीकरण करने और जनहानि तथा रेलगाड़ियों को खतरे की स्थिति से रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) समपार पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई है। भारतीय रेलों पर 1976, 1977 और 1978 (जून तक) क्रमशः 87 90 और 57 दुर्घटनाऐं घटित हुईं ।

(ख) (i) और (ii) चौकीदार वाले समपारों की संख्या 14,060 है जिनमें से स्वचल समपारों की संख्या एक है। (iii) बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या 22,300 है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये की गयी कार्रवाई

भारतीय रेलों पर बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या 22,000 से अधिक है और पिछले 4 वर्षों में इन समपारों पर हुई गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :—

1974–75	96
1975–76	78
1976–77	63
1977–78	63

उपर्युक्त से मालूम होगा कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ रही है। यह रेलों द्वारा की गई रोकथाम की कार्यवाहियों के कारण संभव हुआ है। जैसा कि सड़क खतरा चिन्हों की व्यवस्था, रेलवे लाईनों पर सीटी-पट्टों को लगाने, जिनके द्वारा इंजनों के ड्राईवरों को चेतावनी दी जाती है कि समपारों के समीप पहुंचते समय चौकस हो जाए, सड़क-उपयोगकर्ताओं को इश्तहारों, सिनेमा स्लाइडों, रेडियो वार्ताओं आदि-आदि, द्वारा प्रशिक्षित करने के अभियान चलाना। राज्य सरकारों के मोटर वाहन नियमों के अन्तर्गत एक नियम बनाया है जिसके अनुसार मोटर वाहनों के ड्राइवरों के लिये बिना चौकीदार वाले समपार से थोड़ी दूरी पर रुकना और रेलवे लाईन को पार करने के लिये कंडक्टर को वाहन के आगे-आगे चलना आवश्यक बना दिया गया है। सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिये राज्य पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से अचानक छापे भी मारे जाते हैं। जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को यह भी कहा गया है कि वह बिना चौकीदार वाले सभी समपारों के निकटवर्ती पहुंच मार्गों पर गतिभंजकों (उभरे हुए स्थलों) की व्यवस्था करें। इन उपायों को अपनाने से आशा है कि बिना चौकीदार वाले समपारों पर सड़क दुर्घटनायें और भी कम हो जायेंगी।

समपारों पर यातायात गणना करना

2. रेल प्रशासन बिना चौकीदार वाले सभी समपारों पर सड़क और रेल यातायात की आवधिक गणना करते हैं ताकि उन पर चौकीदार रखने की जरूरत की समीक्षा की जा सके। इन समीक्षाओं के परिणामस्वरूप बिना चौकीदार वाले जिन समपारों पर यातायात बढ़ जाता है और काफी अधिक हो जाता हैं उन पर चौकीदार तैनात कर दिए जाते हैं। रेल प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि बिना चौकीदार वाले प्रत्येक समपार पर नियमित रूप से पांच वर्षों में एक बार यातायात गणना की जाय। इसी प्रकार प्रत्येक चौकीदार वाले समपार पर गणना एवं कार्य विश्लेषण 5 वर्षों में किया जाता है ताकि यह निश्चय किया जा सके कि क्या इस समपार का दर्जा बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। जहां कहीं आवश्यकता होती है समपार का दर्जा बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जाती है।

समपारों पर चौकीदार रखना और उनका दर्जा बढ़ाना

3. जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है यातायात गणना/यातायात गणना एवं कार्य विश्लेषण के परिणामस्वरूप बिना चौकीदार वाले कुछ समपारों को चौकीदार वाला बना दिया गया है और चौकीदार वाले समपारों का दर्जा और ऊंचा कर दिया गया है। ऐसा एक कार्यक्रम के आधार पर आवश्यकता के अनुसार किया गया है।

ऊपर उठने वाले रोधक फाटकों, अन्तर्पाशों, टैलीफोन चेतावनी घंटियों इत्यादि की व्यवस्था

4. कार्यकुशलता और संरक्षा में सुधार करने के लिये चौकीदार वाले व्यस्त समपारों पर और अधिक लाईनों वाले ऐसे समपारों पर जहां बहुत अधिक यातायात होता है, ऊपर उठने वाले रोधक फाटकों की व्यवस्था की गयी है। चौकीदार वाले कुछ समपारों पर धीरे-धीरे टेलीफोन चेतावनी घंटियों की व्यवस्था की गयी है ताकि फाटक वालों को गाड़ी के पहुंचने की सूचना पहले से ही दी जा सके। गाड़ियों की टक्करों या सड़क-वाहनों से गाड़ियों की टक्करों को बचाने के लिये व्यस्त समपारों के फाटक गाड़ी सिगनलों के साथ अन्तर्पाशित होते हैं।

निरीक्षण और अनुरक्षण

5. सभी समपारों का विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रति वर्ष नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और उसका उपयुक्त अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। नियमों की जानकारी के बारे में फाटक वालों की परीक्षा ली जाती है और समय-समय पर उनकी द्रष्टि की भी जांच की जाती है।

समपार पर दृश्यता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है और यदि किसी कारणवश यह कम हो जाती है तो इसमें सुधार करने के लिये तत्काल कार्यवाही की जाती है।

ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण

6. बहुत व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुल बनाये जाते हैं जिसका खर्च राज्य सरकारों के साथ मिल कर किया जाता है।

राज्य सरकार को आर्थिक सहायता

7. वर्तमान नियमों के अनुसार समपारों पर चौकीदार रखने या उनका दर्जा बढ़ाने अथवा समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिये राज्य सरकारों को खर्च का एक भाग वहन करना पड़ता है। लागत में अपने हिस्से का खर्च वहन करने के लिये राज्य सरकार को सहायता देने के वास्ते 1-4-66 से रेल संरक्षा निर्माण कार्य निधि का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली लागत की प्रतिपूर्ति रेल संरक्षा निर्माण कार्य निधि में उनके हिस्से से की जाती है। बिना चौकीदार वाले जिन समपारों पर यात्रियों की संरक्षा के लिये भारी खतरा बना रहता है उनका दर्जा बढ़ाकर एक चरणबद्ध रूप से उन्हें चौकीदार वाले समपार बना दिया जायगा जिसकी पूरी लागत रेलवे द्वारा वहन की जायगी।

कुडिनाल तालुका अमरेली (गुजरात) में कुओं से जहरीली गैस निकलने का समाचार

3300. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस अमरेली (गुजरात) ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों को अमरेली जिले के कुडिनाल तालुका में और सुरेन्द्र नगर में भी कुओं से जहरीली गैस निकलने की सूचना दी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि जहरीली गैस के कारण 15 से अधिक व्यक्ति मारे गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (गुजरात) यूनिट ने इसकी जांच की और इन कुओं से निकलने वाली गैस का विश्लेषण किया और इस प्रकार के गैस से विदूषण और मौतों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पुलिस प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 27 जून, 1978 को अमरेली जिला में कोडिनार तालुका के पनाडर गांव में पानी वाले एक खुले शुष्क कुएं में कुछ जहरीली गैस होने के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सूचित किया गया था। इस गैस की जांच करने के लिये एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी।

अक्तूबर, 1977 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को पुलिस प्राधिकारियों द्वारा सुरेन्द्र नगर जिले के खरगोदा रेगिस्तान में पानी वाले एक खुले शुष्क कुएं में कुछ जहरीली गैस के होने के बारे में सूचित किया गया था। उस समय भी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस गैस की छानबीन करने के संबंध में एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी।

(ख) अमरेली जिले के कोडिनार तालुका के पनाडर गांव में इस जहरीली गैस की दुर्घटना से 8 व्यक्तियों के मरने की सूचना है। सुरेन्द्र नगर जिले के खरगोदा रेगिस्तान के कुएं में 2 व्यक्तियों के मरने की खबर है।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने (अमरेली जिला के कोडिनार तालुका के कुएं तथा सुरेन्द्र नगर जिला के खरगोदा स्थित कुएं की जहरीली गैस की जांच और उसका विश्लेषण किया। ये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कुए नहीं हैं। जांच करने वाले अधिकारियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि इन कुओं में व्यक्तिओं की मृत्यु, उन कुओं में आक्सीजन के अभाव के कारण एसफिक्सिया से हुई हैं। अतः वायु मण्डल में किसी प्रकार के प्रदूषण होने का प्रश्न नहीं उठता। किसी भी हालत में इन कुओं में हाईड्रोकार्बन के कारण किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं है और ये कुएं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं।

अहमदाबाद-बडौदा के बीच यात्रियों की भीड़-भाड़

3301. **श्री एफ० पी० गायकवाड़ :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद-बड़ौदा, बड़ौदा-सूरत और सूरत बेलाड़ मार्ग के बीच यात्रियों की अत्यन्त भीड़-भाड़ रहती है।

(ख) साबरमती–वीराड सैक्शन के विद्युतीकरण और जनसंख्या की क्षेत्रीय वृद्धि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इस मार्ग पर उपनगरीय रेलगाड़ियों को चलाये जाने से क्या सुविधा नहीं होगी और इस मार्ग पर यात्रियों की भीड़-भाड़ कम नहीं होगी ;

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : इस खंड पर चलने वाली-कुछ गाड़ियों में थोड़ी-बहुत भीड़-भाड़ रहती है इन खंडों में इस समय अतिरिक्त गाड़ियां चलाना इनके मार्ग-वर्ती खण्डों में लाइन क्षमता की तंगी के कारण परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

कांग्रेस स्मारिका के लिए विज्ञापन दिये जाने के बारे में जांच

3302. **श्री बयालार रवि :**

श्री के० कुन्हम्बू :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांग्रेस स्मारिका को विज्ञापन दिये जाने के बारे में जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कम्पनियों के बारे में जांच पूरी हो गई है और उक्त कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई राजदूत और केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के सदस्य अंतर्ग्रस्त हैं, और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यह केवल जाचों के पूर्ण हो जाने पर ही ज्ञात होगा।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

थापर समूह की कम्पनियों के चेयरमैनों और प्रबन्ध निदेशकों के वेतन और परिलब्धियां

3303. **श्री बयालार रवि :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थापर समूह के विभिन्न कम्पनियों के चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक भारी वेतन और परिलब्धियां ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत पांच वर्षों में इन परिलिब्धियों में कितनी बार वृद्धि की गई है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) तथा (ग) : सूचना संग्रह की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

ग्रीव्स काटन द्वारा मत्स्य उद्योग में प्रवेश

3304. **श्री बयालार रवि :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रीव्स काटन ने मत्स्य उद्योग में कारोबार शुरू कर दिया है ;

(ख) क्या यह एकाधिकार तथा निर्बन्धनात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) मैसर्स ग्रीव्स काटन एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने मैसर्स न्यू इण्डिया फिशरीज लिमिटेड जो मछली उद्योग में संलग्न है, की पुंजी का 55 प्रतिशत अवाप्ति के लिये, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 23(4) के अन्तर्गत 5-7-1973 को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध सहित प्राप्त किया था, कि यह कम्पनी अपनी धारिताओं का काफी भाग नियोजित कम्पनी से 5-7-1976 से पूर्व हस्तागत कर ले ताकि वर्तमान सूचीबद्ध मार्गदर्शक नियमों की पुष्टि की दृष्टि से साधारण जनता को विहित न्यूनतम पूंजी उपलब्ध कराई जा सके। कम्पनी ने अभी तक मैं० न्यू इण्डिया फिशरीज लि० की केवल 35 प्रतिशत के लगभग पूंजी अवाप्त की है।

(ख) तथा (ग) : उत्पन्न नहीं होते।

सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर व्यय

3305. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के बाद सरकार द्वारा इन मदों पर किया जाने वाला व्यय कितना कम हुआ है ; और

(ख) देश में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि होने से पूर्व इसकी खपत की तुलना में इसकी वर्तमान खपत कितनी है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : माननीय सदस्य का ध्यान दिनांक 28 मार्च, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 845 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

सुगन्धित पदार्थ बनाने वाले उद्योगों में बिना गन्ध के एल्कोहल का उत्पादन

3306. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार देश में सुगन्धित पदार्थ बनाने वाले उद्योगों में प्रयोग किये जाने वाले बिना गन्ध के एल्कोहल का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ; और

(ख) उक्त एल्कोहल का उत्पादन करने वाले एककों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस उद्योग में प्रयुक्त बिना गंध वाले एल्कोहल के उत्पादन के बारे में सरकार कोई अलग आंकड़ें नहीं रखती है, मांग के अनुसार ही उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) बिना गंध वाला एल्कोहल एक गैर-सूचीबद्ध पदार्थ होने के नाते सरकार इस पदार्थ का उत्पादन करने वाले एककों की सूची नहीं रखती है। केवल औद्योगिक और पेय एल्कोहल के उत्पादन में लगे हुए एककों की सूची रखी जाती है।

Fast Observed by Railway Protection Force Members of North Eastern Railway

†3307. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the members of the Railway Protection Force, North Eastern Railway had observed fast on the 15th December, 1977 in support of their demand for weekly rest ; and

(b) if so, the steps taken to sanction weekly rest to them and whether they are now allowed this weekly rest; if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No. However, at a few stations on the North Eastern Railway, where messes are run on co-operative basis by the Members of the Force themselves, the dining members abstained from taking one meal during the day on 15-12-77.

(b) Although the Hours of Employment Regulations are not applicable to the Railway Protection Force personnel, instructions have been issued to all the Railway Administrations to grant weekly rest as far as possible. As a rule 8 hours daily duty is taken on North Eastern Railway except on occasions when there is urgency or there is shortage of Force.

Negotiations with Zonal Railway Protection Force Association

3308. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of negotiations held so far by the Administration with the recognised Zonal Railway Protection Force Associations, the demands on which decision were taken during these negotiations and the demands on which no decisions could be taken and the reasons therefor ;

(b) Whether the issue of night allowance to the members of Railway protection force is under consideration of the Government, if so, the reasons for delay in taking a decision and the difficulties in taking a final decision thereon; and

(c) whether Government propose to solve these problems at an early date, if so, by when and if not, reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No negotiations as such have been held with the recognised Zonal Railway Protection Force Association. However, meetings/discussions have taken place between the office bearers of the Association and the Chief Security Officer, Zonal Railways to finalise local issues of the Zonal Associations.

(b) The issue of night duty allowance to the members of Railway Protection Force is under active consideration of this Ministry in consultation with the Ministry of Home Affairs and it is anticipated that it will take some more time to finalise this issue.

(c) The Ministry of Railways is very anxious to solve these problems at the earliest possible. A charter of demands recently forwarded by the R.P.F. Association is under active consideration.

Welfare Fund for Railway Protection Force

†3309. **Shri Ramanand Tiwary** : Will the Miister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a Welfare Fund has been created for the welfare of the members of the Railway Protection Force and its offlcers with the help of contributions from its members and officers; if so, the rate of contributions of its members and officers;

(b) the members and rank of persons in the Managing Committee of this welfare fund and the rank-wise assistance provided from this fund; and

(c) whether an account or statement of the contribution made by the staff and officers is supplied to them in writing ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes : A welfare fund called Rail Surakshak Kalyan Nidhi was set up with effect from 3-4-1976 for the welfare of Railway Protection Force officers and men. All the officers and men of the Force from Rakshak to Inspector General/RPF were asked to deposit an initial contribution of Rs. 120 or 10 % of the arrears of pay, whichever is more, drawn on account of the finalisation of the pay scales of Railway Protection Force as a result of implementation of Third Pay Commission recommendation. The monthly contribution is Rs. 2.

(b) The Governing Body comprises of 24 members whose names and ranks are enclosed at Annexure 'A'. The rank-wise assistance provided from this fund is being collected from the Railways and will be laid on the Table of the House.

(c) Members' Contribution Books have been supplied to all the Railway and Security Officers/Commandants have been directed to enter the contributions and hand over the Contribution Books to the individual members.

STATEMENT

S. No.	Name	Address & Occupation	Designation
1.	Sh. M.C. Misra, IPS	Inspector General/Railway Protection Force.	Ex. Officio Chairman, Rail Surakshak Kalyan Nidhi
2.	Sh. Baljit Singh, IPS	Asstt. Inspector General/Railway Protection Force	Ex. Officio Secretary

S. No.	Name	Address & Occupation	Designation
3.	Sh. R.K. Kharabanda .	Deputy Inspector General/Railway Protection Special Force, Railway Board.	Ex. Officio Treasurer
4.	Sh. N. Gopalakrishnan .	Joint Director Finance/MTP Railway Board.	Member
5.	Sh. R.B. Singh .	Chief Security Officer, Northern Railway, Baroda, House, New Delhi.	-do-
6.	Sh. D. Mukherjee .	Security Officer, Eastern Railway, Howrah.	-do-
7.	Sh. Kewal K. Sharma	Security Officer, Northern Railway, New Delhi.	-do-
8.	Sh. Sheikh Azim .	Head Rakshak, Central Railway, Kurla.	-do-
9.	Sh. R.M. Hadpad .	Assistant Security Officer, Western Railway, Bombay.	-do-
10.	Sh. V.K. Narasimhan .	Assistant Security Officer, South-Central Railway, Vijayawada.	-do-
11.	Sh. G.C. Kukreti .	Inspector/RPF, Northeast Frontier, Railway, Gauhati.	-do-
12.	Sh. R.K. Kaushal .	Inspector/RPF, Nortern Railway, Shakurbasti.	-do-
13.	Sh. R.P. Gupta .	Sub-Inspctor/RPF, North Eastern Railway, Gorakhpur.	-do-
14.	Sh. D.R. Malakar . .	Sub-Inspector/RPF, South Eastern Railway, Kharagpur.	-do-
15.	Sh. Kushi Ram	Assistant Sub-Inspector/RPF Northern Railway, Delhi Main.	-do-
16.	Sh. Dewan Singh .	Head Rakshak Northern Railway New Delhi.	-do-
17.	Sh. B. Raghavan .	Assistant Sub-Inspector/RPF Southern Railway, Madras.	-do-
18.	Sh. B.N. Mishra	Head Rakshak, South Eastern Railway, Kharagpur.	-do-
19.	Sh. Devendra Singh . .	Head Raksak/ Railway Protection Special Force, 6 Bn. Dayabasti, Delhi.	-do-
20.	Sh. Man Mohan Parmanik	Rakshak, Eastern Railway Sealdah	-do-
21.	Sh. M.S.C. Bose	Senior Rakshak, South Central Secunderabad.	-do-
22.	Sh. Ram Dularey .	Security Officer, Central Railway, Jhansi.	-do-
23.	Sh. Ganesan .	Security Officer, Soutern Railway, North Bangalore.	-do-
24.	Sh. K.S.V. Devanathan .	Head Rakshak, Southern Railway Headquarters, Company.	-do-

कोयली में गुजरात राज्य उर्वरक कारखाने में तोड़फोड़

3310. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बड़ौदा के 13 जुलाई के एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कोयली स्थित गुजरात राज्य उर्वरक कारखाने में बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ होने के कारण वहां उत्पादन रुक गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस कारखाने को पुनः चालू करने और तोड़-फोड़ रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) बड़ौदा में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स फैक्टरी के प्लांटस में कार्य कर रहे अधिकारियों में से एक अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के विरोध में कुछ अधिकारियों द्वारा 12 जुलाई, 1978 से की गई हड़ताल के परिणामस्वरूप जी०एस०एफ०सी० प्लांटस को बन्द करना पड़ा। 16 जुलाई, 1978 को हड़ताल समाप्त हो गई और इस तारीख से उत्पादन होना आरम्भ हो गया । तोड़फोड़ की कथित घटनाओं के बारे में राज्य सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और प्लांटों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

दानापुर डिवीजन में तारों की चोरी और 'एलार्म चेन' का दुरूपयोग

3311. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन में तारों की चोरी और 'एलार्म चेन' के दुरुपयोग से क्षेत्र में विशेषतया पटना और गया के बीच रेल यातायात पूरी तरह अस्तव्यस्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मुगलसराय में बिजली के तार कटने से रेलगाड़ियों का रूकना

3312. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि 1 तथा 2 जुलाई, 1978 की रात को मुगलसराय में पश्चिमी केबिन के निकट हाई टेन्शन वाला बिजली का तार कटा और टूटा पाया गया था जिसके कारण मालगाड़ियों सहित अप तथा डाउन सभी गाड़ियों को रुकना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो इससे रेलवे को कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) ऐसी तोड़-फोड़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। एक और दो जुलाई, 1978 की रात को मुगलसराय में पश्चिमी केबिन के समीप हाई टेंशन वाली बिजली की ऊपरी तार काटने की कोई घटना नहीं हुई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Right to recall of Elected Representatives

* 3313. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** pleased to state :

(a) whether Government have accepted in principle the Right to recall elected representatives ;

(b) whether Government consider unjustified the demand for recall of representatives made during the Gujarat and Bihar agitations ;

(c) if not, whether in order to give a practical shape to this the Government would set up a Commission of jurists, as demanded by Shri Jaya Prakash Narayan and others ; and

(d) whether provision with regard to recall of representatives exists in the Constitutions of other countries if so, what are the difficulies in making such a provision here ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shir Shanti Bhushan) : (a) to (d) The question of providing by law for a right to recall elected representatives is under examination along with other proposals for electoral reforms. As the matter requires deep study and careful consideration, some more time will be taken by the Government to arrive at a decision in the matter. The provisions with regard to recall in the Constitutions of other countries will also be taken into account in arriving at a decision.

काश्मीर मेल में अतिरिक्त यात्री डिब्बे लगाने का प्रस्ताव

3314. **श्री दुर्गाचन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर मेल, श्रीनगर एक्सप्रैस तथा सियालदह एक्सप्रैस रेल गाड़ियों में पठानकोट तक अतिरिक्त यात्री डिब्बे लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या दिल्ली से पठानकोट तक कोई अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने का भी प्रस्ताव है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड तथा रेल मंत्रालय को हाल में इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है अथवा करने का विचार है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या दिल्ली पठानकोट लाइन पर यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) से (छ) दिल्ली/नयी दिल्ली और सियालदह को जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए, पठानकोट में 52 डाउन एक्सप्रेस के साथ दूसरे दर्जे का एक सवारी डिब्बा, 60 डाउन श्रीनगर एक्सप्रेस के साथ एक 3-टियर शयनयान और एक दूसरे दर्जे का सवारी डिब्बा तथा 34 डाउन मेल के साथ दूसरे दर्जे का एक सवारी डिब्बा उपलब्ध होते हैं। ये सवारी डिब्बे यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं

को पूरा कर रहे हैं। लेकिन, आवधिक यात्री गणना से पता चला है कि इन गाड़ियों में, खासकर गर्मियों में वैष्णो देवी मेले के दौरान भीड़ रहती है। स्थानाभाव के कारण इन गाड़ियों में नियमित आधार पर कोई अतिरिक्त सवारी डिब्बा लगाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। यातायात की जरूरतों के अनुसार, गर्मियों में, जम्मू तवी और दिल्ली/नयी दिल्ली के बीच विशेष गाड़ियां चलायी जाती हैं और अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाये जाते हैं। मार्ग में अपेक्षित लाइन क्षमता का अभाव होने के कारण, पठानकोट और दिल्ली/नयी दिल्ली के बीच नियमित उपाय के रूप में कोई अतिरिक्त गाड़ी चलना भी परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। लेकिन, जम्मू तवी और हावड़ा के बीच एक तेज एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

पठानकोट से जोगिन्दर नगर जाने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का पंजरूखी और बिराल में रूकना

3315. **श्री दुर्गाचन्द**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट से जोगिन्दर नगर जाने वाली तीसरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी पंजरुखी और बिराल नहीं रुकती;

(ख) क्या इस संबंध में रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमन को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या इन स्टेशनों और अन्य स्टेशनों के दैनिक यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में रेलवे प्रशासन ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (च) 1-10-78 से 1 पी बी/4 पी बी तेज सवारी गाड़ी को पंचरुखी और बाड़ियाल हिमाचल हाल्ट पर ठहराने की व्यवस्था की जा रही है?

बड़े व्यापार गृहों की अनियमितताओं से निपटने के लिए एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन करने संबन्धी प्रस्ताव

3316. **श्री दुर्गाचन्द**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े व्यापार गृहों द्वारा की गई अनियमितताओं के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए कम्पनी विभाग को सुदृढ़ करने हेतु एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान जी। तथापि सरकार, विशेषज्ञ समिति, जो वर्तमान में कम्पनी अधिनियम तथा एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों का पुनर्विलोकन कर रही है, की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है। सरकार की रिपोर्ट के इस मास के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है। इसके पश्चात सरकार उनकी परीक्षा करेगी तथा आवश्यक समझी जाने योग्य कार्यवाही करेगी।

Conversion of Delhi-Ahmedabad M. G. Line

†3317. **Shri Lalji Bhai:**
Shri Nathu Singh:
Dr. Vasant Kumar Pandit:
Shri Amarsingh V. Rathawa:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that efforts have been made for the last 18-20 years to convert Delhi-Ahmedabad metre gauge line, Sawai Madhopur-Jaipur metre gauge line into broad gauge line and to lay a broad gauge line between Jodhpur Malawar and Government have also been making announcements in this regard from time to time;

(b) whether the Delhi-Ahmedabad line passes through the most thickly populated area of Haryana, Rajasthan and Gujarat and all of them will benefit from the said conversion; and

(c) if so, the progress made so far in this connection and the full details in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) The project for conversion of Delhi-Ahmedabad metre gauge line to broad gauge has been approved at a cost of Rs. 108 crores but only a token outlay has been provided for it in 1978-79 on account of very limited availability of resources. No time schedule can be indicated at this stage for the commencement and completion of the project. The question of guage conversion of Sawai Madhopur-Jaipur metre gauge line into broad guage will be considered after the Delhi-Ahmedabad metre guage line is converted into broad guage. There is no proposal under consideration for converting the metre guage line from Jodhpur to Marwar into broad guage at present due to constraint of resources.

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में तेल की खोज करने में प्रगति

3318. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में तेल की खोज करने में सन्तोषजनक प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या इन राज्यों में तेल और गैस के नये स्त्रोतों, का पता लगने के जिनमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तट-दूर खोज भी शामिल है, कोई संकेत मिले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) 1958 से 1969 की अवधि में उड़ीसा में गुरुत्व सर्वेक्षण किया गया था। 1970-75 के दौरान परावर्तन तथा अपरावर्तन भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किया गया था। उड़ीसा में ओ०एन०जी०सी० द्वारा अब तक तेल और गैस के अन्वेषण के लिये गहरी खुदाई का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। परन्तु अब आयल इंडिया लि० उड़ीसा में महानदी क्षेत्र में भूमि पर तथा समुद्र में तेल के अन्वेषण के लिये कार्य आरम्भ कर रहा है।

पश्चिम बंगाल में भूवैज्ञानिक गुरुत्व चुम्बकीय तथा भूकम्पी सर्वेक्षण जारी है। इसके अतिरिक्त ओ०एन०जी०सी० इस समय डायमण्ड हार्बर संरचना पर एक गहरे कुएं की खुदाई कर रहा है। राधा संरचना पर एक और कुएं की खुदाई का कार्य शीघ्र आरम्भ करेगा।

त्रिपुरा में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जारी है और भूकम्पी सर्वेक्षण भी 1977-78 में आरम्भ किया गया था। इस समय त्रिपुरा में बारामुरा संरचना पर 4 रिग लगाये गये हैं और एक और गहरी खुदाई करने वाला रिग गजोलिया संरचना पर लगाये जाने का कार्यक्रम है। ओ०एन०जी०सी० अपने आरम्भ से ही असम में अन्वेषण कर रहा है और अब यह असम में अपने खनन पट्टों के क्षेत्र से कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर रहा है।

(ग) उड़ीसा में अब तक तेल या गैस मिलने का कोई संकेत नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल में तेल और गैस के संकेत कई कुओं से मिले हैं पर अब तक वहां हाईड्रोकार्बन के व्यापारिक भंडार नहीं मिले हैं। बंगाल के समुन्द्री क्षेत्र में खोदे गये कुओं में भी कोई सफलता नहीं मिली है।

त्रिपुरा में अब तक खोदे गये कुओं में कुछ गैस प्राप्त हुई है परन्तु इसका व्यापारिक महत्व अभी निश्चित नहीं किया गया है। असम राज्य में ओ०एन०जी०सी० ने तेल व गैस व्यापारिक मात्राओं में प्राप्त किया है। यह भी अन्य क्षेत्रों में ओ०एन०जी०सी० तेल और गैस की खोज कर रहा है।

उड़ीसा के समुद्री क्षेत्र में एक नया कुआँ खोदने की आयल इंडिया की एक योजना है।

सोड़ा ऐश का उत्पादन और मूल्य

3319. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडा ऐश का मूल्य बढ़ गया है और इसे कालाबाजार से बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सोडा ऐश के उत्पादन पर दो बड़े औद्योगिक गृहों का बहुत अधिक और दो अन्य गृहों का थोड़ा नियंत्रण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या सोडा ऐश के एकाधिकार वादी उत्पादक इसे बनावटी जोड़-तोड़ करके अधिक मूल्य पर तथा कालाबाजार से बेचते हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(छ) क्या सोडा ऐश के अधिक मूल्यों से सोडा सिलिकेट के लघु क्षेत्र के निर्माता तथा इसके आगे लघु साबुन निर्माता प्रक्षालन सामग्री निर्माता, धोबी तथा अन्य और इन सबके कारण सामान्य जन प्रभावित होते हैं;

(ज) यदि हां, तो सोडा ऐश का विक्रय उचित मूल्य पर नियंत्रित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार हैं;

(झ) क्या सोडा ऐश की बिक्री के मामले में ऐसी धांधली की खबरे समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सोडा ऐश के मूल्यों और वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। परन्तु इस मंत्रालय के नोटिस में यह बात आई है कि इसकी कमी का लाभ उठ कर कुछ विक्रेयताओं ने मूल्य में वृद्धि की है।

(ग) और (घ) सोडा ऐश की 'स्थापित क्षमता/उत्पादन, का विवरण निम्न प्रकार है :—

फर्म का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता मी० टन	1977 के दौरान मी० टन
1. मैसर्स टाटा केमीकल्स लि० . . .	3,60,000	3,20,078
2. मैसर्स सौराष्ट्र केमीकल्स (पोरबन्दर) गुजरात . .	1,68,000	1,77,756
3. मैसर्स धर्गधरा केमीकल्स वर्क्स धर्गधरा (गुजरात) .	65,000	54,142
4. मैसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स वाराणसी (यू०पी०) .	39,600	18,281
जोड़ :	6,32,600	15,70,257

(ङ) और (च) अप्रैल, 1978 से लेकर इस मंत्रालय को देश के विभिन्न भागों से सोडा ऐश की कमी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सोडा ऐश निर्माताओं के अनुसार मुख्य समस्या यह है कि कच्चे माल (कोयला और नमक) को फेक्टरी स्थल तक पहुंचाने तथा फेक्टरियों से तैंयार माल के परिवहन के लिए रेल डिब्बों की कमी है। जो अन्य कारण बताये गये हैं, वे हैं (1) मैंसर्स टाटा केमीकल्स के केस में "बायलर फीड वाटर" की अपर्याप्त उपलब्धता और (2) मैंसर्स सौराष्ट्र केमीकल्स के केस में कम्प्रैसर की खराबी।

(छ) और (ज) सोडा ऐश की कमी के कारण, सोडियम सिलिकेट, साबुन और धुलाई का पाउडर बनाने वाले छोटे उद्योगों सहित कुछ सोडा ऐश उपभोक्ता उद्योग अपनी पूरी आवश्यकता प्राप्त करने में असमर्थ बताये गयें हैं।

सोडा ऐश के उपभोक्ताओं को शीघ्र राहत देने के लिए इस मंत्रालय ने डी जी टी डी की परामर्श से स्टेट केमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० से अनुरोध किया है कि स्वदेशी उत्पादन में बढ़ौत्री करने के लिए 20,000 मी टन सोडा ऐश के आयात के लिए तुरन्त प्रबन्ध करें ताकि सप्लाई नियमित हो सोडा ऐश के मूल्यों में कमी हो। इस आयात पर सीमा-शुल्क से भी छूट दी गई है ताकि आयातित सोडा ऐश का मूल्य स्वदेशी मूल्यों के लगभग बराबर हो।

(झ) और (ञ) जी हां। हाल ही में सोडा ऐश की कमी तथा मूल्यों में वृद्धि के समाचार प्रेस में छपे हैं।

विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1874 में विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन

3321. **श्री बसन्त साठे :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1874 में दूरगामी प्रभाव वाले परिवर्तनों का सुझाव दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में राज्य सरकारों के परामर्श से अब तक की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रति, राज्य वार, राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया अथवा करने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को और भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों और विभागों को और कुछ वृत्तिक और शिक्षण संस्थाओं को भी परिचालित की गई थीं। अधिकांश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। जो टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं उनका संक्षेप उपाबन्ध में दिया गया है। अन्य राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों से टिप्पणियां अभी प्राप्त होनी है। सभी टिप्पणियों के प्राप्त होने के पश्चात् ही, सरकार, इस विषय में कोई अंतिम विनिश्चय कर पाएगी।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	टिप्पणियां
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश सरकार	राज्य सरकार विधि आयोग की सिफारिशों से और विधि आयोग द्वारा प्रस्थापित महत्वपूर्ण परिवर्तन से आमतौर पर सहमत है।
2.	गुजरात सरकार	राज्य सरकार का विचार है कि विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1874 का व्यापक पुनरीक्षण आवश्यक है, जैसा कि विधि आयोग ने सुझात्र दिया है और वह विधि आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करती है।
3.	हरियाणा सरकार	राज्य सरकार, विधि आयोग की रिपोर्ट में दिए हुए प्रस्तावों से सहमत है।
4.	हिमाचल प्रदेश सरकार	यह सरकार आयोग की रिपोर्ट का समर्थन करती है।
5.	केरल सरकार	विधि आयोग की रिपोर्ट से आमतौर पर सहमत है।
6.	मध्य प्रदेश सरकार	राज्य सरकार को इस विषय में कुछ नहीं कहना है।
7.	महाराष्ट्र सरकार	राज्य सरकार, विधि आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का समर्थन करती है और विधि आयोग द्वारा भेजे गए तथा रिपोर्ट के उपाबन्ध 1 में सम्मिलित किए गए प्रारूप विधेयक का अनुमोदन करती है।
8.	मणिपुर सरकार	राज्य सरकार, विधि आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का पूरी तौर से अनुमोदन करती है। प्रस्थापित संशोधन, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधीन स्त्री के विरासत संबंधी अधिकार को ध्यान में रखते हुए और जीवन और सेवाओं के सभी क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों को समान अधिकार देने के अधिकार को, जिसे हमारे संविधान में मान्यता मिली है, ध्यान में रखते हुए नितांत आवश्यक है।

1	2	3
9.	मिजोरम सरकार	मिजोरम सरकार प्रस्तावित विधान से, जिसकी विधि आयोग ने सिफारिश की हैं, इस शर्त के साथ सहमत है कि विधेयक का खण्ड 8 बिना किसी उपाबन्ध के रखा जाए। इस संबंध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1874, आसाम फ्रंटियर ट्रेक्ट्स रेगुलेशन, 1880 के अधीन अधिसूचना द्वारा, लुशाई हिल्स (अब मिजोरम) को लागू नहीं होता है। धारा 8 के अधीन छूट आदेश पारित करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति के संबंध में यह सुझाव है कि प्रस्तावित अधिनियम में "राज्य सरकार" की परिभाषा इस प्रकार की जाए (जैसा कि हाल ही में अनेक अधिनियमों में किया गया है) कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उससे इस राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।
10.	नागालैंण्ड सरकार	सामाजिक प्रथा और नागाओं की रूढ़िजन्य विधि के अनुसार कोई भी विवाहित नागा स्त्री सम्पत्ति धारण नहीं कर सकती है और वह किसी सम्पत्ति का व्ययन करने के लिए सक्षम नहीं है तथा धारा 1(2) को संशोधित करके उसमें यह अन्तःस्थापित किया जाए कि उसका विस्तार इस राज्य पर तब तक नहीं होगा जब तक कि विधान सभा द्वारा पारित संकल्प द्वारा उसे स्वीकार न कर लिया गया हो।
11.	उड़ीसा सरकार	राज्य सरकार, विधि आयोग की सभी सिफारिशों से सहमत है।
12.	पंजाब सरकार . .	राज्य सरकार, विधि आयोग की सिफारिशों का समर्थन करती है।
13.	तमिलनाडु सरकार .	सरकार उन सिफारिशों से सहमत है जो रिपोर्ट में दी हुई हैं।
14.	पश्चिमी बंगाल सरकार .	राज्य सरकार रिपोर्ट में दी हुई कुछ सिफारिशों से सहमत है।
15.	अंडमान और निकोबार के प्रशासन	आयोग की सिफारिशों से आमतौर पर सहमत हैं।
16.	चंडीगढ़ प्रशासन .	इस प्रशासन को इस विषय में कुछ नहीं कहना है।
17.	दादरा और नागर हवेली प्रशासन	विधि आयोग की रिपोर्ट पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
18.	दिल्ली प्रशासन . .	रिपोर्ट में जो कुछ दिया हुआ है उसके अलावा उन्हें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कहनी है।
19.	लक्षद्वीप प्रशासन .	रिपोर्ट पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई हैं।
20.	पांडिचेरी सरकार .	विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम, 1874 का विस्तार पांडिचेरी पर नहीं किया गया है इसलिए रिपोर्ट पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Consumption of Crude Oil

3322. **Shri Yagya Datt Sharma:** Will the Minister of **Petroleum, Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) the likely consumption of crude oil in the country during the current year;

(b) how it compares with the production of the crude oil in the country;

(c) whether there is any scheme to import crude oil to fill the gap between its consumption and production; and

(d) if so, the percentage of the licensing capacity for import proposed to be sanctioned for the public and private sectors?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) (a), (b), (c) and (d) For 1978-79, the production of crude oil is now anticipated at about 12.14 million tonnes. A quantity of approximately 15 million tonnes is expected to be imported during this period. The entire quantity will be imported through public sector undertakings.

Issue of Licences to Cooperative Societiies, Harijans and Persons belonging to adivasi area for setting up of Petrol Pumps Fertilizers and Chemicals Factories.

3323. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Petroleum Chemicals and Fer-tilizers** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give priority to Cooperative Societies, Harijans and persons belonging to Adivasi areas in the matter of issuing licences for setting up petrol pumps, fertilizers, drugs and other chemicals manufacturing factories in the country; and

(b) if not, the reasons, therefor ?

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b) The establishment of plants for manufacture of fertilizers, chemicals and drugs call for huge capital investment. Therefore, the capacity of individuals is usually too limited to permit of their applying for industrial licences for setting up such plants.

Cooperative societies with adequate financial resources are given preference wherever possible.

As for petrol pumps, 25% of all types of agencies of the Public Sector Oil Companies are reserved for persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 2% are reserved for physically handicapped persons. The remaining 73% are to be awarded on commercial considerations, preference being given, other things being equal, to genuine and efficient co-operative Societies and Agro-Industries Corporations.

Employees, Relatives as Officers in Railways

†3324. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of those employees in the Railways whose near relatives are working on officers' posts; and

(b) the percentage of such employees to the total number of employees ?

The Minister of State in the Minister of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) No data regarding relatives of employees working on the Railways are maintained, as there is no provision for recording such relationships in the personal records of employees.

जयपुर उद्योग के लिए माल-डिब्बों का आबंटन

3325. **श्री सी० के० चन्द्रपन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या यह सच है कि जयपुर उद्योग के प्रबन्धकों को सीमेंट भेजने के लिए माल-डिब्बे प्राप्त करने में भारी कठिनाइयां हो रही हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कारखाने के 'साइलो' में भारी स्टाक एकत्र हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो कारखाने को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिना टिकट यात्रा की जांच के लिए गाड़ियों को रास्ते में रोका जाना

3326. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट यात्रा की जांच के लिए गाड़ियों को दो स्टेशनों के बीच रोकने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन गाड़ियों में ऐसी जांच की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) दो खंडों के बीच, जहां गाड़ियां नहीं रुकती, वहां रोक कर समय-समय पर काफी संख्या में कर्मचारियों को तैनात करके पहले से ही टिकटों की जांच की जा रही है। इन जांचों के दौरान, काफी संख्या में टिकट जांच करने वाले दलों को जांच-स्थल पर ले जाया जाता है और व्यापक जांच के लिए गाड़ी को रोक लिया जाता है। इन जांचों को कारगर बनाने के लिए पूरी-पूरी गोपनीयता बनाये रखी जाती है।

रेल यातायात का सड़क परिवहन की ओर मुड़ना

3327. **श्री राजेन्द्र कुमा शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो-तीन वर्षों में रेल यातायात सड़क परिवहन की ओर मुड़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां। पिछले कुछ वर्षों में ऊंचे मूल्य वाला कुछ यातायात रेलवे से हटकर सड़क परिवहन की ओर चला गया है।

(ख) इसका मुख्य कारण है राष्ट्रीय परमिटों की संख्या में वृद्धि हो जाना, जिसका प्रभाव लम्बी दूरी के लिए ऊंचे मूल्य वाले माल के लदान पर पड़ा है। सड़क मार्ग से माल की ढुलाई करने वाले गैर-सरकारी व्यक्ति होते हैं, जिन्हें उन नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं करना पड़ता जिनका रेलों को करना पड़ता है और यातायात को काबू में करने के लिए वे उसी समय प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रियायतें भी दे सकते हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन को कुछ स्वाभाविक लाभ प्राप्त हैं जैसे परिचालन की छोटी इकाई होना, घर से घर तक सेवा देना आदि।

लाइसेंस शुदा कुली

3328. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कितने लाइसेंस शुदा कुली काम कर रहे हैं;

(ख) ऐसे लाइसेंस शुदा कुलियों के रेलवेवार आंकड़ें क्या हैं; और

(ग) रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने के बाद उनके उत्थान के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 38,846।

(ख) रेलवे	सेवारत लाइसेंसधारी भारिकों की संख्या
मध्य	4064
पूर्व	7160
उत्तर	8745
पूर्वोत्तर	3401
पूर्वोत्तर सीमा	2102
दक्षिण	2930
दक्षिण मध्य	2697
दक्षिण पूर्व	3632
पश्चिम	4115

(ग) लाइसेंसधारी भारिक, जिन्हें पहले ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किया जाता था। अब ठेकेदारों के रूप में बिचौलियों को समाप्त करके, उन्हें सीधे रेल प्रशासन द्वारा लाइसेंस दिया जाता है।

लाइसेंसधारी भारिकों को स्टेशन में आमतौर पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं :—

(1) रेलवे अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में केवल स्वयं के लिए निशुल्क बहिरंग चिकित्सा की व्यवस्था। यदि लाइसेंसधारी भारिक को रेलवे परिसर में यात्रियों का सामान ले जाते समय चोट पहुंचती है, तो रेलवे अस्पताल में अन्तरंग डाक्टरी चिक्त्सा।

(2) उतनी नैमित्तिक अवकाश जितने स्टेशन मास्टर/अधीक्षक द्वारा क्लैण्डर वर्ष में दिये जायें।

(3) यात्रियों के समान की ढुलाई के लिए रेलवे की हल्की ट्रालियों/हथठेलों का निशुल्क उपयोग।

(4) प्रतीक्षालयों, शौचालयों, कैन्टीनों आदि की सुविधाएं, जो स्टेशन पर दूसरे दर्जे के वास्तविक यात्रियों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहती हैं।

(5) उनके बच्चों का रेलवे स्कूलों में दाखिला बशर्ते कि सीट उपलब्ध हों।

(6) बुढ़ापे में या शारीरिक अक्षमता अथवा मृत्यु की स्थिति में लाइसेंस बैज का लड़के या निकट संबंधी के नाम अन्तरण।

(7) जहां कहीं व्यवस्था हो, विश्राम स्थलों का उपयोग।

लुधियाना-चन्डीगढ़ रेल लाइन

3329. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना को चंडीगढ़ के साथ रेल लाईन द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई प्रारम्भिक कार्य किया गया है ।

(ग) क्या इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और यदि हां, तो इसे कब शुरु किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) जगाधरी-चण्डीगढ़-लुधियाना रेल लाइन के निर्माण के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण (इंजीनियरी) सर्वेक्षण 1970 में किया गया था। संसाधनों की अत्यधिक कमी और पहले से की गयी वचनबद्धता के कारण, अभी तक इस रेल लाइन का निर्माण-कार्य शुरु कर पाना संभव नहीं हो सका है।

मैसर्स हिन्दुस्तान लिमिटेड को मूल्यों की मंजूरी

3330. **श्री रामजी लाल सुमन** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में गत तीन वर्षों में, वर्षवार बार्नर्स हिन्दुस्तान लिमिटेड को मूल्यों की मंजूरी दी गई हैं;

(ख) उन औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत ये उत्पाद आते हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में इस कम्पनी को कितनी नई वस्तुओं के मूल्यों की मंजूरी नहीं दी गई हैं और मंजूरी न दिये जाने के कारण क्या हैं; और

(घ) टेडराल सीके सम्बन्ध में मूल्यों को दी गई गलत मंजूरी को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या इस पर विधि मंत्रालय की राय ली गई थी ? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लि० को गत तीन वर्षों के दौरान 15 अक्तूबर 1976 को केवल एक नये उत्पाद अर्थात् टैडल सी गोलियों के लिए मूल्य की मंजूरी दी गई थी।

(ख) कम्पनी द्वारा 14 दिसम्बर, 1962 को प्राप्त किये गये औद्योगिक लाइसेंस के प्राधिकरण के अन्तर्गत टैड्रल गोलियां का निर्माण पहले ही किया जा रहा था यह विचार किया गया था कि उसी प्राधिकरण के अन्तर्गत वे टैड्रल सी गोलियां का निर्माण कर सकते थे।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कम्पनी को कोस्किन ई और वाटर री वैपर रब के लिए मूल्य स्वीकृति इस आधार पर नहीं दी गई है कि वे नये पदार्थ हैं और ये उनके द्वारा 1962 में प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस के प्राधिकरण के अधीन नहीं आते हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा सरकार के निर्णय के विरूद्ध अभ्यावेदन दिया गया था ।

(घ) दूसरे मामले के संबंध में नये अनुच्छेदों का अर्थ और परिभाषा जैसा कि उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 में दिये गये हैं, पर विधि, न्याय और कम्पनी मामलों के मंत्रालय के विचार 17 फरवरी 1977 को प्राप्त हुये हैं। चूंकि ऐसे कई मामले हैं जिनका सम्बन्ध नये अनुच्छेदों के अर्थ और परिभाषा से हैं, ऐसे सभी मामले जिनमें ट्रैडल सी गोलियों का मामला शामिल है, को विधि मंत्रालय की आगामी विचार लेने के लिये भेजे गये हैं।

विधि आयोग के सदस्यों के रिक्त स्थान

3331. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मुख्यितयार सिंह मलिक

श्री श्याम सुन्दर गुप्त

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग के सदस्यों के कितने रिक्त स्थान अब तक नहीं भरे गये हैं;

(ख) ये रिक्त स्थान कब से खाली पड़े हुए हैं; और

(ग) ये रिक्त स्थान कब पक भरे जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) विधि आयोग के सदस्य का कोई पद रिक्त नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल की खोज के स्थान

3332. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री श्याम सुन्दर गुप्त :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर तेल की खोज का कार्य चल रहा है;

(ख) प्रत्येक स्थान पर कितने कुएं खोदे गए थे;

(ग) खोदे गए कितने कुओं में तेंल/गैंस का पता चला है; और

(घ) प्रत्येक कुएं पर कितनी राशि खर्च हुई हैं और प्राप्त हुए तेल/गैंस की मात्रा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसाय और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : (क) इस देश के सभी क्षेत्रों में तेल का अन्वेषण कार्य चल रहा है । फिर भी, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा, नागालैण्ड, पंजाब हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, पांडीचेरी, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान रांची में विशिष्ट खुदाई कार्य किये गये हैं, अरेबियन समुद्र अपतटीय क्षेत्रों और बंगाल की खाड़ी में भी खुदाई कार्य किये गये हैं ।

(ख) राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं ।

गुजरात	1113
असम	695
अरुणाचल प्रदेश	5
मेघालय	2
नागालैण्ड	3

त्रिपुरा	3
पश्चिम बंगाल .	4
उत्तर प्रदेश	3
पंजाब और हिमाचल प्रदेश . .	9
बिहार . . .	2
तमिलनाडु और पांडिचेरी .	18
राजस्थान .	16
जम्मू और कश्मीर	3
अपतटीय . .	84
कुल :	1960

(ग) 30 जून, 1978 तक खोदे गये 1960 कुओं में से, 1127 तेल और 127 गैस वेर्भारिंग हैं ।

(घ) कथित दिनांक 1-1-1977 को ओ०एन०जी०सी० ने निम्नलिखित प्रारम्भिक प्राप्त किये जाने योग्य भण्डारों की स्थापना की है ।

	तेल (मि०मी० टन)	गैस (मिलियन) घन मीटर
तटीय . .	136.21	34866.3
अपतटीय	175.51	148108.5

दिनांक 1-1-1978 को आयल इण्डिया लिमिटेड ने 33.46 मि०मी० टन कच्चे तेल के प्रमाणित और दर्शाये गये भण्डारों का और 53.982 मि० मानक घन मीटर प्राकृतिक गैस का अनुमान लगाया है कुआं वार खर्च के आंकड़े उपलब्ध हैं ।

Setting up of a High Court Bench at Meerut

†3333. **Shri Daya Ram Shakya:**
Shri Nawab Singh Chowhan:

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether a proposal regarding setting up a High Court Bench in Meerut district has been under Government consideration for several years; and

(b) if so, whether Government propose to direct the State Government to open this Bench during the current year?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) & (b) A proposal for the establishment of a Bench at Meerut was initially received from the State Government in December 1976 after the then Minister of Law, Justice and Company Affairs had discussed the matter with the then Chief Minister, Uttar Pradesh and a reference had been made to the State Government by the Government of India. No decision on that

proposal was at that time taken by the Government of India. The present Government of Uttar Pradesh wrote to the Government of India in March, 1978 that they were of the opinion that there was justification for the establishment of a Bench of the High Court for the Western districts of Uttar Pradesh. The Chief Minister of Uttar Pradesh has intimated in July, 1978 that he would separately communicate the views of the State Government regarding the location of the proposed Bench and the districts a that might be brought within its jurisdiction. Further consideration to this matter will be given after the receipt of the precise proposal of the State Government.

कपड़ा मिलों को कोयले की सप्लाई

3234. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कपड़ा मिलों की सप्लाई किये जा रहे प्रति मास वैगन भार कोयले की सप्लाई में कटौती कर दी गई हैं ;

(ख) क्या कुछ ग्रन्य कपड़ा मिलों को प्रति मास सप्लाई किये जा रहे वैगन-भार कोयले की ही सप्लाई बढ़ा दी गई है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ;

(ख) जी हां ;

(ग) सेक्रेटरी, इंडियन काटन मिल फेडरेशन, जो सूती कपड़ा मिलों के लिए कोयले के संचलन के लिए प्रायोजन प्राधिकारी है, ने 43 इकाइयों (मिलों) के लिए कोयला-माल डिब्बों के नियतन में कमी करने की सिफारिश की है ग्रौर 30 इकाइयों के लिए नियतन में वृद्धि करने को कहा है। इन सिफारिशों को ग्रगस्त, 1978 में कार्यान्वित करने के लिए मजूर कर लिया गया है।

बोनस के बारे में निर्णय

3335. **श्री चित्त बसु :**

श्री द्रोणम राजू सत्यनारायण :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतलिंगम ग्रध्ययन समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने के मामले के बारे में ग्रन्तिम रूप से कोई निर्णय ले लिया है ; ग्रौर

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) ग्रौर (ख) बोनस के प्रश्न पर सम्बन्ध न केवल रेल कर्मचारियों से ही है बल्कि केन्द्र सरकार के ग्रन्य विभागों के कर्मचारियों से भी है । सरकार इस मामले की जांच कर रही है ग्रौर ग्रभी इस बारे में विनिश्चय किया जाना है ।

उच्चतम न्यायालय के प्रक्रिया नियमों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव

3336. **श्री जनार्दन पुजारीः** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार मामलों के निपटान में विलम्ब को कम करने के लिये उच्चतम न्यायालय के प्रक्रिया नियमों में परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) हाल ही में, उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 का संशोधन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 145(1) के अधीन राष्ट्रपति का अनुमोदन भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज दिया गया था। उच्चतम न्यायालय नियम में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं और वे 18-3-1978 से लागू हो गए हैं। ये संशोधन जिन प्रयोजनों के लिए किए गए हैं, उनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है ।

कुछ ही दिन पूर्व, भारत के उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 में और आगे संशोधन करने की प्रस्थापना की है । संविधान के अनुच्छेद 145(1) के अधीन अपेक्षित राष्ट्रपति का अनुमोदन उच्चतम न्यायालय को भेज दिया गया है । इन संशोधनों के द्वारा, न्यायालय का समय बचाने के उद्देश्य से, रजिस्ट्रार या जज-इन-चैम्बर्स को कुछ और शक्तियां देने का इरादा है ।

विवरण

उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया गया है :—

1. न्यायालय का समय बचाने के लिए, रजिस्ट्रार और जज-इन-चैम्बर्स को कुछ ऐसे मामलों को निपटाने के लिए कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं जो इससे पूर्व जज-इन-चैम्बर्स के न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाते थे।

2. विशेष इजाजत मंजूर करते समय, ऐसे सभी मामलों में जिनमें विशेष इजाजत मंजूर करने वाली बैंच की यह राय है कि मामला थोड़े समय में, अर्थात् एक या दो घंटे के भीतर, निपटाया जा सकता है, वह बैंच तदनुसार इस बात का उल्लेख करेगी और उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में, इस दृष्टि से कि छोटे मामलों को शीघ्र निपटाया जा सके, छोटे मामलों को एक अलग बैंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधिपति से निर्देश प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसे मामलों की एक सूची रखी जाती है ।

3. अब पुनर्विलोकन अर्जियों का निपटारा न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बजाय उनको न्यायाधीशों में परिचालित करके किया जाता है । अब द्वितीय पुनर्विलोकन अर्जी ग्रहण नहीं की जाती है ।

4. यदि किसी मामले में किसी सूचना, आदेश या दस्तावेज की तामील छह मास के भीतर पूरी नहीं की जाती है तो वह मामला पक्षकारों के एडवोकेट-आन-रिकार्ड को सूचना देने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया जाता है और तब न्यायालय उस मामले को, उसके संबन्ध में आगे कार्यवाई न किए जाने के कारण, खारिज कर सकता है या ऐसे निदेश दे सकता है, जैसे वह ठीक समझे ।

5. किसी मामले की सुनवाई में काउन्सेल द्वारा जितना समय लिया जाता है उसे कम करने के लिए नियमों में इस आशय के संशोधन किए गए हैं कि किसी मामले की अंतिम सुनवाई में बहस के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके यथासंभव तुरन्त पश्चात् किसी भी समय न्यायालय प्रत्येक उस पक्षकार के काउन्सेल से, जिसकी सुनवाई होनी है, यह पूछेगा कि वह उस मामले में अपनी बहस के लिए संभवतः कितना समय लेगा। यह सुनिश्चित करने के पश्चात् न्यायालय प्रत्येक पक्षकार या प्रत्येक काउन्सेल की बहस के लिए समय नियत कर सकेगा और काउन्सेल अपनी मौखिक बहस के अनुपूरक के रूप में लिखित निवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

Retired Government Officers in Service of Monopoly Houses

3337. **Shri Hukamdeo Narain Yadav:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state the number of retired Government officers who are in the service of monopoly houses, indicating the period since when they are in service as also the number of political persons in the service of monopoly houses and since when and what they are being given in lieu of the service?

Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): In terms of the Monopolies & Restrictive Trade Practices Act, 1969 Monopoly Houses are taken to mean 'undertakings' registered under section-26 of the Act with reference to the provisions of section 20(a) thereof. As many as 1031 companies have been registered under these provisions.

Under the provisions of the Companies Act, 1956, the companies are not required to intimate either the number of retired, Government Officers or the number of political persons in the employment of the companies. It is also not clear what is mean by "political persons". Therefore it is not possible to furnish the information.

Number of persons employed as Casual Labour

†3338. **Shri Phirangi Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of persons employed as causal labour etc. in the North-Eastern Railway, Gorakhpur during the current financial year and the number and percentage of the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them;

(b) whether it is a fact that some of these persons have worked previously also and if so, their number; and

(c) the number of persons, out of the present casual labourers, who have been employed on the recommendations of Members of Parliament and officers separately?

Minister of State in the Ministry of Railways: (Shri Sheonarain): (a) 19,282. Information regarding number and percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) Yes; 17,550.

(c) Employment is not offered on the basis of recommendations. The normal procedure is for the Inspector in charge to recruit these persons locally.

सभा के कार्य के बारे में

RE. BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय: आज छः बजे शाम से आठ बजे शाम के लिये जो एक चर्चा निश्चित थी वह किसी कारण आज नहीं होगी। यदि सभा सहमत हो तो हम इस समय का उपयोग संविधान (45वें संशोधन) विधेयक की चर्चा के लिये कर लें।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, हम सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ; सभा सहमत है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : बोइंग जहाजों का मामला बहुत गंभीर है। मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिये एक उचित नोटिस क्यों नहीं देते।

श्री सौगत राय : मैं दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शांति भूषण।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
Papers Laid on the Table

साउथ इंडिया विसकोस के प्रबन्ध निदेशक के बारे विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : साउथ इंडिया विसकोस के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आरोपों के बारे में 31 जुलाई, 1978 को श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा उठाई गई आधे घंटे की चर्चा के उत्तर में अध्यक्ष के निदेश के निदेश 19 के अन्तर्गत एक विवरण (सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सं०एल०टी० 2583/78]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मंत्री महोदय ने सभा पटल पर विवरण रखा है। वे इसे पढ़े। इस बारे में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : निदेश संख्या 19 के अन्तर्गत इसे अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जानता हूं कि श्री शांति भूषण इनके लिये दयालु क्यों हैं। मैं उनसे इस संबन्ध में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री० के० लकप्पा : आधे घंटे की चर्चा में भाग लेने के लिये मेरा नाम भी आया था। जब मैंने प्रश्न पूछा तो सभा अचानक स्थगित हो गई। मैंने यह बात आपके नोटिस में भी लायी थी। अब मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दें। मंत्री महोदय का वक्तव्य भी मेरे प्रश्न के बिना अधूरा ही होगा। इसलिये मैं प्रश्न पूछ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आपने इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं भेजा।

श्री० के० लकप्पा : अब मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती।

रेलवे रैड टैरिफ (पांचवां संशोधन) नियम, 1978

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी किए गए रेलवे रैड टैरिफ (पांचवां संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 15 जुलाई, 1978 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 913 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं०एल०टी० 2584/78]

आयकर अधिनियम तथा धनकर संशोधन नियम 1978 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फीकार उल्लाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :–

(एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 31 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०आ० 222(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 24 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 351(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 25 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 355(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 29 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 363(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 7 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 433(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 24 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 464(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल०टी० 2585/78]

(2) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनकर (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०आ० 434 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल०टी० 2586/78]

(3) दानकर अधिनियम, 1958 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दानकर (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 435 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल०टी० 2587/78]

(4) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (लाभ) अतिकर (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ. 436 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल०टी० 2588/78]

(5) ब्याज कर अधिनियम, 1974 की धारा 27 की उपधारा (4) के अन्तर्गत ब्याज कर (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक

7 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०ग्रा० 437(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल०टी० 2589/78]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 390(ङ) और 391 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 31 जुलाई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 1978 की अधिसूचना संख्या 13–कस्टम्स और 14–कस्टम्स उपबन्धों को रद्द किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल०टी० 2590/78]

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhubani): The Government has been amending Income tax, wealth Tax, Custom Acts and Rules from time to time. Even then arrears of taxes worth Rs. 25 crores are yet to be recovered from the capitalists. The Government should take early steps to recover these arrears.

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 2 अगस्त, 1978 की अपनी बैठक में तट रक्षक विधेयक, 1978 पास किया है ।

सचिव : मैं तट रक्षक विधेयक, 1978 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली के निकट कंझावला गांव में हरिजनों के जीवन और सम्पत्ति को खतरा

श्री वी०एम० सुधीरन (अलप्पी) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली के निकट कंझावला गांव में विद्यमान स्थिति जहां हरिजनों के जीवन और सम्पत्ति को प्रत्यक्ष खतरा है, का समाचार"

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के नांगलोई ब्लाक के ग्राम कंझावला में 1970 में हरिजनों तथा अन्य भूमिहीन व्यक्तियों के 120 परिवारों को भूमि आवंटित की गई थी। इस पर अन्य भूस्वामियों की दलील पर मुकदमे-बाजी शुरू हो गई थी कि आवंटित भूमि चरागाह के रूप में निर्धारित की गई थी। परन्तु आवंटियों को अपनी भूमि को जोतने तथा निर्बाध रूप से उनके कब्जे में बनी रहने के लिये पूरी तरह संरक्षण तथा सहायता प्रदान की गई है । नवम्बर 1977 में हरिजनों को उनकी भूमि जोतने के लिये पुलिस संरक्षण प्रदान किया गया था। जुलाई 1978 में भी इसी प्रकार के पुलिस के प्रबन्ध किये गये थे और उन्हें ट्रैक्टर दिये गये थे ताकि आवंटिती अपनी भूमि को जोत सके। परन्तु यह बड़े खेद का विषय है कि 7 जुलाई को एक घटना हुई जिसमें 6 हरिजन और 2 गैर हरिजन घायल हो गये । भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148

149, 427, 323 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 578 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 452, 323 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 579 के अधीन थाना नांगलोई में इस संबन्ध में दर्ज दो मामलों में 23 गैर हरिजनों को गिरफ्तार किया गया था। आवंटितियों द्वारा जुताई के कार्य पूरे कर लिये गये हैं। शांति भंग होने की अन्य कोई घटना नहीं हुई है । विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिये पुलिस के प्रर्याप्त प्रबन्ध कर दिये गये हैं। दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके कोई सौहार्द पूर्ण हल निकालने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। यद्यपि यह सुनिश्चित करने का सरकार का दृढ़ निश्चय है कि किसी आवंटिती को जमीन से नहीं निकाला जाए अथवा शक्ति प्रयोग द्वारा उसे अन्यथा न सताया जाए और ग्राम में शान्ति बनाए रखी जाए फिर भी, सरकार यह अनुभव करती है कि गांव के ऐसे विवादों का अन्तिम समाधान सद्भाव और मेल-मिलाप के आधार पर ही निकाला जा सकता है । इस उद्देश्य से दिल्ली प्रशासन आवश्यक प्रयास कर रहा है ।

श्री वी०एम० सुधीरन : वक्तव्य में कंझावला में व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति को शान्त करने हेतु उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हरिजनों के जीवन तथा सम्पत्ति को खतरा है ।

गांव की 1800 बंजर जमीन में से 160 बीघा हरिजनों को दी गयी और शेष जमीन अन्य भूमिहीनों को दी गयी। वहां के जमींदारों ने इन्हें जमीन न दिये जाने का विरोध किया इसके लिये अधिकारी तथा दिल्ली प्रशासन भी जिम्मेवार है । अब स्थिति बिगड़ती जा रही है । जमींदारों ने हरिजनों को आतंकित करने के लिये गुंडे पाल रखे हैं। वे हरिजनों को कूंओं से भी पानी नहीं भरने देते और उनके बच्चों को स्कूल जाते हुये पीटा जाता है ।

सत्तारूढ़ जनता पार्टी के प्रमुख नेता भी जमींदारों का समर्थन कर रहे हैं। जनता पार्टी हरिजनों की समस्याओं को सच्चे दिल से हल नहीं करना चाहती । हरिजनों पर देश भर में जो अत्याचार हो रहे हैं, कंझावला की घटना उसका एक भाग है ।

मैं जानना चाहता हूं कि स्थिति का अध्ययन करने के लिये क्या उधर एक संसदीय समिति को भेजा जायेगा? इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हरिजनों पर अत्याचार करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धनिक लाल मंडल : हरिजनों सहित सभी भूमिहीनों को आरक्षण प्रदान करने के लिये पूरे कदम उठाये गये है । उन्हें पूरा आरक्षण प्रदान किया गया है । स्थिति को सामान्य तथा शान्त बनाने के लिये हर स्तर पर यथासंभव प्रयास किये जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है । दिल्ली प्रशासन भी इस संबन्ध में उचित कदम उठा रही है ।

श्री वी०एम० सुधीरन : क्या सरकार भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन करने जा रही है ?

प्रो० समर गुह (कंटाई) : कंझावला ग्राम की स्थिति जैसाकि नजर आ रहा है गंभीर होने जा रही है। यह स्पष्टतया एक वर्ग संघर्ष है । भूमिहीनों तथा भूस्वामियों के बीच संघर्ष है यह हरिजनों और गैर हरिजनों के बीच का सघर्ष है और मुझे भय है कि यह संघर्ष दो समुदायों के बीच का संघर्ष न बन जाए। भूस्वामियों का वहां बोलबाला है । उन्होंने भूमिहीनों के विरुद्ध बड़ा रोषपूर्ण रवैया अपनाया हुआ है । हरिजन बिल्कुल असहाय हैं और अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते।

जनता सरकार के लिए यह परीक्षा की घड़ी है । जनता सरकार को भूमिहीनों के अधिकारों की रक्षा हर संभव तरीकों से करनी चाहिए । हाल ही में दो बड़ी रैलियां हुई हैं । हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। स्थिति बहुत नाजुक हो गई है । यह घटना कहीं विस्फोटक न बन जाए इसलिए सरकार को वहां हो रही घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए ।

कहा गया है कि भूमि 125 परिवारों में बांटी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि कुल कितनी भूमि का आवंटन किया गया और क्या वितरण के समय इस भूमि तथा चारागाह भूमि के बारे में कुछ विवाद था।

क्या अभी कुछ अतिरिक्त भूमि है यदि हां, तो क्या इसे भूमिहीन श्रमिकों में बांटा जाएगा?

आपने कहा है कि भूमि को जोतने के संबन्ध में उन्हें सुरक्षा दी जाएगी क्या आप उनकी फसलों की भी सुरक्षा करेंगे क्योंकि भूमि स्वामी बदमाशों द्वारा उनकी फसलें नष्ट करा सकते है। फसल कटाई गे।

कहा गया है कि शांतिपूर्ण समझौता कराने के प्रयास किए जा रहे है। आप क्या शांतिपूर्ण समझौता कराएंगे। स्पष्ट बात है कि मुझे नौकरशाही में बिल्कुल विश्वास नहीं। नौकरशाही में वर्ण भेद करने वाले लोगों का बोलबाला है। वे केवल भूस्वामियों के हितों की रक्षा करते हैं। अतः मामले को उपराज्यपाल अथवा जिला अधिकारियों पर छोड़ने से बात नहीं बनेगी। मेरा अनुरोध है कि सभी प्रतिपक्षी दल के नेता तथा कुछ संसद सदस्य वहां जाएं और लोगों से बातचीत करें ताकि वहां की स्थिति भी देश के कई अन्य भागों जैसे बिहार इत्यादि की तरह बदतर न हो जाए। मेरा अनुरोध है प्रधान मंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं सदस्यों की चिन्ता भली प्रकार से समझता हूं परन्तु संसद सदस्य वहां जाकर क्या करेंगे वे स्थिति में सुधार करने के स्थान पर बिगाड़ भी सकते हैं। परन्तु यदि वे जाना चाहते हैं तो मैं उनको नहीं रोकूंगा।

सरकार को इस झगड़े की और भूस्वामियों के शत्रुतापूर्ण रवैये की जानकारी है और वह उन लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रही है और यह तब तक की जायेगी जब तक दूसरा पक्ष पूरी स्थिति को समझता नहीं और बाद में मुश्किल खड़ी नहीं करता।

श्री पी०के० कोडियन (उडूर) : मैं प्रो० समर गुह की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि कंझावला ग्राम को स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और यदि समुचित सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए जाएंगे तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। भूस्वामी, हरिजनों तथा अन्य भूमिहीन लोगों में बांटी गई भूमि पर न तो उन्हें खेती ही करने दे रहे हैं और न ही मकान बनाने दे रहे हैं इस घटना से हमें रतलाम जिले के कनोडिया ग्राम में हुई घटना तथा आन्ध्र प्रदेश के चिमाओ गिराला ग्राम की घटना का स्मरण हो आता है।

इन घटनाओं के दौरान कई हरिजनों को भूस्वामियों ने मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई भागों में ऐसी घटनाएं हुई है। मध्य प्रदेश के एक गांव में भूस्वामियों ने हरिजनों की खड़ी फसलों पर पशु छोड़ दिये जब पशु उनकी फसलों को नष्ट कर रहे थे तो भू-स्वामी और उनके लड़के नाच रहे थे। कंझावला ग्राम में जो हुआ है वह इस वर्ग संघर्ष का प्रतीक है। मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस बात पर की ओर दिलाना चाहता हूं कि जुलाई को इस गांव में भूस्वामियों की एक सभा हुई जिसके बाद वहां तनाव और बढ़ गया। भड़काने वाले परचे बांटे गए। मंत्री महोदय ने कहा है कि शांतिपूर्ण समझौता कराने के प्रयास किए जा रहे है लेकिन मुझे यही समझ नहीं आता कि आखिर विवाद क्या है। हरिजन जो पूर्ण सुरक्षा की मांग कर रहे ह उनकी यह मांग नैतिक तथा कानूनी रूप से बिल्कुल न्यायायोचित है।

भूस्वामियों का कहना है कि किसी को ग्रामसभा भूमि बांटने का कोई अधिकार नहीं हैं उन्होने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने उनकी मांग अस्वीकार कर दी। फिर जमींदारों ने कहा कि

हरिजनों के बीच भूमि बांट देने से हम चारागाह भूमि से वंचित हो गए । लेकिन यह बात सच नहीं है क्योंकि 1400 एकड़ चारागाह भूमि अभी भी भूस्वामियों के पास चारागाह के लिए है ।

किसान संघर्ष समिति, तथाकथित भूस्वामियों की समिति ने हरिजनों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने का निर्णय किया है ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे हरिजनों को उनकी भूमि जोतने के संबन्ध में सुरक्षा प्रदान करेंगे । उन्हें स्थायी आधार पर भूमि दे दी जाए ताकि भूस्वामी यह विवाद ही न खड़ा कर सकें।

क्या सरकार भूस्वामियों से ग्रामसभा भूमि वापिस लेगी जिस पर उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है ।

क्या सरकार भूमिहीन हरिजनों तथा अन्य भूमिहीन वर्गों को खेती के कार्य हेतु पूरी वित्तीय तथा अन्य सहायताएं प्रदान करेगी।

श्री धनिक लाल मंडल : सरकार उन तथ्यों से पूरी तरह अवगत है जिनकी ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है । जहां तक स्थायी तौर पर स्वामित्व अधिकार का संबन्ध है अलाटी कानूनी तौर पर अपना हक ले सकते हैं ।

जहां तक ग्रामसभा भूमि का संबन्ध है 100 बीघा भूमि में से 600 बीघा भूमि 120 परिवारों को बांटी गई और अभी भी 1200 बीघा भूमि बची है दिल्ली भूमि सुधार कानून के अनुसार ग्राम सभा को भूमि अलाट करने का अधिकार है ।

सरकार हरिजनों को पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur): I would like to draw the attention of the hon. Minister to his statement made in regard to village Khanjhawala. It has been stated that litigation was started by the landowners on the ground that the land allotted was earmarked as grazing ground for cattle, but the fact is that this land is not grazing land. It has always been utilised for cultivation purposes.

The land was allotted in 1970. Till 1977 there was no dispute about it but now all of a sudden why dispute has arisen. I think there is some mystry behind it.

The allottees should have been given tenancy right within three year.

The members of opposition parties are trying to instigate Harijans.

Shri Dhanik Lal Mandal: Only Harijans have not been allotted land at village Khanjhawala. Non Harijans have also been allotted land Among the 120 families that have been given land. 67 families belong to Harijan caste and rest are non Harijans. Therefore it is a question of Landless and not of Harijans.

As regards permanent tenancy rights, the allottees can take action according to the law and get them.

MATTERS UNDER RULE 377

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

(एक) शाहजहांपुर आयुध कारखाने में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का समाचार

Shri Surendra Bikram (Shahjhanpur): A. serious situation has been created in the Ordnance Factory, Shahjhanpur due to serious irregularities. It has become a den of

gamblers and thefts are a regular feature there. Everyday valuable articles are being stolen whereby the Factory suffered a loss of lakhs of rupees. There is widespread discontentment among the people on this account. If immediate steps are not taken to conduct a high level inquiry our security is also like to be adversely affected. Let the Defence Minister immediately intervene in the matter.

(दो) जमालपुर रेलवे वर्कशाप को आधुनिक बनाने की आवश्यकता

Shri L. L. Kapoor (Purnia): I mean to draw the attention of the House to the state of affairs prevaling in the Jamalpur Railway workshop. This workshop was set up in Bihar in 1862 and has been well known for its efficiency. Unfortunately after independence whereas attention is paid to the development of other areas this workshop has remained neglected. Many works which could easily have been undertaken in this workshop are assigned to other places on account of political pressure. Not only this, even production of some equipment which is being done in the workshop has been stopped and the same are being purchased from the monopoly houses. Now a conspiracy is going on to close down the rolling mill there which has a production capacity of 1000 tonnes per month. The number of workers in the workshop has gone down from 22,000 to 9,000. This deteriorating condition in the workshop has created to wide discontent among the local workers and people and there have been various agitations. Government should take immediate steps for modernisation of the factory and for increasing its production capacity in view of the backwardness, growing unemployment and poverty of the State.

(तीन) कलकत्ता हवाई अड्डे पर लगाये गये दो आधुनिकतम राडारों के काम न करने का समाचार

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर (दुर्गापुर) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मामला उठाना चाहता हूं।

अमृत बजार पत्रिका में यह खबर छपी है कि गत पांच माह से कलकत्ता हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रक की आधुनिकतम रडारों की सेवाएं नहीं प्रात हो रही हैं। इससे बड़ी कीमती मशीनों को लाने में बहुत कठिनाई हो रही है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कलकत्ता हवाई अड्डे से यह सौतेला व्यवहार क्यों। उन्हें इस बारे में सदन में वक्तव्य देना चाहिए।

(चार) खरीद के मामले में सरकारी क्षेत्र को 10 प्रतिशत अधिक मूल्य देने का समाचार

श्री वेदव्रत बरूआ (कालियाबोई) : खरीद के मामले में सरकारी क्षेत्र को 10 प्रतिशत अधिक मूल्य देने के सरकारी निर्णय को अब समाप्त करने का समाचार आया है। मंत्री महोदय ने कहा है सरकारी क्षेत्र को यह प्राथमिकता इसलिए दी गई थी ताकि वह क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें। लेकिन आज भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आगे ही क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा। यदि इसे हटा दिया गया तो उन्हें कोई भी आर्डर नहीं देगा। यह जनता सरकार अफसरशाही से सांठगांठ कर रही है। इसके पीछे बड़े व्यापार गृहों का भी हाथ है।

(पांच) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यकरण संबंधी समाचार

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण सारा कपड़ा उद्योग संकट में पड़ गया है। छोटे-छोटे उपक्रमों की देखभाल का काम इस परिषद् के जिम्मे है। परन्तु उसका ध्यान तो मुनाफेबाजी की ओर जा रहा है। यह खबर भी छपी थी कि वह कुछ चीजें सस्ती लेकर अपने ही लोगों को अधिक कीमत पर दे रही है। इस गलत बात के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

भारत-अमरीकी समझौते के अंतर्गत हथकरघा वस्तुओं को विशेष महत्व दिया गया था। इस समझौते को गलत समझा गया और इस कारण वहां काफी स्टॉक इकठ्ठा हो गया। यह भयंकर बात थी। इसका भारत के निर्यात पर बड़ा प्रभाव हुआ। सरकार को इस बारे में जांच के लिए समिति बनानी चाहिए।

इस उद्योग के अंतर्गत भारत में काफी लघु उद्योग चलते हैं जिसमें सिले-सिलाए कपड़े तैयार किए जाते हैं। इस पर बड़ा कुप्रभाव हुआ है परन्तु आश्चर्य की बात है कि इस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। वाणिज्य मंत्री द्वारा इस बारे में वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

तत्पश्चात लोकसभा दो बजकर पांच मिनट तक मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha them adjourned for Lunch till five minutes past Fourteen of the Clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

उपाध्यक्ष महोदम : अब हम संविधान (45वें संशोधन) विधेयक पर चर्चा जारी रखेंगे।

श्री पी०के० देव (कालाहांडी) : चर्चा का समय बढ़ा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य चर्चा के लिये दस घंटे का समय नियत किया गया है। जो समय बीत चुका है, उसको मिलाकर इस विधेयक के लिये कुल 12 घंटे नियत किए गए हैं। इसमें मंत्री जी द्वारा लिया जाने वाला समय भी शामिल है। मंत्री जी उत्तर कल देंगे और उसके पश्चात् ही मतदान होगा।

संविधान (45वां संशोधन) विधेयक 1978

Constitution (Forty-fifth) Amendment Bill 1978

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं। कल मैंने उन कठोर उपबन्धों का स्वागत किया था, जिनसे किसी भी सरकार के लिये लोगों को बिना मुकदमा चलाए लम्बी अवधि के लिए नजरबन्द रखना बहुत कठिन हो गया है। मैं आगे यह कहना चाहूंगा कि निवारक नजर बन्दी अधिनियम पूरी तरह समाप्त कर लिया जाना चाहिए क्योंकि मेरी राय में यह सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों ही रूपों में स्वतंत्रता अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं का खंडन करता है।

मैंने जनमत संग्रह का पुरःस्थापित करने के अवसर पर ही विरोध किया था और अब भी इसका विरोध कर रहा हूं। जनमत संग्रह अव्यावहारिक कठिन तथा बहुत खर्चीला है। मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस पर किसी एक समय पर 30 करोड़ रुपये व्यय होंगे। खर्चीला होने के अतिरिक्त जनमत संग्रह एक ऐसी चीज है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि संसद् का निर्वाचन प्रत्येक पांच वर्षों के बाद होता ही रहता है और यदि संसद् कोई बुरा काम करती है तो जनता नई संसद का चुनाव कर सकती है।

और नई संसद् उस गलत काम को ठीक कर सकती है। लोक जटिल राजनीतिक तथा संवैधानिक मामलों को कैसे समझ पायेंगे। किसी राजनीतिक मामले का निर्णय करने के लिये जनमत संग्रह की बात नहीं सोची जा सकती। यह संवैधानिक संशोधन की तरह स्थायी नहीं हो सकता। स्विटरजरलैण्ड, आस्ट्रेलिया तथा अमरीका में जनमत संग्रह ऐच्छिक है। अतः कोई भी देश लोकतांत्रिक उद्देश्यों के लिये जमनत संग्रह नहीं करता। इसके अतिरिक्त संविधान में चार मौलिक चीजें हैं। इन्हें संशोधनीय क्यों किया जाए? यदि 51 प्रतिशत लोग कहते हैं "कि मौलिक अधिकार समाप्त हो सकते हैं" तो क्या हम जनमत संग्रह के द्वारा उनका संशोधन कर लेंगे? मैं कहता हूं कि यदि 99 प्रतिशत लोग भी कह देते हैं कि मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं तो भी हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि ये मौलिक बाते हैं और इन्हें असंशोधनीय ही रखा जाना चाहिए।

मुझे हर्ष है कि मौलिक अधिकारों में से निजी सम्पत्ति का अधिकार समाप्त कर लिया गया है और अब यह कानूनी और संवैधानिक अधिकार रह गया है। हम चाहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक अधिकार बने रहे और सम्पत्ति का अधिकार हमारी सामाजिक प्रगति में बाधक न बनें।

अन्त में मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि राज्यों में राष्ट्रपति का शासन सम्बन्धी उपबन्ध सही कर दिए गए हैं। आपने संविधान के दर्शन, प्रथा तथा उद्देश्यों का हमें इस तरह सम्मान करना चाहिए कि चाहे आपात स्थिति हो अथवा न हो, संविधान के किसी अंग को विकृत न किया जाए। हमें अपने संविधान तथा सरकार को कार्य करने में समर्थकारी बनाना चाहिए ताकि वे जनता की संतुष्टि के अनुरूप कार्य कर सके। क्योंकि आखिरकार संविधान एक उपकरण या साधन है, न कि लक्ष्य। लक्ष्य तो जन कल्याण है।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती :(कलकत्ता दक्षिण) यह संविधान (संशोधन) विधेयक पेश करने के लिये मैं विधि मंत्री को बधाई देता हूं। वैसे यह विधेयक लाने में सरकार ने कुछ विलम्ब कर दिया है। यह विधेयक पेश करके जनता पार्टी लोगों में संविधान के प्रति पुनः विश्वास कायम करने का प्रयास कर रही है जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लोगों को दिया था। अब देश में किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना नहीं रहेगी। हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जिन्होंने हमें यह सुनिश्चित करने के लिये यहां भेजा है कि लोगों के अधिकारों का और हनन न हो। और भविष्य में मौलिक अधिकारों पर कोई आंच न आये।

इस विधेयक में ऐसे उपबन्ध हैं, जिनसे न्यायपालिका की खोई हुई शान तथा प्रतिष्ठा पुनः कायम हो जायगी और सर्व प्रयोजनों के लिये कानूनी शासन कायम होगा। किन्तु मैं चेतावनी के तौर पर एक शब्द कह दूं कि जब तक हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रही है और जब तक उन्हें कानूनी प्रणाली का लाभ नहीं मिल रहा है, तब तक देश में समानता प्राप्त करने के लिये केवल कानूनी उपबन्ध करने से कुछ नहीं होगा।

हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करने का जो वचन दिया था, उसे इस विधेयक द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसके लिये विधि मंत्री बधाई के पात्र हैं। अब सम्पत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। घृणित अनुच्छेद 329क का, जो "इंदिरा बचाओ खंड" के नाम से भी प्रचलित है, लोप करने के लिये भी मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

अनुच्छेद 74 में संशोधन करके राष्ट्रपति का दर्जा बढ़ाया जा रहा है। यह पहला अवसर है जबकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् को किसी मामले पर पुनर्विचार करने के लिये कह सकेगा।

इस संविधान (संशोधन) विधेयक के द्वारा अनुच्छेड 361क का अन्तःस्थापन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संसदीय कार्यवाही को छापने वालों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह सही दिशा में एक सराहनीय कदम है।

जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में हमने यह आग्रह किया कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन के अधिकारों का उपयोग करने में बड़ी सावधानी बरती जाए क्योंकि उससे राज्य की स्वायत्तता, विशेषकर, आपातकाल में, न के बराबर रह जाएगी। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा निश्चित कर अच्छा किया गया है। मेरा विचार है कि चुनाव घोषणा में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन की शर्तें भी स्पष्ट रूप से रखी जाएं। यह विधि मंत्री के विचार का विषय है। अन्यथा राज्यों के राज्यपालों द्वारा व्यक्तिपरक प्रतिवेदन भेजे जाएंगे और उन्हीं के आधार पर निर्णय किए जाएंगे।

राज्यपालों की नियुक्ति में राज्य के सत्ताधारी दल को भी शामिल किया जाए। उनकी राय को पर्याप्त महत्व दिया जाए।

यह अच्छा नहीं है कि संसद् और विधान मण्डलों को निवारक नजरबन्दी कानून बनाने की छूट के संविधान के उपबन्धों को बनाए रखा जा रहा है। यदि हम देश में लोकतन्त्र को बनाए रखने की इच्छा रखते हैं तो इस उपबन्ध को हमेशा के लिये समाप्त किया जाए।

जनता पार्टी के चुनाव घोषणा में यह कहा गया था कि हम अयोग्य विधायक को वापिस बुलाने की गारण्टी देंगे। उसमें प्रत्येक के लिये काम के अधिकार की बात भी थी। इस सम्बन्ध में संविधान में भी कुछ उपबन्ध किया जाय। मैं चाहता हूं कि काम का अधिकार और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था मूल अधिकारों में की जाए।

जनमत संग्रह के सम्बन्ध में श्री मावलंकर के विचार से मैं सहमत नहीं। संसद की स्वायत्तता से मना नहीं किया जा सकता। परन्तु वरीयता किसे दी जाए। संसद को या जनता को? मुझे जनता तथा भारतीय लोगों के क्रियात्मक विचारों पर विश्वास है। 1977 के चुनाव में क्या हुआ? उस समय हमने अपने लोगों में विश्वास किया। हम यह जानते थे कि हमारी 60 प्रतिशत जनता भुखमरी की स्थिति में रह रही है परन्तु फिर भी उसने किस प्रकार तानाशाही के खिलाफ प्रतिक्रिया दिखाई। इस लिये मैं चाहता हूं कि सब जनमत संग्रह के सुझाव को स्वीकार करें। ऐसा कर हम विश्व भर को नया मार्ग सुझा सकेंगे।

श्री एम०एन० गोविन्दन नायर (नन्दयाल) : मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं तथा इस सम्बन्ध में सभी दलों से पहले ही चर्चा करने के लिये विधि मंत्री को बधाई देता हूं।

मैं अनुच्छेद 368 में संशोधन करने वाले खण्ड 45 का समर्थन करता हूं जिसमें संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या की गई है और यह स्पष्ट किया गया है कि जनमत संग्रह के बिना मूल ढांचों को नहीं बदला जा सकता है। हमारे जैसे देश में यह आवश्यक है। इससे हम लोगों को संविधान के मूल ढांचे के बारे में जानकारी देने में मदद मिलेगी।

मुझे प्रसन्नता है कि सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया जा रहा है। दुर्भाग्य से हमें विरासत में एक अलोकतांत्रिक सामाजिक ढांचा मिला। जब तक हम इस ढांचे से संघर्ष के लिये तैयार नहीं होंगे। हम धर्म निरपेक्ष और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते।

आपात स्थिति के संबंध में कुछ संशोधन लाए गए हैं। मंत्री महोदय भूतकाल के उन अनुभवों से सीखें जहां सरकारें गिराने के लिये संविधान का दुरुपयोग किया गया। यह 1950 में केरल से शुरू हुआ। सरकार के बहुमत में होने पर भी जनता के सरकार से विरुद्ध होने के नाम पर सब सरकार गिराने को मिल गए। यदि केन्द्र न चाहे तो भी सरकार गिराने के लिये यह किया गया। वर्तमान संशोधन के अनुसार आपात स्थिति सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लागू की जा सकती है। मैं जानता हूं कि भिन्न दलों, गुटों और सरकारों में अन्दर-अन्दर लड़ाई चलेगी और सरकार देश में सशस्त्र कार्यवाही करेगी। इसलिए बाहरी आक्रमण के अलावा आन्तरिक आपातस्थिति लागू करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रपति के शासन के बारे में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं परन्तु वह पर्याप्त नहीं हैं। राष्ट्रपति का शासन 6 महीने या 1 साल के लिये ही क्यों लागू किया जाय ? हमें यह दृष्टिगत रखना चाहिये कि पहले कितनी बार राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया था और किस प्रकार उसे और अधिक समय के लिए बड़ाया जाता रहा। इसलिये मेरा सुझाव है कि दो महीनों के अन्दर ही चुनाव करवाये जाने चाहिए केन्द्र में राष्ट्रपति का शासन लागू करने का कोई उपबन्ध नहीं है । वहां शीघ्र ही चुनाव करवाये जाते हैं इस प्रकार जब कि केन्द्र में सरकार का पतन होने पर 60 करोड़ की जनसंख्या वाले देश नें चुनाव करवाये जा सकते हैं तो फिर भला यदि किसी राज्य में सरकार का पतन हो जाता है तो वहां चुनाव करवाने में क्या कठिनाई हो सकती है ? किसी भी राज्य में चुनाव दो महीनों के अन्दर करवाये जा सकते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): I congratulate the Minister for bringing this 45th Constitution (Amendment) Bill. It is a historical event in the country whereby democracy has taken its re-birth. A greater part of the commitments made by the Janata Party would be fulfilled after this legislation is enacted. Through this Bill democratic values, personal freedom, equality before law, freedom of judiciary and respect to Parliament are being restored. It is an eye-opener to all those who say that the Janata Party Government has done nothing.

In this Bill the basic structure of our Constitution has been made clear and it has been provided that only people of the country will have a right to change it, not even this Parliament. The attitude of the Supreme Court noticed during the period of emergency was a slur on the face of our country. Therefore, we can not rely on it. That is why the people of the country have been made sovereign, over and above the parliament, to bring a change, if necessary, in this basic structure. The provision relating to referendum introduced by us is thus the fourth way to amend the Constitution. It is in conformity to our traditions to make the people of the country sovereign. Provision has not been made to incorporate people's right of recall. I do not agree with it. But I support the view that the right to change the basic structure must vest in people only. Only those will oppose it who are against the people, who have some apprehensions and who want to get a chance, somehow or other, to come in power and who will, after coming in power not allow elections to be conducted again in the country.

The joint responsibility of the Cabinet with Prime Minister as its head, is also a basic feature. I want that this should also have been included in it.

It has been suggested by some Members that provisions relating to internal emergency should be deleted from the Constitution. Here I would like to point out that even the worst criminal of the country is today moving totally freely because the fact that the Janata Government do not want to misuse any powers. There are saboteurs, infiltrators, persons basically believing in political philosophy of violence etc., in our country and as such I am of the view that the provision relating to internal emergency should remain in our constitution. However, I am glad to see that the Law Minister has correctly imposed certain necessary curbs on emergency.

As regards preventive detention, I am of the view that no one should be detained for more than six months. A provision should also be made that the grounds for detention must be given to the detenue.

I am not in favour of transferring education from Concurrent List to State List. The *status quo* should be maintained.

Regrading Article 31, I agree with the steps taken by the Minister of Law. But regarding Article 19 (1), I would like to point out that seven freedoms enumerated therein are interdependent. Deletion of one freedom therefrom would create many difficulties. Various sorts of rights will go with it and there is a likelihood that any future Government might make misuse of this situation. It should, therefore, be reconsidered.

श्री आर० वेंकटा रमन (मद्रास—दक्षिण) : विधेयक खण्ड 45 का सम्बन्ध संविधान संशोधन से है केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय ने संविधान में संशोधन करने मे संसद की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया था। उसमें कहा गया था कि संसद संविधान में ऐसे संशोधन कर सकती है। जिनमें संविधान के मूल ढांचों पर असर न पड़े। कुछ अन्य बातें भी हैं जैसा कि संविधान के 'धर्म निरपेक्ष' या लोकतांत्रिक स्वरूप को बिगाड़ना, नागरिकों के अधिकारों को कम करना, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनावों में रुकावट डालना तथा न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बनाये रखना आदि। इनके लिये यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 (एफ) के अनुसार कोई कानून बनाया जाता है और फिर जनमत संग्रह से उस पर लोगों मंजूरी ले ली जाती है, तो वह कानून वैध हो जायगा। इन परिस्थितियों में प्रश्न यह उठता है कि यदि उच्चतम न्यायालय के अनुसार न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और शक्तियों पृथकीकरण के बारे में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करना संविधान के मूल भूत ढांचे में परिवर्तन करना होगा—तो फिर भला इसी कानून के अन्तर्गत यह व्यवस्था कैसे की जा रही है कि कोई भी ऐसा संशोधन जिसका सम्बन्ध न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से है, उसे भला जनमत संग्रह सें कैसे मंजूर किया जा सकता है? ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक तथा आधारभूत अधिकारों के रूप में जो कुछ दिया गया था, जिन्हें किन्हीं भी परिस्थितियों में लोगों से छीना नहीं जा सकता था, वह इस विधेयक के माध्यम सें लोगों से छीना जा रहा है? केशवानंद भारती केस के अनुसार इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता तथा इसमें संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केशवानंद भारती केस में लोगों को जो अधिकार दिये गये थे, लगता है कि सरकार अब उन्हें वापिस ले रही है। अतः विधि मंत्री को इस संशोधन पर और अधिक ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये। हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं करेंगे।

जनमत संग्रह का विचार नया विचार है। संविधान में इसका उपबंध नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जनमत संग्रह का उपबन्ध ही भारत के संविधान में संशोधन करने का उपबन्ध हो और यदि ऐसा हुआ तो यह संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है। अगर हमारी सरकार हमारे संविधान के मूलभूत स्वरूप में ही परिवर्तन करके उसे प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक प्रणाली के स्थान पर प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली में बदलना चाहती है तो ऐसा करना हमारे संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं के विरुद्ध होगा। अतः यह तर्क दिया जा सकता है कि यह एक ऐसा मूलभूत परिवर्तन है जिसकी कल्पना नहीं की गई थी और यह संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत नहीं आता। फिर जनमत संग्रह के व्यावहारिक पत्र को भी दृष्टिगोचर नहीं किया जाना चाहिये। जनमत संग्रह प्रायः "हां" या 'नहीं' के रूप में किया जाता है। भला किसी संविधान संशोधन को 'हां' या 'नहीं' के आधार पर कैसे किया जा सकता है? इससें अनेक कठिनाईयां तथा समस्यायें उत्पन्न हो जायंगी

खण्ड 51 के उपबन्धों के अनुसार किसी भी संशोधन को तब मान्य समझा जायगा जब 51 प्रतिशत लोग उसके पक्ष में मत देंगे। आम चुनावों की तरह कोई भी लोगों को प्रोत्साहित कर उन्हें मतदान केन्द्रों तक ले जाने के लिये उत्सुक नहीं होगा। अधिकांश मामलों में तो 51 प्रतिशत लोग मतदान ही नहीं करेंगे।

यह सम्पूर्ण योजना गलत है तथा इस पर गहराई के साथ विचार किया जाना चाहिये। वास्तव में इस सम्पूर्ण मामले पर, संविधान संशोधन प्रस्तुत करने से पूर्व ही, सार्वजनिक रूप से चर्चा की जानी

चाहिये थी। राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए था तथा बार एसोसिमेशन जैसी संस्था के विचार जानने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिये था। इतना ही नहीं यह विधेयक प्रवर समिति को भी नहीं सौपा गया है।

श्री दाजीबा देसाई (कोल्हापुर) : संविधान संशोधन विधेयक के कई प्रस्ताव स्वागत योग्य हैं। जनता सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र में किये गये वायदों को पूरा कर लिया है। लेकिन उन्होंने साथ-साथ रोजगार के अधिकार का वायदा भी किया था। सम्पत्ति का अधिकार जा रहा है लेकिन रोजगार का अधिकार नहीं आया है। साथ साथ धारा 31(ग) का संशोधन भी किया जा रहा है। जिसें पहली सरकार ने जोड़ा था। यह सरकार उस प्रावधान को भी कि समाप्त कर रही है। इस संविधान संशोधन विधेयक में सामाजिक आर्थिक उपायों के लिए कोई गुंजाइश नही है और धारा 31 (ग) में जो कुछ गुंजाइश थी उसे भी या तो हटा दिया गया है या उसे संकुचित बना दिया गया है।

विधेयक का अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है वह यह है कि लोकतंत्रीय अधिकारों पर सभी रोकें और दबाव हटा दिये गये हैं। न्यायापालिका की स्वतन्त्रता और मूल अधिकारों को कर्यान्वित करने सम्बन्धी सभी पाबन्दियां भी हटा ली गई हैं। मगर एक बात है कि केवल बोलने की स्वतंत्रता और मूल अधिकारों मात्र से लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकेगी। इसकी रक्षा तो सामाजिक और आर्थिक सुधारों से ही संभव हो सकेगी।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पुन: स्थापित करने की बात तो स्वागत योग्य है हीं। न्यायाधिकरण तथा अन्य कई चीजों को समाप्त कर दिया गया है। परन्तु लोकतंत्र तो तब ही बचेगा यदि सभी वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक स्थिति सुधरे। ऐसे पग उठाये जाएं कि गरीब वर्ग की स्थिति में सुधार हो। विधेयक में इन सब बातों का नितान्त अभाव है।

जनमत संग्रह वाली बात नई है और इससे एक नया सिद्धांत उभर कर सामने आया है। भारतीय राजनीति में एक नया तत्व उभर रहा है जिसका अर्थ यह है कि संघवाद का सिद्धांत छोड़ा जा रहा है। परन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि राज्यों की कीमत पर केन्द्र शक्तिशाली नहीं बन सकेगा। हमें अपने संविधान में संघवाद को पूर्ण मान्यता दी जानी चाहिए।

शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जा रहा है। इसका मैं विरोध करता हूं। यह तो कई मुख्य मंत्रियों ने भी कहा है कि शिक्षा को राज्य की सूची में रखा जाए।

Shri Y. P. Shastri (Rewa): Sir, I consider this Constitution (45th Amendment) Bill as a revolutionary measure because it seeks to take away the right to property from the list of fundamental rights. The Janata Party Government deserves congratulations for bringing forth such a revolutinary step. It is quite appropriate that the right to property will not now be recognised as a fundamental right, but it should not have been there even as a constitutional right. I therefore, oppose the right to property even as a constitutional right. The Janata Party is committed to give the people a right to work and its election menifesto provides to replace the right to property by right to work. It is unfortunate that in the present amendment Bill no provision has been made to grant a right to work to the people.

I am also opposed to the provision of preventive detention there is still a provision in Article 22 that any individual can be detained for two months because the Board of High court Judges can decide within a period of two months as to whether the grounds of detention are Justified. It means that an individual can be detained for two months without trial this Bills seeks to reduce this period from three months to two months. This is totally unfair and unjustified. A person should not be put under detention even for a single day without trial, because it is a mockery of democracy if any person is put behind the bars

So far as emergency is concerned, it is a welcome step that 'armed rebellion, has been accepted as a ground, in place 'Internal Disturbance' for declaring Emergency. But I apprehend its misuse by any Government present or future. The ordinary laws of the land are quite adequate to deal with the situation of armed rebellion' without imposing internal emergency. Therefore, the provisions relating to internal emergency should be removed for all time to come.

The former Law Minister has said that this amending Bill has defined "Secularism" and 'Socialism' and it is not fair. It is quite appropriate that these concepts have now been defined and a definite interpretation has been attached to them that there will not be any discrimination between individuals on the basis of caste, creed or religion. It is a welcome step that socialism has been defined to mean that an individual shall not be subjected to social, economic or political exploitation by another individual.

This Bill also seek to remove 'Education' from Concurrent List and to include in the State List. But it is wrong. Education should be retained in the concurrent List. And along with this the subject of Agriculture should also be included in the concurrent list, without which it shall never be possible to bring about land reforms and distribution of land among the landless persons similarly, irrigation should also be put in the Concurrent List in order to avoid river water disputes between different States. It is wrong to say that this will abolish the federal structure of our Government.

So far as the provisions of referundum is concerned, we whole heartedly support this step. People are sovereign and they should have the authority to change the basic structure of our Constitution and not this Parliament.

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहाम पुर) : संविधान (45वां संशोधन) विधेयक 1978 एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधान है और जब यह अधिनियम का रूप धारण करेगा तो यह स्वतंत्र भारत के संवैधानिक इतिहास के विकास में कीर्तिमान होगा। हम वास्तव में तब पूरी तरह संतुष्ट होते यदि संविधान (42वां संशोधन) विधेयक का पूरी तरह निरसन कर दिया जाता और हमारी प्रणाली के सामाजिक आर्थिक आधार को नया रूप देने तथा उसके पुनर्गठन के लिए एक वास्तविक क्रांतिकारी विधान लाया जाता।

हमने जो संवैधानिक प्रणाली अपनायी है वह न्यूनाधिक रूप से पश्चिमी देशों के लोकतांत्रिक स्वरूप जसी है। इसका पूंजीवादी ढांचा है। देश पूंजीवाद, एकाधिकार पूंजीपतियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जकड़ में है। और इस स्थिति को समाप्त करने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके लिए क्रांतिकारी पुनर्गठन की आवश्यकता है जो दुर्भाग्य से इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है।

[**श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए**
Shri M Satyanarayan Rao in the Chair]

इस विधेयक का सीमित उद्देश्य है। और वह उद्देश्य संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा करना तथा लोगों को स्वतंत्रता की गारन्टी देना है। संविधान (42वां संशोधन) विधेयक का उद्देश्य आपात् स्थिति की शक्तियों का संस्याकरण करना तथा प्रधान मंत्री को विधान मंडल पर प्रभुत्व रखने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान करना था। इस विधेयक का उद्देश्य लोगों को फिर से मौलिक अधिकार प्रदान करना तथा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालना है। यह उद्देश्य अच्छा है। इसी कारण से संविधान के आपात् स्थिति सम्बन्धी उपबन्धों को संशोधन किया जा रहा है। इस उद्देश्य का हम स्वागत करते हैं।

इस विधेयक को एक त्रुटि यह है कि यद्यपि सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है किन्तु काम का अधिकार तथा पर्याप्त जोविकोपार्जन का अधिकार किसी न किसी रूप में मौलिक अधिकारों की सूची में रखा जाना चाहिए।

नजरबन्दी नि.वारक के सम्बन्ध में इस विधेयक के खंड 3 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 22 में परिवर्तन किया जा रहा है जो कि नजर बन्दी निवारक कानूनों के अधिनियमन के लिए समर्थकारी उपबन्ध है। यह अनुच्छेद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए था यह हमारे संविधान पर एक धब्बा है और प्रत्येक सुविचारक व्यक्ति इस अनुच्छेद को समाप्त करने का समर्थन करेगा।

अनुच्छेद 356 केन्द्रीय सरकार को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए समर्थ करता है। केन्द्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। यदि केन्द्रीय सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है और संसद भंग हो जाती है तो वर्तमान सरकार अभीक्षक सरकार के रूप में प्रशासन चलाती है और तत्काल चुनाव कराने के लिए प्रबन्ध किए जाते हैं। राज्यों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ताकि उनकी स्वायत्तता पर भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो। हम जानते हैं कि किसी निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए इस अनुच्छेद के उपबन्धों का कैसा दुरुपयोग किया जाता है अतः संविधान का यह उपबंध भी समाप्त किया जाना चाहिए। यह हमारे संघीय संविधान की भावना तथा राज्यों की स्वायत्तता के विचार में सर्वथा विपरीत है।

लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के लिए विभिन्न खंडों में जो संरक्षण सम्बन्धी उपबन्ध हैं, उनका स्वागत है। इस सम्बन्ध में जनता सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वचन दिए थे, उन्हें पूरा कर लिया है।

श्री जगन्नाथ शर्मा (गढ़वाल) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। 42वां संशोधन विधेयक बहुत व्यापक है परन्तु इसने सारे देश में चिन्ता पैदा कर दी क्योंकि इसने संविधान का मूल संतुलन अथवा स्वरूप बदल दिया। इसने न्यायपालिका की भूमिका को अपंग बना दया, इसने संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट कर दिया और दमन तथा आतंक का मार्ग प्रशस्त कर दिया। विधि मंत्री इस विधेयक को संशोधी विधेयक के रूप में ही नहीं बल्कि आंशिक रूप से संविधान के कुछ उपबन्धों का उन्मूलन करने तथा कुछ नए संशोधन संविधान में जोड़ने हेतु इसे सभा में पेश करने के लिए भी बधाई के पात्र हैं। यदि एक बार यह विधेयक अधिनियम बन जाये तो देश में पुनः लोकतंत्र तथा कानूनी व्यवस्था की स्थापना हो जायेगी और फिर अनुच्छेद 352 तथा 356 का कभी भी दुरुपयोग नहीं होगा।

44वें संशोधन विधेयक पर बोलते हुए तत्कालीन विधि मंत्री ने यह विशेष रूप से कहा था कि संविधान के मूल विशेषताओं में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षवाद, गणतंत्रवाद तथा न्यायिक पुनर्विक्षा सम्मिलित हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि संशोधी शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद को संविधान का निरसन करने की शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। किन्तु उसी सरकार ने लोगों के सब अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को समाप्त कर दिया। इसी बात की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अब सरकार संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 का संशोधन करने के लिए सामने आई है।

अच्छी बात है कि अनुच्छेद 19 के उपबन्धों को केवल तभी निलंबित किया जायेगा जबकि कोई बाहरी आक्रमण हो या कोई युद्ध हो और अनुच्छेद 359 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त नहीं की जायगी चाहे आंतरिक आपात स्थिति हो अथवा बाहरी आक्रमण। संविधान के अनुच्छेद 13 तथा 254 (एक) को लागू करके उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय की न्यायाधिकरणों के ऊपर के उनके क्षेत्राधिकार की शक्तियों से उन्हें वंचित किया गया था।

सरकार बधाई की पात्र है कि उन्होंने निदेशक सिद्धांतों में संविधान के अनुच्छेद 37-क, 43-क तथा 48-क जैसे उपबन्धों को बनाए रखा है।

उन्होंने मौलिक कर्तव्यों का एक नया अध्याय भी जोड़ दिया था। अब मौलिक कर्तव्यों का कोई उपबन्ध नहीं है। जहां तक अनुच्छेद 368 का सम्बन्ध है, संविधान के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 को पहले यह परिभाषा देनी होगी कि संविधान की मूल विशेषताएं क्या हैं और फिर यह उपबन्ध करना होगा कि संसद अपनी संशोधी शक्तियों का प्रयोग करने में उन मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकती। ऐसा केवल समस्त वयस्कों के बहुमत की अनुमति से हो सकता है।

कभी-कभी विधान मंडल बहुत ही गैर-जिम्मेदारी ढंग से व्यवहार करता है और इसलिए ऐसी परिस्थितियों में जनमत संग्रह का उपबन्ध अच्छा होता है और इसलिए इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

नजरबन्दी निवारक अधिनियम के बारे में विवादस्पद बातें हुई हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह पूरी तरह पुराना हो चुका है। मैं यह महसूस करता हूं, कि समाज-विरोधी तत्वों को समाप्त करने के लिए इसकी देश में बहुत आवश्यकता है। इसीलिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 22 (तीन) को सम्मिलित किया गया है। सम्पत्ति के आधिकार के सम्बन्ध में सरकार ने यह अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया है। यह उचित दिशा में एक सराहनीय कदम है।

शिक्षा के बारे में मैं सरकार से सहमत नहीं हूं। शिक्षा समवर्ती सूची में ही रहनी चाहिए।

प्रस्तावना के बारे में मैं यह चाहता हूं कि "समाजवाद" शब्द के साथ धर्मनिरपेक्षवाद या लोकतंत्र शब्द नहीं जोड़े जाने चाहिएं।

जहां तक 'गणतंत्र' शब्द का सम्बन्ध है यह हमेशा प्रभुता सम्पन्न तथा लोकतांत्रिक होता है। "गणतंत्र" में लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षवाद तथा प्रभुत्ता सम्पन्न शब्दों का अभिन्न अंग है इसलिए हमें केवल भारत का गणतंत्र कहना चाहिए।

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा) : यह विधेयक पेश करने के लिए विधिमंत्री बधाई के पात्र है। हमारा दल, विधेयक में निहित सामान्य सिद्धांतों का समर्थन करता है, केवल कुछ आपत्तियों के साथ।

यह ठीक ही कहा गया है कि आपात स्थिति के दौरान संविधान को विकृत किया गया था और बहुत ज्यादतियां की गई थीं और कांग्रेस दल की हार का मुख्य कारण यही था कि आपात स्थिति के दौरान लोगों पर बहुत ज्यादतियां की गई थीं। 19 महीने की आपात स्थिति के दौरान संविधान को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों तथा प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल कर रख दिया था?

सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात स्थिति लगाने का उपबन्ध करने से स्थिति में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके लिए जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वह ठोस उपबन्धों से अधिक अपमान जनक है। यदि सशस्त्र विद्रोह के लिए कोई उपबन्ध किया भी जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है।

केवल इसी देश में नहीं किन्तु कई अन्य देशों का अनुभव भी है कि आपात स्थिति के उपबन्धों का सदैव दुरुपयोग हुआ है। इसलिए हमारा दल सशस्त्र विद्रोह सम्बन्धी उपबन्ध सहित आंतरिक गड़बड़ियों के कारण आपात स्थिति लागू करने का विरोध करते हैं।

जहां तक संविधान के संशोधन का सम्बन्ध है, मेरा दल जनमत संग्रह करने के विरुद्ध भी है। जब तक साथ-साथ राज्य विधान मंडलों तथा लोक सभा के लिए आम चुनाव नहीं होते तब तक जनमत संग्रह के लिए 51 प्रतिशत मत प्राप्त करना बहुत कठिन है। अतः जनमत संग्रह का समूचा विचार अव्यावहारिक लगता है। संविधान की मूल बातों में किसी तरह का परिवर्तन करने से बड़ी संख्या में मुकद्दमे चलायें जायेंगे और न्यायालय इन बातों का यह अर्थ लगायेंगे कि मूल बातों के विरुद्ध यह एक प्रकार का अपराध किया गया है। विधि मंत्री को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि क्या यह खंड स्वयं वैध है या इसके लिए भी जनमत संग्रह की आवश्यकता होगी।

हमारे दल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धर्म निरपेक्षता अथवा समाजवाद की परिभाषा नहीं की जानी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कहीं उससे बढ़कर है जो व्याख्या विधेयक में दी गई। समाजवाद के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। विधेयक में जो व्याख्या दी गई है उसके द्वारा समाजवाद के क्षेत्र को बहुत कम कर दिया गया है।

भारत जैसे देश में यदि हम एकता चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो शिक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं शिक्षा नीति के लागू किए जाने में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का सुझाव दे रहा हूं अन्ततः शिक्षा कार्य को संगठित करना तथा विभिन्न नीतियों को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है। परन्तु भाषा नीति के सम्बन्ध में हमें कुछ मतैक्य स्थापित करना होगा। और यह तभी सम्भव हो सकता है जब शिक्षा समवर्ती सूची में हो।

प्रो० आर० के० अमीन : 45वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिए विधि मंत्री बधाई के पात्र हैं। उनके संशोधन काफी अच्छे हैं परन्तु वे उस सीमा तक कारगर नहीं जिस सीमा तक उन्हें होना चाहिए।

क्या आपात स्थिति के सम्बन्ध में किया गया उपबन्ध उस समस्या को हल करने में समक्ष डेढ़ साल पहल हमने जिसका सामना किया था? परिवर्तन करते समय हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उस तंत्र का उपयोग उसी रूप में किया जा सकेगा जिस रूप में उसका उपयोग 1975 में किया जा चुका है? क्या हमने प्रधान मंत्री को संसद को भंग करने का सुझाव देने का अधिकार दिया है? इस अधिकार का उपयोग दल के सभी सदस्यों को दल के साथ रखने में किया जा सकता है। क्या ऐसा कोई उपबन्ध है कि इस शक्ति का उपयोग अलोकतान्त्रिक तरीके से न किया जाए? विधेयक में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं है।

आपात स्थिति सम्बन्धी उपबन्ध में सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख किया गया है। लोगों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है। यदि बड़ी संख्या में लोग हथियार रखते है तो तो इसका अर्थ है प्रशासन में कहीं कोई कमी है। यदि कोई आन्तरिक उथल-पुथल होती है तो क्या सेना के पास उपलब्ध वर्तमान तकनीक के द्वारा उसे एक महीने में नियंत्रण में नहीं किया जा सकता? यदि इसे एक महीने में नियंत्रण में नहीं किया जा सकता तो इसे कभी भी नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि शसस्त्र विद्रोह के लिए कोई उपबन्ध किया जाना आवश्यक हो तो वह 15 दिन अथवा एक मास से अधिक के लिए नहीं होना चाहिए। इस इकार का उपबंध विधेयक में किया जाये।

कुछ मूलभूत अधिकारों को 1947 से 1951 तक शामिल नहीं किया गया यद्यपि नेहरू प्रतिवेदन में और कांग्रेस द्वारा 1895 से 1945 के बीच तैयार किए गये प्रतिवेदनों में उन्हें शामिल किया गया था। शस्त्र रखना, पत्राचार की गोपनीयता कानूनी प्रतिक्रिया का उचित पालन, व्यक्ति की सुरक्षा तथा

अनुचित तलाशी आदि के कुछ अधिकार थे । जो इन प्रतिवेदनों में शामिल किए गये थे । इन अधिकारों के अभाव में 1975 से 1977 तक हमने अनेकों कष्ट उठाए । सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा तलाशियां और आसुंका । सरकार ने एक संशोधन पेश किया है जिससे 1975 की स्थिति फिर से न पैदा न हो । परन्तु उसके लिए मूलभूत सिद्धान्तों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए ।

मूलभूत अधिकारों में से सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है । जब सम्पत्ति के अधिकारों पर चर्चा हुई थी तो अमीर और गरीब की असमानता की ओर इंगित किया गया था । परन्तु सम्पत्ति के मूलभूत अधिकार की समाप्ति पर हमें यह सोचना चाहिए कि सम्पत्ति में मकान भी शामिल हैं । एक व्यक्ति को उसके मकान से बाहर किया जा सकता है, उस पर से उसके अधिकार को कार्यपालिका द्वारा समाप्त किया जा सकता है । एक व्यक्ति की एक या दो एकड़ की भूमि को बिना किसी मुवावजे के छीना जा सकता है । यदि सम्पत्ति का अधिकार नहीं रहेगा तो हम गुलाम हो जाएंगे और हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी । किसी व्यक्ति को किसी को तंग करने का या उसकी जीविका को छिनने का अधिकार नहीं होना चाहिए । यह सही है कि एक व्यक्ति कितने मूल्य की सम्पत्ति रखे इसकी एक सीमा निश्चित की जानी चाहिए ।

जहां तक संभव हो आसुंका और निवारक नजरबन्दी कानून न रखे जाएं । किसी को भी बिना कोई कारण बताए 15 दिन से अधिक नजरबन्द न रखा जाए और आसुंका के अन्तर्गत यह अवधि दो मास से अधिक नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार के उपबन्ध किए जायें ।

यह कहा गया कि निदेशक सिद्धान्तों और मूलभूत अधिकारों में एक विवाद उठ खड़ा हुआ है । ऐसा कुछ नहीं है । संविधान के निर्माण के समय नेहरू का प्रभाव चला न कि गांधी का । उस समय बहुत से लोगों ने यह सुझाव दिया था कि घरेलु उद्योगों की सुरक्षा, गो बध बन्दी, लघु उद्योगों का विकास आदि विषय निदेशक सिद्धान्तों में शामिल किए जायें । परन्तु मद्यनिषेध के इलावा गांधी जी के अन्य सब विचारों को छोड़ दिया गया । यह अच्छा होता कि विधि मंत्री निदेशक सिद्धान्तों पर गांधी जी के प्रभाव की छाप देते ।

भारत की अधिकतर जनता अशिक्षित है जो केवल दल के निशान को देखती है दल को नहीं, वह केवल नेता को देखती है और उसी उम्मीदवार को नहीं जो चुनाव लड़ रहा है । अतः सरकार जनमत संग्रह के इस उपबन्ध के द्वारा एक नई चुनाव पद्धति को जन्म दे रही है । वैसे जनमत संग्रह से उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती जिसके लिए ऐसा किया जा रहा है । राज्य केन्द्र सम्बन्धों जैसे विषयों के सम्बन्ध में जनता की राय प्राप्त करना बड़ा कठिन है । संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 20 या 25 वर्ष में संविधान सभा का गठन किया जाये जो संविधान के मूलभूत ढांचे पर विचार करे । हमारे मतदाताओं के लिए जनमत संग्रह उपयुक्त नहीं है ।

श्री अशोक कृष्ण दत्त (दम दम) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हुए चुनावों से पहले हमारे देश को अपने इतिहास के सर्वाधिक काले युग से गुजरना पड़ा । सरकार की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तानाशाही के अधीन पंगु बना दिया गया था । संविधान के साथ खिलवाड़ की गई और आपातस्थिति के दौरान किए गए 39वें, 40वें, 41वें, और विशेषकर 42वें संशोधन द्वारा लोगों के अधिकार छीन लिए गए । संविधान में संशोधन की व्यवस्था हर लोक तांत्रिक देश में होती है ताकि हम समय की मांग के अनुसार उसमें सुधार कर सकें लेकिन उक्त अवधि में इस व्यवस्था का ऐसा दुरुपयोग किया गया जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने स्वप्न में भी नहीं की होगी । लेकिन चुनाव में लोगों ने अपना बहुमत देकर इस सरकार को मौका दिया है कि 42वें संशोधन के उन उपबन्धों को इस विधेयक द्वारा

निरसित कर दिया जाए । वास्तव में विधि मंत्री की भी अपनी सीमिततताएं हैं क्योंकि उन्हें और सरकार को कई माननीय सदस्यों के भिन्न-भिन्न विचारों के साथ समझौता करना पड़ता है और यह विधेयक कुछ हद तक, समझौते की ही उपज है और कभी-कभी समझौते में वह बल नहीं होता जो मूल विधेयक में होता है ।

उसके बावजूद, बहुत अच्छा काम किया गया है । यह स्पष्ट हो गया है कि किसी एक व्यक्ति विशेष ने आन्तरिक अशांति के नाम पर, संविधान के उपबन्धों का दुरुपयोग किया और देश पर आपात्-स्थिति थोप दी। शाह आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने किस तरह, मंत्रि-मंडल की सलाह किए बिना, राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेज कर आपातस्थिति लागू कराई थी। यह भी साफ हो गया है कि तत्कालीन गृह मंत्री को पूरी तरह अंधकार में रखा गया, मंत्रि-मंडल से परामर्श नहीं किया गया और आपात्स्थिति की उद्घोषणा के बाद ही अगली सुबह मंत्रिमंडल को उसका पता चल पाया।

नए उपबन्ध में "आन्तरिक अशांति" शब्दों की जगह न केवल "सशस्त्र विद्रोह" शब्दों को रख दिया गया है, बल्कि कुछ अन्य, बहुत आवश्यक उपबन्ध भी बनाए गए हैं । विधि मंत्री ने इस विधेयक में यह उपबन्ध रखा है कि सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू की गई आपातस्थिति की एक माह के अंदर ही संसद द्वारा समीक्षा की जाए और यदि संसद अनुमोदन न करे तो आपातस्थिति समाप्त हो जाए।

एक और अच्छी बात यह है कि जहां मीसा के उपबन्धों को निरस्त कर दिया गया है, वहीं निवारक नजरबंदी को कायम रखा गया है क्योंकि हमारे जैसे देश में आर्थिक अपराधियों, जासूसी आदि की समस्याओं से निपटने के लिए किसी न किसी तरह की निवारक नजरबंदी का होना आवश्यक है । लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी निवारक नजरबंदी के इन उपबन्धों का दुरुपयोग न होने दें। आपात्स्थिति के दौरान बहुत से निर्दोष नागरिकों को मीसा तथा निवारक नजरबंदी उपबन्धों के दुरुपयोग का शिकार बनाया गया था इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि किसी के खिलाफ गलत आरोप लगाकर उसे नजरबंदी का शिकार न बनाया जाए ।

मैं यह देख कर बहुत खुश हूं कि एक नया अनुच्छेद 361क पुरःस्थापित किया गया है । अनुच्छेद 361क के इस नए उपबन्ध से यह गारन्टी मिलेगी कि इस वहाने सदन में, जो सारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों को भविष्य में इस तरह सेंसर न किया जाए जिसकी मिसाल हमें आपात्काल के दौरान देखने को मिली थी।

इलाहाबाद निर्णय के बाद, तत्कालीन प्रधान मंत्री ने अपने बचाव के लिए संविधान में यह जो संशोधन कराया था कि प्रधान मंत्री, अध्यक्ष तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के चुनाव सम्बन्धी मामलों को देखने के लिए अलग कानून होगा, उस उपबन्ध को निरस्त किया जा रहा है और इसके लिए मैं विधि मंत्री को बधाई देता हूं ।

संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है और यह बहुत उचित है। हमारी जनता पार्टी ने इस बारे में जो वचन दिया था, उसे पूरा किया जा रहा है । हां, यदि विधि मंत्री ने काम के अधिकार की व्यवस्था की होती तो मुझे और अधिक हर्ष होता। मैं विधि मंत्री से अभी भी निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को अंतिम रूप से स्वीकृति मिलने से पहले, काम के अधिकार को इसमें शामिल किया जाए।

उसमें जनमत संग्रह के बारे में एक उपबन्ध है जिसके सम्बन्ध में दोनों ओर से कुछ शंकाएं व्यक्त की गई हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि इस उपबन्ध का रखा जाना बहुत ठीक है । इस देश के लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि भले ही उनमें 70 प्रतिशत संख्या गरीबों और अशिक्षितों की हो लेकिन उनमें

कमाल की राजनीतिक चेतना है—इसका उदाहरण हमें मार्च, 1977 के चुनाव में मिल चुका है। इसलिए जनमत संग्रह संबन्धी उपबन्ध का दुरुपयोग किए जाने की आशंका निर्मूल है। हां, इसमें थोड़ा, सा परिवर्तन कर देना उचित होगा। इसमें कहा गया है "जनमत संग्रह में मत देने वालों का बहुमत अर्थात् लोकमत का 51 प्रतिशत"। जिसका मतलब है कि कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब 26 प्रतिशत लोग ही इन उपबन्धों को बदल दें। इस संदर्भ में मैं कहूंगा कि केवल 26 प्रतिशत लोगों को ऐसा न करने दिया जाए। इस उपबन्ध में व्यवस्था होनी चाहिए था कि इसे बदलने से पहले, कुल मत-दाताओं की कम से कम 51 प्रतिशत संख्या ऐसे प्रस्ताव का समर्थन करे।

अंत में, एक बात और कहना चाहूंगा जो समवर्ती सूची से शिक्षा के विषय को हटाने के बारे में है। पिछले 30 वर्षों से यह विषय समवर्ती सूची में है और बहुत अच्छी तरह इसने काम किया है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में भाषाजात अल्पसंख्यक तथा धार्मिक अल्प संख्या हैं और यदि हम सारे में शिक्षा पद्धति में एकरूपता न रखें तो तरह तरह के उपद्रव हो सकते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में ही रखा जाए।

इन मामूली शर्तों के साथ, इस विधेयक का मैं आम तौर पर समर्थन करता हूं।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नाती) : संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) विधेयक अब सदन के सम्मुख है। बहुत अच्छी बात है कि यह विधेयक संविधान के पूर्व गौरव को फिर से स्थापित करने का प्रयास है, लेकिन खेद की बात यह है कि सभा दावों तथा वर्तमान संशोधन विधेयक में विभिन्न उपबन्धों के बावजूद, लोकतंत्र को नष्ट करने अथवा सत्तावाद का रास्ता बनाने के लिए संविधान में पर्याप्त उपबन्ध रह जाते हैं।

विधेयक का खण्ड 38 अनुच्छेद 352 का संशोधन करता है। इसमें सशस्त्र विद्रोह की परिकल्पना ऐसी है जो सरकार के हाथ में, लोकतंत्र को नष्ट करने तथा आपातस्थिति लागू करने के लिए आसान हथियार का काम करेगी ताकि वे उसका उपयोग अपने ही लिए कर सकें। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए मैं मौलाना कबूल कलाम आजाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम् का उदाहरण देना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आरोप था कि मुसल-मानों ने अपने ही गैर मुसलमान भाइयों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इस पुस्तक के पृष्ठ 215 पर वही बात कही गई है।

इसके अलावा, खण्ड 38 इस बात का स्पष्टीकरण है कि वास्तविक विद्रोह के पहले ही यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि उसके होने का खतरा है तब भी आपातस्थिति की उद्घोषणा की जा सकती है। यह जले पर नमक छिड़कने की कोशिश नहीं तो और क्या है।

अब मौलिक अधिकारों में संशोधन के बारे में जो स्थिति इस विधेयक से स्पष्ट होती है उसे भी देख लेना चाहिए। न केवल मौलिक अधिकारों में संशोधन करना बल्कि मौलिक अधिकारों को निलम्बित करना भी एक गंभीर बात है। इस विधेयक ने मौलिक अधिकारों को बहुत ही हल्के तौर पर लिया है।

खण्ड 45 जनमत संग्रह से संबन्धित है। इसके अनुसार, यदि 51 प्रतिशत मतदाता वोट दें और उनका बहुमत इस पक्ष में हो तो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा। इसका मतलब होगा कुल 26 प्रतिशत का समर्थन। लेकिन यदि मतदाताओं की संख्या कुल जनसंख्या के मुकाबले 50 प्रतिशत हुई तो इसका मतलब मौलिक अधिकारों को कुल जनसंख्या के 13 प्रतिशत की मनमानी पर छोड़ना होगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार अनुच्छेद 31 ख को हटाना ठीक नहीं समझती है जो कि संविधान में एक आपत्तिजनक उपबन्ध है क्योंकि कोई भी अधिनियम जिसे 9वीं अनुसूची में रख दिया, वह मौलिक अधिकारों की पकड़ से बाहर हो जाता है।

विधेयक का खण्ड 8 अनुच्छेद 31ग को संशोधित करता है। इस तरह मौलिक अधिकारों को निदेशक सिद्धान्तों की प्रधानता से मुक्त कर दिया गया है फिर भी उन्हें अनुच्छेद 31ख तथा ग के अधीन कर दिया है। अक्सर कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों में परस्पर विवाद है। मेरे विचार से कोई विवाद नहीं है। मैंने एक संशोधन दिया है जिसमें कहा गया है कि नागरिक स्वतंत्रताओं तथा अल्प संख्यक अधिकारों से सम्बन्धित अनुच्छेदों का कभी उल्लंघन नहीं किया जाएगा जबकि अन्य को कुल मतदाताओं तथा जनमत के दो तिहाई बहुमत से बदला जा सकता है।

निवारक नजरबंदी को कायम रखा गया है। इन उपबन्धों में, जहां तक सरकारी पक्ष तथा कानून के शासन का संबंध है, ईमानदारी का पूरा अभाव झलकता है। निवारक नजरबंदी या बिना विचारण के नजरबंदी में सांसमवाद की बू आती है।

जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता का सम्बन्ध है सरकार यह स्वीकार क्यों नहीं करती कि समाचार पत्र में कुछ भी प्रकाशित होने पर कभी भी कोई रोक नहीं होगी। प्रेस की स्वतंत्रता की मूल धारणा तो यही है।

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur): Sir, I stand to support this Bill which seeks to restore the supermacy of the constitution and those rights of the citizens which were snatched away during the emergency. For this, the Government deserves congratulations. But, as regards the question of right to property, I want to say that all our problems will not end by simply ousting this right from the jurisdiction of fundamental rights. I would suggest that the words right to property should be replaced by the words rights to limited property because, unless a ceiling is imposed on property, it may go on accumulating, in enormous proportions, in the hands of a few resulting in exploitation of a majority of those who are already except in defficulties.

As declared in our Manifesto, right to work should be made a fundamental right otherwise we will not be able to take the problem of ever increasing employment.

Though I do not support the continuance of the law like MISA, yet I will stress the need to make the existing laws more forceful in order to ensure a feeling of security and to curb the crimes.

Steps may also be taken to be abolished public schools because they are serving only the privileged ones. If there is any provision which prevents the Govemment doing so, that provision of the constitution may be amended so that all facilities are shared by all equally. Apart from this, education should be kept in the concurrent list. It is not only just but essential also.

Judiciary should not have the right to declare null and void the laws made by the Parliament because any interferance in this right of the Parliament which makes laws keeping in view the national interest is unjust and anti-people.

In the context of fundamental rights and directive principles, I may say that it is necessary to give utmost importance to the directive principles and if any fundamental right stands in the way of their inplementation, that should be suitably amended in accordance with the provisions already made. The supremacyfof directive principles of state policy over fundamental right must be established. With these words, I end and support this Bill.

Shri Gauri Shankar Rai (Gajipur): Our Law Minister is fortunate that he has got the opportunity of doing this good deed of amending the constitution to remove the slur on the face of history of our country which was brought by enacting the 42nd Amendment. It is ridiculous that by the 42nd Amendment 'Secularism' and 'Socialism' were added in in the constitution while in fact the contents of secularism and socialism were destroyed by that ligislation. The fundamental rights were taken away and even the remote possibilities of safe guarding the interest of miniorities were removed, the soul and content of the constitution was taken out from its body and only a label of socialism was put thereon.

By 42nd Amendment the independence of Comptroller and Auditor General of India in regard to the form of accounts of the Union and the States was also withdrawn. By that amendment even the privileges of Parliament were taken away.

It has been suggested in this House that the privileges of Parliament should be codified. I am not in favour of this codification. If these privileges are codified, then they can be taken to courts also which may create many difficulties.

I am happy that by this 45th Amendment our democratic rights, civil rights, rights of Comptroller and Auditor General and the Parliamentary privileges are being restored.

As regards emergency provision, it exists in many other big countries also and, therefore, it is not bad to keep them; the most essential thing is that chances of its misuse are checked.

Omission of Article 257-A regarding assistance to States by deployment of armed forces or other forces of the Union is a step in the right direction. But the insertion of Article 300(A) is, in my opinion, superfluous, particularly when the right of property is being withdrawn from the fundamental rights.

I feel that education should be retained in the concurrent list and should not be transferred to State list so that centre may be able to regulate education all over the country.

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : भारत की आत्मा आज पुनः जागृत हो रही है । इसका श्रेय करोड़ों देशसाभियों की प्रजातांत्रिक भावनाओं को जाता है । हालांकि हमारे देश के लोग कुपोषित, अशिक्षित अर्द्धशिक्षित बेरोजगार या जीवन की मूल आवश्यकताओं से वंचित हैं फिर भी उन्होंने संविधान को तोड़ने मरोड़ने तथा कलुषित करने के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया है ।

जनता पार्टी ने 42वें संशोधन के पूर्ण निरसन के लिए देश के लोगों को वचन दिया है। हालांकि हम इस बारे में याद दिलाते रहे हैं फिर भी प्रतीत होता है कि वे इस बारे में उन्हीं लोगों से समझौता करना चाहते हैं जिन्होंने मानवता के विरुद्ध घोर अपराध किया है ।

हमने भी और अन्य लोगों ने भी 42वें संशोधन का विरोध किया । यह संशोधन सत्ता लोलुपता तथा जनविरोधी आक्रोश का फल था । यह फासिस्टवाद एवं तानाशाही का प्रतीक था । अतः हमें पूरा विश्वास है कि जब तक यह संशोधन संविधान में रहता है तब तक संविधान दूषित ही रहेगा ।

39वें संशोधन के साथ ही संविधान को अपवित्र बनाना शुरू कर दिया गया ।

कांग्रेस संसद सदस्यों में इस गैर-कानूनी तथा असंवैधानिक संविधान संशोधन का समर्थन करने की होड़ सी लग गई थी । एक व्यक्ति विशेष के लिए संविधान को कलुषित कर दिया गया। केवल मात्र श्रीमती गांधी के चुनाव को वैध करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर दिया गया । 39वां संशोधन संविधान इतनी तीव्रता से पारित किया गया कि न तो उस पर चर्चा करवाई गई, न वाद-विवाद । इसी प्रकार से 40वां संविधान संशोधन जिसके माध्य में से व्यक्ति विशेष

की उसके गुनाहों के उत्तरदायित्व से मुक्ति प्रदान की गई, वह भी देश के इतिहास में एक कलुषित कारनामें के रूप में लिखा जायेगा । इसी अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए हम यह चाहते है कि सत्ता के लिए लोलुप तानाशाहीं को इस प्रकार से संविधान में संशोधन न करने देने के उद्देश्य से उपयुक्त उपबन्ध प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

इस के पश्चात् हमारे समक्ष संविधान का 42वां संशोधन आया । हमने इस संशोधन का भरपूर विरोध किया क्योंकि यह संशोधन जनविरोधी सत्ता लीलुप तथा जनविरोधी आक्रोष का ही फल था । 42वें संशोधन का कोई भी प्रावधान जनहित या लोक तांत्रिक प्रणाली से हित में नहीं था । प्रस्तावना तथा नीति निदेशक सिद्धांतों में भी कुछ संशोधन प्रस्तुत किये परन्तु वह ऐसे थे जोकि व्यावहारिक नहीं थे । कहने का तात्पर्य यह है कि 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य भी, सत्ता में बने रहना ही था ।

भारत की जनता ने जनता पार्टी को संविधान के 42वें संशोधन का पूर्णतमा निरसन करने के उद्देश्य से भारी बहुमत दिया था । जनता पार्टी को हम याद दिला दें कि अब भी समय है कि वह सम्पूर्ण 42वें संशोधन को पूर्णतया समाप्त कर दें । इसी जनादेश के साथ जनता पार्टी लोगों के पास गई थी परन्तु अब हमें ऐसा लग रहा है कि उसी जनादेश के साथ समझौता किया जा रहा है ।

यह अच्छी बात नहीं है कि इस विधेयक में भी निवारक निरोध विधियां बनाई रखी गई है । विधि मंत्री ने इसकी व्याख्या करते हुये कहा है कि एक कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन करने की व्यवस्था की जा रही है । अतः सभी कठिनाईयां समाप्त हो जायेंगी । परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि पहले बोर्डों का अनुभव खराब है । यह सलाहकार बोर्ड हमेशा पुलिस रिकार्ड के आधार पर एक तरफा रवैया अपनाते रहे हैं । अतः यह व्यवस्था एक प्रकार से कानून के बुनियादी उपबन्ध का उल्लंघन है । यह ठीक ही कहा गया है कि यदि निवारक निरोध के उपबन्ध को बनाये रखा गया तो इसका तात्पर्य होगा सभी उचित लोकतन्त्रीय गतिविधियों के कुचलने के लिए सरकार के हाथों में शक्ति देगा । अतः यह व्यवस्था उचित नहीं है ।

सिद्धांत रूप से हम अनुच्छेद 352 के विरुद्ध हैं । क्या अभी तक देश ने सबक नहीं सीखा ? आन्तरिक दंगों के नाम में देश की जनता से ढोंग किया गया था । सम्पूर्ण देश को एक कैदखाना बना दिया गया । यदि उपबन्ध सशस्त्र बगावत के बार में हो तो फिर इस बात का निर्णय कौन करेगा कि बगावत है अथवा नहीं । जनता पार्टी के सदस्यों को इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिये क्योंकि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत शक्तियों के दुरुपयोग की काफी संभावना है । इसी प्रकार हम अनुच्छेद 360 का भी विरोध करते है । हम जमानत संग्रह का समर्थन करते हैं। क्योंकि हमने 1971 के चुनाव में अल्पमत सरकार के कार्य को भी देखा है ।

हम इन आशंकाओं के साथ इस विधेयक का समर्थन करते है तथा साथ ही आशा करते है कि सत्तारुढ़ दल में आत्मविश्लेषण होगा और वह जनता के हितों को दृष्टिगत रखते हुए, उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए अग्रसर होंगे ।

Shri Raj Narain (Rai Bareli): In ancient times, there used to be courteous who used to sing in praise of the kings. I am not interested to place myself in that category by praising the present Government. But I would like to highlight some fundame ntal questions. The Janata Party had made a pledge in its election mainfesto that they will totally repeal the constitution (42nd Amendment) Act. But the question is whether this promise has been fulfilled?

Another promise made by Janata Party was that voting age will be reduced from 21 to 18 years. May I know from the Law Ministry, when amendment will be brought forth to reduce the age. I would also like to know why the 9th schedule has not been deleted.

The Janta Party election manifesto also contained a pledge to secure a right to work and full employment. But it is not known why this amending Bill does not contain provisions to secure employment to all unemployed people. Then it is also said that illiteracy will be eradicated. It is not known what is being done to eradicate illiteracy.

I vehemently oppose preventive detention. The articles 352 to 360 should be deleted from the constitution.

The Centre-State relations should be clearly defined. The states should be given more powers.

I do not agree with those who oppose judicial review.

The Law Minister has taken a lenient view of the offences committed by Smt. Gandhi, There is no reason why no action has not been taken against her in a special court as a result of Shah Commission's report submitted on the 11th March.

Special Courts should be set up to try the cases against Mrs. Indira Gandhi.

श्री वसन्त साठे : अनेक सदस्यों ने यह साधारण बात कही है कि 42वां संशोधन हटा दिया जाये । यही वायदा लोगों से किया गया था । उसे सरकार पूरा नहीं कर पायी है । सरकार 42वें संशोधन को समाप्त क्यों नहीं कर पायी है ? यह शायद इसलिये है कि श्री शान्ति भूषण जैसे कानून के अनुभवी व्यक्ति ने इसके कुछ भाग को बनाये रखना आवश्यक समझा है ।

अनुच्छेद 31ग के रूप में एक अच्छी बात रखी गई है । पर इसे लागू कैसे किया जाएगा । निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार इसे लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि न्यायालय किसी न किसी आधार पर इसे रद्द कर देगा ।

एक अच्छा उपबन्ध न्यायाधिकरण के बारे में है । हमारा और आपका भी यह अनुभव है कि केवल दस वर्ष के वकालत के अनुभव से कोई व्यक्ति अच्छा विधिविद नहीं बन जाता। जो व्यक्ति फौजदारी कानून के केस कर रहे हों या जो कम्पनी कानून के विशेषज्ञ हों वे विशेषज्ञ इसलिए नहीं बन जाते कि उन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया है । यह एक अच्छा उपबन्ध था ताकि हमें अनुभवी और बुद्धिमान विशेषज्ञों से न्याय मिल सके । वह उपबन्ध भी समाप्त कर दिया गया है ।

अनुच्छेद 352 के अधीन एक अन्य अच्छा उपबन्ध पुरःस्थापित किया गया है । पुराने अनुच्छेद 352 में यह उपबन्ध था कि यदि किसी एक भाग में आपातस्थिति लागू की जाती है, तो यह समूचे देश के लिये करनी होगी । यह उपबन्ध भी अच्छा है कि आपातस्थिति किसी भाग के लिये लागू की जा सकती है और फिर वहां से हटाई जा सकती है ताकि यदि किसी भाग में ऐसी स्थिति हो तो सरकार इसे उस भाग तक सीमित रख सकती है और शुरू में उस बुराई को दबा सकती है ।

मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि सशस्त्र विद्रोह सम्बन्धी उपबन्ध को बनाये रखा जाना चाहिये । यह बहुत खतरनाक है । सशस्त्र विद्रोह में एक त्रुटि है । जैसाकि बताया गया है, कल सरकार किसी न किसी स्थान पर सशस्त्र विद्रोह होने का बहाना करके ऐसा कर सकती है । हो सकता है वहां पर केवल हड़ताल ही हो। फिर भी सरकार इसे इस्तेमाल कर सकती है । अतः हमें आपात स्थिति के उपबन्ध को पूर्णतः समाप्त करना चाहिये । सशस्त्र विद्रोह का कोई अर्थ नहीं है ।

जहां तक जनमत का सम्बन्ध है, इसमें भारी कठिनाई है । यदि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे भारी जनसंख्या वाले राज्य किसी विशेष संशोधन के पक्ष में वोट देते है, तो वे शेष देश के अधिकारों को हथिया सकते हैं क्या सरकार ने यह उपबन्ध किया है कि अधिकांश राज्य जनमत द्वारा अपना अनुमोदन दे सकेंगे ?

दूसरी ओर के सदस्य यह सिद्ध नहीं कर सके कि 42वां संशोधन किस प्रकार से पूर्णतः खराब था, बुरा था और उसे समाप्त किया जाना चाहिये । ऐसा वे सिद्ध नहीं कर सके । अतः यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि 42वां संशोधन बुरा था और इस की निन्दा की जानी चाहिये ।

श्री यशवंत बोरोले (जगगांव) : ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा : यह कोई ऐसा संशोधन नहीं है जो हमें सत्तारूढ़ दल या विरोधी पक्ष के लिये बना रहे हैं । हमें यह देखना है कि कम से कम आने वाली पीढ़ियां इससे मार्गदर्शन ले सकें । वर्तमान संशोधन से हम ऐसी बातों को समाप्त कर रहे हैं जो इस देश के लिये आवश्यक नहीं थी । हम देखने के लिये चिन्तित हैं कि कभी भी इस देश में कोई शासक इस देश के लोक तंत्री ढांचे का दुरुपयोग कर सके ।

जहां तक आपातस्थिति सम्बन्धी उपबन्ध का सम्बन्ध है, उसमें केवल एक त्रुटि है । चाहे सशस्त्र विद्रोह हो या न हो, यह एक ऐसा विचार है जो बिना किसी उचित माप दण्ड के बनाया जा सकता है । अतः यह गुमराह करने वाला तथ्य हो सकता है ।

जनमत के बारे में यह कहा गया है कि भारत जैसे देश में जनमत करना बिल्कुल सम्भव नहीं है । जो त्रुटियां बताई गई हैं हम उन पर अवश्य विचार कर सकते हैं । परन्तु यह उपबन्ध होना आवश्यक है । जनमत से हमें यह पता चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं । यह जनता की राय होगी । बहुसंख्यक लोगों का निर्णय मान्य होगा । अतः हमें लोगों में विश्वास रखना चाहिये । हमने लोगों में विश्वास खो दिया है। हमारा विचार है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही ऐसे मामलों में सही राय दे सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : गत वर्ष चुनावों के दौरान हमने लोगों को यह बचन दिया था कि हम 42वें संशोधन को रद्द करेंगे क्योंकि यह संशोधन न तो संविधान में संशोधन करने और न ही संविधान को सुधारने के लिये था, बल्कि संविधान को समाप्त करने वाला संशोधन था । यह खुशी की बात है कि उस 42वें संशोधन के अधिकांश खराब उपबन्धों को इस 45वें संशोधन द्वारा रद्द करने की मांग की गई है । परन्तु अभी भी 42वें संशोधन अधिनियम के कुछ ऐसे उपबन्ध हैं, जो हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है । सरकार की अपनी सीमाएं हैं क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के लिये दोनों सदनों में बहुसंख्या की आवश्यकता है और इसी कारण वे अन्य उपबन्ध नहीं ला रही है जिन से 42वें संशोधन अधिनियम पूर्णतः समाप्त हो सकता है ।

आपातस्थिति, नजर बन्दी, सम्पत्ति और जनमत सम्बन्धी विधेयक के चार उपबन्ध, विवादास्पद हैं। संविधान सभा और अन्तरिम संसद में मैंने आपातस्थिति सम्बन्धी उपबन्धों के विरुद्ध आवाज उठाई थी । मैंने सरदार पटेल द्वारा लाये गये निवारक नजरबन्दी सम्बन्धी उपाय का भी विरोध किया था । जहां तक सम्पत्ति के अधिकार का सम्बन्ध है, मैंने संविधान सभा के कुछ सदस्यों सहित उसे मौलिक अधिकार बनाने का विरोध किया था । कांग्रेस इस बात पर चुप्पी साधे रही [और यद्यपि ये मामले समय-समय पर उठाये गये, उन्होंने संविधान के उपबन्धों में परिवर्तन करने के लिये कुछ नहीं । यह प्रसन्नता की बात है कि जनता सरकार संविधान के उपबन्धों में संशोधन करने के लिये एक ऐसा विधेयक लाई है ताकि इसे लोगों की आकांक्षाओं के और अधिक अनुरूप बनाया जा सके ।

श्री वेदव्रत बरुआ (कालियाबोर) : मैं अपना भाषण आज ही आरम्भ कर सकता हूं । अभी आधा घंटा बाकी है । **तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 9 अगस्त, 1978/18 श्रावण, 1900 (शक) के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, August 9, 1978) Sravana 18, 1900 (Saka).

MGIPRRND—29 LSS/78—28-11-78—210.